

101st

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2022-23



नैनीताल बैंक
NAINITAL BANK

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपको प्रेरणा, उत्साह और कृतज्ञता की अद्भुत भावना के साथ संबोधित करते हुए खुशी हो रही है, क्योंकि हम विशेष रूप से कोविड के बाद की दुनिया के इस कठिन समय में अपनी उपलब्धियों के द्वारा लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा बैंक सफलता के नए क्षितिज तक विकास की अपनी यात्रा में निरंतर आगे बढ़ेगा।



Chairman's Message

Dear Shareholders,

I am delighted to address you with a wonderful sense of inspiration, excitement and gratitude, as we continue to soar higher on the wings of our accomplishments, especially in these testing times of the post covid world. I am confident that your Bank will steadily move ahead in its journey of growth to new horizons of success.

बीता वर्ष वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में गतिशील बदलावों और बैंकिंग उद्योग में परिवर्तनकारी विकास और चुनौतियों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने पिछले एक साल में चुनौतियों और अवसरों के मिश्रण का अनुभव किया है। दुनिया कोविड-19 महामारी के बाद से जूझ रही है और कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दर में वृद्धि देखी गई है। कई चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद, हमारे बैंक ने सेवा में उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बनाए रखने में समझौता नहीं करते हुए बदलती परिस्थितियों में तेजी से अनुकूलन करने के लिए निरंतर लचीलापन और निरंतर चुस्ती का प्रदर्शन किया है। एक बैंक के रूप में, हम अखंडता, पारदर्शिता और ग्राहक-केंद्रितता के लिए खड़े हुए हैं, और खड़े रहेंगे। ये मूल्य स्थापना के बाद से हमारे संचालन के मूल में रहे हैं, और हमने अपने ग्राहकों और हितधारकों के साथ अपनी सभी बातचीत में उन्हें बनाए रखने का प्रयास किया है।

The year gone by has been marked by dynamic shifts in global economic landscape and a series of transformative developments and challenges in the Banking industry. The global economy has experienced a mix of challenges and opportunities over the past year. The world continues to grapple with the aftermaths of Covid-19 pandemic and certain economies have witnessed an increase in inflation rates. Despite numerous challenges and uncertainties, our Bank has demonstrated continued resilience and sustained agility to adapt swiftly to the changing circumstances while not compromising in upholding our commitment to excellence in service. As a Bank, we have stood, and shall stand for integrity, transparency, and customer-centricity. These values have been at the core of our operations since inception, and we have strived to maintain them in all our interactions with our customers and stakeholders.

हमारा मानना है कि बैंकिंग केवल लेनदेन के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे ग्राहकों के साथ संबंध बनाने, उनकी जरूरतों को समझने और उन्हें सर्वोत्तम समाधान प्रदान करने के बारे में है जो उनके वित्तीय उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ, हम एक निष्ठावान ग्राहक आधार बनाने में सक्षम हुए हैं जो अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए हम पर भरोसा करते हैं। पिछले वर्षों में, बैंक ने अपनी पहुंच का विस्तार करने और अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। हमने अपने परिचालन के क्षेत्रों में रणनीतिक स्थानों पर नई शाखाएं खोली हैं, और साथ ही साथ अपने ग्राहकों को एक सहज और सुविधाजनक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी डिजिटल क्षमताओं को भी मजबूत किया है। हमने आवश्यकता आधारित नए उत्पादों और सेवाओं की भी शुरुआत की है जो हमारे ग्राहकों की उभरती अपेक्षाओं को पूरा करती है, और यह सुनिश्चित किया है कि हमारे उत्पाद प्रतिस्पर्धी मूल्य पर हों।

We believe that banking is not just about transactions, but about building relationships with our customers, understanding their needs, and providing them with the best solutions that meet their financial objectives. With this approach, we have been able to build a loyal customer base that trusts us for its financial needs. Over the past years, the Bank has continued to focus on expanding its reach and increasing its customer base. We have opened new branches in strategic locations across the areas of our operations, and have also simultaneously strengthened our digital capabilities to provide our customers with a seamless and convenient banking experience. We have also introduced need based new products and services that cater to the evolving expectations of our customers, and have ensured that our offerings are competitively priced.

ये वर्ष की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्होंने हमारे आगे के मार्ग को आकार दिया है। हमारी कासा जमा राशि 3126.24 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि कुल जमा राशि बढ़कर 7681.83 करोड़ रुपये हो गई है। हमारी बैलेंस शीट की ताकत में काफी सुधार हुआ है, जिसमें शुद्ध अग्रिम बढ़कर 4623.59 करोड़ रुपये हो गया। हमने वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 28.93 करोड़ रुपये की तुलना में 46.30 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ भी दर्ज किया है। हमारे प्रमुख वित्तीय अनुपात जैसे कि परिसंपत्तियों पर रिटर्न, कासा, शुद्ध ब्याज मार्जिन क्रमशः 0.54%, 40.70%, 3.27% था। हमारे जीएनपीए और एनएनपीए क्रमशः

These are some of the key highlights of the year that have shaped our forward path. Our CASA deposits have reached ₹ 3126.24 Crores, while Total Deposits grew to ₹ 7681.83 Crores. Our balance sheet strength improved significantly, with Net Advances growing to ₹ 4623.59 Crores. We also registered a Net Profit of ₹ 46.30 Crores compared to ₹ 28.93 Crores in Financial Year 2021-2022. Our Key Financial ratios such as Return on Assets, CASA, Net Interest Margin stood at 0.54%, 40.70%, 3.27% respectively. Our GNPA and NNPA came

9.60% और 1.84% में लगातार सुधार देखा गया जो वित्त वर्ष 2021-2022 में 12.10% और 4.25% था।

नैनीताल बैंक लिमिटेड में, हम समझते हैं कि हमारी सफलता हमारे ग्राहकों की सफलता से गहराई से जुड़ी हुई है, और हम वित्तीय समृद्धि की दिशा में उनकी यात्रा में उनके साथ चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए, हमने बैंकिंग सेवाओं को बैंक रहित और कम बैंकिंग वाले वर्गों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। हम विभिन्न सीएसआर पहलों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, और हमने उन समुदायों के विकास और कल्याण में योगदान दिया है जिनमें हम काम करते हैं। समाज को वापस देने और इसकी प्रगति और विकास की दिशा में योगदान करने के लिए सामाजिक रूप से जागरूक और प्रतिबद्ध संगठन के रूप में हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है।

बैंक में हम कॉर्पोरेट प्रशासन के बहुत उच्च मानकों को सर्वोच्च महत्व देते हैं। यह दर्शन स्वतंत्रता, जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता और समय पर प्रकटीकरण के आवश्यक सिद्धांतों पर टिका हुआ है, जिन्होंने वर्षों से हमारी विश्वसनीयता का निर्माण किया है।

स्थायित्व के साथ गवर्नंस बोर्ड की प्राथमिकताएं रही हैं, जो जोखिम और अनुपालन के दायरे में बढ़ने के स्पष्ट उद्देश्य को रेखांकित करती हैं। इस संबंध में, बोर्ड ने बैंक की प्रगति के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदारी से योगदान करने के लिए योग्यता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। बोर्ड स्तर पर गुणवत्ता चर्चा और सूचना साझा करना सुनिश्चित करना और बैंक के प्रकटीकरण में पारदर्शिता, बोर्ड के लिए प्राथमिकता रही है। कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम स्तरों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, बोर्ड लगातार विभिन्न नीतियों और ढांचे को मजबूत करने, जोखिम प्रबंधन पर निगरानी बनाए रखने और विभिन्न समितियों के माध्यम से लेखा परीक्षा और अनुपालन करने का प्रयास करता है। बोर्ड और इसकी विभिन्न समितियों ने बैंक के लिए महत्वपूर्ण महत्व के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन, जायजा लेने और सुधार का सुझाव देने के लिए पूरे वर्ष बैठकों कीं, और यह सुनिश्चित किया कि हमारा बैंक बाहरी घटनाओं के उतार-चढ़ाव और प्रवाह से बचा रहे। बोर्ड ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आश्वासन कार्यों में मूल्यों और संस्कृति को स्थापित करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता और उच्चता रखता है जो दीर्घकालिक बैंकिंग के अभिन्न अंग हैं।

मैं योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने और बैंक के वादों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए हमारे स्टाफ सदस्यों के सराहनीय समर्पण के लिए ईमानदारी से सराहना करता हूँ। मैं अपने ग्राहकों, हितधारकों, निवेशकों और सभी शेयरधारकों को निरंतर समर्थन, विश्वास और सबसे ऊपर, हम पर जताए गए विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके मजबूत समर्थन से बैंक नई ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ता रहेगा।

भवदीय
 एन.के.चारी
 अध्यक्ष

down to 9.60% and 1.84% respectively witnessing a steady improvement over 12.10 % and 4.25% in Financial Year 2021-2022.

At The Nainital Bank Ltd., we understand that our success is closely linked to the success of our customers, and we are committed to walk along with them in their journey towards financial prosperity. To this end, we have implemented various initiatives to bring banking services to the unbanked and underbanked segments of the population. We have also been actively involved in various CSR initiatives, and have contributed to the development and welfare of the communities in which we operate. And it is, and has been, our duty and responsibility as a socially conscious and committed organization to give back to the society and contribute towards its progress and development.

At the Bank we accord top importance to very high standards of corporate governance. This philosophy rests on the essential principles of independence, accountability, responsibility, transparency and fair and timely disclosures which have built our credibility over the years.

Governance with stability have been the priorities for the Board, underpinning the articulated objective of growing within the guardrails of risk and compliance. In this regard, the Board has focused on ensuring competency and independence to contribute objectively and responsibly towards the Bank's progress. Ensuring quality discussions and information sharing at the Board level, and transparency in the disclosures of the Bank, have been the priority for the Board. With a commitment to the highest levels of corporate governance, the Board continuously endeavors to strengthen various policies and frameworks, maintain oversight over risk management, and audit and compliances through various Committees. The Board and its various Committees met throughout the year to evaluate, take stock and suggest improvements over various aspects of critical importance to the Bank, and to ensure that your Bank is buffeted against ebbs and flows of external events. The Board has also ensured that the assurance functions have adequate independence and stature to establish values and culture that are integral to sustainable banking.

I place on record my sincere appreciation for the admirable dedication of our staff members in aligning with the strategies and enabling the Bank to deliver on the promises. I extend my heartfelt thanks to our customers, stakeholders, investors and all the shareholders for the continued support, confidence and above all, the trust reposed on us. I am sure with your strong support, the Bank will continue to move to newer heights.

Warm regards,
 N.K Chari
 Chairman

निदेशक मंडल Board of Directors



Shri N. K. Chari
Non-Executive Independent Chairman



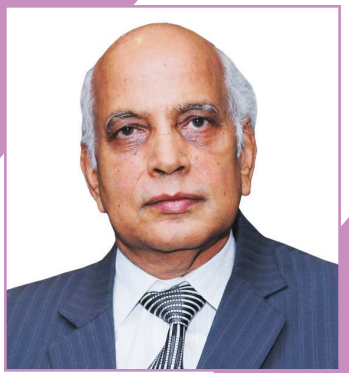
Shri Nikhil Mohan
Managing Director & CEO



Smt Binita Shah
Independent Director
(Non-Executive)



Shri Manoj Sharma
Independent Director
(Non-Executive)



Shri U. C. Nahta
Independent Director
(Non-Executive)



Shri Rakesh Nema
Non-Independent Director
(Non-Executive)



Shri Neelam Damodharan
Independent Director
(Non-Executive)



NAINITAL BANK
THE NAINITAL BANK LTD.

कार्यकारी अधिकारी / Executives



Dr. Deepak Pant
Chief Operating Officer



Sh. Mahesh Chandra Jindal
Chief Compliance Officer



Sh. M. K. Goyal
Chief Financial Officer



Sh. Sanjay Lal Sah
VP-Credit



Sh. P. D. Bhatt
VP-Recovery & CRM



Sh. Deepak Singh Bisht
VP-IT & CTO



Sh. Rahul Pradhan
VP- Operations



Sh. Amar Singh
VP & Head CIAD



Sh. Umesh Chandra Ruwali
VP & Regional Head, Haldwani Region



Sh. Ajay Seth
VP & Regional Head, Delhi Region



Sh. Sunny Mehra
AVP & Regional Head, Dehradun Region



Sh. Sachin Kumar
Chief Risk Officer



Sh. Sanjay Kumar Gupta
AVP- HRM & Law



Sh. Punkaj Tondon
AVP-Head-Vigilance



Sh. Praveen Singh Bisht
AVP- CISO



Sh. T. C. Dalakoti
AVP & Head- Planning



Sh. Mohit Agarwal
AVP & Head-CrisMac



Sh. Manoj Dalakoti
AVP & Head- CRM Department



Sh. Gaurava Sharma
AVP & Chief Digital Officer

विषय-सूची CONTENTS

निदेशक मंडल की रिपोर्ट	6	Report of the Board of Directors
बेसल-III पिलर-3 प्रकटीकरण	64	Basel-III Pillar-3 Disclosures
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	95	Balance Sheet as on 31 st March 2023
31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ और हानि खाता	96	Profit & Loss Account for the Year Ended 31 st March, 2023
31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण	97	Statement of Cash Flow for the Year Ended 31 st March, 2023
तुलन-पत्र की अनुसूचियां	98	Schedules to Balance Sheet
खातों पर टिप्पणियां	113	Notes on Accounts
हमारी शाखायें	172	Our Branch Network



निदेशक मंडल की रिपोर्ट की 101^{वीं} रिपोर्ट (2022-23)

प्रिय सदस्यों,

आपके बैंक के निदेशक, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखापरीक्षित तुलनपत्र, लाभ-हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरणी तथा व्यवसाय व परिचालन विवरणी के साथ बैंक की 101^{वीं} रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण संकेत:

- बैंक का कुल कारोबार जो 31/03/2022 को ₹ 11,697.66 करोड़ था, जो दिनांक 31/03/2023 को बढ़कर ₹ 12,305.42 करोड़ रहा, जो 5.20% की वार्षिक बढ़ोतरी को दर्शाता है।
- दिनांक 31/03/2023 को बैंक का सकल अग्रिम दिनांक: 31/03/2022 के ₹ 4,211.79 करोड़ की तुलना में 9.78% की वार्षिक बढ़ोतरी के साथ ₹ 4,623.59 करोड़ रहा।
- दिनांक: 31/03/2023 को बैंक की कुल जमाएं दिनांक: 31/03/2022 को ₹ 7,681.82 करोड़ की तुलना में 2.62% की बढ़ोतरी के साथ ₹ 7,485.87 करोड़ रहा।
- 31/03/2023 को कम लागत वाली जमा राशियाँ **40.70%** रही।
- 31/03/2023 को बैंक का सीडी अनुपात 31/03/2022 के 56.26% की तुलना में 60.19% रहा।
- 31 मार्च 2023 को बैंक की निवल स्वामित्व निधि ₹ 727.80 करोड़ रही।
- 31/03/2023 को बैंक की जमा लागत 31/03/2022 के 4.34% से घटकर 4.24% रही।
- 31/03/2023 को अग्रिम पर लाभ 31/03/2022 के 8.24% की तुलना में 8.39% रहा।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से ऋण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित स्तर न्यूनतम 40% की तुलना में समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 56.02% रहा।
- 31 मार्च, 2023 को बैंक का परिचालन लाभ (एमटीएम हानि से पहले) ₹ 97.89 करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च 2022 को यह ₹ 105.63 करोड़ था।
- 31 मार्च, 2023 को बैंक का परिचालन लाभ (एमटीएम हानि के बाद) ₹ 76.94 करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च 2022 को यह ₹ 100.30 करोड़ था।
- दिनांक 31 मार्च, 2023 को बैंक का शुद्ध लाभ, दिनांक: 31 मार्च, 2022 के शुद्ध लाभ ₹ 28.93 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ **46.30** करोड़ रहा।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात पिछले वर्ष के बेसल-III के मानदंडों अनुसार 13.63% की तुलना में बेसल-III मानदंडों के तहत 16.64% रहा। 31.03.2023 को कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात में से

101ST REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS (2022-23)

Dear Members,

The Directors of your Bank feel immense pleasure in presenting the 101st Annual Report of the Bank along with statement of the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash-Flow Statement and the Report on Business and Operations for the Financial Year 2022-23.

KEY PERFORMANCE INDICATORS:

- Total Business of the Bank which was ₹ 11,697.66 crores as on 31/03/2022 increased to ₹ 12,305.42 crores as on 31/03/2023, showing annualized growth of 5.20%.
- Gross Advances of the Bank increased from ₹ 4,211.79 crores as on 31/03/2022 to ₹ 4,623.59 crores as on 31/03/2023, registering annualized growth of 9.78%.
- Total Deposits of the Bank increased to ₹ 7,681.82 crores as on 31/03/2023 in comparison to ₹ 7,485.87 as on 31/03/2022 registering a growth of 2.62%.
- Share of low cost deposit stood at **40.70%** as on 31/03/2023.
- C. D. Ratio of the Bank increased to 60.19% as on 31/03/2023 as against 56.26% as on 31/03/2022.
- Bank's Net Worth stood at ₹ 727.80 crores as on March 31st, 2023.
- The Cost of Deposit decreased from 4.34% as on 31/03/2022 to 4.24% as on 31/03/2023.
- Yield on Advances was 8.39% as on 31/03/2023 in comparison to 8.24% as on 31/03/2022.
- Priority Sector Lending stood at 56.02% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against RBI stipulation of minimum 40%.
- Operating Profit (before MTM loss) of the Bank stood at ₹ 97.89 Crore as on 31st March, 2023 against ₹ 105.63 crore as on 31st March, 2022.
- Operating Profit (after MTM loss) of the Bank stood at ₹ 76.94 crore as on 31st March, 2023 against ₹ 100.30 crore as on 31st March, 2022.
- Net Profit of the bank increased to ₹ **46.30** crore as on 31st March, 2023, against Net Profit of ₹ 28.93 crore as on 31st March, 2022.
- The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 16.64% as against 13.63% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier -I capital was 15.63% and Tier -II



टियर I पूंजी 15.63% और टियर II पूंजी 1.01% रही।

- 31 मार्च, 2023 को सकल अग्रिमों में सकल एनपीए घटकर **9.60%** रहा जबकि पिछले वर्ष यह 12.10% था।
- शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए पिछले वर्ष के **4.25%** की तुलना में घटकर **1.84%** रहा।
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वर्ष के 2.98% की तुलना में बढ़कर 3.27% रहा।
- आस्तियों पर औसत आय पिछले वर्ष के 0.34% की तुलना में 0.54% रही।
- प्रति कर्मचारी व्यवसाय पिछले वर्ष के ₹ 13.58 करोड़ की तुलना में ₹ 10.99 करोड़ रहा।
- प्रति शेयर बही मूल्य पिछले वर्ष के ₹ 78.33 की तुलना में 31 मार्च, 2023 को ₹ 61.97 रहा।
- 31 मार्च, 2023 को प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष ₹ 3.73 की तुलना में ₹ 3.94 रही।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में 03 नई शाखाएं खोली गईं।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

ओईसीडी के नवीनतम आर्थिक आउटलुक के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू हो गया है, लेकिन सुधार की गति धीमी रहेगी। इकोनॉमिक आउटलुक में वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 2022 में 3.3% से घटकर 2023 में 2.7% होने का अनुमान लगाया गया है, और 2024 में 2.9% तक वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक की नीतिगत दरों में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बना हुआ है। वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 8.7 प्रतिशत से घटकर 2023 में 6.8 प्रतिशत और 2024 में 5.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है। अंतर्निहित (मुख्य) मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे गिरावट आने का अनुमान है, और 2024 में मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को ऊपर की ओर संशोधित किया गया है। वित्तीय क्षेत्र के दबाव के साथ एक व्यावहारिक वैकल्पिक परिदृश्य में, वैश्विक विकास 2023 में लगभग 2.5 प्रतिशत तक गिर सकता है, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्था की वृद्धि 1 प्रतिशत से नीचे गिर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2023 में 1.6% होने का अनुमान है, जो कठिन मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों में 2024 में गिरकर 1% तक हो सकती है। यूरो क्षेत्र में, मुद्रास्फीति में गिरावट वास्तविक आय को बढ़ावा देने में मदद करेगी और 2023 में 0.9% से 2024 में 1.5% तक जीडीपी वृद्धि में योगदान देगी। सरकार की शून्य-कोविड नीति को हटाने के कारण चीन को 2023 में जीडीपी वृद्धि (5.4% के साथ) और 2024 (5.1% के साथ) में मजबूत वृद्धि की आशा कर रहा है।

अनुमान है कि बढ़ोतरी मजबूत नहीं है और जोखिम नीचे की ओर दबाव बना रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के बढ़ने से और इसके वैश्विक प्रभाव पर अनिश्चितता एक प्रमुख चिंता बनी हुई है। कुछ अनुकूल परिस्थितियां जिन्होंने इस साल ऊर्जा की मांग को कम करने में मदद की, जैसे यूरोप में हल्की सर्दी, अगले साल होने की संभावना काम है। मुद्रास्फीति की दृढ़ता

capital was 1.01% as on 31.03.2023.

- Gross NPA to Gross Advances decreased to **9.60%** as on March 31st, 2023 as against 12.10 % last year.
- Net NPA to Net Advances decreased to **1.84%** in comparison to last year's **4.25%**.
- Net Interest Margin (NIM) increased to 3.27% in comparison to last year's 2.98%.
- Average Return on Assets stood at 0.54% in comparison to last year's 0.34%.
- Business per Employee decreased to ₹ 10.99 crore in comparison to last year's ₹ 13.58 crore.
- Book Value per Share decreased to ₹ 61.97 as on March 31st, 2023 as against ₹ 78.33 last year.
- Earnings per Share (EPS) stood at ₹ 3.94 as on March 31st, 2023 as against ₹ 3.73 last year.
- Opened three (03) new branches in the F.Y. 2022-23.

GLOBAL ECONOMIC SCENARIO

The global economy has begun to improve, but the recovery will be weak, according to the OECD's latest Economic Outlook. The Economic Outlook projects a moderation of global GDP growth from 3.3% in 2022 to 2.7% in 2023, followed by a pick-up to 2.9% in 2024. The rise in central bank policy rates to fight inflation continues to weigh on economic activity. Global headline inflation is expected to fall from 8.7 percent in 2022 to 6.8 percent in 2023 and 5.2 percent in 2024. Underlying (core) inflation is projected to decline more gradually, and forecasts for inflation in 2024 have been revised upward. In a plausible alternative scenario with further financial sector stress, global growth may decline to about 2.5 percent in 2023 with advanced economy growth falling below 1 percent. GDP growth in the United States is projected to be 1.6% in 2023, before slowing to 1.0% in 2024 in response to tight monetary and financial conditions. In the euro area, declining headline inflation will help to boost real incomes and contribute to a pick-up in GDP growth from 0.9% in 2023 to 1.5% in 2024. China is expected to see strong increases in GDP growth in 2023 (with 5.4%) and 2024 (with 5.1%), due to the lifting of the government's zero-COVID policy.

The upturn remains fragile and risks are tilted to the downside. Uncertainty over the evolution of Russia's war of aggression against Ukraine and its global impact remains a key concern. Some of the favorable conditions that helped to reduce energy demand this year, like a mild winter in Europe, may not be repeated next year. The persistence of inflation is another



एक और महत्वपूर्ण नकारात्मक जोखिम है। सेवा कीमतों में वृद्धि एवं कुछ क्षेत्रों में लाभ की बावजूद मूल मुद्रास्फीति स्थिर है। विशेष रूप से ऐसे देशों में, जहाँ ऋण अधिक लिया हुआ है, उच्च ब्याज दरों का प्रभाव अर्थव्यवस्था में तेजी से महसूस किया जा रहा है, और प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति, जहाँ आवश्यक हो, वित्तीय कमजोरियों को उजागर करने से जोखिम बना हुआ है।

भारतीय आर्थिक परिदृश्य

विश्व बैंक को आशंका है कि वैश्विक आर्थिक विकास में चल रही मंदी का प्रभाव पूरे दशक तक रहेगा। इस निराशा के बावजूद, कई बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह भारत का दशक हो सकता है। और इस दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त कारण और डेटा हैं। भारत द्वारा हाल ही में किए गए आंकड़ों में संशोधन से पता चलता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद अर्थव्यवस्था ने पहले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023–24 में भारत 5.9% की दर से बढ़ेगा और अगले पांच वर्षों में 6.1% की औसत दर रहेगी। हालांकि भारत की उच्च-मध्यम आय वाली आबादी (खर्च करने की उच्च प्रवृत्ति के साथ) में बढ़ोतरी में युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी से उपभोग संचालित विकास पर दांव लगाना स्पष्ट है। लेकिन यह माना जाता है कि निवेश अगले दो वर्षों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह निवेश है जो भारत को आने वाले दशकों के लिए निरंतर घरेलू मांग-आधारित विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक गति प्रदान करेगा। हालांकि, पूंजी निवेश, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, अब तक पिछड़ गया है। भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य है, जिस पर अच्छी तरह से जोर दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए समग्र परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है और निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने और अर्थव्यवस्था को सतत विकास की ओर ले जाने के लिए कहा जा रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 में भारत मध्यम गति से विकास करेगा, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में संघर्ष जारी है। अगले वर्ष में वृद्धि में तेजी आने की अच्छी संभावना है क्योंकि निवेश मध्यम अवधि में अनुकूल जनसांख्यिकी द्वारा समर्थित रोजगार सृजन, आय, उत्पादकता, मांग और निर्यात के अच्छे चक्र को शुरू करता है।

वित्त वर्ष 2023–24 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र और आगे:

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस डेस्क के अनुसार भारत के बैंकिंग क्षेत्र का दृष्टिकोण स्थिर बना हुआ है जो आर्थिक विकास और बेहतर वित्तीय स्थिति से समर्थित है। मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि औसत रहने की उम्मीद है, भारत की अंतर्निहित विकास क्षमता मौलिक रूप से मजबूत है, जो बैंकों की क्रेडिट वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता का समर्थन करेगी। एजेंसी ने कहा कि छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को दिए जाने वाले कर्ज से बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता को लेकर जोखिम बना हुआ है क्योंकि इस संभाग पर ब्याज दरों में वृद्धि का सबसे अधिक खतरा है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार जारी है। **भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट** के अनुसार, बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2023 में 10 साल के निचले स्तर 3.9

key downside risk. Core inflation is proving sticky, on the back of strong service price increases and higher profits in some sectors. The impact of higher interest rates is increasingly being felt across the economy, and restrictive monetary policy, while necessary, risks further exposing financial vulnerabilities, in particular in countries with high debt.

INDIAN ECONOMIC ENVIRONMENT

The World Bank now fears that the ongoing slump in global economic growth will likely result in a “lost decade.” Despite this gloom, many market analysts believe that this could well be India’s decade. And there are enough reasons and data to back this claim. Recent data revisions by India suggest the economy has fared better than previously believed despite continuing global uncertainties. The International Monetary Fund (IMF) expects India to grow by 5.9% in FY 2023–24 and by an average rate of 6.1% over the next five years. While betting on consumption-driven growth is obvious given India’s large, young, and rising share of the upper middle-income population (with a high propensity to spend), it is believed that investment will play an important role over the next two years. It is investments that will provide India with necessary momentum to take off on a path of sustained domestic demand-led growth for decades to come. However, capital investment, especially in the private sector, has lagged so far. India is an attractive investment destination is a point well emphasized. The overall outlook for the Indian economy remains positive while channeling through investments, to see a turnaround and thrust the economy into sustainable growth. India will likely grow at a moderate pace in FY 2023–24, as the global economy continues to struggle. Growth in the next year will likely pick up as investments kick start the virtuous circle of job creation, income, productivity, demand, and exports supported by favorable demographics in the medium term.

INDIAN BANKING SECTOR IN FY 2023-24 AND WAY AHEAD:

India’s banking sector outlook remains stable and is supported by economic growth and improved financials as per Moody’s Investors Service desk. The country’s real GDP growth is expected to moderate in the fiscal year ending March 2024, India’s underlying growth potential is fundamentally strong, which will support banks’ credit growth and asset quality. However, the agency said, loans to small and medium-sized enterprises continue to pose risks to banks’ asset quality because this segment is the most vulnerable to rises in interest rates.

The asset quality of the Indian banking system continues to show improvement. As per the **Reserve Bank of India’s latest**



प्रतिशत पर आ गई हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में खराब ऋणों में कमी की कारण सुधार हुआ है। इसके साथ ही, कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रमुख वित्तीय मापदंडों में भी लगातार सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, निजी गैर-वित्तीय कंपनियां अपने ऋण इक्विटी अनुपात में कमी करने में सफल रही है और उनकी ऋण सेवा क्षमता में सुधार देखा गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इसका नतीजा यह हुआ है कि पहले बैंकों और कंपनियों की बैलेंस शीट निवेश गतिविधियों में बाधक थी, लेकिन अब वे वृद्धि के लिए दोहरे तुलनपत्र का लाभ उठा रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहजनक संकेत हैं। बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहने की संभावना है। केंद्रीय बैंक के दबाव परीक्षण से पता चलता है कि मार्च 2024 के अंत तक डूबत ऋण घटकर 3.6 प्रतिशत होने की संभावना है। हालांकि, यदि मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण खराब होता है तो यह प्रवृत्ति बाधित हो सकती है। खपत के स्तर में वृद्धि के साथ आने वाले महीनों में भी इसके बढ़ने की उम्मीद है। यदि भविष्य में परिसंपत्ति गुणवत्ता का स्तर बनाए रखा जाता है तो कुल मिलाकर आउटलुक माध्यम रहेगा।

बैंक का कार्यनिष्पादन

उपर्युक्त परिदृश्य में विभिन्न मानदंडों पर बैंक का कार्यनिष्पादन का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है:

वित्तीय झलक:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
1.	कुल ब्याज आय	587.73	561.99
	ए) अग्रिमों से ब्याज के रूप में आय	354.98	330.82
	बी) निवेशों से ब्याज के रूप में आय	153.31	155.60
	सी) अन्य	79.44	75.57
2.	गैर ब्याज आय	14.82	40.63
	कुल आय-ए (1+2)	602.55	602.62
3.	कुल ब्याज जो दिया गया	308.72	312.11
	ए) जमा पर दिया गया ब्याज	308.72	312.11
	बी) अन्य ब्याज व्यय	0.00	0.00
4.	स्टाफ लागत	120.53	113.26
5.	अन्य परिचालन लागत	96.37	76.96
	कुल खर्च-बी (3+4+5)	525.62	502.33
	परिचालन लाभ (ए-बी)	76.94	100.30
	प्रावधान और आकस्मिकताएं- सी	30.63	71.37
	शुद्ध लाभ (ए-बी-सी)	46.30	28.93

financial stability report, banks' gross non-performing assets have fallen to a 10 year low of 3.9 per cent in March 2023. The improvement has been across the board with bad loans falling in both public and private sector banks, and in major sectors of the economy. Alongside, there has also been a steady improvement across key financial parameters of the corporate sector. As per the report, private non-financial companies have managed to bring down their debt to equity ratios further, and have seen an improvement in their debt servicing capacity. As a consequence, unlike in the past when the balance sheets of both banks and firms were impediments to investment activity, they are now "engendering a twin balance sheet advantage for growth" as per RBI Governor Shaktikanta Das. These are encouraging signs for the economy. The improvement in the asset quality of banks is likely to continue. Stress tests by the central bank suggest that bad loans are likely to decline further to 3.6 per cent by the end of March 2024. However, this trend could be disrupted if the macroeconomic environment worsens. With increased consumption levels it is expected to grow in coming months as well. Overall the outlook is moderate if asset quality levels are maintained in future.

BANK'S PERFORMANCE

Under the above scenario the Bank's performance on various parameters was as listed below:

FINANCIAL HIGHLIGHTS

(₹ In Crores)

S. No.	Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
1.	Total Interest Income	587.73	561.99
	(a) Interest Income from Advances	354.98	330.82
	(b) Interest Income from Investments	153.31	155.60
	(c) Others	79.44	75.57
2.	Non Interest Income	14.82	40.63
	TOTAL INCOME -- A(1+2)	602.55	602.62
3.	Total Interest Expended	308.72	312.11
	a) Interest Expended on Deposits	308.72	312.11
	b) Other Interest Expenses	0.00	0.00
4.	Staff Cost	120.53	113.26
5.	Other Operating Costs	96.37	76.96
	Total Expenses—B (3+4+5)	525.62	502.33
	Operating Profit (A-B)	76.94	100.30
	Provision & Contingencies -C	30.63	71.37
	Net Profit (A-B-C)	46.30	28.93



वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
1.	जमा की औसत लागत (%)	4.24	4.34
2.	अग्रिमों से औसत आय (%)	8.39	8.24
3.	शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	3.27	2.98
4.	आस्तियों से औसत प्राप्ति(%)	0.54	0.34
5.	औसत कार्यशील निधि में स्टाफ का खर्च (%)	1.41	1.35
6.	औसत कार्यशील निधि पर परिचालन लाभ (%)	0.90	1.20
7.	प्रति शेयर आय (करोड़ में)	3.94	3.73
8.	प्रति शेयर बही मूल्य (करोड़ में)	61.97	78.33

पूंजी पर्याप्तता

बेसल-III के मानकों के अंतर्गत बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो विगत वर्ष 13.63% थी, इस वर्ष 16.64% रही। 31.03.2023 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात में टियर-I पूंजी 15.63% थी और टियर-II पूंजी 1.01% रही।

जमा संग्रहण

बैंक की कुल जमा राशियाँ पिछले वर्ष के ₹. 7,485.87 करोड़ से बढ़कर 31.03.2023 को ₹ 7,681.83 करोड़ हो गई, जो 2.62% की बढ़ोतरी दर्शाती हैं। कुल जमा राशियों में कम लागत वाली जमा राशियाँ पिछले वर्ष के 40.62% से बढ़कर 31.03.2023 को 40.70% हो गयीं।

जमा लागत 31 मार्च 2022 के 4.34% से घटकर 31 मार्च 2023 को 4.24% हो गई।

FINANCIAL RATIOS

S. No.	Particulars	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
1.	Average Cost of Deposits (%)	4.24	4.34
2.	Average Yield on Advances (%)	8.39	8.24
3.	Net Interest Margin (%)	3.27	2.98
4.	Average Return on Assets (%)	0.54	0.34
5.	Staff Expenses to Avg. Working Fund (%)	1.41	1.35
6.	Operating Profit to Avg. Working Funds (%)	0.90	1.20
7.	EPS (in Cr)	3.94	3.73
8.	Book Value per share (in Cr)	61.97	78.33

CAPITAL ADEQUACY

The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 16.64% as against 13.63% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier –I capital was 15.63% and Tier – II capital was 1.01% as on 31.03.2023

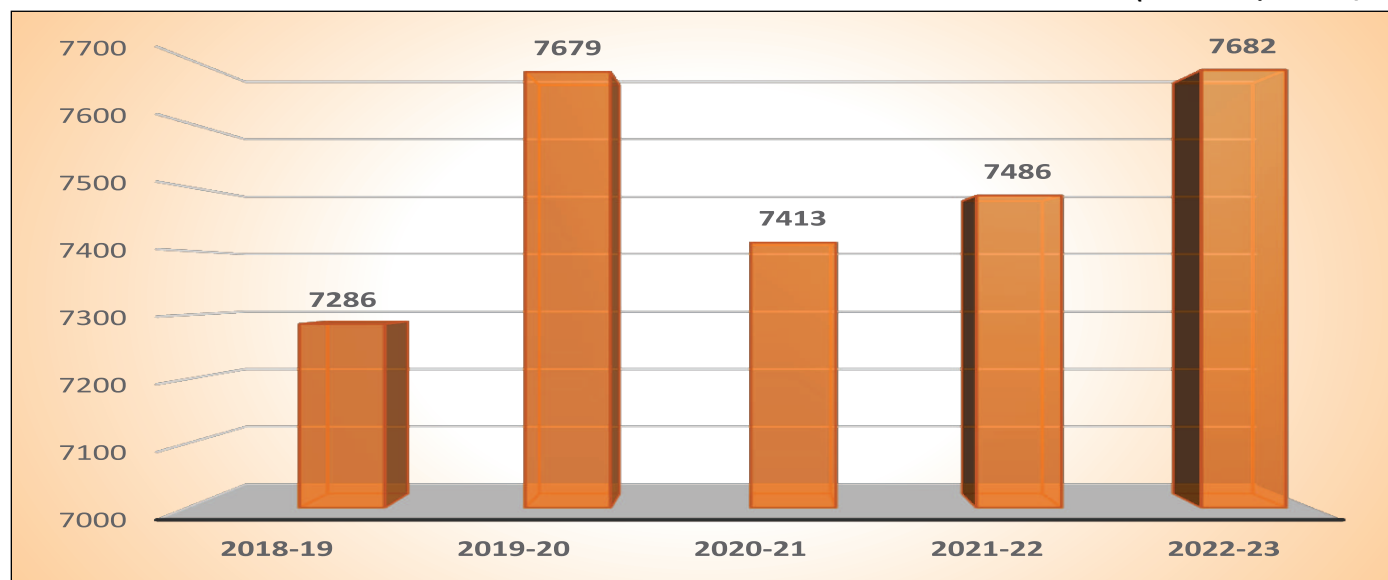
DEPOSIT MOBILISATION

Deposits of the Bank has increased from ₹ 7,485.87 crore of last year to ₹ 7,681.83 crore as on 31/03/2023 showing a growth of 2.62%. The Share of low cost deposit increased to **40.70%** as on 31/03/2023 from 40.62% as on 31/03/2022.

The Cost of Deposit decreased from 4.34% as on 31/03/2022 to 4.24% as on 31/03/2023.

कुल जमा / Total Deposit

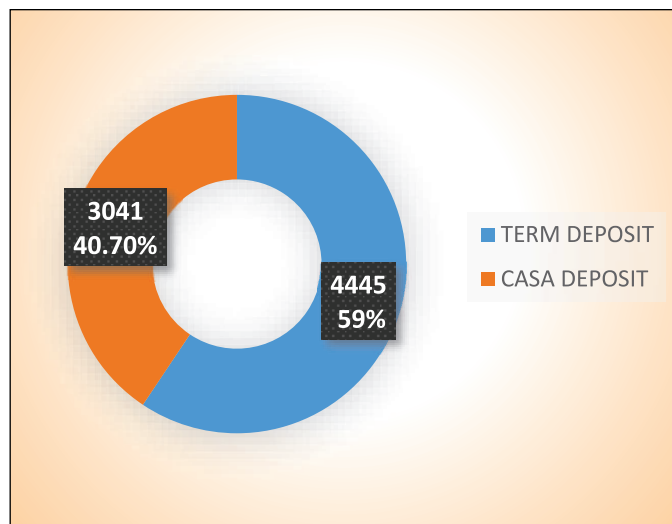
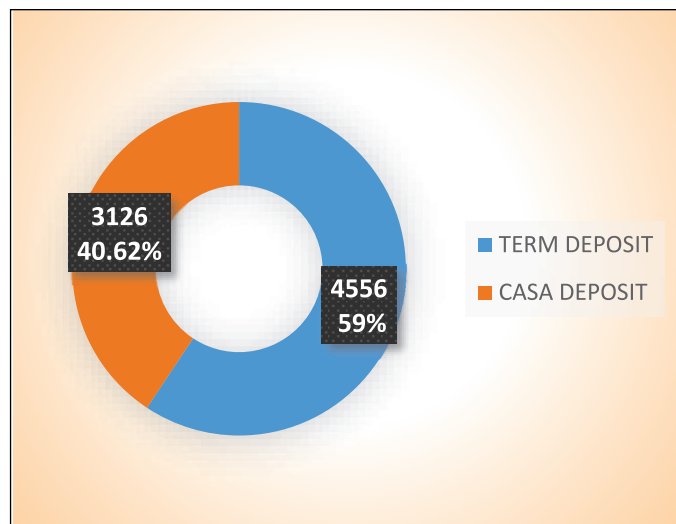
(₹ In Crores/₹. करोड़ में)





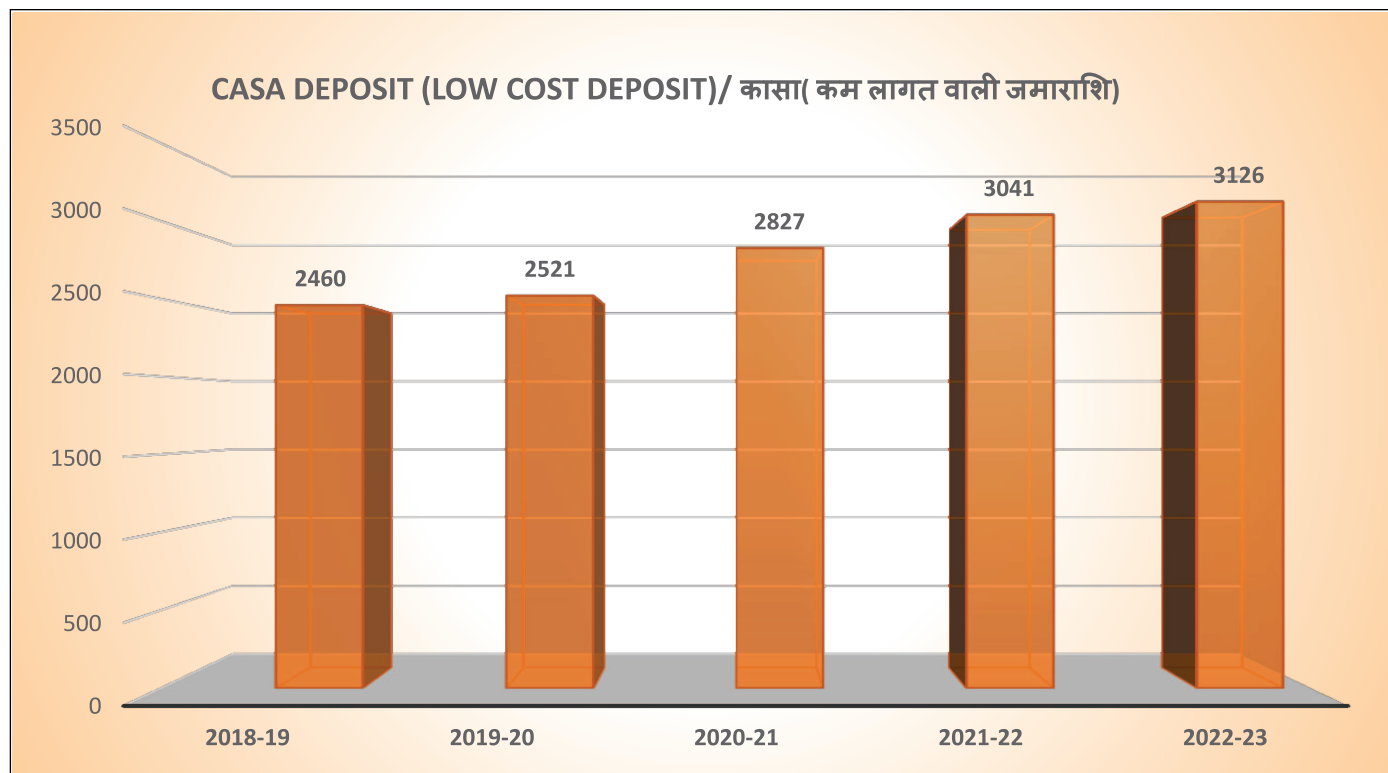
सम्मिलित जमाराशि / Deposit Mix

(₹ In Crores/रु. करोड़ में)

31 मार्च 2023 को / As on 31st March 202331 मार्च 2022 को / As on 31st March 2022

कासा [कम लागत वाली जमाराशि] / CASA [Low Cost Deposit]

(₹ In Crores/रु. करोड़ में)



ऋण नियोजन

31.03.2023 को बैंक का सकल ऋण 31.03.2022 के ₹ 4211.79 करोड़ से बढ़कर ₹ 4623.59 करोड़ हो गया। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9.78% की बढ़ोतरी हुई।

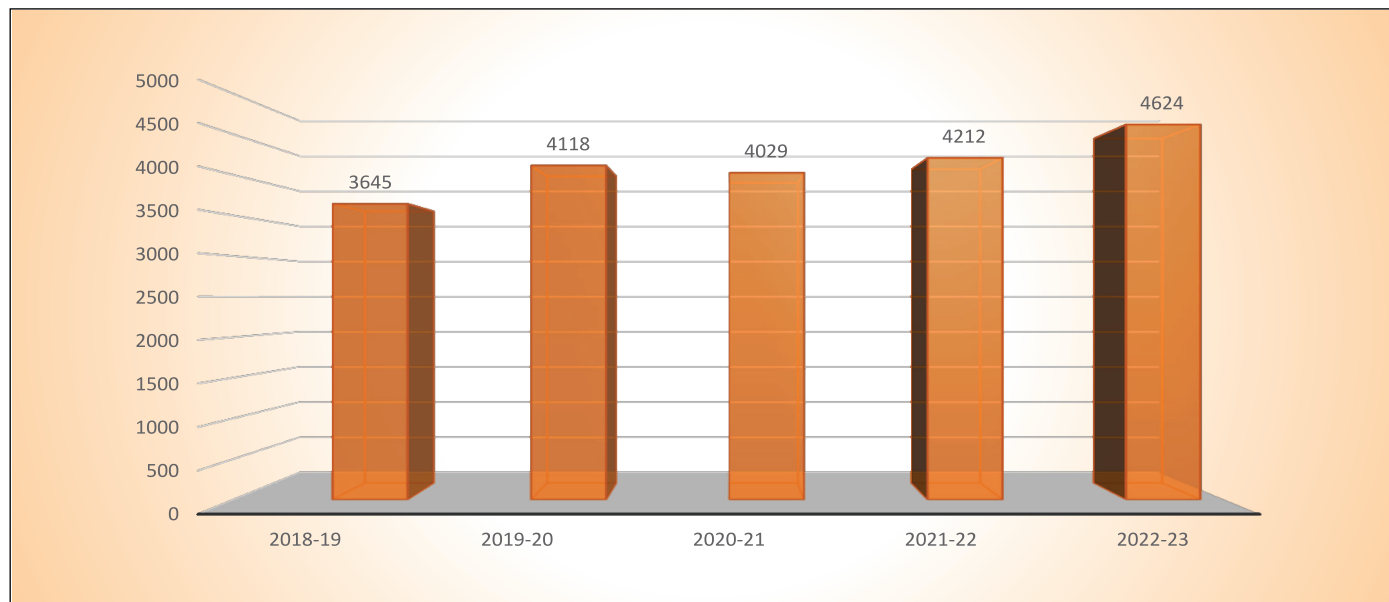
CREDIT DEPLOYMENT

The Gross Advances of the Bank increased to ₹ 4623.59 crore as on 31.03.2023 from ₹ 4211.79 crore on 31.03.2022, showing an increase of 9.78% over previous year.



सकल अग्रिम / Gross Advances

(₹ In Crores/रु. करोड़ में)



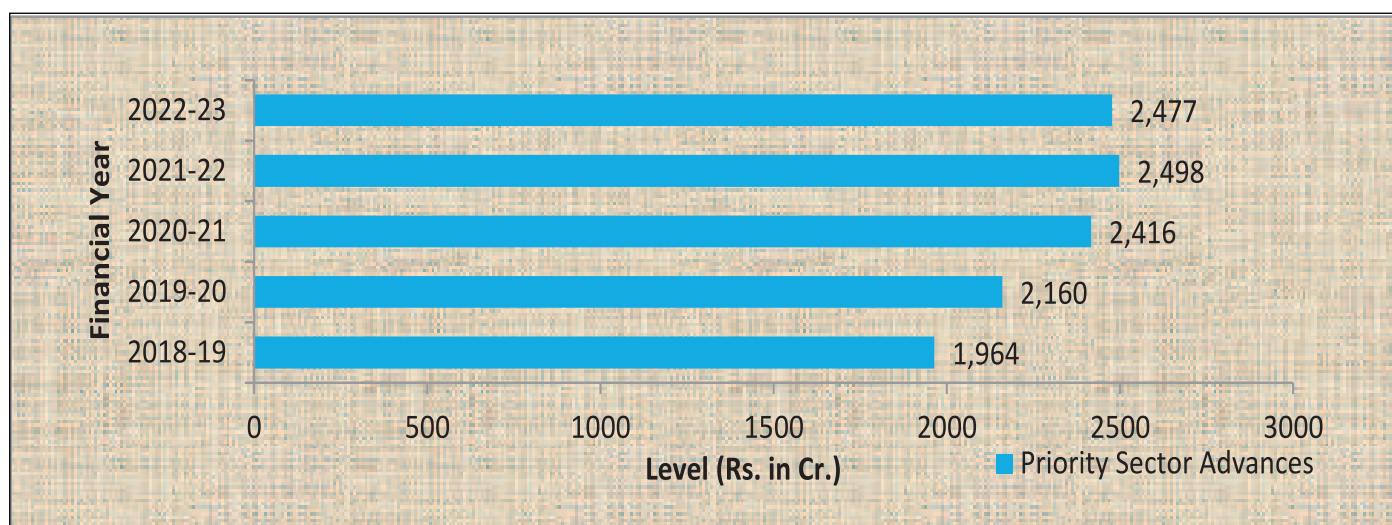
प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण पूर्व की तरह ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक रहा। 31.03.2023 को बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सकल अग्रिम ₹ 2477.28 करोड़ रहा। जबकि 31.03.2022 को यह ₹ 2498.05 करोड़ था, जोकि बैंक के समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 56.02% प्रतिशत रहा।

Priority Sector Advances

The Priority Sector Advances of the Bank continued to be higher than regulatory stipulation of RBI @40%. The Gross Priority Sector Advances of the Bank stood at ₹ 2477.28 crore as on 31.03.2023 against ₹ 2498.05 crore as on 31.03.2022 representing 56.02% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances



31.03.2023 को बैंक के खुदरा ऋण 31 मार्च, 2022 के ₹ 1920.81 करोड़ की तुलना में ₹ 2334.00 करोड़ रहे, इस प्रकार इनमें 21.51% प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

अग्रिमों पर लाभ 31.03.2022 के 8.24% की तुलना में 31.03.2023 को 8.39% रहा।

Retail Advances of the Bank stood at ₹ 2,334.00 Crore as on March 31st, 2023 against ₹ 1,920.81 Crore as on 31st March, 2022, registering acceleration of 21.51%.

The Yield on Advances was 8.39% as on 31/03/2023 in comparison to 8.24% as on 31/03/2022.



नए प्रयास एवं प्रौद्योगिकी का समावेश

नई पहलें

आज की वैश्विक परिस्थितियों में न केवल सफलतापूर्वक बैंकिंग परिचालन के लिए अपितु ग्राहकों की बढ़ती हुई मांगों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए भी सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग आवश्यक हो गया है। पिछले दो दशकों में तकनीकी प्रगति ने बैंकिंग को पुनःपरिभाषित किया है। ग्राहकों को और अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से सेवा प्रदान करना, कम्प्यूटीकरण और उपलब्ध तकनीक के सर्वाधिक उपयोग के द्वारा ही संभव है। बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रही हैं और ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सुविधाएँ जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग, पीएफएमएस एवं डब्ल्यूएलएटीएम सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को "टैप एंड पे" सुविधा वाले चिप आधारित रुपये डेबिट कार्ड, एसएमएस और ईमेल चैनलों का उपयोग करने वाले अपने ग्राहकों को अलर्ट सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

एक डिजिटल बैंक बनने के लिए, नैनीताल बैंक लिमिटेड ने फिनेकल 10 सॉफ्टवेयर लागू किया है और व्यवसाय विकास को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक निम्नलिखित आईटी सेवाएं शुरू करेगा—

- मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन लॉन्च करना जिससे ग्राहक कहीं भी, कभी भी शाखा बैंकिंग लेनदेन कर सकें।
- बैंक ऋण खातों में संग्रह दक्षता बढ़ाने के लिए बैंक में NACH अधिदेश प्रबंधन प्रणाली के शुरुआत और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है
- बैंक प्रौद्योगिकी सक्षम उपकरणों का उपयोग करके दूरदराज के गांवों में भी परिचालन क्षेत्र के कोने-कोने तक पहुंचने के लिए वित्तीय समावेशन समाधान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

बैंक, ग्राहकों को दूर-दराज से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने की प्रक्रिया में है।

1. मोबाइल बैंकिंग
2. ऋण खातों में संग्रहण दक्षता बढ़ाने के लिए बैंक में एनएसीएच अधिदेश प्रबंधन प्रणाली।
3. प्रौद्योगिकी सक्षम उपकरणों का उपयोग करके दूरदराज के गांवों में बैंकिंग संवाददाताओं की पहुंच का विस्तार करना।
4. टैब बैंकिंग

विकासात्मक कार्य

ग्राहकों को बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए बैंक लगातार प्रयासरत है, बैंक ने निम्नलिखित एप्लिकेशन्स की शुरुआत की है:

- ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं की सक्रिय

NEW INITIATIVES AND TECHNOLOGY ABSORPTION

NEW INITIATIVES

Extensive use of Information Technology has become a necessity not only to carry out successful banking operations but also to satisfy growing customer demands in present globalized environment. In last two decades, the technology has redefined the 'Banking'. To serve the customer efficiently and effectively, the way-out is to go for automation and make maximum use of technology. Currently, Bank's all branches are functioning on Finacle 10.x CBS platform and also facilitating customers by providing electronic payment facility like RTGS, NEFT, UPI, IMPS, Net Banking, PFMS and WLATM Services. Bank is issuing chip based Rupay Debit Cards having "Tap & Pay" facility and also providing the Alert services to its customers using SMS & email channels.

Bank has identified following major thrust areas for achieving business growth and to upgrade/ enhance the existing IT platform so as to make the Nainital Bank Limited, a Digital Bank. During the FY, Bank will introduce following IT services—

- Launching of Mobile Banking Application allowing customers to perform anywhere, anytime Branch Banking operations.
- Bank is in the process of implementation and introduction of NACH Mandate Management System in Bank to increase collection efficiency in loan accounts.
- Bank is in the process of implementation of Financial Inclusion Solution to reach nook and corner of the area of operation, even in remote villages using technology enabled tools.

Bank is in the process of introducing digital platform for customer onboarding remotely.

1. Mobile Banking
2. NACH Mandate Management System in Bank to increase collection efficiency in loan accounts.
3. Expand the reach of Banking Correspondents to remote villages using technology enabled tools
4. Tab Banking

DEVELOPMENTS

In its constant endeavor to ensure customer comfort and regulatory compliance, the Bank has introduced following applications –

- EWS (Early Warning Signals) system in the Bank for pro-



निगरानी के लिए बैंक में ईडब्ल्यूएस (प्रारंभिक चेतावनी संकेत) प्रणाली।

- ऋण सुविधाओं के तेजी से प्रसंस्करण के लिए ऋण उत्पत्ति प्रणाली (एलओएस)।
- नया उन्नत एएलएम अनुप्रयोग जो तरलता जोखिम और ब्याज जोखिम के साथ बैंक की संपत्ति और देयता बेमेल का प्रबंधन करने में सक्षम है।
- स्वयं सेवा पासबुक प्रिंटर कियोस्क

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

बैंक के पास एनपीए से निपटने और वसूली के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण है। बैंक के आस्ति वर्गीकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

आस्ति वर्गीकरण

(रु. करोड़ में)

	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
मानक	4175.86	90.40	3690.37	87.90
अवमानक	59.21	1.28	126.62	3.02
संदिग्ध	361.46	7.83	356.99	8.50
हानिकर आस्ति	22.59	0.49	24.34	0.58
सकल अग्रिम	4619.12	100	4198.32	100

active monitoring of credit facilities provided to the customers.

- Loan Originating System (LOS) for faster processing of credit facilities.
- New improved ALM application which is capable of managing the bank's asset & liability mismatch along with liquidity risk and interest risk.
- Self Service Passbook Printer Kiosk

ASSET QUALITY MANAGEMENT

The Bank has a proactive approach towards tackling NPAs and focused recovery efforts. Asset classifications of the Bank are detailed below:

ASSET CLASSIFICATION

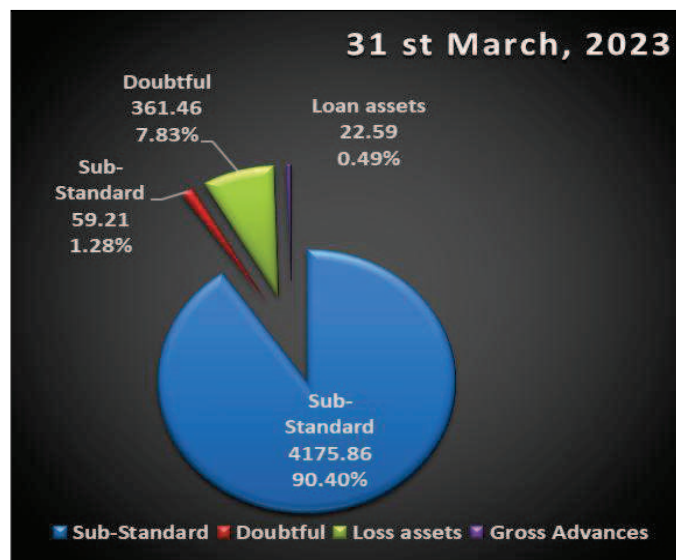
(रु in Cr.)

	As on 31.03.2023		As on 31.03.2022	
	Amount	%	Amount	%
Standard	4175.86	90.40	3690.37	87.90
Sub-Standard	59.21	1.28	126.62	3.02
Doubtful	361.46	7.83	356.99	8.50
Loss assets	22.59	0.49	24.34	0.58
Gross Advances	4619.12	100	4198.32	100

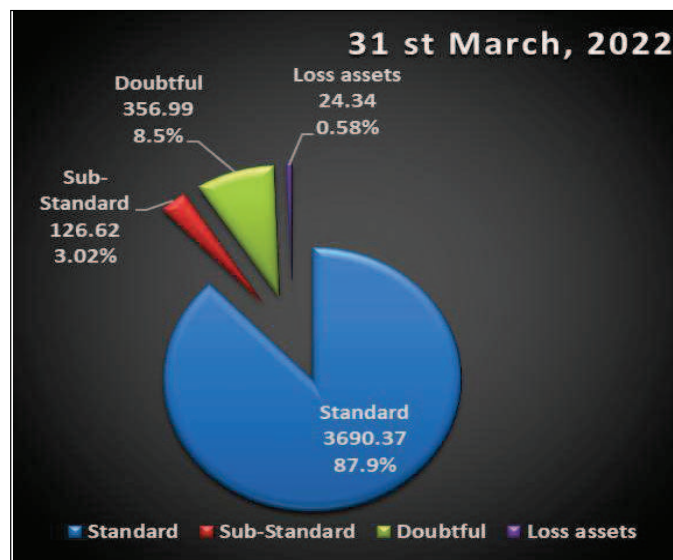
आस्ति वर्गीकरण / Asset Classification

(रु In Crores / रु. करोड़ में)

31 मार्च 2023 को / As on 31st March 2023



31 मार्च 2022 को / As on 31st March 2022



बैंक का सकल एनपीए रु. 31.03.2022 को ₹ 507.95 करोड़ से घटकर 31.03.2023 को ₹ 443.26 करोड़ हो गया। बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान पुराने एनपीए खातों के साथ हाल ही में हुए एनपीए खातों में वसूली करने और अपग्रेड करने का निरंतर प्रयास करता है।

Gross NPA of the Bank decreased from ₹ 507.95 crore as on 31.03.2022 to ₹ 443.26 crore as on 31.03.2023. The Bank endeavors to recover and upgrade recently added NPA accounts along with old NPA accounts during the current financial year.



- शुद्ध एनपीए बनाम शुद्ध अग्रिम पिछले वर्ष के 4.25% की तुलना में 1.84% के स्तर पर रहा।
- सकल अग्रिमों के मुकाबले सकल एनपीए 31 मार्च 2023 को 9.60% था, जबकि पिछले वर्ष यह 12.10% था।

निवेश परिचालन

विभिन्न प्रतिभूतियों में बैंक के सकल निवेश जो 31.03.2022 को ₹ 2305.76 करोड़ थे, 31.03.2023 को ₹ 2164.58 करोड़ रहे। कुल निवेश में से 43.71% प्रतिभूतियों को “बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी और व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)” में “मार्क टू मार्केट” और शेष 56.29% को “परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी” के तहत वर्गीकृत किया गया है।

निवेशों में लेन-देन, प्राप्तियों में सर्वाधिक वृद्धि करने तथा मूल्यहास से संविभाग को सुरक्षित रखने के साथ-साथ पर्याप्त तरलता बनाये रखने के लिए किया गया।

लाभप्रदता

बैंक का परिचालन लाभ 31 मार्च 2022 के स्तर ₹ 100.30 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को ₹ 76.94 करोड़ रहा। अनुमानित देनदारियों के लिए सभी प्रावधान, एनपीए, आयकर और वेतन वृद्धि के उच्च प्रावधानों के बाद बैंक का शुद्ध लाभ 31 मार्च 2022 को ₹ 28.93 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2023 को ₹ 46.30 करोड़ रहा। यह सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंक की सत्रह (17) शाखाएं हानि में रहीं।

आंतरिक नियन्त्रण व्यवस्था

बैंक का CIAD विभाग उचित कीमत पर बैंक के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण को बढ़ावा दे रहा है। बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए ‘जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा’ प्रणाली को उपयुक्त रूप से अपनाया गया है। सीआईएडी विभाग द्वारा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को भी अपने दायित्वों को अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सहायता की जा रही है। बैंक ने समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली के तहत निर्धारित व्यवसाय के कवरेज के संबंध में नियामक के निर्देशों का पालन किया है।

सामाजिक दायित्व

निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता पर बढ़ते दबाव के इस माहौल में भी बैंक सामाजिक बैंकिंग के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के प्रति जागरूक रहा है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण का लक्ष्य निर्धारित सीमा से अधिक पूरा कर लिया गया। वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ₹ 2477.28 करोड़ का ऋण दिया गया जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 56.02% है, जबकि कृषि ऋण ₹ 956.11 करोड़ रहा जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 21.62% है, जबकि इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक 18% है।

वित्तीय समावेशन योजना

बैंक एसएलबीसी और विभिन्न अन्य केंद्रों द्वारा आवंटित उप सेवा क्षेत्रों में बिजनेस कॉर्रेस्पोंडेंट एजेंटों के माध्यम से वित्तीय समावेशन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। दिनांक 31.03.2023 तक 28 बीसी एजेंट्स

- Net NPA to Net Advances stood at 1.84% level in comparison to last year's 4.25%.
- Gross NPA to Gross Advances stood at 9.60% as on March 31st 2023 as against 12.10% last year.

INVESTMENT OPERATIONS

The total gross Investments of the Bank in various securities stood at ₹ 2164.58 crore as on 31.03.2023 against ₹ 2305.76 crore as on 31.03.2022. Out of total investments, 43.71% securities have been “marked to market” in “Available for Sale (AFS) category & Held for Trading (HFT)” and rest 56.29 % is classified under “Held to Maturity (HTM)” category.

The investment transactions were taken with a view to maximize yield, protect portfolio against depreciation and simultaneously ensuring sufficient liquidity.

PROFITABILITY

Operating Profit of the Bank stood at ₹ 76.94 crore as on 31st March, 2023 against ₹ 100.30 crore as on 31st March, 2022. After making all provisions for estimated liabilities, the Net Profit of the Bank stood at ₹ 46.30 crore as on 31/03/2023, against Net Profit of ₹ 28.93 crore as on 31/03/2022. It is submitted that as on 31.03.2023 Seventeen (17) branches were in loss.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

CIAD Department of the Bank is promoting effective control on the affairs of the Bank at a reasonable cost. The ‘Risk Based Internal Audit’ system has been suitably adopted to have better supervision and control. Audit committee of the Board is also being assisted by CIAD Department to discharge its obligations more effectively. Bank has complied with the directives of the regulator in respect of coverage of stipulated business under concurrent audit system.

SOCIAL COMMITMENT

The Bank has maintained its focus on meeting commitments under social banking even in the era of increased competition and stress on profitability. Priority sector lending targets continued to be surpassed. Lending to priority sector stood at ₹ 2477.28 crore during the year and constituted 56.02% of Adjusted Net Bank Credit. Whereas agriculture credit stood at ₹ 956.11 crore constituting 21.62% of Adjusted Net Bank Credit, against the minimum norms of 18% laid down by the Reserve Bank of India, for the purpose.

Financial Inclusion Plan (FI)

Bank has been implementing the Financial Inclusion Plan through Business Correspondent Agents, in Sub Service Areas allotted by SLBC & various other centres. As on 31.03.2023,



उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं। बैंक दूसरे केंद्रों पर अधिक संख्या में बीसी एजेंट्स नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। बीसी एजेंटों ने 10104 बचत बैंक वित्तीय समावेशन खाते खोले हैं और इन खातों में 31.03.2023 तक ₹ 209 लाख जमा हुआ।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

व्यापक वित्तीय समावेशन योजना के कार्यान्वयन के लिए, माननीय प्रधान मंत्री ने 28.08.2014 को प्रधान मंत्री जन धन योजना शुरू की और वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन अर्थात् प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के साथ 'प्रत्येक परिवार' से 'प्रत्येक वयस्क' तक खाते खोलने के फोकस में परिवर्तन को 28.08.2018 से आगे भी मुख्य विशेषताओं के साथ जारी रखने का निर्णय लिया।

बैंक ने 55380 पीएमजेडीवाई खाते खोले और उसमें 31.03.2023 तक 1674 लाख रुपये की जमा राशि एकत्रित की। दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा बढ़ा दी है और 31.03.2023 तक इन खातों में कुल बकाया राशि 0.82 लाख रुपये है।

अटल पेंशन योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना/ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

हमारा बैंक इन सभी योजनाओं में भाग ले रहा है और अब तक एपीवाई के तहत 3240 व्यक्तियों, पीएमएसबीवाई के तहत 17202 और पीएमजेजेबीवाई के तहत 5984 व्यक्तियों का नामांकन कर चुका है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने एपीवाई के तहत 1114 नए व्यक्तियों को नामांकित किया, पीएमएसबीवाई के तहत 352 और पीएमजेजेबीवाई के तहत 231 लोगों का नामांकन किया।

शाखा नेटवर्क एवं विस्तार कार्यक्रम

बैंक उत्तर भारत में अपने नेटवर्क को विस्तार देते हुए शाखाओं की संख्या को 168 तक ले जाने में सफल रहा है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 03 नई शाखाएं खोली हैं। बैंक का शाखा नेटवर्क अब 05 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में फैला है। बैंक की वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 नई शाखाएं खोलने की योजना है।

शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण

क्षेत्रवार शाखाएँ			
क्र. सं.	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	
		2023*	2022*
1	महानगरीय	35	34
2	शहरी	44	43
3	अर्धशहरी	34	34
4	ग्रामीण	55	54
	कुल	168	165

*जनगणना 2011 के अनुसार बैंक की शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण

28 BC Agents have been deployed in Uttarakhand & UP state and the Bank is in process to appoint more no. of BC Agents in other Centres. BC Agents have opened 10104 Saving Bank Financial Inclusion accounts and deposit in these accounts is ₹ 209 lakhs as on 31.03.2023.

Pradhan Mantri Jan DhanYojna (PMJDY)

For the implementation of Comprehensive Financial Inclusion Plan, Hon'ble Prime Minister launched Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna on 28.08.2014 & decided to continue the National Mission on Financial Inclusion namely Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) beyond 28.08.2018, with the change in focus of opening of accounts from 'every household' to 'every adult'

Bank has opened 55380 PMJDY accounts and mobilized deposit of ₹ 1674 lakh till 31.03.2023. Our bank has extended overdraft facility in eligible accounts as per extant guidelines and total amount outstanding in these accounts is ₹ 0.82 lakhs as on 31.03.2023.

Atal Pension Yojana/Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana/ Pradhan Mantri Jeewan Jyoti Bima Yojana

Our Bank has been participating in all these schemes and enrolled 3240 persons under APY, 17202 persons under PMSBY and 5984 persons under PMJJBY so far.

During the FY-2022-23, bank had enrolled 1114 new persons under APY, 352 new persons under PMSBY and 231 new persons under PMJJBY.

BRANCH NETWORK & EXPANSION PROGRAMME

The Bank had been successful in widening its network across North India with 168 branches. The Bank has opened 03 new branches during the financial year 2022-23. The branch network now covers 05 States/Union Territories. The Bank plans to open 10 new Branches in the financial year 2023-24.

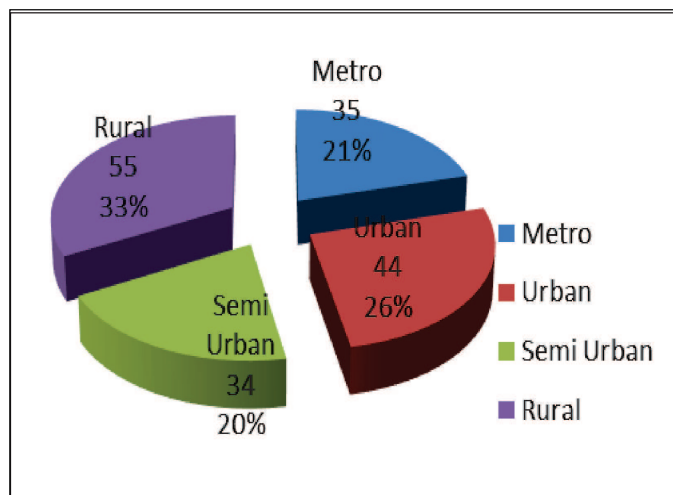
AREA WISE POSITION OF BRANCHES

Area-wise Branches			
S. No.	Area	No. of Branches	
		2023*	2022*
1	Metro	35	34
2	Urban	44	43
3	Semi-Urban	34	34
4	Rural	55	54
	Total	168	165

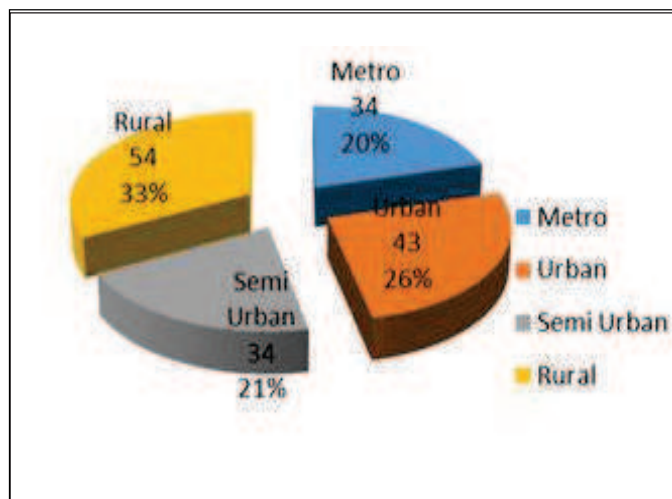
*Area-wise classification of branches as per Census 2011.



वर्ष की समाप्ति पर शाखाओं का क्षेत्रवार विस्तार / Area-wise Spread of Branches at the year ended on
31 मार्च 2023 को / As on 31st March 2023



31 मार्च 2022 को / As on 31st March 2022



बैंक की उपस्थिति देश के -05- राज्यों में है। शाखाओं की राज्यवार स्थिति नीचे दी गई है:

शाखाओं की राज्यवार स्थिति

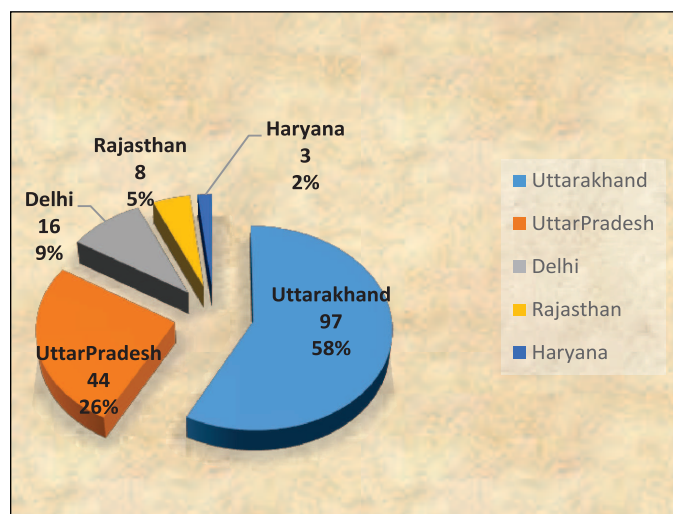
राज्यवार शाखाएं			
क्र.सं.	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	
		2023	2022
1	उत्तराखण्ड	97	96
2	उत्तर प्रदेश	44	42
3	दिल्ली	16	16
4	हरियाणा	08	08
5	राजस्थान	03	03

The Bank is having its presence in -05- states of the country. The State wise position of branches is given below:

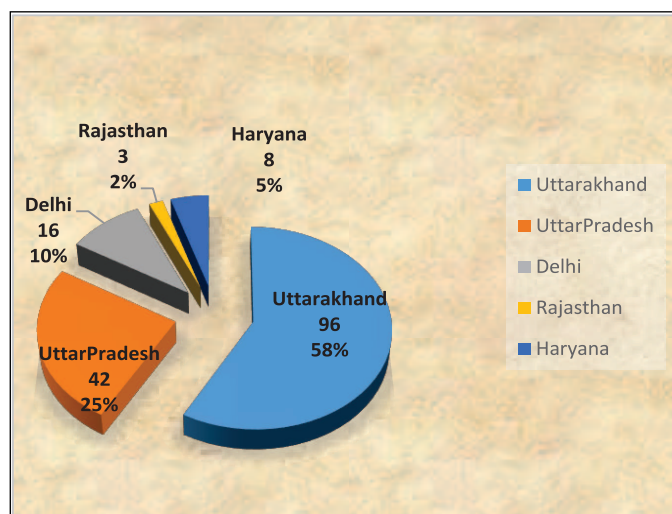
STATE WISE POSITION OF BRANCHES

State-wise Spread of Branches at the year ended on			
S. No.	Area	No. of Branches	
		2023	2022
1	Uttarakhand	97	96
2	Uttar Pradesh	44	42
3	Delhi	16	16
4	Haryana	08	08
5	Rajasthan	03	03

वर्ष की समाप्ति पर शाखाओं का राज्यवार विस्तार / State-wise Spread of Branches at the year ended on
31 मार्च 2023 को / As on 31st March 2023



31 मार्च 2022 को / As on 31st March 2022





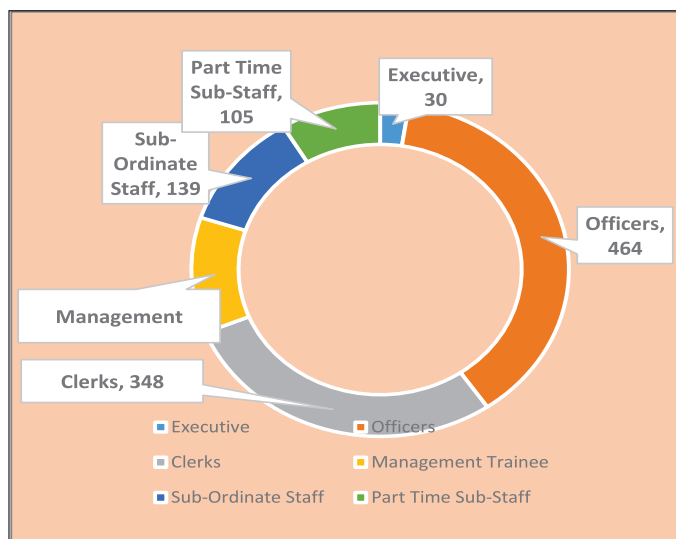
मानव संसाधन की स्थिति

किसी भी संगठन के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए मानव संसाधन सब से महत्वपूर्ण कारक है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने इस आयाम को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। बैंक का एक प्रतिबद्ध, स्व-प्रेरित और सहानुभूति पूर्ण कार्यबल (टीम) है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने को प्रयासरत है। बैंक के स्वस्थ, निरंतर विकास और नेटवर्क विस्तार के साथ मौजूदा जनशक्ति को बढ़ाने के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रमुख प्रतिभा अधिग्रहण की अपनी पहल को जारी रखा है।

बैंक के कुल कर्मचारियों की संवर्गवार संख्या इस प्रकार रही:

क्र.सं.	संवर्ग	(31.03.2023 के अनुसार)	(31.03.2022 के अनुसार)
1	कार्यपालक	30	26
2	अधिकारी	464	435
3	लिपिक	348	344
4	अधीनस्थ कर्मचारी	137	61
5	अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी	139	29
6	प्रबंधन प्रशिक्षार्थी	105	107
	कुल	1223	1002

वर्ष के अंत में संवर्ग-वार कर्मचारियों की स्थिति / Cadre-wise Staff Strength at the year ended on
31 मार्च 2023 को / As on 31st March 2023



अभिप्रेरक पहलें

बैंक कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा की गयी कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

- अक्टूबर 2022, नवंबर 2022, जनवरी 2023 और फरवरी 2023 के महीने में बैंक में 20 विशेषज्ञ अधिकारी, 142 प्रबंधन प्रशिक्षु और 31 लिपिकों ने ज्वाइन किया।
- 49 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को ग्रेड/स्केल-I में शामिल किया गया।
- 116 दैनिक वेतनभोगी सब स्टाफ में समाहित किए गए।

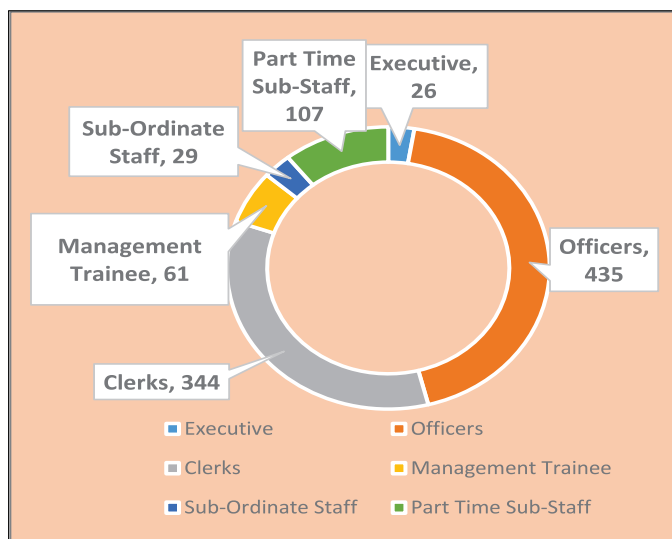
HUMAN RESOURCE POSITION

Human Resource is the single most important catalyst for effective and efficient operation of any organization. Competition has rendered this dimension still more critical. The Bank has a team of committed, self-motivated and empathetic workforce who strive to meet the customers' requirements. To augment the existing manpower in line with the Bank's healthy and sustained growth and expansion of network, the Bank has continued its initiatives of major talent acquisition in the FY 2022-23.

The cadre wise strength of Bank staff was as under:

S. No.	Cadre	(As on 31.03.2023)	(As on 31.03.2022)
1	Executive	30	26
2	Officers	464	435
3	Clerks	348	344
4	Sub-Ordinate Staff	137	61
5	Part Time Sub-Staff	139	29
6	Management Trainee	105	107
	TOTAL	1223	1002

31 मार्च 2022 को / As on 31st March 2022



Motivational Initiatives

Some of the initiatives undertaken by the Bank in order to boost the morale of the Bank employees are as under:

- 20 Specialist Officers, 142 Management Trainees and 31 Clerks were joined in the Bank in the month of October 2022, November 2022, January 2023 and February 2023.
- 49 Management trainees absorbed in Grade/Scale- I.
- 116 Daily wagers absorbed in Sub Staff Grade.



- 11 लिपिक स्टाफ सदस्यों को 01.07.2022 से जेएमजीएस ग्रेड/स्केल-1 में पदोन्नत किया गया है।
- 36 अधिकारी सदस्यों को 01.07.2022 से एमएमजीएस ग्रेड/स्केल-2 में पदोन्नत किया गया है।
- 18 प्रबंधक स्टाफ सदस्यों को 01.07.2022 से एसएमजीएस ग्रेड/स्केल-III में पदोन्नत किया गया है।
- 09 वरिष्ठ प्रबंधक स्टाफ सदस्यों को 01.07.2022 से एसएमजीएस ग्रेड/स्केल-IV में पदोन्नत किया गया है।
- 03 वरिष्ठ प्रबंधक स्टाफ सदस्यों को 01.07.2022 से एसएमजीएस ग्रेड/स्केल-V में पदोन्नत किया गया है।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 780 स्टाफ सदस्यों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भाग लिया।

31-03-2023 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संवर्गवार स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	संवर्ग	महिला	पुरुष	कुल
1	कार्यपालक	02	27	29
2	अधिकारी	87	374	461
3	लिपिक	86	259	345
4	प्रबंधन प्रशिक्षुओं	34	103	137
5	अधीनस्थ कर्मचारी	03	136	29
6	अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी	32	73	105
	कुल	244	979	1223

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की संरचना:

बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप है। बोर्ड के सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनके पास विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, वित्त, लेखा, कानून, आईटी और डिजिटल भुगतान, मानव संसाधन, प्रबंधन, कृषि और अन्य क्षेत्रों में कौशल अनुभव और ज्ञान है, जैसा कि सभी लागू कानूनों के तहत निर्दिष्ट है।

सतत और संतुलित विकास प्राप्त करने की दृष्टि से, बैंक अपने रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के समर्थन में बोर्ड स्तर पर बढ़ती विविधता को एक आवश्यक तत्व के रूप में देखता है। एक विविध बोर्ड में निदेशकों के कौशल, क्षेत्रीय और उद्योग के अनुभव, पृष्ठभूमि, जाति, लिंग और अन्य गुणों में अंतर का अच्छा उपयोग होता है।

बैंक लगातार अपने बोर्ड की प्रभावशीलता को बढ़ाने और कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का प्रयास करता है और बोर्ड रूम में विविधता के लाभों को पहचानता और स्वीकार करता है। कौशल, क्षेत्रीय और उद्योग के अनुभव, पृष्ठभूमि और अन्य गुणों सहित कई कारकों पर विचार

- 11 Clerical Staff Members have been elevated to JMGS Grade/Scale- I w.e.f. 01.07.2022.
- 36 Officer Members have been elevated to MMGS Grade/Scale- II w.e.f. 01.07.2022.
- 18 Manager Staff Members have been elevated to SMGS Grade/Scale- III w.e.f. 01.07.2022.
- 09 Senior Manager Staff Members have been elevated to SMG Grade/Scale- IV w.e.f. 01.07.2022.
- 03 Senior Manager Staff Members have been elevated to SMGS Grade/Scale- V w.e.f. 01.07.2022.
- During the year under review – 780 staff members attended various training programmes, seminars/workshops.

Cadre wise break-up as on 31.03.2023 is as under:

S. No.	Cadre	Female	Male	Total
1	Executive	02	28	30
2	Officers	87	377	464
3	Clerks	86	262	348
4	Management Trainee	34	103	137
5	Sub-Ordinate Staff	03	136	139
6	Part Time Sub-Staff	32	73	105
	TOTAL	244	979	1223

Board of Directors

Composition of Board

The constitution of the Board is in conformity with relevant provisions of the Companies Act, 2013, Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India directives and Corporate Governance requirements. The Board members are persons of repute, having skills experience and knowledge in various sectors such as Banking, Finance, Accountancy, Law, IT & Digital Payments, Human Resource, Management, Agriculture & other areas as specified under all applicable laws.

With a view to achieve sustainable and balanced development, the Bank sees increasing diversity at the Board level as an essential element in supporting the attainment of its strategic objectives. A diverse Board includes and makes good use of differences in the skills, regional and industry experience, background, race, gender and other qualities of directors.

The Bank continuously seeks to enhance the effectiveness of its Board and to maintain the highest standards of corporate governance and recognizes and embraces the benefits of diversity in the boardroom. Diversity is ensured through consideration of a number of factors, including but not limited



करके विविधता सुनिश्चित की जाती है। विविधता पर अपने दृष्टिकोण को सूचित करते हुए, बैंक समय-समय पर अपने स्वयं के व्यवसाय मॉडल और विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कारकों को भी ध्यान में रखता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड की संख्या -6- निदेशकों से कम नहीं थी और बैंक का बोर्ड किसी भी समय स्वतंत्र था, जैसा कि आरबीआई द्वारा अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा, बोर्ड में अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक है।

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, बैंक के बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए -

1. नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) की सिफारिश और निदेशक मंडल के 30 नवंबर, 2021 के अनुमोदन के अनुसरण में, बैंक ने एमडी और सीईओ के पद के लिए श्री निखिल मोहन के नाम की सिफारिश की, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अपेक्षित और आवश्यक मंजूरी, नियमों / शर्तों / संशोधनों के अधीन है। इसके अलावा, 05 मई, 2022 को आरबीआई के अनुमोदन के अनुसार, श्री निखिल मोहन को 1 जुलाई, 2022 से 3 साल की अवधि के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति को 29 सितंबर, 2022 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया।
2. श्री संजय मुदलियार (गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक) - डीआईएन 07484086 - जिन्हें 17 दिसंबर, 2019 को बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया गया था, मुख्य महाप्रबंधक से अन्य बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने पर अपना इस्तीफा दे दिया, जो 31 दिसंबर, 2022 से प्रभावी है।
3. श्री रविन्द्र सिंह नेगी (गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक) - डीआईएन 08248608 - 18 फरवरी, 2022 को बैंक के बोर्ड में नियुक्त किए गए थे उन्होंने अंचल प्रमुख के रूप में नियुक्ति होने पर 04 फरवरी, 2023 को अपना इस्तीफा दे दिया।
4. श्री दिनेश पंत (डीआईएन 008391769) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, 01 अप्रैल, 2019 को तीन साल की अवधि के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, बैंकिंग में गवर्नेंस फ्रेमवर्क में बदलाव और आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन में, अध्यक्ष और सीईओ के मौजूदा पद को बैंक में अंशकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ में विभाजित किया गया था। इस संबंध में, श्री दिनेश पंत को भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी के बाद 24 जून, 2021 से अध्यक्ष और सीईओ से एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नामित किया गया था। 28 सितंबर, 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा उक्त पुनः पदनाम को भी नोट किया गया और अनुमोदित किया गया।

to skills, regional and industry experience, background and other qualities. In informing its perspective on diversity, the Bank also take into account factors based on its own business model and specific needs from time to time.

During the period under reference, the strength of the Board was not less than -6- Directors and the Board of the Bank was Independent at any point of time, as mandated by RBI. Further, the Chair on the Board is a Non-Executive Independent Director.

Changes in the composition of Board

During the year and upto the date of this report, the following changes took place in the composition of the Board of the Bank -

1. Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR) and approval of Board of Directors dated November 30, 2021, the Bank recommended the name of Mr. Nikhil Mohan for the post of MD & CEO subject to requisite and necessary clearances, conditions/stipulations/modifications prescribed/ approved by Reserve Bank of India. Further, as per approval of RBI dated May 05, 2022 Mr. Nikhil Mohan was appointed as the MD & CEO of The Nainital Bank Limited for a period of 3 years w.e.f. July 01, 2022 and his appointment was approved by the shareholders in Annual General Meeting held on September 29, 2022.
2. Mr. Sanjay Mudaliar (Non-Executive Non-Independent Director) - DIN 07484086 - who was appointed on the Board of the Bank on December 17, 2019 has tendered his resignation w.e.f. December 31, 2022 due to his elevation from Chief General Manager to Executive Director in other Bank.
3. Mr. Ravindra Singh Negi (Non-Executive Non-Independent Director) - DIN 08248608. - who was appointed on the Board of the Bank on February 18, 2022 has tendered his resignation w.e.f. February 04, 2023 due to his transfer as Zonal Head.
4. Mr. Dinesh Pant (DIN 08391769) was earlier appointed as the Chairman & CEO of The Nainital Bank Limited w.e.f. April 01, 2019 for a period of three years as approved by Reserve Bank of India. Thereafter, due to changes in Governance Framework in Banking and in compliance of RBI directions, the existing post of Chairman & CEO was bifurcated into Part Time Chairman and Managing Director & CEO in the Bank. In this regard, Mr. Dinesh Pant was re-designated as MD & CEO from Chairman & CEO w.e.f. June 24, 2021 after approval from reserve Bank of India. The said re-designation was also noted and approved by the shareholders of the bank in Annual General meeting held on September 28, 2021.



इसके अलावा, बैंक में फिनैकल 10.एक्स के परेशानी मुक्त और समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के परामर्श के अनुपालन के अनुसार, प्रबंधन ने 17 दिसंबर, 2021 को श्री दिनेश पंत एमडी और सीईओ के कार्यकाल को 30 जून, 2022 तक बढ़ाने के लिए निदेशक मंडल से अपेक्षित अनुमति मांगी और इस संबंध में बैंक की कार्यवाही को 29 सितंबर 2022 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित और नोट किया गया।

3 वर्ष और 3 महीने का कुल कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप श्री दिनेश पंत (डीआईएन 008391769) को मूल बैंक – बैंक ऑफ बड़ौदा में वापस चले गए और उन्होंने 30 जून, 2022 को व्यावसायिक घंटों के बंद होने के बाद बैंक के निदेशक पद से भी इस्तीफा दे दिया।

5. नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) की सिफारिश के अनुसरण में, निदेशक मंडल ने श्री संजीव डोभाल (डीआईएन 110055078) की बैंक के गैर-कार्यकारी-अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में 23 फरवरी, 2023 को, वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने की मंजूरी दे दी। उनका कार्यकाल –8– वर्ष या बैंक ऑफ बड़ौदा में सेवा-निवृत्ति, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए था। उक्त अवधि के दौरान, वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (13) के प्रावधानों के अनुसार बारी-बारी से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी थे। इसके बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा (मूल बैंक) द्वारा बीओबी कैप्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में अपनी पोस्टिंग के कारण, श्री संजीव डोभाल ने 25 जुलाई, 2023 को बैंक के बोर्ड से से इस्तीफा दे दिया।
6. नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) की सिफारिश के अनुसरण में, निदेशक मंडल ने श्री राकेश नेमा (डीआईएन 007207816) की बैंक के गैर-कार्यकारी-अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में 23 फरवरी, 2023 को, नियुक्ति को वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने की मंजूरी दे दी। उनका कार्यकाल –8– वर्ष या बैंक ऑफ बड़ौदा में सेवा-निवृत्ति, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए था। उक्त अवधि के दौरान, वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (13) के प्रावधानों के अनुसार बारी-बारी से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, श्री राकेश नेमा 26 जून, 2015 से 22 दिसंबर, 2017 तक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नैनीताल बैंक से जुड़े थे।

निदेशकों का चयन और नियुक्ति

बैंक के निदेशकों का चयन और नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के सावंधित प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए सावंधित नियमों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचे को समय-समय पर संसोधन के अनुसार किया जाता है। नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) प्रत्येक निदेशक को उपयुक्त सिफारिशें करने से पहले, कौशल सेट, ज्ञान, क्षेत्रीय और उद्योग अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड, विशेषज्ञता और अन्य प्रासंगिक जानकारी और प्रत्येक

Further, as per compliance of the advisory of RBI for ensuring hassle free and timely implementation of Finacle 10.x in the Bank, the management on December 17th, 2021 sought requisite permission from Board of Directors for extending the tenure of Mr. Dinesh Pant MD & CEO upto June 30, 2022 and Bank's action in this regard was ratified and noted by the shareholders in Annual General meeting held on September 29, 2022.

Consequent upon completion of total tenure of 3 Years and 3 months Mr. Dinesh Pant (DIN 08391769) has repatriated to Parent Bank - Bank of Baroda and has also resigned from the Directorship of the Bank on June 30, 2022 after the closure of business hours.

5. Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors approved the appointment of Mr. Sanjeev Dobhal (DIN 10055078) as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank w.e.f. February 23, 2023 to hold office as such upto the date of the Annual General Meeting. His tenure was for a period of -8- Years or superannuation in Bank of Baroda, whichever is earlier. During the said period, he was liable to retire by rotation, in terms of the provisions of Section 149 (13) of the Companies Act, 2013. Further, due to his posting as MD & CEO of BOB Caps Limited by Bank of Baroda (Parent Bank), Mr. Sanjeev Dobhal has resigned w.e.f. July 25, 2023 from the Board of the Bank.
6. Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors approved the appointment of Mr. Rakesh Nema (DIN 07207816) as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank w.e.f. February 23, 2023 to hold office as such upto the date of the Annual General Meeting. His tenure was for a period of -8- Years or superannuation in Bank of Baroda, whichever is earlier. During the said period, he is liable to retire by rotation, in terms of the provisions of Section 149 (13) of the Companies Act, 2013. Further, Mr. Rakesh Nema was earlier associated with Nainital Bank as a Non-Executive Director from June 26, 2015 till December 22, 2017.

Selection and Appointment of Directors

The selection and appointment of Directors of the Bank is done in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, the Guidelines issued by the RBI and as per Corporate Governance Frameworks, as amended, from time to time. The Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) considers, the skill set, knowledge, regional and industry experience, track record,



निदेशक द्वारा उपयुक्त और उचित मानदंडों के पालन पर विचार करती है। बोर्ड को उनकी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के संबंध में, जो बोर्ड को ऐसे सदस्य प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास बैंक के व्यावसायिक हितों की सेवा करने और बोर्ड की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विविध ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और आवश्यक कौशल है। निदेशक मंडल के लिए नीति के संदर्भ में, एनआरएचआर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने से पहले और सालाना यानी हर साल 31 मार्च को निदेशक की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का आकलन करता है।

बैंक के निदेशक भी अनुबंधों के विलेख पर हस्ताक्षर करते हैं जो उन्हें बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनर्नियुक्त होने के लिए पात्र होने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बाध्य करता है। निदेशकों द्वारा दिए गए प्रपत्रों/घोषणाओं/उपक्रमों/सहमति में बताई गई निर्धारित जानकारी को एनआरसी के समक्ष और बाद में बोर्ड को इसकी समीक्षा और पुष्टि के लिए रखा जाता है।

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन (नीति) के लिए उत्तराधिकार योजना नीति भी बनाई और अपनाई है जिसकी एनआरएचआर और बोर्ड द्वारा वार्षिक समीक्षा की गई है। नीति का उद्देश्य गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशकों, प्रबंध निदेशक और सीईओ (एमडी और सीईओ), प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य वरिष्ठ पदों के लिए उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का मूल्यांकन, पहचान और नामांकन करना है। बैंक के अधिकारी समय-समय पर उक्त भूमिकाओं के उत्तराधिकार और किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए जो अप्रत्याशित स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति या इस्तीफे या अचानक एग्जिट होने से उत्पन्न होने वाली किसी रिक्तियों को भरा जा सके या ऐसी किसी भूमिकाओं में किसी भी कारण से वर्तमान या नामित को भरने की योजना बनाते हैं।

निदेशक की स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड

एक निदेशक की स्वतंत्रता का मानदंड कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित शर्तों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की पहली बैठक में जिसमें वह एक निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके बाद की पहली बैठक में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड या जब भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है जो एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, तो घोषणा करें कि वह स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह कहते हुए अपेक्षित घोषणाएं प्रस्तुत की हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के प्रावधानों के तहत

expertise and other relevant information and adherence to the fit and proper norms by each Director, before making appropriate recommendations to the Board with regard to their appointment/re-appointment, which is designed to provide the Board with Members who have diverse knowledge, practical experience and requisite set of skills to serve the business interests of the Bank and enhance the overall effectiveness of the Board. In terms of the Policy for Board of Directors, the NRHR assesses the 'Fit and Proper' status of the Director, before considering his candidature for appointment/re-appointment as a Director of the Bank and annually i.e. as at 31st March every year.

The Directors of the Bank also sign the deed of covenants which binds them to discharge their responsibilities to the best of their abilities, individually and collectively in order to be eligible for being appointed/re-appointed as a Director of the Bank. The prescribed information as stated in the forms/declarations/undertakings/consent given by the Directors are placed before the NRC and subsequently to the Board, for its review and confirmation.

The Bank has also formulated and adopted the Succession Planning Policy for the Board of Directors and Senior Management (Policy) which has been subjected to an annual review by the NRHR and the Board. The objective of the Policy is to inter alia assess, identify and nominate suitable candidates to fill vacancies that may arise for positions of the Non-Executive Chairperson, Independent Directors, Managing Director & CEO (MD & CEO), Key Managerial Personnel and other Senior Officials of the Bank from time to time, to plan for succession of the said roles and to fill any vacancies that may arise out of impending move or retirement or resignation or sudden exit or for any reason whatsoever in such roles, incumbent or named successors, significant changes in role accountabilities, substantive changes in the business parameters and changes to the role holder or successor's aspiration.

Criteria for determining Independence of a Director

The criteria of independence of a director is determined based on conditions as laid down in the Companies Act, 2013. The Independent Director shall at the first meeting of the Board in which he/she participates as a director and thereafter at the first meeting of the Board in every Financial Year or whenever there is any change in the circumstances which may affect his/her status as an independent director, give a declaration that he/she meets the criteria of independence.

All the Independent Directors of the Bank have submitted the requisite declarations stating that they meet the criteria



स्वतंत्रता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, जिन्हें बोर्ड के समक्ष रखा गया था। बोर्ड ने इसकी सत्यता का उचित मूल्यांकन करने के बाद, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता की घोषणा की पुष्टि की है और रिकॉर्ड में लिया है। बोर्ड की राय में, सभी स्वतंत्र निदेशक उक्त मानदंडों के तहत विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

प्रदर्शन मूल्यांकन

बैंक अध्यक्ष, एमडी और सीईओ, बोर्ड और इसकी समितियों सहित निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने निष्पादन मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया और मानदंड तैयार किया है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

मानदंड जिसके तहत निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है

बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थिति और भागीदारी:

गंभीर मुद्दों को बैंक के समक्ष उठाना; गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा; स्वतंत्र प्रतिपादन; निष्पक्ष राय और बैठकों में मुद्दों का समाधान; बैंक के लिए नए विचारों और योजना के संदर्भ में पहल; सतर्कता तंत्र के तहत व्हिसल ब्लोअर के हितों की रक्षा करना; बोर्ड और समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट, यदि कोई हो; बैंक की ब्रांड छवि को बढ़ाने में योगदान; जोखिम मूल्यांकन और जोखिम न्यूनीकरण की समीक्षा करना।

एमडी और सीईओ के कार्यनिष्पादन के लिए मापदंड निम्नानुसार है

बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थिति और भागीदारी; नेतृत्व की पहल और गंभीर मुद्दों को बोर्ड के समक्ष उठाना; गोपनीय जानकारी की सुरक्षा; स्वतंत्र प्रतिपादन; निष्पक्ष राय और बैठकों में मुद्दों का समाधान; बैंक के लिए नए विचारों और योजना के संदर्भ में पहल; सतर्कता तंत्र के तहत व्हिसल ब्लोअर के हितों की रक्षा करना; बोर्ड और समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट, यदि कोई हो; वित्तीय विवरणों की समीक्षा; व्यावसायिक प्रदर्शन और रणनीतिक निर्णय लेने में योगदान; बैंक की ब्रांड छवि को बढ़ाने में योगदान; जोखिम मूल्यांकन और जोखिम न्यूनीकरण की समीक्षा; बैंक में मानव संसाधन पहल; बैंक की नीतियों का अनुपालन; नैतिकता, आचार संहिता आदि; धोखाधड़ी, उल्लंघन आदि की रिपोर्टिंग; बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के प्रदर्शन की समीक्षा; बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना।

prescribed for independence under the provisions of Section 149 (6) of the Companies Act, 2013 which were placed before the Board. The Board has confirmed and taken on record the declaration of Independence provided by the Independent Directors, after undertaking due assessment of the veracity of the same. In the opinion of the Board, all the Independent Directors fulfil the conditions specific under the said norms and are independent of the Management.

Performance Evaluation

The Bank evaluates the performance of the Directors including Chairman, MD & CEO, Board and its Committees. Considering the said provisions, the Bank has devised the process and the criteria for the performance evaluation which has been approved by the Board.

The criteria under which performance of Directors is Evaluated

Attendance and participations in Board & Committee Meetings:

Raising of concerns to the Board. Safeguard of confidential information; Rendering independent; Unbiased opinion and resolution of issues at meetings; Initiative in terms of new ideas and planning for the Bank; Safeguarding interest of whistle-blowers under vigil mechanism; Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any; Contribution to the enhancement of brand image of the Bank; Review of risk assessment and risk mitigation.

The criteria under which the performance of MD & C.E.O. is Evaluated

Attendance and participations in Board & Committee Meetings; Leadership initiative and raising of concerns to the Board; Safeguard of confidential information; Rendering independent; Unbiased opinion and resolution of issues at meetings; Initiative in terms of new ideas and planning for the Bank; Safeguarding interest of whistle-blowers under vigil mechanism; Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any; Review of financial statements; Driving business performance and contribution to strategic decision making; Contribution to the enhancement of brand image of the Bank; Review of Risk Assessment and Risk Mitigation; Human Resource Initiatives in the Bank; Compliance with policies of the Bank; Ethics, code of conduct etc.; Reporting of frauds, violation etc.; Review of performance Senior Management of the Bank; Overall performance of the Bank.



मानदंड जिसके तहत समितियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

बैठकों की संख्या, एजेंडों पर उचित मूल्यांकन और विचार-विमर्श, समिति की बैठकें इस तरह से आयोजित की जाती हैं जो खुले संचार को सार्थक भागीदारी और मुद्दों के समय पर समाधान, बैठकों के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट को प्रोत्साहित करती हैं।

मानदंड जिसके तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

बैंक का निदेशक मंडल निर्णय लेने में प्रभावी है; निदेशक मंडल एक कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना विकसित करने में प्रभावी है जो बोर्ड को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की अनुमति देता है और प्रोत्साहित करता है; भौतिक जोखिमों की पहचान करने और नीतियों और कानून के सामग्री उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए बैंक की नियंत्रण प्रणाली प्रभावी है; बोर्ड नियमित आधार पर बताए गए मिशन को पूरा करने में संगठन के प्रदर्शन की समीक्षा करता है; निदेशक मंडल कंपनी के प्रबंधन को आवश्यक सलाह और सुझाव प्रदान करने में प्रभावी है, क्या बोर्ड पूरी तरह से नियामक वातावरण और बाजार में नवीनतम विकास के साथ अद्यतित है? निदेशकों को बोर्ड की बैठकों से पहले प्रदान की गई जानकारी रुपरेखा और विवरण के संदर्भ में आपकी अपेक्षाओं को पूरा करती है; बोर्ड की बैठकें इस तरह से आयोजित की जाती हैं जो खुले संचार, सार्थक भागीदारी और मुद्दों के समय पर समाधान को प्रोत्साहित करती हैं; बोर्ड के अध्यक्ष प्रभावी ढंग से और उचित रूप से बोर्ड की बैठकों और बोर्ड की नीति और शासन कार्यों का नेतृत्व और सुविधा प्रदान करते हैं; बोर्ड आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं और सुधार की दिशा में कदमों पर उचित रूप से विचार करता है; बोर्ड चयन से समाप्ति तक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की भूमिका की देखरेख करता है और स्वतंत्र लेखा परीक्षक की योग्यता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया है; बोर्ड स्वतंत्र लेखापरीक्षा योजना पर विचार करता है और सिफारिशें प्रदान करता है।

पूंजी संरचना

शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान, नई पूंजी का निवेश हुआ और इसलिए, बैंक की पूंजी संरचना को बदल गयी है। 31 मार्च, 2023 तक बैंक का श्रेणीवार शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार है—

संरचना विवरण	% शेयरों की	मूल्य
1. प्राधिकृत पूंजी	100%	150.00 करोड़
निर्गमित पूंजी	50%	117.44 करोड़
प्रदत्त पूंजी	50%	117.44 करोड़

The criteria under which the performance of Committees is Evaluated

Number of Meetings, Proper evaluation and deliberation on the agendas, Committee Meetings are conducted in a manner that encourages open communication meaningful participation and timely resolution of issues, Timely inputs on the Minutes of the Meetings.

The criteria under which the performance of Board is evaluated by Independent Directors

The Board of Directors of the Bank is effective in decision making; The Board of Directors is effective in developing a corporate governance structure that allows and encourages the Board to fulfil its responsibilities; The Bank's systems of control are effective for identifying material risks and reporting material violations of policies and law; The Board reviews the organization's performance in carrying out the stated mission on a regular basis; The Board of Directors is effective in providing necessary advice and suggestions to the Company's management, Is the Board as a whole up to date with latest developments in the regulatory environment and the market? The information provided to Directors prior to Board Meetings meets your expectations in terms of length and level of detail; Board meetings are conducted in a manner that encourages open communication, meaningful participation, and timely resolution of issues; The Board Chairman effectively and appropriately leads and facilitates the Board meetings and the policy and governance work of the Board; The Board appropriately considers internal audit reports, management's responses, and steps towards improvement; The Board oversees the role of the Independent Auditor from selection to termination and has an effective process to evaluate the Independent Auditor's qualifications and performance; The Board considers the Independent Audit plan and provides recommendations.

Capital Structure

Share Capital

During the year, there was an infusion of fresh capital and hence, the capital structure of the Bank has been changed . The category wise Shareholding Pattern of the Bank, as on 31 March, 2023, was as under –

Composition particulars	% of shares	Amount
1. Authorised Capital	100.00%	150.00 Cr
Issued Capital	78.30%	117.44 Cr
Paid-up-Capital	78.30%	117.44 Cr



संरचना विवरण	% शेयरों की	मूल्य
2. शेयरहोल्डिंग	% शेयरों की	शेयरों
I) भारत सरकार	0.00%	0
II) बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई)	98.57%	115769967
III) बीमा कंपनी	0.00%	0
IV) (म्युचुअल फंड) एमएफ / युनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई)	0.00%	0.00
V) अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) / विदेशी वाणिज्यिक निकाय (ओसीबी) / गैर निवासी भारतीय (एनआरआई) / जीडीआर)	0.00%	0.00
VI) निजी कॉर्पोरेट	0.05%	36256
VII) अन्य / रिटेल वैयक्तिक	1.37%	1629594
VIII) आईईपीएफ	0.01%	10433
कुल	100%	117446250

बैंक के पास एक पूंजी संरचना है जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की 98.57% हिस्सेदारी है। इस शेयरधारिता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक विशेष मामले के रूप में अनुमति दी गई है। बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2), मास्टर निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग कंपनियों में शेयरों या मतदान अधिकारों का अधिग्रहण और धारण) निर्देश, 2023 और इस समय लागू अन्य कानूनों के अनुपालन के अधीन हैं।

भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो हमारे बैंक की परिसंपत्तियों में वृद्धि से उत्पन्न होने की उम्मीद है, मुख्य रूप से हमारे बैंक के ऋण / अग्रिम और निवेश पोर्टफोलियो और समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता पर नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने राइट्स इश्यू 2023 के द्वारा अपने मौजूदा शेयरधारकों को लगभग 3.99 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करके 99.86 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है। पात्र शेयरधारकों को 29 मार्च, 2023 को शेयर आवंटित किए गए थे।

लाभांश

लाभांश के रूप में लाभ के वितरण के लिए बैंक आरबीआई के परिपत्र का पालन करता है। लाभांश वितरण संरचना में भविष्य में बैंक के विकास में सहयोग के लिए आवश्यक पूंजी को बनाए रखते हुए लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को प्रतिफल देना शामिल है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6% का लाभांश प्रस्तावित किया है।

जमा

एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 74 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5) (v) और (vi) के तहत आवश्यक जमाओं से संबंधित प्रकटीकरण बैंक पर लागू नहीं होते हैं।

Composition particulars	% of shares	Amount
2. Share Holding	% of shares	Shares
I) Govt of India	0.00%	0
II) Banks/Financial Institution (FI)	98.57%	115769967
III) Insurance Co	0.00%	0
IV) (Mutual Funds) MFs/United Trust of India (UTI)	0.00%	0.00
V) Non Residents (Foreign Institutional Investors (FIIs)/Overseas Commercial Bodies (OCBs)/Non-resident Indian (NRI)/GDRs)	0.00%	0.00
VI) Private Corporate	0.05%	36256
VII) Others/Retail Individuals	1.37%	1629594
VIII) IEPF	0.01%	10433
Total	100%	117446250

Bank is having a capital structure where Bank of Baroda is holding 98.57% stake. This shareholding has been permitted by Reserve Bank of India as a special case. Banks are subject to compliance of section 19 (2) of The Banking Regulation Act, 1949, Master Direction Reserve Bank of India (Acquisition and Holding of Shares or Voting Rights in Banking Companies) Directions, 2023 and other laws applicable for the time being in force.

In order to meet the future capital requirements, which are expected to arise out of growth in our Bank's assets, primarily our Bank's loans/advances and investment portfolio and to ensure compliance/s with regulatory requirements on capital adequacy prescribed by the RBI from time to time, Bank vide Rights Issue 2023 has raised an amount of ₹ 99.86 Crore by issuing around 3.99 Crore fresh equity shares to its existing shareholders. The shares were allotted to eligible shareholders on March 29, 2023.

Dividend

The Bank adheres to RBI's Circular for distribution of profit in the form of Dividend. The Dividend Distribution structure encompasses rewarding Shareholders through dividends while retaining the capital required for supporting its future growth. The Bank has proposed dividend of 6% for FY 2022-23.

Deposits

Being a Banking Company, the disclosures relating to deposits as required under Rule 8(5) (v) & (vi) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, read with Sections 73 and 74 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Bank.



पारिश्रमिक नीति

बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रासंगिक प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों, कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित नियमों, आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में और बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार की है और उसे अपनाया है।

• गैर-कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष का पारिश्रमिक:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड को अध्यक्ष के पारिश्रमिक (मानदेय) की सिफारिश करती है, जिसे बैंक के सदस्यों के अनुमोदन और लागू नियामक अनुमोदन के अधीन बोर्ड द्वारा माना और अनुमोदित किया जाता है। अध्यक्ष को देय पारिश्रमिक (मानदेय) भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के अधीन है। इसलिए, पारिश्रमिक (मानदेय) या उसमें कोई संशोधन भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही अध्यक्ष को देय होता है। अध्यक्ष बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए खर्चों की प्रतिपूर्ति के भी हकदार हैं। निदेशक मंडल या उसकी किसी भी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के अलावा, अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक और सदस्यों द्वारा दिए गए अंतिम अनुमोदन के अनुसार प्रति वर्ष 8.40 लाख रुपये के मानदेय के हकदार हैं।

• बोर्ड, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बोर्ड, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर विचार करता है और बैंक के सदस्यों के अनुमोदन और लागू नियामक अनुमोदन के अधीन संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पारिश्रमिक को मंजूरी देता है। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देय पारिश्रमिक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के अधीन है और इसलिए पारिश्रमिक में संशोधन या पारिश्रमिक में संशोधन केवल भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही देय है। इसके अलावा, मौजूदा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देय पारिश्रमिक आईबीए नियमों के अनुसार है जो उनके कैडर में लागू होता है।

• गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों (एनईआईडी) का पारिश्रमिक

गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों (एनईआईडी) को देय पारिश्रमिक पॉलिसी द्वारा शासित होता है और वर्तमान में बैंक केवल अपने स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के रूप में प्रति समिति की बैठकों में 10,000.00 रुपये और प्रति बोर्ड बैठकों के लिए 20,000.00 रुपये का भुगतान कर रहा है।

Remuneration Policy

The Bank has formulated and adopted the Remuneration Policy for Non-Executive Chairperson and Non-Executive Directors of the Bank in terms of the relevant provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, rules relating to Corporate Governance and the Guidelines issued by the RBI, in this regard.

• Remuneration of Non-Executive Independent Chairman

The Nomination & Remuneration Committee recommends the remuneration (honorarium) of the Chairman to the Board which is considered and approved by the Board subject to the approval of members of the Bank and applicable regulatory approval. The remuneration (honorarium) payable to the Chairman is subject to prior approval of the Reserve Bank of India. Therefore, the remuneration (honorarium) or any revision therein is payable to the Chairman only post receipt of the approval from the Reserve Bank of India. The Chairman is also entitled to reimbursement of expenses for participation in the meetings of the Board and Committees thereof. Apart from the payment of sitting fees for attending meeting of the Board of Directors or any Committees thereof, the Chairman is entitled to a honorarium of Rs. 8.40 Lac per annum as per the last approval granted by the Reserve Bank of India and the members.

• Remuneration of Managing Director and Chief Executive Officer

The Board considers the recommendations of Nomination & Remuneration Committee and approves the remuneration of the Managing Director and Chief Executive Officer, with or without modifications, subject to the approval of Members of the Bank and applicable regulatory approval. The remuneration payable to the Managing Director and Chief Executive Officer is subject to prior approval of the Reserve Bank of India and hence the remuneration or revision in remuneration is payable to them only post receipt of the approval from the Reserve Bank of India. Further, the remuneration payable to existing Managing Director and Chief Executive Officer is as per IBA rules as applicable in his cadre.

• Remuneration of Non-Executive Independent Directors (NEIDs)

The remuneration payable to Non-Executive Independent Directors (NEDs) is governed by the Policy and presently the Bank is paying ₹ 10,000.00 per committee meetings and ₹ 20,000.00 per Board Meetings as Sitting Fees to its Independent Directors only.



संबंधित पार्टी लेनदेन

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों, प्रबंधन या निदेशकों / प्रबंधन के रिश्तेदारों के साथ इस के व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में किये गए लोन देने के अलावा कोई आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है, जिससे बैंक और इन पार्टियों के बीच संभावित हितों का टकराव हो सकता है। अपने व्यवसाय का सामान्य पाठ्यक्रम। बैंक द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया था। संबंधित पक्षों के साथ कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया था, जो बैंक के व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं थे, न ही संबंधित पार्टियों या अन्य के साथ कोई लेन-देन थे, जो एक हाथ की लंबाई के आधार पर नहीं थे। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उनकी समीक्षा के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष सभी संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण देने वाला एक विवरण दिया गया है, जो इस प्रकार प्रदान की गई सर्वव्यापक मंजूरी के अनुसार दर्ज किया गया है।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(11), उप-धारा (1) को छोड़कर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधान अपने व्यवसाय को सामान्य प्रक्रिया में बैंकिंग द्वारा दिए गए ऋण, गारंटी या सुरक्षा पर लागू नहीं होते हैं।

बैंक द्वारा किए गए निवेश का विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 में प्रकट किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत सूचना

बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

बैठक

- **वार्षिक आम बैठक** — वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बैंक की वार्षिक आम बैठक 29 सितंबर, 2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें -8- एजेंडों को बैंक के सदस्यों के समक्ष रखा गया था और निम्नानुसार अनुमोदित किया गया था—

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना।
2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए 0.50/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10/- रुपये के अंकित मूल्य का 5%) के लाभांश की घोषणा करना।

Related Party Transactions

During the year, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters, Directors, Management or Relatives of the Directors/Management, which could lead to potential conflict of interest between the Bank and these parties, other than transactions entered into in the ordinary course of its business. Transactions entered into by the Bank with related parties in the normal course of its business were placed before the Audit Committee of Board. There were no transactions entered with related parties, which were not in the normal course of the business of the Bank, nor were there any transactions with related parties or others, which were not on an arm's length basis. A statement giving details of all related party transactions, entered pursuant to the omnibus approval so granted, is placed before the Audit Committee of Board for their review at the beginning of the Financial Year.

Particulars of Loans, Guarantees and Investments

Pursuant to Section 186(11) of the Companies Act, 2013, the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013, except sub-section (1), do not apply to a loan made, guarantee given or security provided by a banking company in the ordinary course of its business.

The particulars of investments made by the Bank are disclosed in Schedule 8 of the Financial Statements as per the applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

Information under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

The Bank has complied with the provisions relating to the constitution of Internal Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Meetings

- **Annual General Meeting** - The Annual General Meeting of the Bank for FY 2021-22 was held on September 29, 2022 wherein, -8- agendas were placed before the members of the Bank and were approved as under –

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31st March 2022, together with the report of the Directors and Auditors thereon.
2. To declare dividend of ₹ 0.50/- per equity share (5% of the Face Value of ₹ 10/- each) for the Financial Year ended 31st March 2022.



3. श्री संजय मुदलियार (डीआईएन 007484086) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

विशेष व्यवसाय

4. भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों पर प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में श्री दिनेश पंत (डीआईएन 008391769) के कार्यकाल को 30 जून, 2022 तक बढ़ाने के लिए बैंक की कार्यवाही को नोट करना और इसकी पुष्टि करना।
5. श्री रवीन्द्र सिंह नेगी (डीआईएन 008248608) को गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
6. श्री नीलम दामोदरन (डीआईएन 007759291) को गैर-कार्यकारी – स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
7. श्री निखिल मोहन (डीआईएन 09655509) को बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करना।
8. बैंक में शाखा सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

स्क्रीटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ 100वीं वार्षिक आम बैठक का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- **असाधारण आम सभा** – वित्त वर्ष 2022-23 में कोई असाधारण आम सभा नहीं हुई।
- **पोस्टल बैलट** – वित्त वर्ष 2022-23 में शेयरधारकों को अनुमोदन के लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई एजेंडा प्रसारित नहीं किया गया।
- **बोर्ड की बैठक** – बैंक दो महीने में कम से कम -1- एक बोर्ड बैठक और एक वर्ष में न्यूनतम -6- छह बोर्ड बैठकें आयोजित करता है। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, चौदह (14) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं। बोर्ड बैठकों के बीच का अंतराल, कंपनी अधिनियम, 2013 और लागू विनियमों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का ब्योरा इस रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुपत्र में दिया गया है।
- **समिति की बैठकें** – बैंक में बोर्ड की -11- ग्यारह उप-समिति है। अर्थात् – बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी); बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमबीसी); नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर); बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी); हितधारक संबंध समिति (एसआरसी); आईटी रणनीति और डिजिटल संवर्धन समिति (आईटी और डी); विलफुल डिफॉल्टर रिव्यू कमेटी (डब्ल्यूडीसी); गैर-सहकारी उधारकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीसी); कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति (सीएसआर); वसूली समिति (आरसी); बड़े मूल्य धोखाधड़ी समिति (एलवीएफसी)। वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का ब्योरा इस रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुपत्र में दिया गया है।

3. To appoint a Director in place of Mr. Sanjay Mudaliar (DIN 07484086) who retires by rotation and being eligible offers himself for re-appointment.

Special Business

4. To note and ratify the action of the Bank for extension of tenure of Mr. Dinesh Pant (DIN 08391769) as Managing Director & CEO upto June 30, 2022 on the recommendations of Reserve bank of India.
5. To appoint Mr. Ravindra Singh Negi (DIN 08248608) as Non-Executive Non-Independent Director.
6. To appoint Mr. Neelam Damodharan (DIN 07759291) as Non-Executive - Independent Director.
7. To appoint Mr. Nikhil Mohan (DIN. 09655509) as Managing Director & CEO of the Bank.
8. To appoint Branch Statutory Auditors in the Bank.

The minutes of the 100th Annual General Meeting along with Scrutinizer's report is available on the Bank's website.

- **Extra Ordinary General Meeting** - There was no Extra Ordinary General Meeting in the FY 2022-23.
- **Postal Ballot** - There was no agenda circulated through Postal Ballot to shareholders for approval in FY 2022-23.
- **Board Meeting** - Bank holds atleast -1- One Board Meeting in Two Months and minimum -6- Six Board Meetings in a Year. During the Financial Year under review, Fourteen (14) Board Meetings were convened and held. The intervening gap between the Board Meetings was within the period prescribed periods under the Companies Act, 2013 and applicable Regulations. The details the meetings held during the year are set out in the annexure forming part of this Report.
- **Committee Meetings** - Bank is having -11- Eleven Sub-Committee of Board namely - Audit Committee of Board (ACB); Risk Management Committee of Board (RMCB); Nomination and Remuneration and Human Resource Committee (NRHR); Management Committee of Board (MCB); Stakeholders' Relationship Committee (SRC); IT Strategy & Digital Promotion Committee (IT & D); Willful Defaulter Review Committee (WDC); Non-Cooperative Borrower Review Committee (NCBC); Corporate Social Responsibility Committee (CSR); Recovery Committee (RC); Large Value Fraud Committee (LVFC). The details the meetings held during the year are set out in the annexure forming part of this Report.



प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री निखिल मोहन (प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी), श्री महेश कुमार गोयल (मुख्य वित्तीय अधिकारी) और श्री विवेक साह (कंपनी सचिव) / बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं। श्री दिनेश पंत में जून 30, 2022 तक बैंक के एमडी और सीईओ थे जो अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद पैरेंट बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ोदा में वापस चले गए।

बोर्ड, नियामक और बैंक की आवश्यकता के अनुसार, इस रिपोर्ट की तारीख तक बैंक में निम्नलिखित प्रमुख पद धारण करते हैं—

श्री दीपक पंत – मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ), श्री संजय लाल साह – उपाध्यक्ष (क्रेडिट प्रमुख), श्री पुष्कर दत्त भट्ट – उपाध्यक्ष (प्रमुख-वसूली), श्री महेश ज़िंदल – मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), श्री दीपक सिंह बिष्ट – मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ), इस अवसर पर मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) सचिन कुमार, उपाध्यक्ष (सीआईएडी) अमर सिंह, उपाध्यक्ष (संचालन) राहुल प्रधान, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) प्रवीण सिंह बिष्ट, मानव संसाधन एवं कानूनी प्रमुख संजय गुप्ता और मुख्य डिजिटल अधिकारी (सीडीओ) गौरव शर्मा शामिल हैं।

Key Managerial Personnel

In terms of provisions contained in Section 203 of Companies Act 2013, as on the date Mr. Nikhil Mohan (Managing Director and Chief Executive Officer), Mr. Mahesh Goyal (Chief Financial Officer) and Mr. Vivek Sah (Company Secretary) are/were the Key Managerial Personnel's of the Bank. Mr. Dinesh Pant was MD & CEO upto June 30, 2022 and has repatriated to Bank of Baroda (Parent Bank) after completion of his tenure.

As mandated by the Board, Regulator and Bank's requirement, the following hold the key positions in the Bank as on the date of this report -

Mr. Deepak Pant - Chief Operating Officer (COO), Mr. Sanjay Lal Sah - Vice President (Head Credit), Mr. Pushkar Dutt Bhatt - Vice President (Head - Recovery), Mr. Mahesh Jindal - Chief Compliance Officer (CCO), Mr. Deepak Singh Bisht - Chief Technology Officer (CTO), Mr. Sachin Kumar - Chief Risk Officer (CRO), Mr. Amar Singh - Vice President (Head CIAD), Mr. Rahul Pradhan - Vice President (Head-Operations), Mr. Praveen Singh Bisht - Chief Information Security Officer (CISO), Mr. Sanjay Gupta (Head HR and Legal) and Gaurav Sharma - Chief Digital Officer (CDO).

बोर्ड की समितियां / Committees of the Board

नाम / NAME	एसीबी / ACB	आरएमसीबी / RMCB	एनआरएचआर / NRHR	एमसीबी / MCB	सीएसआर / CSR	आईटीडी / ITD	डब्ल्यूडी / WD	एनसीबी / NCB	सीएसआर / CSR	आरसी / RC	एलवीएफ / LVF
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष) Mr. N K Chari, (Chairman)	x			x	x		x	x	x		-
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ) Mr. Nikhil Mohan (MD & CEO)	X	X	X	Chairman/ अध्यक्ष	x		Chairman/ अध्यक्ष	Chairman/ अध्यक्ष	x	x	
श्रीमती बिनीता शाह Mrs. Binita Shah		x	Chairperson/ अध्यक्ष	x	Chairperson / अध्यक्ष	x	x		Chairperson / अध्यक्ष	x	x
श्री राकेश नेमा Mr. Rakesh Nema	x	x	x			Chairman/ अध्यक्ष	x	x		x	x
श्री मनोज शर्मा Mr. Manoj Sharma		Chairman/ अध्यक्ष		x		x	x	x	x		Chairman/ अध्यक्ष
श्री यू सी नाहटा Mr. U C Nahta	Chairman/ अध्यक्ष	x	x	x		x				x	x
श्री संजीव डोभाल Mr. Sanjeev Dobhal			x	x	x	x		x	x	x	
श्री नीलम दामोदरन Mr. Neelam Damodharan	x	x	x		x				x	Chairman/ अध्यक्ष	



वित्तीय वर्ष 2022-23 में बोर्ड और समिति की बैठकों की संख्या
NUMBER OF BOARD AND COMMITTEE MEETINGS IN FINANCIAL YEAR 2022-23

क्र.सं. / SN.	बीएम / BM	एसीबी / ACB	एमसीबी / MCB	आरएमसी / RMC	आईटीडी / ITD	एसआर / SR	एनआरएचआर / NRHR	सीएस / CS	डब्ल्यूडी / WD	सीएसआर / CSR	एलवीएफ / LVF	एनसीबी / NCB	आरसी / RC
1.	23.04.2022	-	-	-	23.04.2022	-	23.04.2022	-	-	-	-	-	-
2.	04.05.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	12.05.2022	12.05.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	27.06.2022	-	27.06.2022	-	-	-	-	-	-	-	27.06.2022	-
5.	-	-	28.06.2022	-	28.06.2022	-	-	-	-	-	-	-	22.06.21
6.	29.06.2022	-	-	-	-	29.06.2022	29.06.2022	-	29.06.2022	-	-	-	-
7.	01.07.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	04.07.2022	04.07.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	26.07.2022	26.07.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	30.08.2022	30.08.2022	-	30.08.2022	30.08.2022	-	-	-	-	-	-	30.08.2022	13.09.21
11.	31.08.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	06.09.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	17.09.2022	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	23.09.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	29.10.2022	-	29.10.2022	-	29.10.2022	-	-	-	-	-	-	27.01.22
16.	31.10.2022	-	-	-	31.10.2022	-	-	-	-	31.10.2022	-	-	-
17.	-	-	28.11.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	28.11.2022	-
18.	16.12.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	09.01.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	25.01.2023	25.01.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	10.02.2023	-	-	10.02.2023	-	-	-	-	-	-
22.	21.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	25.03.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	27.03.2023	-	-	27.03.2023	-	-	-	-	-	-	-	08.03.22
25.	29.03.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कु./T	15	9	3	5	5	2	4	0	1	1	0	3	4

1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
2. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
4. आईटी रणनीति और डिजिटल संवर्धन समिति (आईटीडी)
5. हितधारक संबंध समिति (एसआर)
6. नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर)
7. विलफुल डिफॉल्टर समिति (डब्ल्यूडीसी)
8. कॉर्पोरेट सामाजिक कार्यदायित्व समिति (सीएसआर)
9. बड़ी राशियों की धोखाधड़ी समिति (एलवीएफ)
10. गैर-सहयोगी ऋणी (एनसीबी)
11. वसूली समिति (आरसी)

1. Audit Committee of Board (ACB)
2. Management Committee of Board (MCB)
3. Risk Management Committee (RMC)
4. IT Strategy & Digital Promotion Committee (ITD)
5. Stakeholders' Relationship Committee (SR)
6. Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR)
7. Wilful Defaulter Committee (WD)
8. Corporate Social Responsibility Committee (CSR)
9. Large Value Fraud's Committee (LVF)
10. Non-Co-Operative Borrower (NCB)
11. Recovery Committee (RC)



कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत हरित पहल

इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कागज रहित अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन के एक भाग के रूप में "हरित पहल" की शुरुआत की गई थी। यह दस्तावेजों के शीघ्र संचार की सुविधा और डाक पारगमन में वैधानिक दस्तावेजों के नुकसान से बचने के लिए है। इस संबंध में, हमने उन शेयरधारकों को ई-मेल भेजने की पहल की है, जिन्होंने बैंक के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं और उन्हें बैंक की वेबसाइट पर एक लिंक के साथ सुविधा प्रदान की है, जो बैंक के दस्तावेजों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है जैसे कि वार्षिक सूचना आम बैठक, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि शामिल हैं, ताकि बैंक के शेयरधारकों के लिए वैधानिक दस्तावेजों तक पहुंच को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के अनुसार, एक कंपनी उन सदस्यों को ई-मेल सहित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस की प्रति भेज सकती है, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) या कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है।

उन सदस्यों के मामले में जिनका ईमेल पता बदल गया है और उन्होंने नया ई-मेल पता अपडेट नहीं किया है, बैंक उक्त दस्तावेजों को उनके मौजूदा ई-मेल पते पर भेजेगा और उक्त दस्तावेजों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में वितरित किया गया माना जाएगा। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते या उसके किसी भी बदलाव को जल्द से जल्द अपने डीपी (इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयर) या केएफआईएन (भौतिक रूप में रखे गए शेयर) के साथ पंजीकृत करें।

हालाँकि, यदि कोई सदस्य वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहता है, तो उससे अनुरोध है कि वह einward.ris@kfintech.com or cs@nainitalbank.co पर डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी या फोलियो नंबर, जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करते हुए लिखें। ताकि बैंक उक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रति निःशुल्क उपलब्ध करा सके। कृपया ध्यान दें कि उक्त दस्तावेज बैंक की वेबसाइट www.nainitalbank.co.in पर भी अपलोड किए जा रहे हैं।

सचिवीय मानकों का पालन

बैंक निदेशक मंडल (एसएस-1) की बैठकों पर सचिवीय मानकों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस-2) का अनुपालन करता है। बैंक ने आईसीएसआई द्वारा जारी निदेशक मंडल (एसएस-4) की रिपोर्ट पर लाभांश पर अनुशासनात्मक सचिवीय मानक (एसएस-3) और सचिवीय मानक को स्वेच्छा से अपनाया है।

शेयरों का अमूर्तीकरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 10 सितंबर, 2018 की अधिसूचना के

Green Initiative under Corporate Governance

"Green Initiative" was introduced by The Ministry of Corporate Affairs as a part of Corporate Governance, in order to promote paperless compliances through electronic mode. This is to facilitate early communication of the documents and evade loss of statutory documents in postal transit. In this regard, we have initiated to send e-mail to the shareholders' who have registered their e-mail addresses with the Bank and facilitating them with a link on the Bank's website, providing free access to documents of the Bank like Notice of Annual General Meeting, Annual Report of the Bank which, inter-alia, includes Directors' Report and Auditors' Report etc. in order to make it more convenient to the shareholders of the Bank to access Statutory documents.

In terms of Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a company may send copy of notice through electronic mode including e-mail to those members who have registered their e-mail address either with their depository participants (DP) or with the company.

In case of members whose email address has changed and they have not updated the new e-mail address, the Bank would send the said documents to their existing e-mail address and the said documents shall be deemed to have been delivered in compliance with the provisions of the Act. Therefore, members are requested to register their email address or any change thereof with their DP (shares held in electronic form) or with KFIN (shares held in physical form) at the earliest.

However, in case any member wishes to receive a physical copy of the annual report are requested to write to einward.ris@kfintech.com or cs@nainitalbank.co, in quoting DP ID and client ID or folio number, as the case may be, to enable the Bank to provide physical copy of the said documents, free of cost. Please note that the said documents are also being uploaded on the Bank's website viz. www.nainitalbank.co.in.

Adherence to Secretarial Standards

The Bank is in compliance with the Secretarial Standards on meetings of the Board of Directors (SS-1) and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI). The Bank has also voluntarily adopted the recommendatory Secretarial Standard on Dividend (SS-3) and Secretarial Standard on report of the Board of Directors (SS-4) issued by the ICSI.

DEMATRILISATION OF SHARES

Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide notification dated



तहत केवल गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों द्वारा डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को जारी करना अनिवार्य कर दिया है और 02 अक्टूबर, 2018 असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों द्वारा आगामी शेयरों का निर्गम एवं समस्त शेयरों का अंतरण केवल अमूर्त रूप में ही होगा। अधिसूचना का सार निम्नलिखित है:

- गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, जो 02 अक्टूबर, 2018 को या उसके बाद ऐसी प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने का इरादा रखता है, हस्तांतरण से पहले ऐसी प्रतिभूतियों को अभौतिकीकृत करवाएगा।
- एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, जो 02 अक्टूबर, 2018 को या उसके बाद किसी गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी (चाहे निजी प्लेसमेंट या बोनस शेयरों या अधिकारों की पेशकश के माध्यम से) की किसी भी प्रतिभूति की सदस्यता लेता है, यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सभी मौजूदा प्रतिभूतियां हैं ऐसी सदस्यता से पहले अभौतिक रूप में धारित है।
- प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी एक डिपॉजिटरी को आवश्यक आवेदन करके अपनी सभी मौजूदा प्रतिभूतियों के डीमैटरियलाइजेशन की सुविधा प्रदान करेगी और प्रत्येक प्रकार की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पहचान संख्या (आईएसआईएन) सुरक्षित करेगी और अपने सभी मौजूदा सुरक्षा धारकों को ऐसी सुविधा के बारे में सूचित करेगी।

उपरोक्त के संबंध में, बैंक ने मेसर्स के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड को बैंक के शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन के लिए 'रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट' के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों से अनुरोध किया गया था कि हमारी ओर से सुचारु सेवाओं के लिए अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज किया जाए।

निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में शेयरों का हस्तांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 (नियम), समय-समय पर संशोधित, कंपनी के शेयर (बैंक) जिसके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सभी शेयर जिन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है, चाहे वे डीमैट रूप में या भौतिक रूप में हों, कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खातों में स्थानांतरित किए जाने हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक सभी स्तरों पर कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्व को पहचानता है। बैंक इस संबंध में न केवल वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है बल्कि शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और जनता सहित अपने सभी हितधारकों को

September 10, 2018 has made it mandatory for issuance of securities in demat form only by unlisted public companies and that with effect from October 02, 2018, issue of further shares and transfer of all shares by unlisted public companies shall be in dematerialized form only. Following is a gist of the same:

- Every holder of securities of an unlisted public company, who intends to transfer such securities on or after October 02, 2018, shall get such securities dematerialized before the transfer;
- Every holder of securities of an unlisted public company, who subscribes to any securities of an unlisted public company (whether by way of private placement or bonus shares or rights offer) on or after October 02, 2018 shall ensure that all his existing securities are held in dematerialized form before such subscription;
- Every unlisted public company shall facilitate dematerialization of all its existing securities by making necessary application to a depository and shall secure International Security Identification Number (ISIN) for each type of security and shall inform all its existing security holders about such facility;

In relation to the above, the Bank has appointed M/s K Fintech Private Limited as 'Registrar and Share Transfer Agent' for dematerialization of shares of the Bank. The shareholders were requested to get their shares dematerialized for smooth uninterrupted services at our end.

TRANSFER OF SHARES TO INVESTORS EDUCATION PROTECTION FUND (IEPF)

In terms of section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules), as amended from time to time, shares of the Company (Bank) in respect of which dividends for seven consecutive years or more remaining unpaid or unclaimed are liable to be transferred to the demat account of the IEPF authority.

It is further submitted that all the shares which are required to be transferred to IEPF authority, whether held in dematerialized form or physical form, to be transferred to the demat accounts of IEPF authority by way of corporate action.

CORPORATE GOVERNANCE

Bank recognizes the importance of corporate governance at all levels. The Bank is not only complying with statutory requirements in this regard but endeavoring to serve



सर्वोत्तम सेवा देने का प्रयास कर रहा है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, सरकार और नियामक प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के लिए सभी निष्पक्ष और सटीक प्रकटीकरण, जैसा कि प्रासंगिक कानूनों के तहत आवश्यक है, शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखना और उनके हितों की रक्षा करना है। बैंक ने बोर्ड में अपने निदेशकों और इसके वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता तैयार की है जिसमें कर्मियों की कोर प्रबंधन टीम और बैंक के कार्यात्मक प्रमुख शामिल हैं।

अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के एक भाग के रूप में, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बोर्ड की समीक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष बोर्ड के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट भी रखी जाती है।

भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो बैंक के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच यानी 31 मार्च, 2023 और निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख यानी 2 सितम्बर, 2023 के बीच हुई हैं, सिवाय इसके कि इस वार्षिक रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया गया है। इसके अलावा, बैंक ऑफ बड़ौदा (मूलबैंक) ने एनबीएल में अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की है, जो भविष्य में बैंक के संगठनात्मक और स्वामित्व ढांचे को बदल सकती है।

निदेशकों द्वारा घोषणा

बैंक का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सी) के अनुसार निम्नलिखित कथनों की घोषणा और पुष्टि करता है –

- क) कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय, महत्वपूर्ण विचलन की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था।
- बी) कि ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है और निर्णय और अनुमान किए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2023 को बैंक की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- सी) बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के

the best to all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Public at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to stick to highest level of transparency, all fair and accurate disclosures to the Government & Regulatory Authorities and other Stakeholders', as required under relevant laws, to maintain a high level of business ethics to maximize shareholders' value and to protect their interest. The Bank has formulated a Code of Conduct for its Directors on the Board and its Senior Management including personnel's forming Core Management Team and functional Heads of the Bank.

As a part of good Corporate Governance, a status report is also placed before the Board each year for Board's review at the commencement of Financial Year.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS

There are no material changes and commitments, affecting the financial position of the Bank that have occurred between the end of the Financial Year of the Bank i.e. March 31, 2023 and the date of the Directors' Report i.e. September 2, 2023, except as disclosed in this Annual Report. Further, Bank of Baroda (Parent Bank) has initiated the process of divestment of its stake in NBL, which may change the organizational and ownership structure of the Bank in future.

DECLARATION BY DIRECTORS

The Board of Directors of the Bank hereby declares and confirms the following statements, in terms of Section 134(3) (c) of the Companies Act, 2013 -

- a) That in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2023, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures
- b) That such accounting policies have been selected and applied consistently and judgments and estimates have been made that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2023 and of the profit of the Bank for the year ended on that date.
- c) That proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for



खरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है।

- डी) यह कि वार्षिक लेखे कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- ई) बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद थे और वे पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।
- फ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली मौजूद थी और वह पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ए) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित धारा 92(3) के संदर्भ में; बैंक का वार्षिक रिटर्न निर्धारित प्रपत्र एमजीटी-7 बैंक की https://www.nainitalbank.co.in/english/About_Us.aspx पर उपलब्ध कराया गया है।

पुरस्कार और सम्मान

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किये:

- इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने हमारे बैंक को लघु और सूक्ष्म निजी क्षेत्र के बैंक के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 2021-22 के लिए पहले सर्वोच्च डिजिटल भुगतान लेनदेन पुरस्कार – उत्कर्ष डिजिडन अवार्ड से सम्मानित किया है।

लेखा-परीक्षक

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र सं 2006-08 के माध्यम से आरबीआई/2021-22/25 रेफ.न.डॉ.सी.ओ.एआरजी/एसईसी.01/08.91.001/2021-22 ने वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। प्रावधानों में यह निर्धारित किया गया है कि सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तीन वर्ष की निरंतर अवधि के लिए की जाएगी बशर्ते कि लेखापरीक्षा फर्म प्रत्येक वर्ष उसमें निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करें।

99वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बैंक के सदस्यों ने मैसर्स धरम राज एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफआरएन 014461एन) को -2 वर्ष (दूसरे कार्यकाल) की अवधि के लिए बैंक के केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया और 101 वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद धारण किया। वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआई के 27 अप्रैल, 2021 के परिपत्र के अनुसार, ऑडिट फर्मों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बैंक को -3- वर्षों की निरंतर अवधि के लिए सीएसए की नियुक्ति करनी होगी। इस संबंध में, मैसर्स धरम राज एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने -3-तीन

safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

- d) That the annual accounts have been prepared on a going concern basis.
- e) That internal financial controls to be followed by the Bank, were in place and that the same were adequate and were operating effectively.
- f) That proper system to ensure compliance with the provisions of all applicable laws was in place and the same were adequate and operating effectively.

ANNUAL RETURN

In terms of Section 92(3) read with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014; the Annual Return of the Bank in the prescribed Form MGT-7, is being made available on the website of the Bank at https://www.nainitalbank.co.in/english/About_Us.aspx.

AWARDS AND RECOGNITIONS

During the Financial Year under review, Bank was recipient of the following awards:

- Ministry of Electronic and Information (MeiTY) has felicitated our bank with first highest digital payment transactions award - Utkarsh Digidhan Award for 2021-22 in the Financial Year 2022-23 under Small and Micro Private Sector Bank.

Auditors

The Reserve Bank of India vide its Circular No. RBI/2021-22/25 Ref.No.DoS.CO.ARG/SEC.01/08.91.001/2021-22 dated April 27, 2021 had issued Guidelines for Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs)/Statutory Auditors (SAs) of Commercial Banks (excluding RRBs), UCBs and NBFCs (including HFCs) ('RBI Guidelines'). The provisions prescribed that Statutory Auditors shall be appointed for a continuous period of three years, subject to the Audit firms satisfying the eligibility norms as stipulated therein, each year.

The members of the Bank in 99th Annual General Meeting (AGM) appointed M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants (FRN 014461N) as Central Statutory Auditors of the Bank for a period of -2- years (Second Tenure) and to hold office till the conclusion of 101st Annual General Meeting. As per RBI Circular of April 27, 2021 for Commercial Banks, the Bank's will have to appoint CSA's for a continuous period of -3- Years in order to protect the independence of the Audit Firms. In this regard, M/s. Dharam Raj & Company, Chartered



वर्ष की निरंतर अवधि/कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब उन्हें लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार 6 वर्ष की कूलिंग अवधि के तहत रखा जाएगा।

31 मार्च, 2023 के लिए ऑडिट मैसर्स धरम राज एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा आयोजित किया गया है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

बोर्ड और निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति ने 29 जुलाई, 2023 को आयोजित बैठक में बैंक के केंद्रीय सांविधिक परीक्षक के लिए -1 वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स ए आर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफआरएन 002744 सी) के नाम को मंजूरी दी थी और सिफारिश की थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन पहला कार्यकाल है। इसके अलावा, बैंक को बैंक के केंद्रीय सांविधिक परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मैसर्स ए आर एंड कंपनी, चार्टर्ड एण्ड कंपनी के नाम के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। बैंक ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के अभिलेखों पर व्यावसायिक आचरण आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो और उसने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की वेबसाइट (अधिसूचना अनुभाग, विशेष रूप से एक्ज्यूआर रिपोर्ट और आदेशों के तहत) का भी अवलोकन किया है, जिसमें एनएफआरए द्वारा उपर्युक्त लेखा परीक्षा फर्म के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया के अधीन किया था और उनके पास आईसीएआई के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण-पत्र है। मैसर्स ए आर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पास बैंक ऑडिट सहित कुल 36 वर्षों का अनुभव है। मैसर्स ए आर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट वर्तमान में सेंट्रल बैंक के केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक हैं और यूको बैंक के साथ शुरुआती तौर पर जुड़े थे। उपर्युक्त के आधार पर, बैंक के बोर्ड की राय है कि मैसर्स ए आर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन 002744 सी) कंपनी अधिनियम, 2013 और आरबीआई परिपत्र द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करता है और उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करना वांछनीय है। प्रथम कार्यकाल अर्थात् 101वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से और पारिश्रमिक सहित ऐसे नियमों और शर्तों पर 102वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद धारण करना, जो कि निर्धारित किया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के अनुसार, बोर्ड ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए मैसर्स जया यादव एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, दिल्ली को अपने सचिवीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त

Accountants has completed a continuous period/tenure of -3- Three years and shall now be placed under cooling period of -6- Six years as per applicable RBI guidelines.

The Audit for March 31, 2023 has been conducted by M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants and is appended with this report.

The Audit Committee of Board and Board of Directors in meeting held on July 29, 2023 had approved and recommended the name of M/s A R & Company, Chartered Accounts (FRN 002744C) for Bank's Central Statutory Auditor for a period of -1- Year, being First Term subject to approval from Reserve Bank of India. Further, Bank has received necessary approval for the name of M/s A R & Company, Chartered Accounts from RBI for being appointed as the Central Statutory Auditor of the Bank. Bank has also ensured that there are no adverse remarks/disciplinary actions in respect of professional conduct, etc., on the records of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and has also perused the website (under notification section, specially w.r.t. AQR reports and Orders) of the National Financial Reporting Authority (NFRA), wherein no disciplinary action has been taken by the NFRA against the aforesaid audit firm.

The Statutory Auditors have confirmed that they had subjected themselves to the peer review process of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and they hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of ICAI. M/s A R & Company, Chartered Accountants is having total experience of 36 years including Bank Audits. M/s. A R & Company, Chartered Accountants is presently the Central Statutory Auditor of Central Bank and was early associated with UCO Bank. Based on the above the, Board of the Bank is of the opinion that M/s A R & Company, Chartered Accounts (FRN 002744C) fulfils all the criteria as laid down by the Companies Act, 2013 and RBI circular and it is desirable to appoint them as the Central Statutory Auditors of the Bank for a period of-1- Year, being First Term i.e. from the conclusion of 101st Annual General Meeting and to hold office till the conclusion of 102nd Annual General Meeting on such terms and conditions, including remuneration, as may be determined and recommended by the Audit Committee of Board in consultation with the proposed Auditor and approved by the Board of Directors in this regard. Board of NBL therefore recommends the agenda as Ordinary Resolution to the members for approval.

Pursuant to Section 204 of Companies Act 2013, the Board had appointed M/s. Jaya Yadav & Associates, Practicing Company Secretaries, Delhi as its Secretarial Auditors for the Financial



किया था। बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक को सभी सहायता और सुविधाएं प्रदान कीं। 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, न तो सांविधिक लेखा परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा परीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत किसी मामले की सूचना लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड को दी है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक धारा के तहत किसी भी विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के वित्तीय विवरणों और निदेशक की रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया।

सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों और समूह कंपनी/ यां

इस रिपोर्ट की तारीख तक, नैनीताल बैंक की अपनी कोई सहायक, संयुक्त उद्यम आदि नहीं है। नैनीताल बैंक की मूल और होल्डिंग कंपनी 98.57% हिस्सेदारी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा है और हमें बैंक ऑफ बड़ौदा की समूह कंपनियों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश जो बैंक की वर्तमान चिंता की स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हैं

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, विनियामकों/न्यायालयों/अधिकरणों आदि द्वारा कोई महत्वपूर्ण/भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए थे जो बैंक की वर्तमान चिंता की स्थिति और इसके भविष्य के प्रचालनों को प्रभावित करेंगे।

रिश्वत और भ्रष्टाचार

बैंक की सदस्यों और समुदायों दोनों के प्रति जिम्मेदारी है जिनमें हम व्यवसाय करते हैं कि वे अपने सभी लेन-देन में पारदर्शी रहें। बैंक की आचार संहिता के लिए आवश्यक है कि हम किसी भी रूप में रिश्वत या भ्रष्टाचार में संलग्न न हों और स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि बैंक किसी कार्य या एक कार्य के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए रिश्वत या गैरकानूनी शुल्क का भुगतान या खरीद नहीं करेगा, जिसका उद्देश्य दूसरे की अखंडता से समझौता करना या संभावना है। बैंक और उसके कर्मचारी किसी तीसरे पक्ष से कोई भुगतान, उपहार या प्रलोभन स्वीकार नहीं करेंगे जिसका उद्देश्य हमारी अपनी अखंडता से समझौता करना है। बैंक उपहार और मनोरंजन, हितों के टकराव और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के लिए प्रक्रियाओं का भी पालन करता है।

जोखिम प्रबन्धन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का अभिन्न अंग है और बैंक का उद्देश्य जोखिम और प्रतिलाभों के बीच एक उपयुक्त संतुलन स्थापित करना है। बैंक विभिन्न

Year ended March 31, 2023. The Bank provided all assistance and facilities to the Secretarial Auditor for conducting their audit as prescribed under Companies Act, 2013. The Secretarial Audit Report for the Financial Year ended March 31, 2023 is annexed to this report.

During the financial year under review, Bank has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India. During the financial year under review, neither the Statutory Auditors nor the Secretarial Auditors have reported any matter under Section 143 (12) of the Companies Act, 2013 to the Audit Committee or Board, therefore no detail is required to be disclosed under relevant section of Companies Act, 2013. During the Financial Year under review, there was no revision of financial Statements and Director's Report of the Bank.

Subsidiaries/JV's and Group Company/ies

As on the date of this report, Nainital Bank is not having any subsidiaries, joint ventures etc. of its own. Nainital Bank's parent and holding company is Bank of Baroda with 98.57% stake and we are categorized under the group companies of Bank of Baroda.

Significant and Material Order passed by regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and operations of the Bank

During the financial year under review, there were no significant/ material orders passed by the Regulators/Courts/Tribunals etc. which would impact the going concern status of the Bank and its future operations.

Bribery and Corruption

Bank has a responsibility both towards the members and to the communities in which we do business to be transparent in all our dealings. Bank's Code of Conduct requires that we do not engage in bribery or corruption in any form and explicitly mentions that the Bank will not pay or procure the payment of a bribe or unlawful fee to encourage the performance of a task or one which is intended or likely to compromise the integrity of another. Bank & its employees will not accept any payment, gift or inducement from a third party which is intended to compromise our own integrity. Bank also follows procedures for dealing with Gifts & Entertainment, Conflicts of Interest and other important matters.

RISK MANAGEMENT

Risk is an integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns.



जोखिमों का सामना करता है, जो किसी भी बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्निहित अंग होते हैं। प्रमुख जोखिम ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, नकदी जोखिम और परिचालन जोखिम हैं। धारणीय और सुसंगत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढाँचा विकसित किया है, ताकि बैंक द्वारा कल्पित जोखिमों का उचित आकलन और निगरानी हो सके। गौरतलब है कि जोखिम प्रबंधन ढाँचा स्थापित करने का परम दायित्व बैंक के निदेशक मंडल का है। निदेशक मंडल ने मंडल की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी गठित की है, जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों के बीच अंतर संबंधों का निरीक्षण करती है।

बैंक की एक विशद आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया और दबाव परीक्षण नीति है। नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, संकेंद्रण जोखिम और पूँजी पर्याप्तता जैसे पिलर 2 के जोखिमों का सामान्य और तनावग्रस्त दोनों स्थितियों में वर्तमान नीतियों के अनुसार आकलन किया जाता है। बैंक के भीतर विभिन्न जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन करने के तंत्र की एक संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है:-

आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

पूँजी पर्याप्तता

बेसल-III के मानकों के अंतर्गत बैंक की पूँजी पर्याप्तता जो विगत वर्ष 13.63% थी, इस वर्ष 16.64% रही। 31.03.2023 को सकल पूँजी पर्याप्तता में टियर-I पूँजी 15.63% थी और टियर-II पूँजी 1.01% रही।

आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

तरलता जोखिम उचित लागत पर अपेक्षित और अप्रत्याशित नकदी और संपार्श्विक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता है। बैंक में नकदी जोखिम का मापन और निगरानी रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार स्टॉक एप्रोच और अन्य विवेकपूर्ण व्यवस्थाओं के माध्यम से की जाती है। बैंक ने नकदी मानदंडों पर बेसल III ढाँचे पर नकदी कवरेज अनुपात (एलसीआर), नकदी जोखिम निगरानी टूल्स और एलसीआर प्रकटीकरण मानदंडों का कार्यान्वयन किया है। एलसीआर मानदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक ऐसी भार-रहित उच्चगुणवत्ता पूर्ण आस्तियों का एक उपयुक्त स्तर कायम रखें, जो पर्यवेक्षकों द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर नकदी दबाव परिदृश्य में 30 कैलेंडर-दिनों की समय-सीमा की नकदी-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में बदली जा सकें। बैंक सदैव एलसीआर के निर्धारित स्तर से पर्याप्त ऊपर रहा है।

आरबीआई ने 01 अक्टूबर 2021 से एनएसएफआर (नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो) भी पेश किया है जो लंबी अवधि के क्षितिज पर लचीलेपन को बढ़ावा देता है जिससे बैंकों को निरंतर आधार पर अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को निधि देने की आवश्यकता होती है। एनएसएफआर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलनपत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। बैंक का एनएसएफआर 100: के निर्धारित स्तर से काफी ऊपर रहा है।

The Bank is exposed to various risks that are an inherent part of any banking business. The major risks are credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. It may be noted that the ultimate responsibility for setting up the risk management framework lies with the Board of the Bank. The Board has also constituted a Risk Management Committee of the Board which oversees the interlinkages among different type of risks.

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process and stress test policy. The Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Concentration Risk, Reputational Risk, Pension Obligation Risk, Business and Strategic Risk and Capital Adequacy under both normal and stressed conditions are assessed as per the extant policies. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within the Bank is as follows:-

ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

CAPITAL ADEQUACY

The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 16.64% as against 13.63% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier –I capital was 15.63% and Tier – II capital was 1.01% as on 31.03.2023.

ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost. At the Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Stock Approach and other prudential stipulations as per RBI's extant guidelines. The Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards - Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR Standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High - Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30-calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors. The Bank has always been well above the stipulated level of LCR.

The RBI has also introduced NSFR (Net Stable Funding Ratio) with effect from 01st October 2021 which promotes resilience over a longer-term time horizon whereby Banks are required to fund their activities with more stable sources on an ongoing basis. The NSFR seeks to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. The Bank's NSFR has been well above the stipulated level of 100%.



बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (IRRBB) संवेदनशील परिसंपत्तियों और देयताओं के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है जो ब्याज दरों में बदलाव के साथ बैंक की इक्विटी की आय/आर्थिक मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बैंक बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की माप और निगरानी के लिए जोखिम प्रबंधन उपकरण जैसे परंपरागत अंतर विश्लेषण, जोखिम पर आय और इक्विटी की संशोधित अवधि का उपयोग करता है। शुद्ध ब्याज आय [NII] पर ब्याज दर के उतार-चढ़ाव के अल्पकालिक प्रभाव की गणना 'जोखिम पर आय' दृष्टिकोण के माध्यम से की जाती है। ब्याज दर के उतार-चढ़ाव के दीर्घकालिक प्रभाव को इक्विटी के बाजार मूल्य (MVI) में बदलाव के माध्यम से मापा और मॉनिटर किया जाता है।

नकदी और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए नीतिगत ढाँचा बैंक की एएलएम नीति में स्थापित किया जाता है, जो विनियामक अनुदेशों से निर्देशित होती है। बैंक की आस्ति देयता समिति (ALCO) सुनिश्चित करती है कि नकदी जोखिम और ब्याज दर जोखिम वहनीयता की सीमाओं के अंतर्गत रहें। इसके अतिरिक्त, हमारे बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नकदी और ब्याज दर जोखिम कवर करने वाला दबाव परीक्षण कार्यक्रम है, जो विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसे उधारकर्ताओं के ऋण की गुणवत्ता में कमी आने, प्रतिपक्षों के अचानक डिफॉल्ट या पोर्टफोलियो में कमी से सम्बन्धित हानि की सम्भावना के रूप में परिभाषित किया गया है। ऋण जोखिम प्रबन्धन एक व्यापक एवं सुपरिभाषित ऋण नीति के द्वारा नियंत्रित होता है जोकि बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी है। पोर्टफोलियो में अनुचित केन्द्रीकरण जोखिम के निवारण के लिए बैंक ने विभिन्न उद्योगों, सेक्टर व उधारकर्ताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं तय की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक वर्तमान में ऋण जोखिम के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण पर कार्य कर रहा है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम पोर्टफोलियो के मूल्यों में विपरीत बदलावों के कारण होने वाली आय या आर्थिक मूल्य की हानि हैं। विभिन्न बाजार-उत्पादों के आर्थिक मूल्य में बदलाव मुख्यतः बाजार-दर, आर्थिक वृद्धि और व्यापार में भरोसे जैसे कारकों में बदलाव के कारण होता है। बैंक के पास अपने बाजार जोखिम की स्थितियाँ ग्रहण करने वाले राजकोषीय क्रिया-कलापों के नियंत्रण और निगरानी के लिए सुपरिभाषित नीतियाँ हैं। बैंक अपनी ट्रेडिंग-बुक में बाजार-दर जोखिम का मापन और निगरानी तिमाही आधार पर संशोधित अवधि दृष्टिकोण के माध्यम से करता है। लेनदेन के स्तर पर हानि-रोध सीमाएँ निर्धारित और कार्यान्वित की गई हैं। अपने दबाव परीक्षण ढाँचे के अंतर्गत बैंक तिमाही आधार पर अपने व्यापार पुस्तक पोर्टफोलियो का व्यापक दबाव परीक्षण करता है।

मिड-ऑफिस जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में, दैनिक आधार पर

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and liabilities which may adversely impact the earnings/economic value of equity of the Bank with the change in interest rates. The Bank uses risk management tools such as Traditional Gap Analysis, Earning at Risk and Modified Duration of Equity for the measurement and monitoring of Interest rate risk in the banking book. The short term impact of interest rate movements on Net Interest Income [NII] is calculated through the 'Earnings at Risk' approach. The long-term impact of interest rate movements is measured and monitored through change in Market Value of Equity (MVE).

The policy framework for liquidity and interest rate risk management is established in the Bank's ALM Policy and LCR & NSFR Policy which is guided by regulatory instructions. Bank's Asset Liability Committee (ALCO) ensures that liquidity risk and interest rate risk are within the tolerance limits. Additionally, our Bank has a comprehensive Board approved stress testing programme covering liquidity and interest rate risk which is aligned with the regulatory guidelines.

CREDIT RISK

Credit Risk is defined as the possibility of losses associated with the reduction in the credit quality of borrowers or counterparties from outright default or reduction in portfolio value. Credit Risk management is governed by a comprehensive and well-defined Loan Policy and Credit Risk Management Policy which is approved by the Board. To manage the undue concentration risk in the portfolios, the Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers. In accordance with the RBI guidelines, Bank is currently on the Standardized Approach for credit risk.

MARKET RISK

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The Bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertake Market Risk positions. The Bank measures and monitors interest rate risk in its trading book through modified duration approach on quarterly basis. At a transaction level, stop loss limits have been prescribed and implemented. Under its stress testing framework, the Bank conducts comprehensive stress tests of its trading book portfolio on a quarterly basis.

Mid-Office as a part of Risk Management, measures and



परिभाषित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुसार पोर्टफोलियो वार निवेश सीमा को मापता है और निगरानी करता है। बैंक के लिए बाजार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार की जाती है।

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त अथवा निष्फल आंतरिक परिचालन प्रक्रिया, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटकों से हानि के कारण होने वाला जोखिम है। इसमें विधिक जोखिम भी शामिल है, लेकिन कार्यनीति तथा प्रतिष्ठा सम्बन्धी जोखिम इसमें शामिल नहीं हैं। बैंक में एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें बैंक ने बेसल प्स दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालन जोखिम के लिए जोखिम वेटेड आस्ति की गणना हेतु बेसिक सूचक दृष्टिकोण को परिभाषित किया है। बैंक ने बैंक स्तर पर परिचालन जोखिम का विश्लेषण करने के लिए प्रमुख जोखिम सूचक भी परिभाषित किया है।

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

तरलता कवरेज अनुपात बैंक तरलता के लिए एक वैश्विक न्यूनतम मानक है। इस अनुपात का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण अत्यंत जटिल परिस्थितियों में 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त भाररहित उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके। जून, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता मानकों पर तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और बेसल-III फ्रेमवर्क पर आधारित एलसीआर प्रकटीकरण, निगरानी टूल्स जारी किया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर एलसीआर 1 जनवरी, 2015 से न्यूनतम 60 प्रतिशत आवश्यकता के साथ बराबर सालाना वृद्धि के साथ 1 जनवरी, 2019 तक 100 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ लागू हो गया। कोविड-19 महामारी के कारण बैंक के कैश फ्लो के भार से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 17.04.2020 के अपने परिपत्र में बैंक के एलसीआर को निम्नानुसार रखने के लिए अनुमति दी है:

परिपत्र की तारीख से सितंबर 30, 2020 तक –	80 प्रतिशत
1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक –	90 प्रतिशत
1 अप्रैल 2021 और इसके बाद –	100 प्रतिशत

निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने 01 अक्टूबर 2021 से एनएसएफआर (निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात) भी शुरू किया है जो दीर्घकालिक समय सीमा पर लचीलापन को बढ़ावा देता है जिसके तहत बैंकों को निरंतर आधार पर अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित करना आवश्यक है। एनएसएफआर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और ऑफ-बैलेंस शीट गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर वित्त पोषण प्रोफाइल बनाए रखता है। एनएसएफआर अनुपात निरंतर आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए। बैंक का एनएसएफआर 100% के निर्धारित स्तर से काफी ऊपर रहा है।

monitors investment cap limits portfolio wise as per the defined prudential limits on a daily basis. The market risk capital charge for the Bank is computed as per the Standardized Duration Approach (SDA) in line with the regulatory guidelines.

OPERATIONAL RISK

Operational Risk implies the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This includes legal risk, but excludes strategic and reputation risks. Bank has a well-defined Operational Risk Management Policy where Bank has defined the Basic Indicator Approach for calculating the Risk weighted assets for Operational Risk as per BASEL III guidelines. Bank has also defined the Key Risk indicators for analyzing the Operational Risk at Bank level.

LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) is a global minimum standard for bank liquidity. The ratio aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high-quality liquid assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario. In June 2014, RBI released Basel III Framework on Liquidity Standards- Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. Based on the guidelines, LCR became effective on January 1, 2015 with minimum requirement for the ratio was at 60%, increasing in equal annual increments to reach 100% on January 1, 2019. In order to accommodate the burden on banks' cash flows on account of the Covid19 pandemic, RBI in its circular dated 17.04.2020 permitted to Banks' to maintain LCR as under:

From date of circular to September 30, 2020 -	80 per cent
Oct 1, 2020 to March 31, 2021 -	90 per cent
April 1, 2021 onwards -	100 per cent

NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

The RBI has also introduced NSFR (Net Stable Funding Ratio) with effect from 01st October 2021 which promotes resilience over a longer-term time horizon whereby Banks are required to fund their activities with more stable sources on an ongoing basis. The NSFR seeks to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. The NSFR ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. The Bank's NSFR has been well above the stipulated level of 100%.



बेसल-III कार्यान्वयन

बेसल-III पूंजी विनियमों का कार्यान्वयन भारतीय बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2013 से किया गया है। बेसल-III में सरलता से पारगमन के लिए पूंजी आवश्यकता के अनुरूप समुचित पारगमनीय व्यवस्था की गई है और न्यूनतम बेसल-III पूंजी अनुपातों व पूंजी के घटकों से सम्बन्धित पूर्ण नियामकीय समायोजन की प्राप्ति के लिए वित्तीय परिणामों के प्रकाशन के साथ घोषित करने हेतु सभी आवश्यक घोषणाएं समेकित स्तर पर की गई हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए एक ओर पूंजी की परिवर्धित गुणवत्ता एवं मात्रा और दूसरी ओर अधिक प्रकटीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में बैंक की पूंजी बेसल-III के अन्तर्गत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

नैनी रिपो लिंक्ड रेट दर

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई / 2019-20/53 डीबीआर. डीआईआर.बीसी.एनओ.14/13.03.00/2019-20, दिनांक 04.09.2019 में दिनांक 01.10.2019 से बाहरी बेंचमार्क आधारित ब्याज दर को बैंक द्वारा प्रदत्त सभी नए वैयक्तिक अथवा रिटेल ऋण फ्लोटिंग दर और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की फ्लोटिंग दर के लिए अनिवार्य कर दिया है।

उपर्युक्त परिपत्र के मद्देनजर, एलसीओ (ALCO) ने अपनी दिनांक 26.09.2019 की मीटिंग में को बाहरी बेंचमार्क के आधार पर उधार दर की गणना करने का निर्णय लिया अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दिनांक 1.10.2019 से मासिक आधार पर रेपो दर बैंक द्वारा प्रदत्त सभी नए फ्लोटिंग वैयक्तिक अथवा रिटेल ऋण अथवा रिटेल ऋण (आवास, ऑटो आदि) और लघु एवं सूक्ष्म उद्यम पर लागू होंगी।

इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 26.02.2020 के अपने परिपत्र में बैंकों के लिए मध्यम उद्यम को दिए गए ऋणों हेतु 01.04.2020 से सभी फ्लोटिंग दर ऋण को बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण दर से लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। इस संबंध में ALCO ने अपनी दिनांक 23.03.2020 की मीटिंग में बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण दर को अनुमोदित कर दिया है अर्थात् दिनांक 01.04.2020 से मध्यम उद्योगों को सभी नए फ्लोटिंग रेट ऋण नैनी रेपो आधारित ऋण दर NRLLR हैं। नैनी रेपो आधारित ऋण दर मासिक अंतराल पर अर्थात् प्रत्येक माह की 10 तारीख को पुनर्निर्धारित की जाएगी।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस)

देश में कार्यरत बैंकों के लिए पर्यवेक्षी ढांचे को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण फंक्शन कार्य कर रहा है। आरबीएस को बैंक के भीतर उच्च जोखिम के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके पर्यवेक्षी प्रक्रिया की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जोखिम मूल्यांकन मॉडल स्थापित किया है जो विभिन्न जोखिम मापदंडों, जैसे पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रबंधन गुणवत्ता, आय, तरलता और बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशीलता पर विचार करता है,

BASEL III IMPLEMENTATION

The Basel III capital regulations have been implemented by Indian banks with effect from April 1, 2013. To ensure smooth transition to Basel III, appropriate transitional arrangements have been made with capital requirement and disclosures at consolidated level which are to be disclosed with the publication of financial results, have been provided for meeting the minimum Basel III capital ratios, full regulatory adjustments to the components of capital. This implementation requires enhanced quality and quantity of capital on one side and more elaborate disclosure on the other. The bank is adequately capitalized as per the current requirements under Basel III.

NAINI REPO LINKED LENDING RATE

RBI in its circular RBI/2019-20/53 DBR.DIR. BC.No.14/13.03.00/2019-20 dated 04.09.2019 made External benchmark based Interest Rate mandatory for all new floating rate personal or retail loans(housing, auto, etc) and floating rate loans to Micro and Small Enterprises extended by Banks with effect from 01.10.2019.

In view of the above mentioned Circular, ALCO in its meeting dated 26.09.2019 decided to compute lending rate based on external benchmark i.e. Repo Rate on monthly basis w.e.f. 01.10.2019, which will be link to all new floating rate personal or retail loans (housing, auto, etc.) and floating rate loans to Micro and Small Enterprises extended by Banks from 01.10.2019 as per RBI directives.

Further RBI in its circular dated 26.02.2020, made mandatory for the Banks to link all new floating rate loans to medium enterprises with external benchmark based lending rate with effect from 01.04.2020. In view of this, ALCO in its meeting dated 23.03.2020 approved the external benchmark based lending rate i.e. Naini Repo Linked Lending Rate NRLLR to all new floating rate loans to medium enterprises also with effect from 01.04.2020. Naini Repo linked lending rate will be reset on monthly intervals i.e. 10th of every month.

RISK BASED SUPERVISION (RBS)

Bank has a Risk Based Supervision function as per the guidelines of the Reserve Bank of India to implement a supervisory framework for banks operating in the country. RBS is designed to enhance the effectiveness and efficiency of the supervisory process by focusing on areas of higher risk within bank. RBI has put in place a risk assessment model which considers various risk parameters, such as capital adequacy, asset quality, management quality, earnings, liquidity, and sensitivity to market risk, to identify banks that pose a higher



ताकि उन बैंकों की पहचान की जा सके जो वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए उच्च जोखिम पैदा करते हैं। मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) को रिपोर्टिंग करने वाला बैंक का आरबीएस विभाग, आरबीआई द्वारा निर्धारित ढांचे का पालन करने और तदनुसार नियामक को विभिन्न रिपोर्ट / डेटा प्रस्तुत करने और आरबीआई की एसएसएम टीम द्वारा बैंक की वार्षिक ऑनसाइट ऑडिट का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आरबीआई द्वारा बैंक का कुल जोखिम स्कोर 2.241 मूल्यांकित किया गया था, जो 31.03.2021 को 2.320 था। बैंक द्वारा सभी रिटर्न समय पर नियामक के पास जमा किए जा रहे हैं। बैंक का आरबीएस विभाग अनुपालन विभाग के साथ समन्वय में काम कर रहा है ताकि उन प्रमुख क्षेत्रों की निगरानी की जा सके जो जोखिम पैदा कर सकते हैं। विनियामक दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि बैंक के जोखिम स्कोर में और सुधार किया जा सके।

ऋण निगरानी

ऋण निगरानी उधार देने संबंधी गतिविधियों का एक अभिन्न हिस्सा है और क्रेडिट पोर्टफोलियो की निगरानी आज के दौर में बैंकों के लिए गुणवत्ता आस्तियों को सुनिश्चित करने और अग्रिम खातों में स्लीपेज की रोकथाम और बैंक को अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए समय पर सुधारात्मक कदम उठाने में एक अहम पहलू है। क्रेडिट पोर्टफोलियो की निगरानी के लिए एक अनुशासित प्रयास के लिए बैंक में विशेष रूप से वसूली और क्रेडिट निगरानी कार्य के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रधान कार्यालय स्तर पर एसोसियेट वाइस प्रेसिडेंट की अगुवाई में एक पूरी तरह से समर्पित विभाग कार्यरत है। बैंक ने क्रेडिट पोर्टफोलियो की प्रभावी निगरानी की है जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार खाता विशिष्ट निगरानी, स्टॉक ऑडिट और क्रेडिट ऑडिट शामिल हैं ताकि उधारी खातों की लगातार निगरानी की जा सके और ऋण आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए उचित समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सके।

विपणन

बैंक का विपणन विभाग ग्राहक अधिग्रहण के माध्यम से बैंक के लिए नये व्यवसाय अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक, अपने उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा कर और ग्राहक केंद्रित अभियान संचालित कर उत्पाद विकास और प्रचार प्रसार में भी पहल करता है। विपणन विभाग के डोमेन के तहत उत्पादों और सेवाओं को व्यापक रूप से धनप्रबंधन सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

वैल्थ मैनेजमेंट सेवाएँ

एक विविध ग्राहक आधार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ने बीमा (जीवन बीमा / सामान्य बीमा) उत्पादों संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कंपनियों के साथ प्रबंध व्यवस्था की है। इस संबंध में, हमने बीमा उत्पादों के व्यापक पोर्टफोलियो की पेशकश करने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ रणनीतिक सहयोग स्थापित किया है, जिसमें जीवन बीमा, सामान्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा और क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।

risk to the stability and health of the financial system. Bank's RBS Department having reporting lines to the Chief Compliance Officer (CCO) is responsible for following the RBI prescribed framework and accordingly submitting various reports/data to the regulator and coordinating the annual onsite audit of the bank by the SSM team of RBI. Bank's aggregate risk score was assessed as 2.241 by the RBI for F.Y. 2021-22, which has decreased against the 2.320 as of 31.03.2021. All returns are being timely submitted to the regulator. Bank's RBS department is working in close coordination with Compliance department to supervise key areas which may pose risk. Strict adherence to regulatory guidelines is our top priority so as to further improve the Bank's risk score.

CREDIT MONITORING

Credit Monitoring is an integral part of lending activity and monitoring of credit portfolio is an important aspect in the banks in today's scenario for ensuring quality of advance assets of the bank to prevent the slippages of advance accounts and enable the bank to take timely corrective actions to improve the quality of its credit portfolio. In an effort for a regimented approach for monitoring of credit portfolio, a full-fledged department headed by an Associate Vice President at Head Office level along with senior officials at Regional Offices specifically designated for the recovery and credit monitoring is functional in the bank. The bank has put in place an effective monitoring of credit portfolio which includes account specific monitoring, stock audits as per board approved policy to have constant watch over borrowal accounts and taking remedial steps at appropriate time to arrest deterioration in the quality of loan asset.

MARKETING

The Marketing Department of the Bank continues to be a driving force in the generation of new business, facilitating customer acquisition, and promoting the growth of the Bank. With a strong focus on customer-centric campaigns, the department has played a pivotal role in product development and successful promotions, creating widespread awareness of our diverse range of offerings.

WEALTH MANAGEMENT SERVICES

Our Wealth Management Services have been tailored to cater to the varied needs of our esteemed customers. In this regard, we have established strategic collaborations with reputable companies to offer an extensive portfolio of insurance products, encompassing Life Insurance, General Insurance, Health Insurance and Credit Card.



लाइफ इन्श्योरन्स के लिए, हम एचडीएफसी लाइफ इन्श्योरन्स कंपनी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्श्योरन्स कंपनी और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इन्श्योरन्स कंपनी के कॉर्पोरेट एजेंट हैं। यह हमें अपने ग्राहकों को विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला और अग्रणी बीमा प्रदाताओं की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इसी तरह, जनरल इश्योरेंस के लिए, हमने पयूचर जनरली इंडिया इश्योरेंस और नेशनल इश्योरेंस के साथ साझेदारी की है, जो जरूरत और दबाव के समय में हमारे ग्राहकों के लिए व्यापक कवरेज और मन की शांति सुनिश्चित करता है।

स्वास्थ्य बीमा के महत्वपूर्ण पहलू को संबोधित करने के लिए, हमने केयर हेल्थ इश्योरेंस कंपनी के साथ एक समझौता किया है। यह रणनीतिक साझेदारी हमें अपने मूल्यवान ग्राहकों की भलाई के लिए उनकी विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाती है। इसके अलावा, हमने बैंक के सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए बॉब वित्तीय समाधान के साथ समझौता किया है। हमारे बैंक ने लगातार अपनी पहुंच का विस्तार करने और तीसरे पक्ष के उत्पादों तक अधिक पहुंच प्रदान करने की कोशिश की है।

हमारे बैंक ने लगातार अपनी पहुंच का विस्तार करने और बीमा उत्पादों तक अधिक पहुंच प्रदान करने की मांग की है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बैंकों के लिए टाई-अप की अधिकतम संख्या में वृद्धि की है। पॉलिसीधारकों को व्यापक विकल्प और सुविधा प्रदान करने के लिए और बीमा की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, बैंक अपने बीमा उत्पादों के वितरण के लिए जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 9 बीमा कंपनियों (पहले 33 बीमाकर्ता) के साथ गठजोड़ कर सकता है।

बीमा विकल्पों की एक अद्वितीय श्रृंखला की पेशकश करने की हमारी प्रतिबद्धता हमारे ग्राहकों की वित्तीय आकांक्षाओं और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे समर्पण से उपजी है। बीमा प्रदाताओं के साथ मजबूत गठजोड़ व्यवस्था और मल्टीपल कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल के कार्यान्वयन के माध्यम से, हम अद्वितीय ग्राहक संतुष्टि प्रदान करने और एक विश्वसनीय वित्तीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते हैं।

अनुपालन विभाग

बैंक ने अनुपालन के मामलों में दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त करके नियामकों, ग्राहकों, निवेशकों, सरकार, कर्मचारियों और जनता जैसे सभी हितधारकों की नजर में बैंक की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अपने रणनीतिक लक्ष्यों के साथ-साथ एक अच्छी तरह से प्रलेखित अनुपालन नीति और अनुपालन मैनुअल के साथ संगठन में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति और तंत्र को संस्थागत रूप दिया है। अनुपालन कार्य का फोकस नियामक अनुपालन, वैधानिक अनुपालन, उचित अभ्यास कोड और अन्य निर्धारित कोड का अनुपालन, सरकारी नीतियां, बैंक की आंतरिक नीतियां और मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण की रोकथाम है। बैंक के पास सभी तीन क्षेत्रों में क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारियों के अलावा मुख्य अनुपालन अधिकारी

For Life insurance, we are corporate agents for HDFC Life insurance company, India First Life Insurance Company, and Reliance Nippon Life Insurance Company. This enables us to provide our customers with a wide array of choices and the security of leading insurance providers. Similarly, for General insurance, we have partnered with Future Generali India Insurance and National Insurance, ensuring comprehensive coverage and peace of mind for our customers in the times of need & stress.

To address the critical aspect of Health insurance, we have entered into a tie-up arrangement with Care Health Insurance Company. This strategic partnership empowers us to cater to the specific health insurance requirements of our valued customers by safeguarding their well-being. In addition, we have tie up arrangement with Bob financial solution for Co-branded credit card of the bank. Our Bank has consistently sought to expand its reach and provide greater accessibility to third party products.

Our Bank has consistently sought to expand its reach and provide greater accessibility to insurance products. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has increased the maximum number of tie-ups for Banks. In order to enable the policyholders/prospects to have wider choice and facilitate the reach of insurance to the last mile. Bank can tie up with 9 insurers (earlier 3 insurers), in area of life, general and health for distribution of their insurance products.

Our commitment to offering an unparalleled range of insurance options stems from our dedication to meeting the financial aspirations and security needs of our clientele. By way of strengthened tie up arrangement with insurance providers and implementation of the Multiple Corporate Agency Model, we strive to deliver unparalleled customer satisfaction and reinforce our position as a trusted financial partner.

COMPLIANCE DEPARTMENT

The Bank has institutionalized a strong compliance culture and mechanism across the organization, along with a well-documented Compliance policy and compliance manual, pursuant to its strategic goals to enhance the Bank's reputation on in the eyes of all the stakeholders such as Regulators, Customers, Investors, Government, Employees and Public at large by achieving efficiency and effectiveness in matters of Compliance. The focus of the compliance function is adherence to regulatory compliance, statutory compliance, compliance with fair practice codes and other prescribed codes, government policies, the Bank's internal policies and prevention of money



की अध्यक्षता में बैंक के प्रधान कार्यालय में एक समर्पित और स्वतंत्र अनुपालन विभाग है, जो जवाबदेही, पारदर्शिता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को अपनाने और लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने अपने सभी हितधारकों के बीच पारदर्शिता और विश्वास के रणनीतिक लक्ष्यों के अनुसार संगठन में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति और तंत्र को विकसित किया है। बैंक में सभी व्यवसायों और संचालनों में नियामक और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी तीन क्षेत्रों में क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी के अलावा मुख्य अनुपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित स्वतंत्र अनुपालन विभाग सेवारत है। इस विभाग के प्रमुख कार्यों में बैंक के कॉर्पोरेट कार्यों के लिए नए और संशोधित नियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों का प्रसार, सभी शाखाओं और कार्यक्षेत्रों की ऑन-साइट और ऑफ-साइट अनुपालन परीक्षण जांच करना, नियामक अनुपालन परिप्रेक्ष्य से प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, अनुपालन से संबंधित मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करना, अनुपालन पहलुओं पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना और बैंक में अनुपालन संस्कृति को मजबूत करना और अनिवार्य दिशा-निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुपालन संस्कृति को मजबूत करना शामिल है।

बैंक विभिन्न नियामकों से प्राप्त संचार की निगरानी, नियंत्रण और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक अनुपालन पैकेज को लागू करने की प्रक्रिया में है, जिसमें स्व-प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से नियामक और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक रिपोर्टिंग प्रणाली और अनुपालन विभाग को शाखाओं और कार्यक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अनुपालन प्रमाण पत्र भी शामिल है।

इंड एस कार्यान्वयन की योजना और स्थिति : आरबीआई ने फरवरी 2016 में एक परिपत्र जारी किया था जिसके अनुसार बैंकों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को लागू करने और 1 अप्रैल, 2018 से स्टैंडअलोन और समेकित इंड एस वित्तीय विवरण तैयार करना था। बैंको को वित्तीय वर्ष 2018 से तुलनात्मक वित्तीय विवरणों को रिपोर्ट करना था, जो कि वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2018 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के वित्तीय स्टेटमेंट के साथ जारी करना था हालाँकि आरबीआई ने 5 अप्रैल, 2018 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए इंड एस की लागू करने की अवधि को एक वर्ष (यानी 1 अप्रैल 2019) के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद, आरबीआई 22 मार्च, 2019 को जारी एक परिपत्र में इंड एस के कार्यान्वयन को अगले नोटिस तक स्थगित कर दिया।

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान बैंक ने भारतीय जीएपी और इंड एस के बीच अंतर के लिए जीएपी का प्रारंभिक निदानकारी विश्लेषण किया था। बैंक ने इंड एस को लागू करने के लिए आवश्यक डेटा गैप्स, प्रक्रियाओं और सिस्टम परिवर्तनों की पहचान और मूल्यांकन भी किया। जहां भी आवश्यक हो बैंक अपनी आईटी प्रणालियों में आवश्यक परिवर्तनों को लागू करने की प्रक्रिया में है, और चरणबद्ध तरीके से अन्य प्रक्रियाएं कर रहा है। बैंक अर्ध-वार्षिक आधार पर आरबीआई को प्रोफार्मा इंड एस वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत कर रहा है।

इंड एस कार्यान्वयन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने बैंक के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों के सदस्यों को शामिल करते हुए एक संचालन समिति का गठन किया है। बैंक में इंड एस

laundering and funding of illegal activities. The Bank has a dedicated and independent Compliance Department at Bank's Head Office headed by Chief Compliance Officer, besides Regional Compliance Officers in all the three regions, committed to adopt and implement the best practices and standards in the areas of accountability, transparency and business ethics to promote sustainability and for ensuring regulatory and legal compliance, across all its businesses and operations. The key functions of this Department include, dissemination of regulatory & statutory guidelines, new and revised, to the respective Corporate functions, carry out on-site & off-site compliance test checks of all branches & verticals, review of processes from a regulatory compliance perspective, provide guidance on compliance-related matters, impart training to employees on compliance aspects and strengthen compliance culture in the Bank. Periodic compliance test checks are put in place for effective implementation of mandatory guidelines

The Bank is in process to implement a Compliance package to monitor, control & follow up communications received from various regulators which would also include a reporting system to ensure regulatory and statutory compliance through a self-certification process; a Compliance certificate to be submitted by branches and verticals to the Compliance Department.

Plan and status of Ind AS implementation: The RBI had issued a circular in February 2016 requiring banks to implement Indian accounting standards (Ind AS) and prepare standalone and consolidated Ind AS financial statements with effect from 1 April, 2018. Banks were also required to report the comparative financial statements for fiscal 2018, to be published along with the financial statement for the fiscal year beginning 1 April 2018. However, the RBI in its press release issued on 5 April, 2018 deferred the applicability of Ind AS by one year (i.e. 1 April, 2019) for scheduled commercial banks. Further, RBI in a circular issued on 22 March, 2019 has deferred the implementation of Ind AS till further notice.

During fiscal 2017 the Bank had undertaken a preliminary diagnostic analysis of the GAAP differences between Indian GAAP vis-a-vis Ind AS. The Bank has also identified and evaluated data gaps, processes and system changes required to implement IndAS. The Bank is in the process of implementing necessary changes in its IT systems wherever required and other processes in a phased manner. The Bank is also submitting proforma Ind AS financial statements to RBI on a half-yearly basis.

In line with the RBI guidelines on Ind AS implementation, the Bank has constituted a Steering Committee comprising members from the concerned functional areas, headed by the



कार्यान्वयन की स्थिति पर एक प्रगति रिपोर्ट तिमाही आधार पर एसीबी और बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट को इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 व कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित सभी सूचनाएं बैंककारी कम्पनियों के लिये अपेक्षित विधि से दी गई हैं तथा यह 31 मार्च, 2023 को बैंक के कामकाज की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं।

शाखा सांविधिक लेखापरीक्षा के संबंध में, —27—लेखा परीक्षा फर्मों को 74 शाखाओं का लेखा परीक्षा कार्य (केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक सहित) सौंपा गया था, जिसमें समग्र रूप से बैंक का कुल 80% क्रेडिट पोर्टफोलियो शामिल है।

Managing Director of the Bank. A progress report on the status of Ind AS implementation in the Bank is presented to the ACB and the Board on a quarterly basis.

STATUTORY AUDITORS

The appended Auditors Report is made part of this Report. Auditors Report contains opinion of auditor and confirms that the financial statements contain all the information required by The Banking Regulation Act, 1949 as well as The Companies Act, 2013, in the manner so required for the banking companies and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2023 and of the Profit/loss for the year ended 31st March 2023. Further There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

As regards, Branch Statutory Audit, 27 audit firms were assigned the audit job (including Central Statutory Auditor) of 74 branches, covering a total of 80% credit portfolio of the bank as a whole.



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नैनीताल बैंक लिमिटेड के
अंशधारकों के प्रति

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने नैनीताल बैंक लिमिटेड (इसके बाद जिसे "बैंक" लिखा गया है) की, संलग्न एकल विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2023 का तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता विवरण और उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी और एकल वित्तीय विवरणों पर नोट, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सम्मिलित हैं जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखण्ड में स्थित, सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित हैं, की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा माँगी गई अपेक्षित जानकारी देती हैं और 31 मार्च 2023 को बैंक के कामकाज और उसी दिन समाप्त वर्ष के लिए हानि और नकदी-प्रवाह की उन लेखा-सिद्धांतों, जो सामान्यतः भारत में स्वीकार्य हैं, तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाए, के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं।

राय का आधार

2. हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा की। उन मानदंडों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड में भी वर्णित की गई है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नीति-संहिता के साथ-साथ अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत जारी नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं तथा नीति-संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा-साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

3. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
The Nainital Bank Limited

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Nainital Bank Limited ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2023, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included in the Returns for the year ended on that date audited by the branch auditors of the Bank's branches located at Rajasthan, Haryana, Delhi, Uttarakhand and Uttar Pradesh.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 ('the Act') in the manner so required for banking Companies and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2023, and its profit/loss and its cash flows for the year ended on that date. Basis for Opinion

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

3. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the



महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

रिपोर्टिंग के लिए कोई प्रमुख लेखापरीक्षा संबंधी मामले नहीं हैं।

विषय वस्तु का प्रभाव

- क) बैंक, स्वचालित परिसंपत्ति वर्गीकरण (एनपीए/एएनपीआई के रूप में अग्रिमों/निवेशों का वर्गीकरण और उनका अपग्रेडेशन), प्रावधान गणना और आय मान्यता प्रक्रियाओं की पूर्णता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करे।
- ख) बैंक द्वारा संचालित किए जा रहे कई कार्यालय खातों/आंतरिक खातों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा ऐसे खातों की गहन और निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और उसे रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए, इसके अलावा बैंक को आंतरिक कार्यालय खातों में लेन-देन की निगरानी के लिए प्रणाली आधारित नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

इस विषय पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

4. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधक रिपोर्ट एवं चेयरमैन का विवरण यदि कोई है, शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करते समय इस बात पर पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जवाबदेही

5. बैंक का निदेशक मण्डल कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के खण्ड 134 (5) में दिए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है जो इन एकल वित्तीय

standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

There are no Key Audit matters for reporting.

Emphasis of Matter

- a) Bank to ensure the completeness and integrity of the automated Asset Classification (classification of advances/investments as NPA/NPI and their upgradation), Provisioning calculation and Income Recognition processes.
- b) Considering a number of Office Accounts / Internal Accounts being operated by the bank, close and continuous monitoring of such accounts as per RBI guidelines to be undertaken by bank and kept on record, further the Bank should strengthen the system based control mechanism for monitoring the transactions in internal office accounts.

However, our opinion is not modified in respect of above stated matters

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

4. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the management report and chairman's statement, if any.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance or conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013



विवरणों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थितियों, वित्तीय कार्यनिष्पादन और बैंक के वित्तीय प्रवाह के जो उन लेखा सिद्धान्तों, जो सामान्यतः भारत में स्वीकार्य हैं तथा अधिनियम के खण्ड 133 के अन्तर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों जिन्हें कम्पनी (लेखा) के साथ तथा बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों व परिपत्रों का विवरण सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने, उचित लेखा नीतियों के चयन और कार्यान्वयन, यथोचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने और आंकलन करने तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा के कार्यान्वयन, क्रियान्वयन और रख-रखाव, जो ऐसी वित्तीय विवरणों जो सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं और किसी भी अवास्तविकता चाहे वह धोखाधड़ी की वजह से हो या त्रुटिवश, से मुक्त हो, से सम्बन्धित लेखा रिकार्ड, को पूरा करने, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में, और उसकी यथार्थता को सुनिश्चित करने, लेखा रिकार्ड को पूरा करने और रख-रखाव की जिम्मेदारी भी सम्मिलित है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चल रहे चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार पर चलने वाली चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से, धोखे से या गलती से, वास्तविक महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, और एक ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल हो। उपयुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, पर वह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसार की गई लेखापरीक्षा किसी वास्तविक गलतबयानी के होने पर सदैव उसका पता लगा लेगी। गलतबयानियाँ धोखे या गलती से हो सकती हैं और तब वास्तविक समझी जाती हैं, जब उनसे, अकेले या सकल रूप में, प्रयोगकर्ताओं द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की काफी संभावना हो।

लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसरण में लेखापरीक्षा के एक अंग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवराना संदेहवाद बनाए रखते हैं।

हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानने और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को तैयार और

with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the audit of the Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient



निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की प्रत्यादिष्ट करना शामिल हो सकती है।

- ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया निरूपित करने के लिए लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत हम इस बारे में अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि बैंक में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली मौजूद है या नहीं और ऐसे नियंत्रण परिचालन की दृष्टि से कितने कारगर हैं।
- इस्तेमाल की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखा अनुमानों तथा उनके संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटीकरणों की समुचितता का आकलन करते हैं।
- इस बात पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि प्रबंधन द्वारा लेखा प्रणाली के लाभकारी संस्था आधार का प्रयोग उपयुक्त है या नहीं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर बताते हैं कि घटनाओं और स्थितियों के संबंध में ऐसी कोई वास्तविक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है, जो एक लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की योग्यता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करता हो। अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उसके प्रति ध्यान आकर्षित करें, या अगर वे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएँ या स्थितियाँ लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की योग्यता समाप्त कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, ढाँचे और विषयवस्तु का आकलन करते हैं और जाँच करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं का उस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति हासिल होती हो।

मैटेरिलिटी, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिणाम है। जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों को उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद

and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and



करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर गवर्नेंस का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो संबंधित सुरक्षा उपाय हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार कर सकते हैं, और जहां लागू हो। गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संसूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का उल्लेख करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित प्रभावित होने की संभावना होती है।

अन्य मामले

7. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 54 शाखाओं और प्रसंस्करण केंद्रों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2023 तक 3361.74 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति दर्शाती हैं और कुल आय ₹ 229.40 करोड़ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं और प्रसंस्करण केंद्रों में 31 मार्च 2023 तक 32.83% अग्रिम, 42.58% जमा और 28.40% गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 38.07% राजस्व शामिल हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और नियामक मामलों पर रिपोर्ट

8. तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 तथा कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 तथा कंपनियां (लेखा मानक) संशोधन, 2016 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार तैयार किए गए हैं।

timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

7. We did not audit the financial statements / information of -54- branches and processing centres included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹ 3361.74 Crores as at 31st March 2023 and total revenue of ₹ 229.40 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches and processing centers cover 32.83 % of advances, 42.58 % of deposits and 28.40 % of Non-performing assets as at 31st March 2023 and 38.07 % of revenue for the year ended 31st March 2023. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.



9. जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के खण्ड 30 के उपखण्ड (3) के अनुसार अपेक्षित है हम सूचित करते हैं कि:

ए. वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, हमें मिल गए हैं और हमने इन्हें सन्तोषजनक पाया है।

बी. हमारी जानकारी में आये बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार क्षेत्र में किए गए हैं।

सी. बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा परीक्षा हेतु पर्याप्त पाई गई गई।

डी. लाभ हानि खाते संबंधित समाप्त हुए वर्ष के लिए वास्तविक शेष (लाभ और हानि के) दर्शाते हैं।

10. इसके अतिरिक्ति, जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के खण्ड 143 (3) के अनुसार अपेक्षित है हम पुनः सूचित करते हैं कि:-

ए. वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, हमने मांगे तथा यह हमें मिल गए हैं;

बी. हमारी राय में बैंक ने यथोचित लेखा बहियां, जहां तक इनकी जांच से प्रकट होता है यथाविधि तैयार की हैं और उन शाखाओं जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है, से उचित विवरणियां जो हमारे द्वारा की जा रही लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त है, प्राप्त कर ली गई हैं।

सी. सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा कम्पनी अधिनियम के खण्ड 143 (8) के अन्तर्गत बैंक के लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट भी हमें भेजी गई है और इन्हें विधिवत् इस रिपोर्ट में लिया गया है।

डी. तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी जिनसे यह रिपोर्ट संबंधित है लेखा बहियों और उन शाखाओं से, जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है, प्राप्त विवरणियों से मिलान कर तैयार किये गये हैं।

ई. हमारी राय में उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणियां अधिनियम के खण्ड 133 में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों जिन्हें कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों और अनुदेशों का अनुपालन करते हैं।

एफ. 31 मार्च, 2023 को प्राप्त निदेशकों द्वारा दिए गए लिखित प्रतिवेदनों जिन्हें निदेशक मंडल ने रिकार्ड में लिया है, के आधार पर कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2023 को अधिनियम के खण्ड 164 (2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के पद के लिए अपात्र नहीं हैं।

जी. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के सन्दर्भ में एवं ऐसे नियन्त्रणों की परिचालनात्मक प्रभाव के लिये "अनुलग्नक (क)" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ ले।

9. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

(a) we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;

(b) the transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;

(c) the returns received from the offices; and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;

(d) the profit and loss account shows a true balance [of profit or loss] for the year then ended.

10. Further, as required by section 143(3) of the Act, we report that:

a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices of the bank audited under section 143(8) of the Act by branch auditors of the Bank have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

d) the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows dealt with in this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us

e) in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

f) on the basis of written representations received from the directors as at 31 March 2023 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as at 31 March 2023 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act;

g) with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A";



एच. अधिनियम की संशोधित धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 197 (16) के अनुसार आवश्यक है कि— लेखा परीक्षक कंपनी, धारा 143 के तहत अपनी रिपोर्ट में यह बयान दे कि क्या कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को पारिश्रमिक इस धारा के अनुसार भुगतान किया गया, क्या किसी निदेशक को दिया गया पारिश्रमिक इसके तहत निर्धारित सीमा से अधिक है।

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- i) बैंक ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18, नोट 14 आर देखें;
- ii) बैंक ने लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, भौतिक पूर्वानुमानित नुकसान के लिए प्रावधान किया है; : शून्य लागू नहीं।
- iii) बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।
- iv) (ए) प्रबंधन ने प्रतिवेदन किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, एकाउंट्स में बताए गए नोट के अलावा, कोई भी धनराशि को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से) बैंक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या कंपनी की ओर से (अंतिम लाभार्थी) उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

(बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, एकाउंट्स में बताए गए नोट के अलावा, बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियां") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से या उसकी ओर से पहचाने गए

- h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, Section 197(16) of the Companies Act, 2013 requires that - 'The auditor of the company shall, in his report under section 143, make a statement as to whether the remuneration paid by the company to its directors is in accordance with the provisions of this section, whether remuneration paid to any director is in excess of the limit laid down under this section and give such other details as may be prescribed.

with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. the Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements - Refer Schedule 18, Note 14 r to the financial statements;
- ii. the Bank has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts - to the financial statements; : NIL as not applicable
- iii. there has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank;
- iv. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Bank from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Bank shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities



अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा। फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं; तथा

(सी) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में हमारे द्वारा उचित और उपयुक्त माना गया था, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप खंड (ए) और (बी) के तहत प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

- v. बैंक द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

कृते धरम राज एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 014461एन

धरम राज

साझेदार

सदस्यता संख्या 094108

यूडीआईएन संख्या 23094108BGSNTE6281

हस्ताक्षर का स्थान: गाजियाबाद

रिपोर्ट की तारीख 28.04.2023

identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(c) Based on such audit procedures that were considered reasonable and appropriate by us in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub clause (a) and (b) contain any material misstatement.

- v. The dividend declared or paid during the year by the Bank is in compliance with section 123 of the Companies Act, 2013.

For **DHARAM RAJ & CO.**

Chartered Accountants

Firm's Registration No. 014461N

Dharam Raj

Partner

Membership Number-094108

UDIN: 23094108BGSNTE6281

Place: Ghaziabad

Date: 28.04.2023



दि नैनीताल बैंक लिमिटेड की एकल वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समान तिथि की रिपोर्ट का संलग्नक (क)

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 10 (जी) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

- हमने 31 मार्च 2023 को नैनीताल बैंक लिमिटेड ('द बैंक') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये प्रबन्धन की जिम्मेदारी

- बैंक का निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ('दि गाइडेंस नोट') इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी किया गया। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों के पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की राकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी की गयी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपना लेखा परीक्षण आईसीएआई द्वारा जारी एवं अधिनियम के भाग 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित समझे गये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर गाइडेंस नोट और लेखा परीक्षण के मानकों के आधार पर जहां तक कि वे आन्तरिक लेखा नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर लागू हों, किया है। ये मानक एवं गाइडेंस नोट द्वारा वांछित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखा परीक्षण की इस तरह योजना एवं क्रियान्वयन करें कि इस सम्बन्ध में उचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित है एवं बनाये रखा गया है एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी

Annexure A to the independent auditor's report of even date on the standalone financial statements of Nainital Bank Limited

(Referred to in paragraph 10(g) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

- We have audited the internal financial controls over financial reporting of Nainital Bank Limited ('the Bank') as at 31 March 2023 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls over Financial Reporting

- The Bank's Board of Directors is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ('the Act').

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing ('the Standards'), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was



ढंग से सभी तात्विक संदर्भों में संचालित हो रहे हैं।

4. हमारा लेखा परीक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता एवं उनकी परिचालन प्रभावशीलता के सम्बन्ध में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रदर्शन प्रक्रिया को शामिल करता है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने, यह जोखिम आकलन करने कि यदि तात्विक कमजोरी मौजूद है और आन्तरिक नियंत्रण की परिचालनात्मक कार्यक्षमता जो कि जोखिम आकलन पर आधारित है शामिल हैं। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण में तात्विक गलत ब्यौरे के आकलन पर निर्भर करती है।
5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा लिया गया लेखा परीक्षण प्रमाण बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के विषय में एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

6. बैंक की वित्तीय विवरणी पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं वाह्य उद्देश्य से सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के आधार पर तैयार की गई वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति के विषय में एक उचित आश्वासन देने हेतु तैयार की गई है। बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण (1) उन अभिलेखों के रख-रखाव से संबद्ध है जो सही, स्पष्ट रूप से एवं समुचित विस्तार के साथ बैंक के लेन-देन एवं शाखा की संपत्तियों के निपटान को दर्शाता है। (2) पर्याप्त आश्वासन देता है कि बैंक के लेन-देन सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमत आवश्यक नियमों के अन्तर्गत दर्ज किये गये हैं तथा बैंक की प्राप्ति एवं व्यय केवल बैंक के प्रबन्धन व निदेशकों के प्राधिकार के आधार पर किये जा रहे हैं। (3) समुचित आश्वासन देना कि बैंक की किसी आस्ति का जो कि बैंक के वित्तीय विवरण पर एक तात्विक प्रभाव डालता है अनधिकृत अधिग्रहण की समय पर पहचान व रोकथाम के सम्बन्ध में समुचित आश्वासन देता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

7. आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों पर प्रबन्धन का अत्यधिक दबाव तात्विक मिथ्या कथन जोकि त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण हों, हो सकते हैं और पता नहीं लगाया जा सकता। भविष्य के सम्बन्ध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के आकलन का कोई अनुमान यह जोखिम

established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

4. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

6. A bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the



रखता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों एवं कार्यविधियों के सन्दर्भ में अनुपालन का स्तर घट सकता है।

राय

8. हमारी राय में, बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किया गया था। बैंक आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर रहा है।

कृते धरम राज एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 014461N

धरम राज
साझेदार
सदस्यता संख्या: 094108
यूडीआईएन संख्या: 23094108BGSNTE6281

हस्ताक्षर का स्थान: गाजियाबाद
रिपोर्ट की तारीख 28.04.2023

internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

8. In our opinion, the Bank has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note issued by the ICAI.

For **DHARAM RAJ & CO.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 014461N

Dharam Raj
Partner
Membership No. 094108
UDIN: 23094108BGSNTE6281

Place: Ghaziabad
Date: 28.04.2023



कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

नैनीताल बैंक लिमिटेड अपनी शुरुआत से ही सदैव सामाजिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों का समेकित भाग बनते हुए बैंक इसके प्रति दीर्घावधि के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बैंक अच्छे कारपोरेट अभिशासन और कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर विश्वास रखता है जिससे अंशधारकों और अन्य हितधारकों का विश्वास बढ़े और सभी की उन्नति हो। मूल रूप से कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों, उनके परिवारों स्थानीय समुदायों और समाज के साथ कार्य करते हुए सतत आर्थिक विकास में योगदान के लिए वचनबद्ध है। जिससे उनके जीवन में सुधार आये और जो व्यापार और विकास के लिये अच्छा हो।

बैंक ऐसे लक्षित कार्यक्रमों की पहचान और उनकी सहायता के लिए वचनबद्ध है जिनका लक्ष्य समुदाय के लोगों (विशेषकर ऐसे लोग जिनका जीवन स्तर उचित नहीं है) के विकास और उन्नति और पर्यावरण पर उनके कार्यों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में केन्द्रित है। यह सीएसआर नीति इसी भावना को ध्यान में रखते हुए सीएसआर परियोजनाओं की सहायता, पहचान, निष्पादन और निगरानी के लिए निर्देशी दस्तावेज के रूप में कार्य करेगी और इस संबंध में कानून और नीति गतमान को तथा पद्धतियों के अनुपालन द्वारा बैंक की सीएसआर गतिविधियों के लिए स्व:विनियामक तंत्र के रूप में कार्य करेगी। यह नीति सीएसआर गतिविधियों को चलाते और कार्यान्वित करते हुए नियमों का अनुपालन भी निर्धारित करेगी।

उद्देश्य

सीएसआर कारपोरेट व्यवहार और अभिशासन का उच्च स्तर है और इसे ऐसे साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है जो कारपोरेट और सामाजिक क्षेत्र की एजेंसियों के प्रयासों का सामाजिक उद्देश्यों की सतत वृद्धि और विकास के संबंध में तालमेल करता है। सीएसआर आंतरिक (कर्मचारी, श्रेयधारकों, निवेशकों) और बाह्य (सार्वजनिक अभिशासन, समुदाय सदस्यों, सिविल सोसायटी समूहों, अन्य उद्यमों) हितधारकों दोनों के लिए व्यापार गतिविधियों की लागत और व्यापार के प्रबंधन की प्रक्रिया है। सीएसआर न तो परोपकार है और नही विपणन का माध्यम। यह बैंक द्वारा समाज के कल्याण में सहयोग करने का प्रयास है जहां से वह अनिवार्य प्रावधानों को सुनिश्चित करते हुए सीमाओं के भीतर अपनी ताकत प्राप्त करता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का विवरण

वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित अव्यतीत राशि में से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक राजस्व राशि का विवरण, जिसे मार्च 2023 तक खर्च किया जाना है।

- कुल राशि, जिसे वित्तीय वर्ष तक खर्च किया जाना था - 34.76 लाख रुपये
- वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा खर्च की गई राशि - ₹33.41 लाख
- वित्तीय वर्ष में खर्च न की गई राशि - 1.35 लाख रुपये (जो पीपीएम केयर्स फंड की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की गई है)

वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का उल्लेख नीचे किया गया है-

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Nainital Bank Limited, since its incorporation, has always been committed to social development. Corporate Social Responsibility (CSR) has been a long-standing commitment of the Bank, forming an integral part of Social activities. The Bank believes for good corporate governance and in corporate social responsibility for strengthening the trust of its shareholders and other stakeholders preferring prominence for growth of all. Corporate Social Responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large, to improve their lives in ways that are good for business and for development.

The Bank is committed to identifying and supporting programs aimed at Developing and advancing the community and in particular, those at the bottom of the pyramid and also reducing negative impact of its operations on the environment This CSR Policy will serve as a guiding document to help, identify, execute and monitor CSR Projects in keeping with the spirit of the Policy and would function as a self-regulating mechanism for the Bank's CSR activities by observing adherence to laws and ethical standards and practices in this regard. The Policy also sets out the rules that need to be adhered to while taking up and implementing CSR activities.

OBJECTIVES

CSR is a niche area of corporate behavior and governance and is recognized as one of the tools that synergizes the efforts of corporate and the social sector agencies towards sustainable growth and development of social objectives at large. CSR is a process of managing the costs and benefits of business activity to both internal (employees, shareholders, investors) and external (institutions of public governance, community members, civil society groups, other enterprises) stakeholders. CSR is neither charity nor a marketing tool. It shall be an effort of the Bank to contribute to the welfare of the society from where it derives its strength, within the limits, while simultaneously ensuring the mandatory provisions.

DETAILS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Amount Spent during the Financial Year 2022-23 from unspent amount pertaining to financial year 2019-20, which has to be spent by March 2023.

- Total amount, which was to be spent by Financial Year - ₹ 34.76 Lac
- Amount spent by bank during the Financial Year - ₹ 33.41 Lac
- Amount which remained unspent in the Financial Year - ₹ 1.35 Lacs (which has transferred to a Fund specified in Schedule VII to PM CARES Fund)

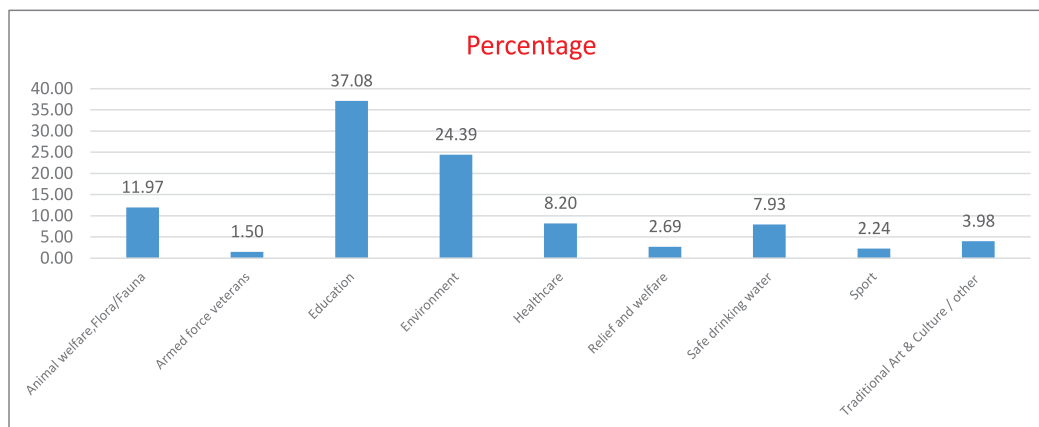
Manner in which the amount spent during the Financial Year is mentioned below--



श्रेणीवार ग्राफिकल प्रतिनिधित्व 2022-2023
CATEGORY WISE GRAPHICAL REPRESENTATION 2022-2023

(राशि लाख में) / (₹ in Lac)

वर्ग / Category	राशि परिव्यय परियोजना या कार्यक्रम-वार / Amount outlay project or program-wise	प्रतिशतता % / Percentage %
पशु कल्याण, / वनस्पति / Animal welfare, Flora/Fauna	4	11.97%
सशस्त्र बल के पूर्व सैनिक / Armed force veterans	0.5	1.50%
शिक्षा / Education	12.39	37.08%
पर्यावरण / Environment	8.15	24.39%
स्वास्थ्य देखभाल / Healthcare	2.74	8.20%
राहत और कल्याण / Relief and welfare	0.9	2.69%
सुरक्षित पीने का पानी / Safe drinking water	2.65	7.93%
खेल / Sport	0.75	2.24%
पारंपरिक कला और संस्कृति / Traditional Art & Culture	1.33	3.98%
योग / Grand Total	33.41	100%



अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों और सहयोग के लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक को अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है। बोर्ड सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके मार्गदर्शन और अच्छी तरह से समय पर समर्थन के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा को कृतज्ञता और विशेष रूप से धन्यवाद देता है, जिसके बिना बैंक के लिए वर्तमान विकास प्राप्त करना संभव नहीं होता। बोर्ड अपने निरंतर संरक्षण के लिए बैंक के मूल्यवान शेयरधारकों, सम्मानित ग्राहकों और अन्य सभी हितधारकों के प्रति अपनी ईमानदारी से आभार व्यक्त करता है। बोर्ड अपनी समर्पित सेवा के लिए बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की सराहना भी करता है।

निदेशक मंडल बैंक द्वारा संदर्भित मुद्दों पर आईबीए से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन को रिकॉर्ड में रखता है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

स्थान: नैनीताल
दिनांक: 16.08.2023

(निखिल मोहन)
एमडी और सीईओ

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors expresses its sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India for the valuable guidance and support. The Board also acknowledges with gratitude and especially thanks Bank of Baroda for their valuable guidance and well-timed support on all vital issues, without which it would not have been feasible for the Bank to achieve present growth. The Board also records its sincere gratitude to the Bank's valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders for their continued patronage. The Board also expresses its appreciation for every employee of the Bank for their dedicated service.

The Board of Directors places on record the support and guidance received from IBA on the issues referred by the Bank.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place: Nainital
DATE: 16.08.2023

(Nikhil Mohan)
MD & CEO



**फॉर्म संख्या एमआर-3
सचीवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यों,

नैनीताल बैंक लिमिटेड

नैनी बैंक हाउस, सेवन ओक

मल्लीताल, नैनीताल,

उत्तराखंड -263001

(सीआईएन: यू65923यूआर1922पीएलसी000234)

मैं, सीएस जया यादव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव जिसकी सदस्यता संख्या एफ-10822 और सीओपी संख्या 12070 है, ने नैनीताल बैंक लिमिटेड (CIN: U65923UR1922PLC000234) (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) के लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचीवीय लेखा परीक्षा की है। सचीवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से आयोजित की गई थी जिसने मुझे कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया।

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त, पुस्तकों, फार्म और दायर रिटर्न और अन्य रिकार्ड, जो कंपनी ने रखे हैं के ऑनलाइन सत्यापन के आधार पर और बैंक एवं इसके अधिकारियों, एजेंट एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सचीवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान दी गयी जानकारी के आधार पर मैं व्यक्त करती हूँ कि मेरी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में नीचे दिए गए नियमों का सांविधिक रूप से पालन किया है और बैंक के पास उचित-बोर्ड-प्रक्रिया एवं उचित अनुपालन-तंत्र है, जो यहां दिये गए तरीके और इस सीमा तक नीचे दी गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

मैंने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की बहियों /बुक्स, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फार्म और दायर रिटर्न एवं अन्य रिकार्ड की ऑनलाइन जांच निम्नलिखित प्रावधानों के संबंध में की है -

1. कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) एवं इसके तहत बनाए गए नियमों
2. मैंने बैंक को लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन के लिए बैंक द्वारा गठित प्रणालियों और तंत्र के लिए बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर भरोसा किया है।

**Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT**

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 March, 2023

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

The Nainital Bank Limited

Naini Bank House, Seven Oaks

Mallital, Nainital, Uttarakhand-263001

(CIN: U65923UR1922PLC000234)

I, CS Jaya Yadav, Practicing Company Secretary, Jaya Yadav & Associates, having Membership No. F-10822 and COP No. 12070 have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to the good corporate practices by The Nainital Bank Limited having CIN: U65923UR1922PLC000234 (hereinafter called "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my online inspection of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information so provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, I hereby report that in my opinion, the Bank has, during the audit period covering the Financial Year ended on March 31, 2023, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

I have online examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended March 31, 2023 according to the provisions of:

1. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder
2. I have relied on the representation made by the Bank and its Officers for systems and mechanism formed by the Bank for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Bank.



मेरी राय है कि प्रबंधन ने बैंक पर विशेष रूप से लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है।

- (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश,
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
- (iv) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
- (v) बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 1891
- (vi) भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
- (vii) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961
- (viii) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 एवं धन-शोधन निवारण अधिनियम (रिकॉर्ड का रखरखाव आदि.) नियम, 2005; और

3. निम्नलिखित के संबंध में अन्य लागू कानून और विनियम:

1. विविध सांविधिक रजिस्टर और दस्तावेजों का रख-रखाव और उनमें आवश्यक प्रविष्टियां;
2. फार्म, विवरणी, दस्तावेज और प्रस्ताव जिन्हें रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार, एन.सी.एल.टी. या अन्य अधिकारियों के सम्मुख फाइल किया जाना अपेक्षित है;
3. बोर्ड और निदेशकों की विभिन्न समितियों की बैठकों के नोटिस
4. निदेशकों और निदेशकों की सभी समितियों की बैठक और परिपत्र से पारित प्रस्ताव;
5. वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए 07 सितंबर, 2022 का नोटिस, जो 29 सितंबर, 2022 को आयोजित की गई थी;
6. बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों और सामान्य बैठकों की कार्यवाही का कार्यवृत्त;
7. निदेशक मंडल, निदेशकों की समितियों, लेखा परीक्षा समितियों, नामांकन एवं पारिश्रमिक, और मानव संसाधन समिति, सीएसआर समिति, जोखिम प्रबंधन समिति का गठन तथा प्रबंध निदेशकों एवं कार्यपालक निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और पुनः नियुक्ति;
8. सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और मानदेय;
9. आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए निरीक्षण विभाग की समिति का गठन;

I am of the opinion that the management has complied with the following laws specifically applicable to the Bank:

- (i) The Banking Regulations Act, 1949,
- (ii) Master Directions, Notifications and Guidelines issued by RBI from time to time,
- (iii) Reserve Bank of India Act, 1934,
- (iv) The Negotiable Instrument Act, 1881,
- (v) The Bankers Book Evidence Act, 1891,
- (vi) The Payment and settlement systems Act, 2007,
- (vii) The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961,
- (viii) The Prevention of Money Laundering Act, 2002 and the Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records, etc.,) Rules, 2005; and

3. Other applicable laws and regulations, with regard to –

1. Maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;
2. Forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies, Regional Director, Central Government, IEPF, NCLT or other authorities;
3. Notice of Board and various Committee meetings of Directors;
4. Meeting of Directors and all the Committees of Directors and passing of circular resolutions;
5. Notice dated September 07, 2022, for convening Annual General Meeting, which was held on September 29, 2022;
6. Minutes of the proceedings of the Board Meetings, Committee Meetings and General Meetings;
7. Constitution of the Board of Directors, Committees of Directors including Audit Committee, Nomination and Remuneration, and Human Resources Committee, CSR Committee, Risk Management Committee etc. and appointment, retirement and reappointment of Directors including Managing Directors and Executive Directors;
8. Appointment and remuneration of Statutory and Internal Auditors;
9. Constitution of Inspection Department Committee for conducting Internal Audit;



10. कम्पनी के शेयरों का अन्तरण और संचरण, शेयरों को जारी और आबंटित करना और शेयर सर्टिफिकेटों की सुपुर्दगी;
11. लाभांश की घोषणा एवं भुगतान;
12. जैसा कि अधिनियम में अपेक्षित है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में राशि का अन्तरण;
13. निदेशक मंडल की रिपोर्ट;
14. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणियों का प्रकाशन, और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के फॉर्म 8 के अनुसार बैंक की तरल आस्तियां एवं देयताएं विवरणी सहित भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली रिटर्न्स की फाइलिंग.
15. सीएसआर कमेटी का गठन एवं कम्पनी एक्ट 2013 के खण्ड 135 के अनुसार इसका कार्यान्वयन;
16. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने 21 फरवरी, 2023 तक मौजूदा शेयरधारकों को 15.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित 25.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर 39946250 इक्विटी शेयर जारी किए।

हमने निदेशक मंडल (एसएस-1) और आम बैठकों (एसएस-2) की बैठक और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट्स के संबंध में सचिवीय मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देश, मानकों, आदि का पालन किया है, जैसा कि उपर्युक्त उल्लेखित है।

1. शेयरों का अमूर्तीकरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 10 सितंबर 2018 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में अपने मौजूदा शेयरों का अमूर्तीकरण शुरू कर दिया है। परिपत्र के अनुपालन के तहत मौजूदा शेयरों के अमूर्तीकरण की प्रक्रिया बैंक में नियमित आधार पर जारी है। मौजूदा शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है और पिछले साल के 98.50% के आंकड़े की तुलना में कुल शेयरों का 99.17% डिमटेरियलाइज्ड किया गया है।

2. सीएसआर अनुपालन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सीएसआर गतिविधियों में योगदान के प्रति दायित्व शून्य था, हालांकि, बैंक में वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित 34.76 लाख रुपये की अव्ययित राशि थी और इसे 31 मार्च 2023 तक खर्च किया जाना था, जिसमें से 33.41 लाख रुपये विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किए गए थे। इसके अलावा, 1.35 लाख रुपये की शेष अव्ययित राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट पीएम केयर्स फंड में स्थानांतरित कर दिया गया।

10. Transfer and transmission of Bank's shares, issue and allotment of shares and issue and delivery of certificates of shares;
11. Declaration and payment dividend;
12. Transfer of amounts as required under the Act to the Investor Education and Protection Fund;
13. Report of the Board of Directors;
14. Publication of the Annual Financial Statements for the year ended 31st March 2023, and filing of returns which are to be submitted to RBI including return of Bank's Liquid Assets & Liabilities, Form 8, as per the Banking Regulation Act, 1949;
15. CSR Committee constituted and functioning in accordance with the section 135 of the Companies Act, 2013;
16. During the Financial Year 2022-23, the Bank has issued 39946250 Equity shares at a price of Rs. 25.00 per equity share including a premium of Rs. 15.00 per equity share to existing shareholders as on cut-off date February 21, 2023.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial standards with regard to Meeting of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) and guidance notes issued by the Institute of Company Secretaries of India.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above to the extent applicable, subject to the followings: -

1. DEMATERIALISATION OF SHARES

During the period under review, the Bank has undertaken compliance of Dematerialization of its existing shares adherence to notification issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 10th September 2018. The process for the dematerialization of existing shares is ongoing and 99.17% of total shares have been dematerialized in.

2. CSR COMPLIANCES

During the financial year 2022-23, the obligation towards contribution in CSR activities was NIL, However, the bank has retained an unspent amount of Rs. 34.76 Lacs pertaining to the financial year 2019-20 and has to be spent by 31st March 2023, out of which Rs. 33.41 Lacs was spent on various CSR activities. Further, the remaining unspent amount of Rs. 1.35 Lacs was transferred to PM CARES fund as specified in Schedule VII as per the provisions of Companies Act, 2013.



3. श्रम कानूनों के संबंध में अनुपालन

मुझे दी गई जानकारी के अनुसार, बैंक विभिन्न श्रम और अन्य संबंधित कानूनों का पालन कर रहा है और बैंक और उसके कर्मचारियों के बीच कोई श्रम संबंधी कोई बड़ा मुकदमा लंबित नहीं है।

4. डीआरटी / एनसीएलटी में कानूनी वसूली के मामलों की स्थिति

मुझे उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को डीआरटी/एनसीएलटी के समक्ष कुछ कानूनी मामले लंबित हैं। बैंक को सलाह दी जाती है कि वह मामलों के शीघ्र निपटान/वसूली अथवा निपटान के लिए विशेष प्रयास/अभियान चलाए।

5. भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्राधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में

ए. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, वित्तीय खुफिया इकाई, भारत (एफआईयू-आआईएनडी) ने महत्वपूर्ण लेनदेन रिपोर्टिंग (एसटीआर) में रिपोर्ट किए जाने वाले संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए प्रभावी आंतरिक तंत्र को लागू करने में वि. फलता के संबंध में बैंक पर 25,000 रुपये (केवल पच्चीस हजार मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

बी) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंकिंग लोकपाल ने बैंक को निर्देश जारी किया कि वह अपने सिबिल को अपडेट न करने के कारण ग्राहक को 10,000 रुपये (केवल दस हजार) का मौद्रिक मुआवजा दे।

सी) भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा करेंसी चेस्ट, हल्द्वानी के निरीक्षण के दौरान पाए गए परिचालन संबंधी मुद्दों के सम्बन्ध में 60,450/- रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

6. यह सुझाव दिया जाता है कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक I और II का पूरी तरह से पालन किया जाए।

बैंक द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा के आधार पर और विभिन्न अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुपालन प्रमाण पत्र के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक में रिकॉर्ड में लिया लिए गये आध. तार पर हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय है कि बैंक के पास सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं एवं उन्हें और मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है ताकि उन्हें बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बनाया जा सके एवं सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

जैसा कि सूचित किया गया है, बैंक ने जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई शुरू करते हुए विभिन्न सांविधिक/नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त नोटिसों का उचित रूप से जवाब दिया है।

3. COMPLIANCE IN RELATION TO LABOUR LAWS

As per the information provided to me, the Bank follows various labour and other related laws as applicable and there are no major labour litigation pending between the Bank and its employees.

4. STATUS OF LEGAL RECOVERY CASES AT DRT/NCLT

As per the information provided, there are a few legal matters pending before the DRT/NCLT as on March 31, 2023. The Bank is advised to make special efforts /drive for early settlement/recovery or disposal of cases.

5. COMPLIANCE IN RELATION TO DIRECTIVES OF THE RESERVE BANK OF INDIA

a) During the financial year 2022-23, the Financial Intelligence Unit, India (FIU-IND) imposed on the bank a monetary penalty of Rs. 25,000/- (Twenty-Five Thousand only) with respect to failure to implement effective internal mechanisms to detect and report suspicious transactions required to be reported in Significant Transaction Reporting (STR).

b) During the financial year 2022-23 Banking Ombudsman issued instruction to the bank to pay a monetary compensation of Rs. 10,000/- (Ten Thousand only) to the customer for non- updating his/her CIBIL.

c) The amount of Rs. 60,450/- (Sixty Thousand Four Hundred Fifty only), as monetary penalty, imposed by Reserve Bank of India, Kanpur against operational issues observed during the inspection of Currency Chest, Haldwani.

6. It is suggested to meticulously adhere to the Secretarial Standard I and II issued by the Institute of Company Secretaries of India in full.

We further report that based on the review of the compliance mechanism established by the Bank and on the basis of Compliance Certificate(s) issued by various authorised officials and taken on record by the Board of Director(s) at their meeting(s) we are of the opinion that the Bank has systems and processes in place and is taking efforts to further strengthen them so as to make them commensurate with the size and operations of the Bank, to monitor and ensure compliance with all applicable laws, rules, regulations and guidelines.

As informed, the Bank has responded appropriately to notices received from various statutory/ regulatory authorities by initiating actions for corrective measures wherever necessary.



मुझे आगे कहना है कि—

बैंक के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे। सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले और मीटिंग में सार्थक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, एजेंडा मदों पर जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक सार्थक सिस्टम मौजूद है। अधिकांश निर्णय तब किए जाते हैं जब असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को मिनटों के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है। मैं आगे रिपोर्ट करती हूँ कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित घटनाएँ/कार्रवाईयाँ की हैं:

- बैंक ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन किया है ताकि मौजूदा अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पोस्ट को एक अंशकालिक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विभाजित किया जा सके।

धन्यवाद

जया यादव एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

ह. / -

जया यादव

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या – एफ10822

दिनांक: 25.08.2023

प्रैक्टिस प्रमाणपत्र संख्या— 12070

स्थान: गुरुग्राम

यूडीआईएन: एफ010822डी001325630

इस रिपोर्ट को हमारे उस तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाए जिसे अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न किया गया है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है।

I further report that:

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act. Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes. I further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations, and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank has undertaken the following events/actions:

- The Bank has amended its article of Association through the postal ballot to incorporate splitting up of the position of existing Chairman & Chief Executive Officer into a Part Time Chairman and a Full-time Managing Director & C.E.O.

Thanking you,
Yours faithfully,

For Jaya Yadav & Associates
(Company Secretaries)

Sd/-

Jaya Yadav

Practising Company Secretary

Membership No. - F10822

Date: 25.08.2023

Certificate of Practice No. – 12070

Place: Gurugram

UDIN: F010822D001325630

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure 1 and forms an integral part of this report.



अनुलग्नक-1

ANNEXURE -1

**प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी सचिवीय लेखा
परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक**

**ANNEXURE TO SECRETARIAL AUDIT REPORT ISSUED BY
COMPANY SECRETARY IN PRACTICE**

सेवा में,

श्रीमान सदस्य

नैनीताल बैंक लिमिटेड

(सीआईएन: यू65923यूआर1922पीएलसी000234)

जीबी पंत रोड, नैनीताल

उत्तराखंड -263001

**31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेरी सचिवीय लेखा
परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए**

प्रबंधन की जिम्मेदारी

- बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी के अंतर्गत सचिवीय रिकॉर्ड व्यवस्थित को रखना, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विविध उपर्युक्त प्रणाली की व्यवस्था करना तथा यह सुनिश्चित करना की प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है, शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय रिकॉर्ड, मानकों और सचिवीय अनुपालन के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं पर राय व्यक्त करना है।
- बैंकिंग कंपनी होने के नाते, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा बही और लेखा मानक की सटीकता की लेखा परीक्षा की जा रही है।
- हमारा मानना है कि लेखा परीक्षा साक्ष्य और बैंक के प्रबंधन से प्राप्त जानकारी पर्याप्त हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।
- जहां भी आवश्यक हो हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और गतिविधियों आदि के बारे में प्रबंधन का अभिमत प्राप्त किया है।
- हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हम मानते हैं कि पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं और प्रथाएं मेरी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
- सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का निष्पादन किया है।

जया यादव एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिवों के लिए
ह. / -

जया यादव

प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या - एफ10822

प्रेक्टिस प्रमाणपत्र संख्या- 12070

दिनांक: 25.08.2023

स्थान: गुरुग्राम

यूडीआईएन: एफ010822डी001325630

To

The Members

The Nainital Bank Limited

(CIN: U65923UR1922PLC000234)

G B Pant Road Nainital

Uttaranchal-263001

**My Secretarial Audit Report for the Financial Year ended
March 31, 2023, of even date, is to be read along with this
letter.**

Management's Responsibility

- It is the responsibility of the management of the Bank to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Bank with respect to secretarial compliances.
- Being a Banking company, the correctness of the Book of accounts and accounting standard are being audited by the Central Statutory Auditors approved by the Reserve Bank of India.
- We believe that audit evidence and information obtained from the Bank's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
- Wherever required we have obtained the management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
- We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on a test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices followed provide a reasonable basis for my opinion.
- The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Sd/-

For Jaya Yadav & Associates
Company Secretaries

Jaya Yadav

Practicing Company Secretary
Membership No. - F10822

Certificate of Practice No. - 12070
UDIN: F010822D001325630

Date: 25.08.2023

Place: Gurugram



बेसल III पिलर 3 प्रकटीकरण (31.03.2023)

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURES (31.03.2023)

सारणी डीएफ-1: लागू किये जाने का कार्यक्षेत्र

बैंकिंग समूह के प्रधान का नाम, जिस पर यह ढांचा लागू होता है:

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड:

i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क. समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह इकाइयों की सूची

ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसे समेकन हेतु विचार में लिया जा सके।

Table DF- 1: Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies:

The Nainital Bank Ltd.

i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

There is no such entity which may be considered under accounting scope of consolidation.

संस्था का नाम/ निगमन देश	क्या उस संस्था को समेकन के लेखांकन दायरे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है (हां/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उस संस्था को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है (हां/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीके में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि समेकन के केवल एक ही दायरे में समेकित किया गया हो, तो उसके कारण स्पष्ट करें।
Name of the entity/(Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
शून्य / Nil						

ख. समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनों दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार में नहीं लिए गए समूह इकाइयों की सूची।

ऐसी कोई समूह इकाई नहीं है जिसे समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनों दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु लिया गया हो।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ग. समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह इकाइयों की सूची

ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसे समेकन के लिए शामिल किया गया हो।

घ. सभी अनुषंगियों में पूंजी में कमियों की सकल राशि जिसे समेकन के विनियामक दायरे में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् जिसे घटाया गया है:

बैंक की ऐसी कोई अनुषंगी नहीं है इसलिए किसी अनुषंगी में पूंजी के अभाव का दायरा नहीं है।

ङ. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल राशियां (जैसे वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:

बैंक बीमा संस्थाओं में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है।

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियां या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं।

कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no entities in the group which are considered for consolidation under both accounting and regulatory scope of consolidation.

ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

There is no such entity which may be considered for consolidation.

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted

Bank does not have any subsidiary as such there is no scope of capital deficiency in any of subsidiary.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted

The bank has no interest in insurance entity.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction.



सारणी डीएफ-2: पूंजी पर्याप्तता

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक ने एक संतुलित जोखिम प्रबन्धन संरचना बनाई है जिसमें पूंजी को इष्टतम बनाने और लाभ को सर्वाधिक करने अर्थात् उपलब्ध पूंजी से सर्वाधिक व्यवसाय करने जिससे बदले में सर्वाधिक लाभ या इक्विटी से वापसी होगी पर ध्यान केन्द्रित किया है। बैंक बेसल- III फ्रेमवर्क के अनुसार वैश्विक रूप से स्वीकृत मजबूत जोखिम व्यवस्था जो संसाधनों के कुशल, साम्यपूर्ण और विवेकपूर्ण आवंटन में सक्षम है को बैचमार्क बना रहा है।

पूंजी योजना प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:-

- बैंक की चालू पूंजीगत आवश्यकता
- व्यावसायिक नीतिगत और जोखिम अभिरुचि के संबंध में लक्षित और पर्याप्त पूंजी

पूंजी की आवश्यकता की निगरानी शीर्षस्थ कार्यपालकों की जोखिम प्रबन्धन समिति करती है। पूंजी की आवश्यकता का अग्रिमों, निवेशों, जमा, एनपीए, परिचालन लाभ आदि में वृद्धि की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमान लगाया जाता है।

बैंक एक्सपोजरों, कारोबारों इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम को संभालने के लिए पूंजी बनाये रखता है। उसकी सभी जोखिमों के व्यापक मूल्यांकन एवं उसे प्रलेखित करने तथा उसके लिए पूंजी के आवंटन की पुष्टि हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (आईसीएएपी) है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अग्रिम जोखिम के लिए मानकीकृत पद्धति, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धति तथा सीआरएआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति अपनायी है।

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक जरूरतें तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है। बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी पूंजी की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूंजीगत आयोजन की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता
- कारोबार रणनीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लक्षित तथा टिकाऊ पूंजी।
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है।

TABLE DF-2: CAPITAL ADEQUACY

i) Qualitative Disclosures

a) The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus on Capital optimization and on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel III framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

In Capital Planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital needs are monitored periodically by the Internal Risk Management Committee Comprising Top Executives. Capital requirement is projected annually considering the expected growth in advances, investments, Deposits, NPA, Operating Profit etc.

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP) to comprehensively evaluate and document all risks.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.



ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्र. सं.	मद	(राशि करोड़ में) 31.03.2023
(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ	
	• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	431.18
	• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	----
(ग)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ	
	• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	49.55
	• ब्याज दर जोखिम	49.55
	• विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	----
	• इक्विटी जोखिम	0.00
(घ)	परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ	
	• मूल संकेतक दृष्टिकोण	55.04
(ङ)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात:	
	• समूह सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	----
	• टियर 1 अनुपात	----
	• टियर 2 अनुपात	----
	• सीआरएआर	----
	• एकल सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	15.63%
	• टियर 1 अनुपात	15.63%
	• टियर 2 अनुपात	1.01%
	• सीआरएआर	16.64%

सारणी डीएफ-3: ऋण जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क) ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति है :-

गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) : गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ -

- मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज तथा/या मूलधन की किश्त, अतिदेय हो जाती है।
- ओवर ड्राफ्ट/नकद उधार (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता अनियमित (आउट ऑफ ऑर्डर) रहता है।
- खरीदे और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है.से अधिक की अवधि से बकाया अतिदेय बिल।

ii) Quantitative Disclosures

S. No.	Items	Amount (₹ in Crores) 31.03.2023
(b)	Capital requirements for Credit Risk	
	• Portfolios subject to Standardized Approach	431.18
	• Securitization Exposures	----
(c)	Capital requirements for Market Risk	
	• Standardized Duration Approach	49.55
	• Interest Rate Risk	49.55
	• Foreign Exchange Risk (including Gold)	----
	• Equity Risk	0.00
(d)	Capital requirements for Operational Risk	
	• Basic Indicator Approach	55.04
(e)	Common Equity Tier 1, tier 1 and Total Capital ratios:	
	• Group CRAR	
	• CET 1 Ratio	----
	• Tier 1 Ratio	----
	• Tier 2 Ratio	----
	• CRAR	----
	• Stand alone CRAR	
	• CET 1 Ratio	15.63%
	• Tier 1 Ratio	15.63%
	• Tier 2 Ratio	1.01%
	• CRAR	16.64%

TABLE DF-3: CREDIT RISK

(i) Qualitative Disclosures

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.



- अल्पावधि फसलों के लिए ऋण के मामले में मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज दो फसली मौसमों से अतिदेय हो जाता है।
- लम्बी अवधि की फसलों के लिए ऋण के मामले में मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज एक फसली मौसम से अतिदेय हो जाता है।

किसी भी ओ.डी./सी.सी. खाते को उस स्थिति में "आउट ऑफ आर्डर" खाता माना जाता है जब खाते में स्वीकृत सीमा/आहरण सीमा से अधिक राशि निरन्तररूप से बकाया रहती हो। उन मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहाँतुलन-पत्र की तारीख को निरन्तर 90 दिनों से कोई जमा न किया गया हो या जमा की गई राशि उसी अवधि में लगाये जा रहे ब्याज की पूर्ति के लिए पर्याप्त न हो ऐसे खाते आउट ऑफ आर्डर समझे जाते हैं।

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी राशि को उसस्थिति में "अतिदेय" माना जाता है जब इसका बैंक द्वारा निर्धारित देयतारीख को भुगतान नहीं किया जाता है।

बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों को आगे निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

अवमानक आस्तियां

अवमानक आस्ति से अभिप्राय, ऐसी आस्तियों से है जो 12 महीनों या उससे कम समय से गैर निष्पादक आस्ति रही हो। वसूली संबंधी सभी उपाय-अवमानक आस्तियों से भी सम्बंधित हैं। यदि सम्पूर्ण अतिदेय नकद वसूली के रूप में प्राप्त हो जाता है तो खाते को तुरन्त ही मानक श्रेणी के अन्तर्गत अपग्रेड किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई खाता तकनीकी कारणों से एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाता है तो उसे तकनीकी कारणों के संबंध में "क्लीयरेंस" प्राप्त होने पर अपग्रेड किया जाएगा।

संदिग्ध आस्तियां

किसी भी आस्ति को 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थिति में संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे अवमानक तथा संदिग्ध खाते जो पुनःसारणी बद्ध हो सकते हैं/जिनकी अवधि का पुनर्निर्धारण किया जा सकता हो को अवधि के दौरान खाते के संतोषजनक कार्यनिष्पादन को देखते हुए उस तारीख जब ब्याज अथवा मूल राशि का प्रथम भुगतान किया गया हो तथा इनमें से जो भी पहले हो से एक वर्ष की अवधि के पश्चात उक्त मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है।

हानिकर आस्तियां

हानिकर आस्ति से अभिप्राय ऐसी आस्ति से है जहां बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण द्वारा हानि आस्तियों के रूप में पहचानी गयी हो। हानि आस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्यमूल्य बकाया शेष/देयों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। चूंकि प्रतिभूति बैंकअप उपलब्ध नहीं होता है अतः पुनर्निर्धारण/पुनर्स्थापन यदि यह आवश्यक हो तो इस पर अति सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है।

- the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non-Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:

Sub standard Assets

A sub standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months. Substandard and Doubtful accounts which are subjected to restructuring/rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, is considered with utmost care.



कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं

बैंक की, ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्णरूप से परिभाषित ऋण नीति, ऋण जोखिम नीति एवं निवेश नीति है जो निम्नानुसार है:

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋणकृताओं के विभिन्न प्रकार और उनके ग्रुप और उद्योग के लिए एक्सपोजर सीमाएं
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता।
- बैंक के विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी विवेकाधिकार।
- ऋण वितरण के संबंध में प्रक्रियाएं-स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, रद्द करना, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली।
- मूल्य निर्धारण

बैंक का ऋण जोखिम दर्शन, संरचना और प्रणाली निम्नानुसार है :

ऋण जोखिम दर्शन:

- बैंक के ऋणों तथा उनसे प्राप्त ऋण में अनुकूलतम वृद्धि करना ताकि बैंक के संसाधनों की सुरक्षा व कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित होने के साथ सभी हित धारकों के हित संरक्षित हों एवं शेयर धारकों के आर्थिक लाभ में बढ़ोत्तरी हो।
- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनायें ताकि विभिन्न चैनलों को परस्पर जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करना ताकि संस्थागत वित्त के उपयोग द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टाफ को सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न ऋण खण्डों को आवश्यकता पर आधारित और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना।
- ऋण प्रबंधन की दक्षता जैसे स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही के उपाय को सुदृढ़ बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके।
- गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन एवं गति के साथ विस्तृत मार्गनिर्देशों की पूर्ण अनुपालना के साथ ऋण प्रस्तावों पर अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यवाही करना।

Strategies and Processes:

The bank has a well defined Loan Policy, Credit Risk Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit.
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank.
- Processes involved in dispensation of credit – pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

- To Optimise the Credit and return envisaged in order that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the Stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speed and in full compliance with extant guidelines.



- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक/अन्य प्राधिकारियों द्वारा एक्सपोजर मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्तक्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण मार्गनिर्देशों, पूंजीगत पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन पर दिये गये मार्गनिर्देशों आदि की अनुपालना करना।

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन की संरचना और प्रणालियां

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उपसमिति का गठन किया गया है।
- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित देख-रेख करने के लिए ऋणनीति समिति का गठन किया गया है।
- सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति) बैंकवार आधार पर निर्धारित सीमा में ऋण जोखिम के मापन, नियंत्रण और प्रबंधन के साथ-साथ निदेशक मंडल द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर कार्यपद्धति के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है।
- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसविदाओं, रेटिंग मानकों तथाबैचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना।
- ऋण विभाग निर्धारित सीमाओं के भीतर पहचान, माप, देखरेख तथाऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखता है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग ऋण जोखिम नीति के तहत परिभाषित पद्धतियों के अनुसार तिमाही आधार पर पोर्टफोलियो विश्लेषण करता है।
- बोर्ड/नियामकों आदि द्वारा तैयार किये गये जोखिम पैरामीटर्स तथा विवेकपूर्ण सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस को विकसित करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देख-रेख, समस्याओं की पहचान, कमियों में सुधार करना।
- तैयार किए गए नियमों और दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना के लिए ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना।

जोखिम रिपोर्टिंग और/अथवा आकलन पद्धति का क्षेत्र व प्रकृति

बैंक में ऋण एक्सपोजर के लिए कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली विद्यमान है। ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखना तथा इसके साथ ही बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए आस्तियों की कीमत लगाने में लचीलापन रखना शामिल है। हालांकि बैंक की एक अलग ऋण जोखिम नीति है, जहां पोर्टफोलियो ऋण जोखिम आधार परिभाषित तरीकों पर त्रैमासिक अंतराल पर विश्लेषण किया जाता है।

- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Risk Management function on a regular basis.
- The CRMC (Credit Risk Management Committee) is responsible for measuring, controlling and managing the credit risk within the prescribed limits and to ensure compliance to functioning within the prudential limits set by the Board.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Department deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Credit Risk Management department does the portfolio analysis on quarterly basis as per the defined methods under credit risk policy.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, correction of deficiencies.
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

The Scope and Nature of Risk Reporting and/or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy. However, Bank has a separate Credit Risk Policy where portfolio credit risk is analysed on quarterly interval on the basis defined methods.



ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:

विवरण	राशि (करोड़ रु. में) 31.03.2023
निधि आधारित बकाया	4623.59
गैर-निधि आधारित बकाया	103.77
कुल सकल ऋण	4727.36

विवरण	राशि (करोड़ रु. में) 31.03.2023
निधि आधारित एक्सपोजर	5141.86
गैर निधि आधारित एक्सपोजर	63.24
कुल सकल ऋण एक्सपोजर	5205.10

ग) ऋण एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण:

एक्सपोजर	राशि (करोड़ रु. में)	
	निधि आधारित बकाया	गैर निधि आधारित बकाया
घरेलू परिचालन	4623.59	103.77
विदेशी परिचालन	----	----
कुल	4623.59	103.77

घ) जोखिमों का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण:

क्र.सं. S. No.	उद्योग / Industry		निधि आधारित एक्सपोजर / Total Funded Credit Exposure	गैर निधि आधारित एक्सपोजर / Total Non-funded Credit Exposure	कुल क्रेडिट एक्सपोजर (वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित / Total Credit Exposure (Funded and Non-Funded))
ए / A	खनन और उत्खनन	Minning and Quarrying	76.94	0.84	77.78
ए / A.1	कोयला	Coal	0.00	0.00	0.00
ए / A.2	अन्य	Other	76.94	0.84	77.78
बी / B	फूड प्रोसेसिंग	Food Processing	37.71	0.85	38.56
बी / B.1	चीनी	Sugar	0.03	0.00	0.03
बी / B.2	खाने का तेल और वनस्पति	Edible Oils and Vanaspati	1.26	0.00	1.26
बी / B.3	चाय	Tea	0.52	0.00	0.52
बी / B.4	कॉफी	Coffee	0.00	0.00	0.00
बी / B.5	अन्य	Others	35.90	0.85	36.75
सी / C	पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोड़कर) और तंबाकू	Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	0.36	0.00	0.36
सी / C.1	तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद	Tobacco and Tobacco Products	0.00	0.00	0.00
सी / C.2	अन्य	Others	0.36	0.00	0.36
डी / D	टैक्सटाइल	Textiles	32.17	0.00	32.17
डी / D.1	सूती	Cotton	3.08	0.00	3.08
डी / D.2	जूट	Jute	0.00	0.00	0.00
डी / D.3	हाथ से बने हुए	Man-made	18.76	0.00	18.76
डी / D.4	अन्य	Others	10.33	0.00	10.33

(ii) Quantitative Disclosures

b) Total Gross Credit Risk Exposure

Particulars	Amount (₹ in Crores) 31.03.2023
Fund Based Outstanding	4623.59
Non-fund Based Outstanding	103.77
Total Gross Credit	4727.36

Particulars	Amount (₹ in Crores) 31.03.2023
Fund Based Exposure	5141.86
Non-fund Based Exposure	63.24
Total Gross Credit Exposure	5205.10

c) Geographic Distribution of Exposures:

Exposures	Amount (₹ in Crores)	
	Fund Based Outstanding	Non-fund Based Outstanding
Domestic operations	4623.59	103.77
Overseas operations	----	----
Total	4623.59	103.77

d) Industry Type Distribution of Exposures

(राशि करोड़ में) / (₹ in Crores)



क्र.सं. S. No.	उद्योग / Industry		निधि आधारित एक्सपोजर / Total Funded Credit Exposure	गैर निधि आधारित एक्सपोजर / Total Non-funded Credit Exposure	कुल क्रेडिट एक्सपोजर (वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित / Total Credit Exposure (Funded and Non-Funded)
	डी में से (यानी, कुल वस्त्र) कताई मिलों को	Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00	0.00
ई / E	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	Leather and Leather Products	2.03	0.00	2.03
एफ / F	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	Wood and Wood Products	6.70	0.00	6.70
जी / G	कागज और कागज के उत्पाद	Paper and Paper Products	7.40	0.00	7.40
एच / H	पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और परमाणु ईंधन	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	0.10	0.00	0.10
आई / I	रसायन और रासायनिक उत्पाद (रंजक, पेंट, आदि)	Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.)	17.97	0.00	17.97
आई / I.1	उर्वरक	Fertilizers	0.71	0.00	0.71
आई / I.2	ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	Drugs and Pharmaceuticals	10.16	0.00	10.16
आई / I.3	पेट्रो-रसायन (बुनियादी ढांचे को छोड़कर)	Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	0.00	0.00	0.00
आई / I.4	अन्य	Other	7.11	0.00	7.11
जे / J	रबर प्लास्टिक और उनके उत्पाद	Rubber Plastic and their Products	8.77	0.00	8.77
के / K	ग्लास, ग्लासवेयर और अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद (सीमेंट और सीमेंट उत्पादों को छोड़कर)	Glass, Glassware and other non-metallic mineral products (Except Cement and Cement products)/	4.99	0.00	4.99
एल / L	सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद	Cement and Cement Products	2.31	0.00	2.31
एम / M	मूलभूत धातु एवं धातु उत्पाद	Basic Metal and Metal Products	16.39	0.00	16.39
एम / M.1	लोहा एवं इस्पात	Iron and Steel	9.94	0.00	9.94
एम / M.2	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	Other Metal and Metal Products	6.45	0.00	6.45
एन / N	सभी इंजीनियरिंग	All Engineering	115.46	0.68	116.14
एन / N.1	इलेक्ट्रॉनिक्स	Electronics	0.10	0.00	0.10
एन / N.2	अन्य	Other	115.35	0.68	116.04
ओ / O	वाहन, वाहन भागों और परिवहन उपकरण	Vehicle, Vehicle Parts and Transport Equipment's	14.92	0.00	14.92
पी / P	रत्न एवं आभूषण	Gems and Jewellery	0.19	0.00	0.19
क्यू / Q	निर्माण	Construction	5.11	5.53	10.64
आर / R	बुनियादी ढांचा (केवल उद्योग क्षेत्र से संबंधित)	Infrastructure (Pertaining to Industries Sector Only)	53.31	3.92	57.24
एस / S	अन्य उद्योग, कृपया निर्दिष्ट करें	Other Industries, pl. specify	90.06	6.83	96.88
	अन्य	OTHER	90.06	6.83	96.88
	सभी उद्योग (ए से एस)	All Industries (A to S)	492.90	18.65	511.55
	अन्य शेष अग्रिम	Residuary other advances	4648.96	44.59	4693.55
	कुल ऋण और अग्रिम	Total Loan & Advances	5141.86	63.24	5205.10



(राशि करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्र.सं. S. No.	उद्योग / Industry		निधि आधारित बकाया / Fund Based Outstanding	गैर निधि आधारित बकाया / Non- Funded Outstanding	कुल अग्रिम बकाया (निधि आधारित / गैर निधि आधारित / Total advances outstanding (Funded +non funded)
ए / A	खनन और उत्खनन	Mining and Quarrying	62.27	1.33	63.60
ए / A.1	कोयला	Coal	0.00	0.00	0.00
ए / A.2	अन्य	Other	62.27	1.33	63.60
बी / B	खाद्य प्रसंस्करण	Food Processing	31.54	0.90	32.44
बी / B.1	चीनी	Sugar	0.00	0.05	0.05
बी / B.2	खाद्य तेल और वनस्पति	Edible Oils and Vanaspati	1.12	0.00	1.12
बी / B.3	चाय	Tea	0.52	0.00	0.52
बी / B.4	कॉफी	Coffee	0.00	0.00	0.00
बी / B.5	अन्य	Others	29.90	0.85	30.75
सी / C	पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोड़कर) और तंबाकू	Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	0.36	0.00	0.36
सी / C.1	तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद	Tobacco and Tobacco Products	0.00	0.00	0.00
सी / C.2	अन्य	Others	0.36	0.00	0.36
डी / D	टैक्सटाईल	Textiles	31.21	0.07	31.28
डी / D.1	सूती	Cotton	2.71	0.00	2.71
डी / D.2	जूट	Jute	0.00	0.00	0.00
डी / D.3	हाथ से बने हुए	Man-made	18.76	0.02	18.77
डी / D.4	अन्य	Others	9.74	0.06	9.79
	डी में से (यानी, कुल वस्त्र) कटाई मिलों को	Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00	0.00
ई / E	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	Leather and Leather Products	1.96	0.00	1.96
एफ / F	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	Wood and Wood Products	6.21	0.00	6.21
जी / G	कागज और कागज के उत्पाद	Paper and Paper Products	4.98	0.06	5.04
एच / H	पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और परमाणु ईंधन	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	0.08	0.01	0.08
आई / I	रसायन और रासायनिक उत्पाद (रंजक, पेंट, आदि)	Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.)	13.77	0.15	13.91
आई / I.1	उर्वरक	Fertilizers	0.70	0.00	0.70
आई / I.2	ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	Drugs and Pharmaceuticals	7.88	0.00	7.88
आई / I.3	पेट्रो-रसायन (बुनियादी ढांचे को छोड़कर)	Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	0.00	0.00	0.00
आई / I.4	अन्य	Other	5.18	0.15	5.33
जे / J	रबर प्लास्टिक और उनके उत्पाद	Rubber Plastic and their Products	7.95	0.00	7.95
के / K	ग्लास, ग्लासवेयर और अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद (सीमेंट और सीमेंट उत्पादों को छोड़कर)	Glass, Glassware and other non-metallic mineral products (Except Cement and Cement products)/	4.93	0.02	4.95



क्र.सं. S. No.	उद्योग / Industry		निधि आधारित बकाया / Fund Based Outstanding	गैर निधि आधारित बकाया / Non- Funded Outstanding	कुल अग्रिम बकाया (निधि आधारित / गैर निधि आधारित / Total advances outstanding (Funded +non funded)
एल / L	सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद	Cement and Cement Products	2.10	0.00	2.10
एम / M	मूलभूत धातु एवं धातु उत्पाद	Basic Metal and Metal Products	14.38	0.10	14.48
एम / M.1	लोहा एवं इस्पात	Iron and Steel	8.84	0.10	8.94
एम / M.2	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	Other Metal and Metal Products	5.54	0.00	5.54
एन / N	सभी इन्जीनियरिंग	All Engineering	111.41	2.12	113.53
एन / N.1	इलैक्ट्रॉनिक्स	Electronics	0.10	0.00	0.10
एन / N.2	अन्य	Other	111.30	2.12	113.42
ओ / O	वाहन, वाहन भागों और परिवहन उपकरण	Vehicle, Vehicle Parts and Transport Equipment's	13.65	0.00	13.65
पी / P	रत्न एवं आभूषण	Gems and Jewellery	0.19	0.00	0.19
क्यू / Q	निर्माण	Construction	3.56	9.62	13.18
आर / R	बुनियादी ढांचा (केवल उद्योग क्षेत्र से संबंधित)	Infrastructure (Pertaining to Industries Sector Only)	47.86	4.98	52.83
एस / S	अन्य उद्योग, कृपया निर्दिष्ट करें	Other Industries, pl. specify	83.23	7.93	91.16
	अन्य	OTHER	83.23	7.93	91.16
	सभी उद्योग (ए से एस)	All Industries (A to S)	441.65	27.28	468.93
	अन्य शेष अग्रिम	Residuary other advances	4181.95	76.49	4258.44
	कुल ऋण और अग्रिम	Total Loan & Advances	4623.59	103.77	4727.37

उन उद्योगों का ऋण एक्सपोजर जहां बकाया एक्सपोजर बैंक के कुल सकल क्रेडिट एक्सपोजर के 5% से अधिक है, निम्नानुसार है

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

क्र. सं. S. No.	उद्योग Industry	कुल एक्सपोजर/बकाया शेष (रुपये करोड़ में) Total Exposure/(O/s bal.) (in Crores)	कुल ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत % of Total Gross Credit Exposure
	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

ड) परिसम्पत्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विश्लेषण:

e) Residual maturity breakdown of assets

(रुपये करोड़ में)/(₹ in Crores)

	भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष/ Cash & Balances with RBI	अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि / Balances with other Banks & Money at call & short notice	निवेश/ Investments	अग्रिम/ Advances	अचल आस्तियां/ Fixed Assets	अन्य आस्तियां/ Other Assets	जोड़/ Total
1 दिन / 1 Day	85.49	16.44	700.87	13.92	0.00	0.76	817.48
2-7 दिन / 2-7 Days	4.42	90.60	0.00	81.91	0.00	21.03	197.96
8-14 दिन / 8-14 Days	9.50	41.95	0.00	96.14	0.00	3.56	151.15
15-30 दिन / 15-30 Days	11.39	41.90	0.00	193.70	0.00	7.22	254.21
31दिन – 2 माह तक/ 31 days – upto 2 Months	8.38	40.00	0.00	111.91	0.00	15.73	176.02



	भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष/ Cash & Balances with RBI	अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि / Balances with other Banks & Money at call & short notice	निवेश/ Investments	अग्रिम/ Advances	अचल आस्तियां/ Fixed Assets	अन्य आस्तियां/ Other Assets	जोड़/ Total
2 माह से अधिक और 3 माह तक/ Over 2 Months upto 3 Months	14.41	25.00	0.00	558.73	0.00	15.73	613.87
3 माह से अधिक और 6 माह तक / Over 3 upto 6 Months	14.44	303.60	0.00	416.58	0.00	64.94	799.56
6 माह से अधिक और 12 माह तक / Over 6 upto 12 Months	36.53	724.41	29.99	144.82	0.00	7.42	943.17
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक / Over 1 year upto 3 Years	70.40	45.08	45.04	1617.68	0.00	137.89	1916.09
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक / Over 3 upto 5 Years	150.02	0.00	428.81	317.92	0.00	54.94	951.69
5 वर्ष से अधिक / Over 5 Year	7.55	0.00	925.53	763.73	81.49	57.18	1835.48
जोड़ / TOTAL	412.53	1328.98	2130.24	4317.04	81.49	386.40	8656.68

(रुपये करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्र.सं. S.No.	आस्ति श्रेणी / Asset Category		राशि / Amount
एफ / f)	एनपीए (सकल)*:	NPAs (Gross)*:	443.26
	अवमानक	Substandard	59.21
	संदिग्ध 1	Doubtful 1	65.87
	संदिग्ध 2	Doubtful 2	118.99
	संदिग्ध 3	Doubtful 3	176.60
	हानिकर	Loss	22.59
जी / g)	शुद्ध एनपीए	Net NPAs	78.33
एच / h)	एनपीए अनुपात	NPA Ratios	
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए (%)	Gross NPAs to gross advances (%)	9.60%
	शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%)	Net NPAs to net advances (%)	1.84%
आई / i)	एनपीए (सकल) में उतार-चढ़ाव	Movement of NPA(Gross)	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	507.95
	वृद्धि	Additions	122.34
	कमी	Reductions	187.03
	अंतिम शेष	Closing balance	443.26
जे / j)	विशिष्ट प्रावधान	SPECIFIC PROVISION	
	एनपीए के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव	Movement of provisions for NPAs	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	281.16
	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the period	80.85
	राइट-ऑफ खाते/अतिरिक्त प्रावधानों को वापस करना	Write offs/ Write back of excess provisions	61.05
	प्रावधानों के बीच अन्तरणों सहित कोई अन्य समायोजन	Any other adjustments, including transfers between provisions	-----
	अंतिम शेष	Closing balance	300.96
	सामान्य प्रावधान	GENERAL PROVISION	



क्र.सं. S.No.	आस्ति श्रेणी / Asset Category		राशि / Amount
के / k)	एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		Movement of provisions for NPAs
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	62.85
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the period	0.00
	बट्टे खाते	Write offs	0.00
	अतिरिक्त प्रावधानों को वापस करना	Write back of excess provisions	0.00
	प्रावधानों के बीच अंतरणों सहित कोई अन्य समायोजन	Any other adjustments, including transfers between provisions	0.00
	अंतिम शेष	Closing balance	62.85
	आय विवरण में सीधे बुक किये गये राइट-ऑफ	Write-offs that have been booked directly to the income statement	3.20
	आय विवरण में सीधे बुक की गयी वसूलियाँ	Recoveries that have been booked directly to the income statement	0.33
एल / l)	गैर निष्पादक निवेश की राशि		Amount of Non-Performing Investments
एम / m)	गैर निष्पादक निवेश के लिए की गये प्रावधान की राशि		Amount of provisions held for non-performing investment
एन / n)	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में उतार चढ़ाव		Movement of provisions for depreciation on investments
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	8.41
	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	Provisions made during the period	20.94
	बट्टे खाते डाले गये	Write-off	0.00
	अधिक प्रावधान निकाले गये	Write back of excess provisions	0.00
	अंतिम शेष	Closing balance	29.35
ओ / o)	मुख्य उद्योग द्वारा या प्रति पक्षकार प्रकार		By major industry or counter type
		एनपीए राशि / Amount of NPAs	प्रावधान
	शीर्ष 5 उद्योग	Top 5 Industries	123.12
पी / p)	भौगोलिक क्षेत्रवार विश्लेषण		सकल एनपीए / Gross NPA
	घरेलू	Domestic	443.26
			300.96

सारणी डीएफ-4: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए ऋण जोखिम प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए:

बैंक ने निम्नलिखित ऋण पात्रता एजेंसियों को ऋण पात्रता निर्धारण और मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पूंजी प्रभाग की गणना के लिए और जोखिम भार निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित ऋण पात्रता निर्धारण समितियों को स्वीकार किया है—

घरेलू ऋण पात्रता निर्धारण समितियाँ—

- क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई)
- क्रिसिल लिमिटेड
- इकरा लिमिटेड
- एसएमईआरए
- इण्डिया रेटिंग (पूर्व में फिच इण्डिया)

Table DF-4: Credit Risk Disclosures for portfolios subject to Standardized Approach

i) Qualitative Disclosures

a) For portfolios under the Standardised Approach:

The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic credit rating agencies:

- Credit Analysis & Research Limited (CARE),
- CRISIL Limited,
- ICRA Limited,
- SMERA
- India Ratings (Formerly FITCH India)



एक्सपोजरों के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया:

उपरोक्त सभी एजेन्सियों को सभी प्रकार के एक्सपोजर के पात्रता निर्धारण के लिए स्वीकार किया है।

सार्वजनिक निर्गम पात्रता निर्धारणों को बैंकिंग बही में तुलनीय परिसंपत्तियों पर अंतरित करने हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया का वर्णन:

- बैंक उन आस्तियों जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक है लघुअवधि की पात्रता निर्धारण तथा उन आस्तियों के लिए जिनकी परिपक्वता 1 वर्ष के बाद है दीर्घ अवधि की ऋण पात्रता निर्धारण भारि.बैं. द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सियों की रेटिंग को स्वीकार करता है।
- बैंक ने एक ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सी की एक एक्सपोजर के लिए ऋण पात्रता निर्धारण और दूसरी ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सी की दूसरे एक्सपोजर उसी काउन्टर पार्टी के दूसरे एक्सपोजर को तब तक स्वीकार नहीं किया है जब तक कि दिए गए एक्सपोजर के लिए एक ऋण पात्रता निर्धारण न उपलब्ध हो।
- 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बाहरी रेटिंग के अधीन है।
- बैंक ने मान्यता प्राप्त सीआरए से केवल अनुरोधित रेटिंग का उपयोग करता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर की राशियों के लिए, निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों में बैंक की बकाया (मूल्यांकित और अमूल्यांकित) राशि तथा वे जिनकी कटौती की गयी है:

एक्सपोजर की राशि जिसमें गैर निधि आधारित भी सम्मिलित है मानकीकृत दृष्टिकोण (मूल्यांकित और अमूल्यांकित) के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के बाद तीन बड़े जोखिम समूहों में निम्नानुसार है:

बकाया राशि (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	निधि आधारित 31.03.2023	निधीतर आधारित 31.03.2023
1	100% जोखिम भार से कम	2398.98	0.00
2	100% जोखिम भार	1452.49	63.24
3	100% जोखिम भार से अधिक	46.77	0.00
4	सीआरएम कटौती	725.35	40.53
	कुल एक्सपोजर	4623.59	103.77

एक्सपोजर राशि (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	निधि आधारित 31.03.2023	गैर निधि आधारित 31.03.2023
1	100% जोखिम भार से कम	3319.98	0.00
2	100% जोखिम भार	919.25	22.71
3	100% जोखिम भार से अधिक	177.28	0.00
4	सीआरएम कटौती	725.35	40.53
	कुल एक्सपोजर	5141.86	63.24

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- Bank has used short term ratings for assets with maturity up to one year and long term ratings for assets maturing after one year as accorded by the approved external credit rating agencies.
- Bank has not used one rating of a CRA (Credit Rating Agency) for one exposure and another CRA's rating for another exposure on the same counterparty unless only one rating is available for given exposure.
- Amount above ₹ 50 Crores are subject to external rating.
- Bank has used only solicited rating from the recognized CRAs.

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Amount of the Bank's Exposures- Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets -under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

The amount of exposure including non-fund based after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

Outstanding Amount (₹ in Crores)

S. No.	Particulars	Fund Based 31.03.2023	Non-Fund Based 31.03.2023
1	Below 100 % risk weight	2398.98	0.00
2	100 % risk weight	1452.49	63.24
3	More than 100 % risk weight	46.77	0.00
4	CRM Deducted	725.35	40.53
	Total Exposure	4623.59	103.77

Exposure Amount (₹ in Crores)

S. No.	Particulars	Fund Based 31.03.2023	Non-Fund Based 31.03.2023
1	Below 100 % risk weight	3319.98	0.00
2	100 % risk weight	919.25	22.71
3	More than 100 % risk weight	177.28	0.00
4	CRM Deducted	725.35	40.53
	Total Exposure	5141.86	63.24



सारणी डीएफ-5: ऋण जोखिम कम करना: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां एवं प्रक्रियाएं: बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक नीति है जिसमें प्रभावपूर्ण संपार्श्विक प्रबंधन के लिए उचित प्रबंधन सूचना व्यवस्था सहित प्रक्रिया, उद्देश्य, संपार्श्विक के स्वीकार्य प्रकार निहित हैं। संपार्श्विक प्रतिभूतियों और गारंटियों को उचित तरीके से लिया गया और निम्नलिखित के लिए नियोजित किया गया है:-

- अपेक्षित नकदी प्रवाह की अपर्याप्तता होने अथवा न होने के कारण/ऋण सुविधा में उधारकर्ता की चूक होने पर पुनर्भुगतान के गौण स्रोत को उपलब्ध कराके जोखिम को कम करना;
- डिफॉल्ट होने पर पुनर्भुगतान के स्रोत पर नियन्त्रण प्राप्त करना;
- उधारकर्ता की भुगतान क्षमता के क्षरण पर पहले ही चेतावनी देना;
- जोखिम भारित आस्तियों को समक्ष रखना और बचे हुए जोखिमों में पर्याप्त रूप से कमी लाना।

बैंक अपने एक्सपोजरों में ऋण जोखिमों को कम करने के लिये अनेक तकनीकों का उपयोग कर रहा है। बैंक की संपार्श्विक प्रबंधन प्रक्रिया और बैंक का व्यवहार समूचे कार्यकलापों जिनमें संपार्श्विक मूल्यों की सुरक्षा और संरक्षण, संपार्श्विक और गारंटियों की वैधता और मूल्यांकन/आवधिक निरीक्षण सम्मिलित है को आवेष्टित करती है।

मूल्यांकन

बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की सुरक्षा के लिये प्राप्त की गई आस्तियां बैंक के पैनेल में रखे गये वैल्यूअर्स द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधीन हैं। खातों की मौद्रिक सीमाएं, उधारकर्ता की आस्तियों का वर्गीकरण जो मूल्यांकन के आधीन है, मूल्यांकन की आवधिकता बैंक की नीति दिशा निर्देश (पॉलिसी गाइडलाइन्स) में दिये गए हैं।

बैंक द्वारा ली गई संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का वर्णन:

जोखिम के न्यूनीकरण के लिए बैंक द्वारा समान्यतः प्रयोग में लाई गई संपार्श्विक आस्तियाँ:

1. स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियाँ।
2. भूमि, भवन, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल आस्तियाँ।
3. बैंक की स्वाधिकृत जमाराशियाँ।
4. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, सरकार एवं भारि.बै. द्वारा जारी बाण्ड, एलआइसी पॉलिसियाँ इत्यादि।
5. गैर निधि आधारित सुविधाओं के सापेक्ष नकदी मार्जिन।
6. स्वर्ण आभूषण।
7. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर।

Table Df-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

(i) Qualitative Disclosures

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management, The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which it is exposed. Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation /periodical inspection.

VALUATION:

Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Banks' policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

DESCRIPTION OF THE MAIN TYPES OF COLLATERAL TAKEN BY THE BANK:

The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of

1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
3. Bank's own deposits
4. NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
5. Cash Margin against Non-fund based facilities
6. Gold Jewellery
7. Shares as per approved list



बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में बैंक ने सुस्पष्ट नीति तैयार की है। बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 3 से 6 पर उल्लिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम कमी कारक के रूप में लिया है।

गारंटीकर्ता काउंटर पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी विश्वसनीयता:

बैंक के ऋण जोखिम के विरुद्ध गारंटर्स के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं:

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटी)
- कार्पोरेट्स
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- सीजीटीएमएसई

सीआरएम संपार्श्विक प्रतिभूति प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों और एलआईसी पॉलिसियों के सापेक्ष ऋणों में उपलब्ध हैं।

सीआरएम प्रतिभूतियां, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और ऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं।

नई पूंजी की पर्याप्तता की रूपरेखा के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकता कम करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए ऋण जोखिम को कम करने वाले उपाय:

बैंक ने नई पूंजी की पर्याप्तता की रूपरेखा के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकता कम करने के लिए नकदी, बैंक की निजी जमाराशि, स्वर्ण और सोने के जेवर, घोषित सरेंडर मूल्य के साथ एलआईसी पॉलिसी, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों को स्वीकार किया है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि (करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	विवरण	31.03.2022
(ख)	अलग से प्रकट किये गए प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर नेटिंग के बाद) जिसे हेयरकट लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा किया गया हो।	765.87
(ग)	अलग से प्रकट किये गये प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर नेटिंग के बाद) जो गारंटी/ऋण डेरिवेटिव (जहां भारतीय रिजर्व बैंक की विनिर्दिष्ट अनुमति हो) द्वारा कवर हो।	----

सारणी डीएफ-6: प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: मानकीकृत विधि के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

नीति संबंधी दिशा-निर्देश किसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को स्वीकार नहीं करते हैं।

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank. The Bank has applied securities mentioned at sr.no.3 to 6 above as Credit Risk Mitigants.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are :

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate
- Central Government
- State Government
- CGTMSE

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies/ Shares.

CRM securities are also taken in non-fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework

The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery, LIC Policies with a declared surrender value, securities issued by Central and State Govts. as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework.

ii) Quantitative Disclosures

Amount (₹ in Crores)

S. No.	PARTICULARS	31.03.2023
(b)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	765.87
(c)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	----

Table DF-6: Securitization Exposures: Disclosures for Standardized Approach

(i) Qualitative disclosures

The policy guidelines do not undertake any securitization exposures.



ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

बैंकिंग बही

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023
	शून्य	

ट्रेडिंग बही:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023
	शून्य	

बैंक के पास 31.03.2023 को प्रतिभूतिकृत आस्ति का कोई मामला नहीं है।

सारणी डीएफ-7: ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम:

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण नामक एक समुचित पद्धति बनाई है। इस प्रकार आंकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है। ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को सीआरएआर का निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन के कार्य की संरचना और संगठन: बैंक की बाजार जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नानुसार है—

- निदेशक मण्डल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- एएलसीओ समिति
- आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति
- निवेश समिति
- निवेश और जोखिम विभाग

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	पूंजी की आवश्यकता की राशि 31.03.2022
क)	ब्याज दर जोखिम	49.55
ख)	इक्विटी स्थिति पर जोखिम	----
ग)	विदेशी मुद्रा जोखिम	----

(ii) Quantitative Disclosures

Banking Book

S.No.	Particulars	31.03.2023
	NIL	

Trading Book

S.No.	Particulars	31.03.2023
	NIL	

The bank does not have any case of its assets securitised as on 31.03.2023.

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

(i) Qualitative Disclosures

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken into consideration for arriving at the CRAR.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Market Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMC)
- ALCO Committee
- Internal Risk Management Committee
- Investment Committee
- Investment and Risk Department

ii) Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Amount of capital requirement 31.03.2023
a)	Interest Rate Risk	49.55
b)	Equity Position Risk	----
c)	Foreign Exchange Risk	----



सारणी डीएफ-8: परिचालन जोखिम

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

कार्य योजनाएं एवं प्रक्रियाएं:

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति और मजबूत परिचालन प्रक्रिया, जिसमें कारपोरेट मूल्य, रवैया, सक्षमता, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और अनिश्चित योजनासम्मिलित हैं द्वारा संचालित है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतियां बनाई गई हैं।

सम्बन्धित जोखिम प्रबंधन कार्यों की संरचना और संगठन:

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नानुसार है—

- निदेशक मण्डल
- जोखिम प्रबंधन बोर्ड समिति
- आईआरएमसी (आंतरित जोखिम प्रबंधन समिति)
- जोखिम प्रबंधक
- परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए सहायता समूह

जोखिम रिपोर्टिंग और/या मापने की व्यवस्था का क्षेत्र और स्वभाव:

जोखिम रिपोर्टिंग में शाखा/कार्यालय में लोगों, प्रक्रिया, तकनीकी और बाह्य घटनाओं से सम्बन्धित परिचालन जोखिम घाटे की घटनाएं सम्मिलित हैं।

जोखिम को कम करने और/या से बचाव करने की नीति तथा कम करने/बचाव करने वालों की सतत् प्रभावशीलता की निगरानी केलिए प्रक्रियाएं:

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियां बनाई हैं। नीति की रूपरेखा में परिचालन जोखिम प्रबंधन जैसे— चिन्हीकरण, प्रबंधन, परिचालन जोखिम क्षेत्रों की निगरानी और अल्पीकरण के विभिन्न पहलू निहित हैं।

कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियां बनाई हैं।

परिचालनगत जोखिम पूंजी का आकलन

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने केलिये आधारमूल सूचक पद्धति अपनायी है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

31.03.2023 को परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत शुल्क 55.04 करोड़ रुपये था और 31.03.2023 को परिचालन जोखिम के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियां 478.61 करोड़ रुपये थीं।

Table DF-8: Operational Risk

i) Qualitative Disclosures

Strategies and processes :

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of Board
- IRMC (Internal Risk Management Committee)
- Risk Managers
- Support Group for Operational Risk Management

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/ events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants

Bank has put in place policies for management of Operational Risk management. The policy framework contains various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk areas.

In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk.

Operational Risk capital assessment

The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

(ii) Quantitative Disclosures

Capital charge for operational Risk as on 31.03.2023 was ₹ 55.04 Cr. and Risk Weighted Assets for Operational Risk as on 31.03.2023 was ₹ 478.61 Cr.



सारणी डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। चूंकि बैंक का तुलन पत्र विभिन्न परिपक्वता/पुनः कीमत, करैन्सी, बाजार एवं बेंचमार्क दरों के प्रति संवेदनशील होता है और इन मानकों में कोई विपरीत घट-बढ़ बैंक को ब्याज दर जोखिम में डाल देती है। बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम बैंक की आय पर (लघु अवधि का प्रभाव) और शुद्ध सम्पत्ति (दीर्घ अवधि प्रभाव) को दर्शाता है। ब्याज दर में विपरीत उतार-चढ़ाव के कारण इसका मापन मासिक आधार पर किया जाता है।

संगठनात्मक रूपरेखा:

बैंक की आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एल्को), निदेशक मण्डल/जोखिमप्रबन्धन समिति द्वारा स्थापित जोखिम सहनशीलता के अनुसार विकास, ब्याज दर जोखिम प्रबन्धन कार्ययोजना के कार्यान्वयन और प्रबन्धन के प्रति उत्तदायी है।

कार्ययोजना और प्रक्रियाएं:

बैंक उचित परिपक्वता मिलान के साथ अपनी उन आस्तियों और देयताओं की कीमतों के मिलान के लिये प्रयास करता है जो अलग-अलग समयमें परिपक्व हो रही हैं या जिनकी पुनः कीमत लगायी जा रही है के लिये प्रयास करता है ताकि उनकी समय श्रेणी के अन्तर को कम किया जा सके। आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र के मदों जो दरों के प्रति संवेदनशील है घरेलू स्थिति के ब्याज दर जोखिम को मापने और उसके प्रबन्धन के लिए बैंक पारंपरिक अन्तर (अल्पावधि) विश्लेषण और ड्यूरेशन गैप विश्लेषण दोनों को लागू कर रहा है।

ब्याज दर जोखिम पुनः कीमत लगाने, प्राप्ति रेखा में परिवर्तन और आधार जोखिम के कारण उत्पन्न होता है। बैंक का लक्ष्य इन जोखिमों जो परिपक्वता और पुनः कीमत लगाने के गलत मिलान की वजह से उत्पन्न होते हैं को आय और आर्थिक मूल्य के परिपेक्ष में निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग करते हुए रोकना है।

- 1. अंतर विश्लेषण:** ब्याज दर जोखिम को मापने का मूलभूत टूल ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी को दरों के प्रति संवेदनशील आस्तियों और दरों के प्रति संवेदनशील दायित्वों और तुलनपत्र के अलग-अलग समय श्रेणी के विभिन्न मदों को समूहीकृत करके बचीहुई परिपक्वता के अनुसार या अगली पुनः कीमत लगाने जो पहले हो विवरणी बनाना और शुद्ध अन्तर पर पहुंचना है।

एक सकारात्मक या आस्ति संवेदनशील अंतर का मतलब है बाजारमें ब्याज दर में वृद्धि जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि हो। एक नकारात्मक या देयता के प्रति संवेदनशील अंतर यह सूचितकरता है कि बाजार ब्याज दरों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बैंक की शुद्ध ब्याज आय में कमी आ रही है।

- 2. जोखिम से आय:** जोखिम से आय सूचित करती है कि क्या बैंक इस स्थिति में है कि वह सकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

i) Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance-sheets items of different maturity/repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing, implementing and managing interest rate risk management strategy as per the risk tolerance established by the Board of Directors/Risk Management Committee.

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in-order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting repriced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its domestic position of assets, liabilities and off-balance sheet items, which are rate sensitive.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re-pricing mismatches both from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

- 1. Gap Analysis:** The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA - RSL).

A positive or asset sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.

- 2. Earnings at Risk (EaR):** Earnings at Risk (EaR) indicates whether the bank is in a position to benefit by the rise in interest rate by having positive gap or benefits by fall



दरमें वृद्धि से लाभ कमा सके या नकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याजदर में कमी से लाभ कमा सके। ब्याज दर में समानान्तर शिफ्ट के कारण आय पर पुनः कीमत लगाने के जोखिम के प्रभाव का विभिन्न दर समूहों पर आकलन किया जाता है।

3. **इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई):** बदलती हुई ब्याज दर का दीर्घ अवधिप्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) या शुद्ध सम्पत्ति (नेट वर्थ) पर होता है क्योंकि बैंक की आस्तियों का आर्थिक मूल्य, देयताएं और तुलन पत्र की स्थिति बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं। समूचे बैंक में संवेदनशील परिस्थितियों में ब्याज दरमें परिवर्तन से निर्धारित रेट-शाक के परिणाम स्वरूप इक्विटी के बाजार मूल्य में आकलित कमी अवधि अन्तर विश्लेषण (डी.जी.ए.) द्वारा अनुमानित है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

आय जोखिम (परम्परागत अन्तर विश्लेषण) (लघु अवधि) :

बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के त्वरित प्रभाव का विश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है। घरेलू परिचालन के लिये जोखिम से आय का विश्लेषण विभिन्न परिदृश्यों के अन्तर्गत निम्नानुसार किया जाता है।

- **प्राप्ति रेखा (कर्व) जोखिम:** आस्ति और देयताओं के लिये 02 प्रतिशत का समानान्तर परिवर्तन (शिफ्ट) मान लिया गया है।
- आस्तियों के लिये समूहवार विभिन्न प्राप्ति परिवर्तनों को मान लिया गया है और यही बात देयताओं के लिये भी लागू होती है।

(रु. करोड़ में)

आय पर जोखिम	-200 बीपीएस	200 बीपीएस
	-24.43	24.43

इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घ अवधि)

- इक्विटी का आर्थिक मूल्य आस्तियां और देयताओं की संशोधित अवधिकी गणना करके किया गया है ताकि इक्विटी की संशोधित अवधितक तक पहुंचा जा सके घरेलू परिचालन के लिये इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव की समीक्षा 200 बीपीएस रेट शॉक के लिये अवधि अन्तर विश्लेषण विधि के माध्यम से मासिक आधार पर की जाती है।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	-200 बीपीएस	200 बीपीएस
	3.83%	(-)3.83%

सारणी डीएफ-10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी नकदी प्रवाह के फाइनल निपटान से पहले अपना संव्यवहार पूरा कर लेता है। यह डेरीवेटिव तथा प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार लोन के माध्यम से ऋण जोखिम के संबंध में बैंक का एक्सपोजर के समान ही जहां ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर एक पक्षीय है और इसमें

in interest rate by having a negative gap. The impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate is assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.

3. **Market Value of Equity (MVE):** A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net-worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA) arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank.

(ii) Quantitative Disclosures

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios for domestic operations as under:

- **Yield curve risk:** A parallel shift of 2% is assumed for assets as well as liabilities.
- Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.

(₹ in Crores)

Earning at Risk	-200 bps	200 bps
	-24.43	24.43

Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

- Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 200 bps rate shock at monthly intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	200 bps
	3.83%	(-)3.83%

Table DF-10: General Disclosures for exposures related to Counterparty Credit Risk

(i) Qualitative Disclosures

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through



उधार देने वाला बैंक हानि-जोखिम का सामना करता है। प्रतिपक्षी ऋण जोखिम द्विपक्षीय है अर्थात् संव्यवहार का बाजार मूल्य प्रतिपक्षी संव्यवहार से इतर पाजीटिव या निगेटिव हो सकता है और बाजार घटकों के संचालन के साथ ही भिन्न हो सकता है।

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियों में सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिलक्षित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है।

बैंक किसी पार्टी को डेरीवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित करता है कि सभी गुणवत्ताओं-अर्थात् केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण व्यवहारों, पार्टी की ऋण पात्रता का पालन किया जाए।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि करोड़ रु. में

क्र. सं.	विवरण	कल्पित राशि 31.03.2023	वर्तमान एक्सपोजर 31.03.2023
1	विदेशी मुद्रा संविदाएं	----	----
2	पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	----	----
3	एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	----	----
4	कुल	----	----

a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party.

(ii) Quantitative Disclosures

(Amount ₹ in Crores)

S. No.	Particulars	Notional Amount 31.03.2023	Current Exposure 31.03.2023
1	Foreign Exchange Contracts	----	----
2	Cross Currency Interest rate Swaps	----	----
3	Single Currency Interest Rate Swaps	----	----
4	Total	----	----

सारणी डीएफ-11 : पूंजी की संरचना

भाग I: टेम्पलेट का उपयोग केवल 31 मार्च, 2023 से किया जाएगा

Table DF-11: Composition of Capital

Part I: Template to be used only from March 31, 2023

(रुपये मिलियन में) / (₹ in Million)

क्र. सं.	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल- III सामान्य प्रकटीकरण तालिका		संदर्भ सं./ Ref No
S. No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां		
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	सीधे जारी की गयी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	2548.66
2	प्रतिधारित आय	Retained earnings	
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	4753.98
4	सीईटी 1 से धीरे-धीरे समाप्त होने के आधीन सीधे जारी की गयी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के लिए लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गयी और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	
6	विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	7302.64
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	Prudential valuation adjustments	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	Goodwill (net of related tax liability)	
9	अमूर्त (शुद्ध संबंधित कर देयता)	Intangibles (net of related tax liability)	19.02
10	आस्थगित कर संपत्ति	Deferred tax assets	
11	नकदी-प्रवाह हेज रिजर्व	Cash-flow hedge reserve	



क्र. सं. S. No.	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल- III सामान्य प्रकटीकरण तालिका सामान्य समता टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017 Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		संदर्भ सं./ Ref No
12	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	Shortfall of provisions to expected losses	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	Securitisation gain on sale	
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	
15	परिभाषित-लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	Defined-benefit pension fund net assets	
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर क्रास-होल्डिंग	Reciprocal cross-holdings in common equity	
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्टपोजिशन (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	
20	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	Amount exceeding the 15% threshold	
23	जिनमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	of which: significant investments in the common stock of financial entities	
24	जिनमें से: मार्टगेज सर्विसिंग अधिकार	of which: mortgage servicing rights	
25	जिनमें से: अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थगितकर आस्तियां	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए + 26बी + 226सी 26डी)	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	
26a	जिसमें से: असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	
26b	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	
26c	जिसमें से: बैंक के साथ गैर-समेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं के ईक्विटी पूंजी में कमी	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
26d	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	of which: Unamortised pension funds expenditures	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	19.02
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	7283.62
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: लिखत / Additional Tier 1 capital: instruments			
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31 + 32)	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	



क्र. सं. S. No.	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल- III सामान्य प्रकटीकरण तालिका सामान्य समता टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017 Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		संदर्भ सं./ Ref No
34	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी1 लिखत)	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	
35	जिसमें से: चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	
36	विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	
अतिरिक्त टियर पूंजी 1: विनियामक समायोजन Additional Tier 1 capital : regulatory adjustments			
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	Investments in own Additional Tier 1 instruments	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रास-होल्डिंग्स	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिकका स्वामित्व नहीं है।	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का निवल।	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी)	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	
41a	जिनमें से: गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	Of which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	
41b	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	Of which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	
43	अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)	Additional Tier 1 capital (AT1)	0.00
45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44)	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)	7283.62
टियर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	सीधे जारी किए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	
47	टियर 2 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी किये गये एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी1 और एटी1 लिखत)	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	
49	जिनमें से: चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए लिखत	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	
50	प्रावधान	Provisions	472.54
51	विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी	Tier 2 capital before regulatory adjustments	472.54
टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	Investments in own Tier 2 instruments	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रास-होल्डिंग्स	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है।	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	



क्र. सं. S. No.	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल- III सामान्य प्रकटीकरण तालिका सामान्य समता टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017 Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		संदर्भ सं./ Ref No
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश कापात्र शार्ट पोजिशन निवल	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	
56a	जिसमें से: गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	
56b	जिसमें से: बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	
58	टियर 2 पूंजी (टी2)	Tier 2 capital (T2)	472.54
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	7756.16
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	46588.85
60a	जिसमें से: कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	of which: total credit risk weighted assets	37494.30
60b	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	of which: total market risk weighted assets	4308.47
60c	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	of which: total operational risk weighted assets	4786.08
पूंजी अनुपात / Capital ratios			
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	15.63%
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	15.63%
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	16.64%
64	संस्था विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रिय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	8.00%
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाएं	of which: capital conservation buffer requirement	2.50%
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रिय बफर अपेक्षाएं	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	
67	जिसमें से: जी-एसआईबी बफर अपेक्षाएं	of which: G-SIB buffer requirement	
68	बफर की अपेक्षा पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	
राष्ट्रीय न्यूनतम (बासेल III से भिन्न हो तो) National minima (if different from Basel-III)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.00%
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%
कटौती के लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले) Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	Non-significant investments in the capital of other financial entities	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	Significant investments in the common stock of financial entities	



क्र. सं. S. No.	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल- III सामान्य प्रकटीकरण तालिका सामान्य समता टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017 Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		संदर्भ सं./ Ref No
74	मार्टगेज सर्विसिंग राइट्स (संबंधित कर देयता का निवल)	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	
75	अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	
टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने पर लागू सीमाएं (कैप्स) Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के आधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	472.54
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा पर कैप	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के आधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	
फेज आउट व्यवस्थाओं के आधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू) Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	फेज आउट व्यवस्थाओं के आधीन सीईटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	
81	कैप के कारण सीईटी 1 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	
82	फेज आउट व्यवस्थाओं के आधीन एटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	
83	कैप के कारण एटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	
84	फेज आउट व्यवस्थाओं के आधीन टी 2 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	
85	कैप के कारण टी 2 में शामिल नहीं की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	

टेम्पलेट के लिए नोट / NOTES TO THE TEMPLATES

टेम्पलेट की पंक्ति सं. Row No. of the template	विवरण / Particular	(रु. मिलियन में) / (₹ in Million)
10	संचित हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां	Deferred tax assets associated with accumulated losses
	आस्थगित कर देयता से घटाई गई (संचित हानियों से जुड़ी हुई को छोड़कर आस्थगित कर आस्तियां)	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability
	पंक्ति 10 में इंगित किये गये कुल	Total as indicated in row 10
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया और उसकी बजाय कटौती की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत मान्य किया गया तो बैंक की पूंजी में परिणामी वृद्धि	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank
	जिसमें से: सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital
	जिसमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Additional Tier 1 capital
	जिसमें से: टियर 2 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Tier 2 capital



26 बी / b	यदि गैर-समेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश को नहीं घटाया गया और इसलिए जोखिम भार लगाया गया तो:	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	----
	i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	----
	ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	(ii) Increase in risk weighted assets	----
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	472.54
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	----
	पंक्ति 50 का कुल	Total of row 50	472.54

सारणी डीएफ-12: पूंजी की संरचना-मिलान संबंधी अपेक्षाएं

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

चरण 1 / Step 1

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
A	पूंजी तथा देयताएं	Capital & Liabilities	
i	प्रदत्त पूंजी	Paid-up Capital	1174.46
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	Reserves & Surplus	6473.41
	अल्प शेयर धारियों को ब्याज	Minority Interest	
	कुल पूंजी	Total Capital	7647.87
ii	जमा राशियां	Deposits	76818.27
	जिनमें से: बैंकों की जमा राशियां	of which: Deposits from banks	3713.52
	जिनमें से: ग्राहकों की जमा राशियां	of which: Customer deposits	73104.75
	जिनमें से: अन्य जमा राशियां (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Other deposits (pl. specify)	----
iii	उधार	Borrowings	0.00
	जिनमें से: भारतीय रिजर्व बैंक से	of which: From RBI	----
	जिनमें से: बैंकों से	of which: From banks	0.00
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies	----
	जिनमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Others (pl. specify)	----
	जिनमें से: पूंजी लिखत	of which: Capital instruments	----
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities & provisions	2100.60
	कुल	Total	86566.74
B	आस्तियां	Assets	
i	नकद एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	4125.26
	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balance with banks and money at call and short notice	13289.83
ii	निवेश:	Investments:	21302.39



			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities	20247.41	20247.41
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities	----	----
	जिनमें से: शेयर	of which: Shares	----	----
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	of which: Debentures & Bonds	1348.49	1348.49
	जिनमें से: अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	----	----
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड आदि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds & shares etc.)	49.97	49.97
	घटा मूल्यहास	Less Depreciation	343.48	343.48
iii	ऋण तथा अग्रिम	Loans and advances	43170.38	43170.38
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to banks	0.00	0.00
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to customers	46235.93	46235.93
	समायोजन मदें	Netting items	3065.55	3065.55
iv	अचल आस्तियां	Fixed assets	814.85	814.85
v	अन्य आस्तियां	Other assets	3864.03	3864.03
	जिनमें से: साख (गुडविल) तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets		
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets	----	----
vi	समेकन पर गुडविल	Goodwill on consolidation	----	----
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	Debit balance in Profit & Loss account	-----	-----
	कुल आस्तियां	Total Assets	86566.74	86566.74

चरण 2 / Step 2

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
A	पूंजी तथा देयताएं	Capital & Liabilities			
i	प्रदत्त पूंजी	Paid-up Capital	1174.46	1174.46	a1
	जिसमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for CET1	1174.46	1174.46	
	जिसमें से: एटी 1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for AT1	----	----	
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	Reserves & Surplus	6473.41	6473.41	
	जिसमें से:	of which:			
	– सांविधिक आरक्षितियां	– Statutory Reserve	1859.99	1859.99	
	– शेयर प्रीमियम	– Share Premium	1374.19	1374.19	a2



			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
	– केपिटल रिजर्व	– Capital Reserve	160.87	160.87	
	• स्थाई आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन	• Revaluation of Fixed Assets	160.87	160.87	
	• अन्य आरक्षितियां	• Other Reserve	0.00	0.00	
	– रेवेन्यू और अन्य आरक्षितियां	– Revenue and Other Reserve	3078.36	3078.36	
	• निवेश आरक्षित खाता	• Investment Reserve Account	----	----	
	• आरक्षित या खराब और संदिग्ध ऋण	• Reserve or Bad and Doubtful Debts	0.00	0.00	
	• अन्य आरक्षित-आस्थगित कर	• Other reserve-deferred tax	0.00	0.00	
	– अन्य आरक्षित	• Other Reserve	2566.25	2566.25	
	• निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित	• Investment Fluctuation Reserve	212.47	212.47	
	• निवेश प्रारक्षित निधि खाता	• Investment Reserve Account	44.28	44.28	
	• धारा 36 के अन्तर्गत विशेष आरक्षित	• Special reserve u/s36	255.36	255.36	
	– वर्तमान समय हानि	– Current period Loss	---	-----	
	कुल पूंजी	Total Capital	7647.87	7647.87	
ii	जमा राशियां	Deposits	76818.27	76818.27	
	जिनमें से: बैंकों की जमा राशियां	of which: Deposits from banks	3713.52	3713.52	
	जिनमें से: ग्राहक की जमा राशियां	of which: Customer deposits	73104.75	73104.75	
	जिनमें से: अन्य जमा राशियां (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Other deposits (pl. specify)	----	----	
iii	उधार	Borrowings	0.00	0.00	
	जिनमें से: भारतीय रिजर्व बैंक से	of which: From RBI	----	----	
	जिनमें से: बैंकों से	of which: From banks	0.00	0.00	
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00	
	जिनमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Others (pl. specify)	----	----	
	जिनमें से: पूंजी लिखत	of which: Capital instruments	----	----	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities & provisions	2100.60	2100.60	
	जिनमें से: गुडविल से संबंधित डीटीएल	of which: DTLs related to goodwill	----	----	
	जिनमें से: अमूर्त आस्तियों से संबंधित मांग तथा मीयादी देयताएं	of which: DTLs related to intangible assets	----	----	
	कुल	Total	86566.74	86566.74	
B	आस्तियां	Assets			
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	4125.26	4125.26	
ii	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balance with banks and money at call and short notice	13289.83	13289.83	
iii	निवेश:	Investments:	21302.39	21302.39	
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities	20247.41	20247.41	



		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities	----	----
	जिनमें से: शेयर	of which: Shares	----	----
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	of which: Debentures & Bonds	1348.49	1348.49
	जिनमें से: अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	----	----
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूच्युअल फंड आदि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds, shares etc.)	49.97	49.97
	घटा मूल्यह्रास	Less Depreciation	343.48	343.48
iv	ऋण तथा अग्रिम	Loans and advances	43170.38	43170.38
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to banks	0.00	0.00
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to customers	46235.93	46235.93
	समायोजन मदें	Netting items	3065.55	3065.55
v	अचल आस्तियां	Fixed assets	814.85	814.85
	जिनमें से: गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets	209.02	209.02
vi	अन्य आस्तियां	Other assets	3864.03	3864.03
	जिनमें से: गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets	----	----
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets	----	----
vii	समेकन पर गुडविल	Goodwill on consolidation	----	----
viii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	Debit balance in Profit & Loss account	----	----
	कुल आस्तियां	Total Assets	86566.74	86566.74

चरण 3 / Step 3

बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (जोड़े गए स्तंभ सहित) का उद्धरण –सारणी डीएफ-11 (भाग I/II जो भी लागू हो) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत तथा आरक्षित निधियां

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable) Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक Component of regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या/पत्रों पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers / letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	सीधे निर्गमित किये गये अर्हक सामान्य शेयर (तथा संयुक्त-गैर-स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष का जोड़	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	2548.66

अ1 व अ2
a1 & a2



2	प्रतिधारित आय	Retained earnings	----	
3	संचयित अन्य व्यापक आय आरक्षित (तथा अन्य निधियां)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	4734.96	
4	सीईटी1 से हटाए जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूंजी (केवल असंयुक्त नान स्टॉक कंपनियों पर लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	----	
5	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित तथा थर्ड पार्टी द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	----	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	7283.62	
7	विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन	Prudential valuation adjustments	----	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	Goodwill (net of related tax liability)	----	

सारणी डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

बैंक ने किसी प्रकार की विनियामक पूंजी लिखत जारी नहीं किए हैं।

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Bank has not issued any kind of regulatory instruments.

सारणी डी.एफ. 16: इक्विटीज: बैंकिंग बुक स्थिति का प्रकटीकरण—

विनिवेश खरीद के समय ट्रेडिंग के लिए आयोजित श्रेणी (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी (एएफएस) तथा परिपक्वता अवधि तक रखे गये निवेश (एचटीएम) श्रेणी में वर्गीकृत किये हैं जो कि आर.बी.आई. के मास्टर परिपत्र-वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, विनिवेश संविभाग के वर्गीकरण मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार हैं। आर.बी.आई.के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायक कम्पनी एवं संयुक्त उद्यम की इक्विटी में विनिवेश एचटीएम श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत की जानी चाहिए। पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य से, आर.बी.आई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार इक्विटी प्रतिभूतियां परिपक्वता अवधि तक रखे गये निवेश बैंकिंग बुक के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं।

बैंक के पास बैंकिंग बुक के अन्तर्गत कोई इक्विटी प्रतिभूति नहीं है।

Table DF-16: Equities: Disclosures for Banking Book Positions

Investments are classified at the time of purchase into Held for Trade (HFT), Available for Sale (AFS), Held to Maturity (HTM) categories in line with the RBI master circular-Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks. In accordance with the RBI guidelines, investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category. For capital adequacy purpose, as per the RBI guidelines, equity securities held under HTM category are classified under Banking book.

Bank does not have any equities under banking Book.

लीवरेज अनुपात

बेसल III के अन्तर्गत लीवरेज पूंजी उपाय (रिस्क वेस्ट कैपिटल फ्रेमवर्क के अन्तर्गत टीयर 1 पूंजी) के प्रकटीकरण मानदंड से विभाजित कर इस अनुपात को प्रतिशत में दर्शाना है। बैंक से अपेक्षा की जाती है कि न्यूनतम 3.50 प्रतिशत लीवरेज अनुपात बनाये रखे। आर.बी.आई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के लिए लीवरेज अनुपात के लिये वांछित प्रकटीकरण 31 मार्च, 2023 को निम्नवत हैं:—

Leverage Ratio

The Basel III leverage ratio is defined as the capital measure (Tier-1 capital of the risk based capital framework) divided by the exposure measure, with this ratio expressed as a percentage. The Bank is required to maintain a minimum leverage ratio of 3.50%. As per RBI guidelines, disclosures required for leverage ratio for the Bank as of **March 31st, 2023** is as follows:



सारणी डीएफ 17- लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश

DF-17: Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure

क्र.सं. S.No.	मद / Item		रुपये (मिलियन में) (₹ in Million)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	Total consolidated assets as per published financial statements	86566.74
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में ऐसे निवेश के लिए समायोजन जो विनियामक समेकन के दायरे के बाहर हैं तथापि लेखांकन प्रयोजनों के लिए जिनका समेकन किया गया है।	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	----
3	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुसार तुलन पत्र की मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन जिन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं किया गया है।	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	----
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिये समायोजन	Adjustments for derivative financial instruments	----
5	प्रतिभूतियों के वित्तीय संबंधी लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और इसी तरह की सुरक्षित उधार)	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	----
6	तुलनपत्रेतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की राशि के समकक्ष क्रेडिट में रुपांतरण)	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	8660.81
7	अन्य समायोजन	Other adjustments	-5468.89
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	Leverage ratio exposure	89758.66

सारणी डीएफ 18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट

Table DF-18: Leverage Ratio Common Disclosure Template

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

क्रं. सं. S. No.	मद / Item		लीवरेज अनुपात संरचना Leverage ratio framework
	तुलनपत्र का एक्सपोजर	On-balance sheet exposures	
1	तुलनपत्र पर मौजूद मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर परन्तु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	86566.74
2	(बेसल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्तियों की राशि)	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	----
3	तुलनपत्र पर मौजूद कुल एक्सपोजर (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	86566.74
	डेरिवेटिव एक्सपोजर	Derivative exposures	
4	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़ी प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी रुपांतरण मार्जिन का कुल जोड़)	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	----
5	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़े पीएफई के लिए पूरक राशि	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	----
6	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुरूप तुलनपत्र आस्तियों से घटाए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए समग्र प्रावधान	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	----



क्रं. सं. S. No.	मद / Item		लीवरेज अनुपात संरचना Leverage ratio framework
7	(डेरिवेटिव लेनदेनों में दर्शाए गए नकदी घट-बढ़ मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	----
8	(ग्राहक-समाशोधित कारोबारी एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	----
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	----
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियाँ)	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	----
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति सं. 4 से 10 का जोड़)	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	----
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर	Securities financing transaction exposures	----
12	सकल एसएफटी आस्तियों (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखांकन लेनदेनों को समायोजित करने के बाद)	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	----
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के लिए नकद देय राशियों तथा नकद प्राप्य राशियों की निवल राशि)	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	----
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	CCR exposure for SFT assets	----
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	Agent transaction exposures	----
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति सं.12 से 15 का जोड़)	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	----
	अन्य तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	Other off-balance sheet exposure	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	8660.81
18	(ऋण समतुल्य राशि के रूपांतरण के लिए समायोजन)	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-5468.89
19	तुलनपत्रेतर मदें (पंक्ति सं. 17 और 18 का जोड़)	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	3191.92
	पूंजी और कुल एक्सपोजर	Capital and total exposures	
20	टियर 1 पूंजी	Tier 1 capital	7283.62
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति सं. 3,11,16 और 19 का जोड़)	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	89758.66
	लीवरेज अनुपात	Leverage ratio	
22	बेसल III लीवरेज अनुपात	Basel III leverage ratio	8.11%



31 मार्च 2023 को नैनीताल बैंक लिमिटेड की तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2023 OF THE NAINITAL BANK LIMITED

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

पूँजी और दायित्व / CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2023 की स्थिति As on 31.03.2023	31.03.2022 की स्थिति As on 31.03.2022
पूँजी / Capital	1	117,44,63	77,50,00
रिजर्व और अधिशेष / Reserves & Surplus	2	647,34,09	545,78,24
जमा राशियाँ / Deposits	3	7681,82,73	7485,87,85
उधार / Borrowings	4	-	-
अन्य दायित्व और उपबंध / Other Liabilities & Provisions	5	210,05,96	228,69,79
	कुल / Total	8656,67,41	8337,85,88
संपत्तियाँ / ASSETS			
नकदी और रिजर्व बैंक के पास अतिशेष Cash & Balances With Reserve Bank of India	6	412,52,62	320,97,50
बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at call and Short Notice	7	1328,98,25	1342,28,93
निवेश / Investments	8	2130,23,87	2291,09,66
अग्रिम / Advances	9	4317,03,82	3916,82,77
अचल आस्तियाँ / Fixed Assets	10	81,48,53	75,46,22
अन्य आस्तियाँ / Other Assets	11	386,40,32	391,20,80
	कुल / Total	8656,67,41	8337,85,88
आकस्मिक देयताएँ / Contingent Liabilities		107,14,72	97,51,67
संग्रह के लिए बिल / Bills for collection			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	17		
खातों पर टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	18		
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं। Schedules referred above form an integral part of Balance Sheet			

एन.के. चारी

N.K.Chari

गैर कार्यकारी अध्यक्ष

Non Executive Chairman

डीआईएन / DIN - 07409731

नीलम दामोदरन

Neelam Damodharan

गैर-स्वतंत्र निदेशक

Non-Independent Director

डीआईएन / DIN - 07759291

राकेश नेमा

Rakesh Nema

गैर-कार्यकारी / गैर-स्वतंत्र निदेशक

Non-Executive/ Non-Independent Director

डीआईएन / DIN - 07207816

संजीव डोभाल

Sanjeev Dobhal

गैर-कार्यकारी / गैर-स्वतंत्र निदेशक

Non-Executive/ Non-Independent Director

डीआईएन / DIN - 10055078

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital

दिनांक / Date: 28.04.2023

निखिल मोहन

Nikhil Mohan

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Managing Director & CEO

डीआईएन / DIN - 09655509

मनोज शर्मा

Manoj Sharma

स्वतंत्र निदेशक

Independent Director

डीआईएन / DIN - 09085665

एम.के. गोयल

M.K. Goyal

मुख्य वित्तीय अधिकारी

Chief Financial Officer

बिनीता शाह

Binita Shah

स्वतंत्र निदेशक

Independent Director

डीआईएन / DIN - 01538965

उत्तम चंद नाहटा

Uttam Chand Nahta

स्वतंत्र निदेशक

Independent Director

डीआईएन / DIN - 08533075

विवेक शाह

Vivek Sah

कंपनी सचिव

Company Secretary

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
as per our report of even date

कृते धरम राज एंड कंपनी

For Dharam Raj & Co.

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

एफआरएन 014461एन

FRN- 014461N

(सी.ए. धरम राज) / (CA Dharam Raj)

साझेदार / Partner

एम.एन. नं. / M.N. No. 094108



31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(रुपये हजार में) / (₹ In Thousands)

	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Period Ended 31.03.2023	31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2022
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	587,73,38	561,98,84
अन्य आय / Other Income	14	14,82,45	40,63,77
कुल / Total		602,55,83	602,62,61
II. व्यय / EXPENDITURE			
खर्च किया गया ब्याज / Interest Expended	15	308,71,95	312,11,00
परिचालन खर्च / Operating Expenses	16	216,90,34	190,21,34
प्रावधान और आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies		30,62,67	71,37,01
कुल / Total		556,24,96	573,69,35
III. लाभ / PROFIT			
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / Net profit for the year		46,30,87	28,93,26
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ / Profit available for appropriation		46,30,87	28,93,26
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक रिजर्व / Statutory Reserve		11,57,72	7,23,32
राजस्व और अन्य आरक्षितियां / Revenue & Other Reserves:		-	-
i) निवेश आरक्षित खाता / Investment Reserve Account		3,38,05	-2,99,04
ii) सामान्य आरक्षित / General Reserve		-	-
iii) धारा 36 (i) (viii) के तहत बनाया गया विशेष रिजर्व special reserve created u/s 36(i)(viii)		-	94,00
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		4,66,97	3,87,50
तुलनपत्र में ले जायी गई शेषराशि / Balance Carried over to Balance Sheet		26,68,13	20,81,48
कुल / Total		46,30,87	28,93,26
प्रति शेयर आय (₹.) / Earnings per Share (₹)			
मूल / Basic		3.94	3.73
तनु / Diluted		3.94	3.73

एन.के. चारी
N.K.Chari
गैर कार्यकारी अध्यक्ष
Non Executive Chairman
डीआईएन / DIN - 07409731

निखिल मोहन
Nikhil Mohan
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO
डीआईएन / DIN - 09655509

बिनीता शाह
Binita Shah
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director
डीआईएन / DIN - 01538965

नीलम दामोदरन
Neelam Damodharan
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director
डीआईएन / DIN - 07759291
राकेश नेमा
Rakesh Nema
गैर-स्वतंत्र निदेशक
Non-Independent Director
डीआईएन / DIN - 07207816
संजीव डोभाल
Sanjeev Dobhal
गैर-स्वतंत्र निदेशक
Non-Independent Director
डीआईएन / DIN - 10055078

मनोज शर्मा
Manoj Sharma
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director
डीआईएन / DIN - 09085665
एम.के. गोयल
M.K. Goyal
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

उत्तम चंद नाहटा
Uttam Chand Nahta
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director
डीआईएन / DIN - 08533075
विवेक शाह
Vivek Sah
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
as per our report of even date
कृते धरम राज एंड कंपनी
For Dharam Raj & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 014461एन
FRN- 014461N
(सी.ए. धरम राज) / (CA Dharam Raj)
साझेदार / Partner
एम.एन. नं. / M.N. No. 094108

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital
दिनांक / Date : 28.04.2023



31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2023

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

	समाप्त वर्ष 31.03.2023 Year Ended 31.03.2023	समाप्त वर्ष 31.03.2022 Year Ended 31.03.2022
क)/A) परिचालनगत गतिविधियां से नकदी प्रवाह / Cash flow from operating activities :		
कर पूर्व शुद्ध लाभ / Net profit before taxes	50,76,87	29,03,53
समायोजन / Adjustments for		
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on fixed Assets	14,37,51	6,74,53
प्रतिलेखित निवेश पर मूल्यहास / Depreciation on investment Written back	19,68,21	11,58,91
निवेश पर किया गया मूल्यहास / Provision made on Investment		9,17,57
एनपीए के संबंध में प्रावधान / Provision in respect of NPA	2,00,762	42,52,50
पुनर्गठित मानक संपत्ति के लिए प्रावधान / Provision for standard assets restructured	-10,626	7,61,62
अन्य मदों के लिए प्रावधान / Provision for other items	-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) / Profit (Loss) on sale of fixed Assets	-408	-57
चालू वर्ष के लिए आस्थगित कर / Deferred Tax for Current year	4,02,86	71,54
प्रावधान जो प्रतिलेखित किया गया / Excess Provision written back	-	-
	107,82,74	107,39,64
निम्नलिखित के लिए समायोजन / Adjustment for :		
निवेशों में (वृद्धि) / (कमी) / (Increase) / Decrease in investments	141,17,58	16,32,93
अग्रिमों में (वृद्धि) / (कमी) / (Increase) / Decrease in advances	-40,02,105	-269,12,73
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / (कमी) / (Increase) / Decrease in other assets	4,80,51	-129,21,74
उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Borrowings	-	-
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in deposits	195,94,88	73,28,98
अन्य देयता और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in other liabilities and provisions	-4,16,806	-2,78,59
भुगतान किया प्रत्यक्ष कर / Direct Taxes paid	-4,46,00	-10,27
परिचालनगत गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ए) / Net cash from operating activities (A)	3,40,61	-204,21,77
ख)/B) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह / Cash flow from investing activities		
अचल संपत्तियों में कमी (वृद्धि) / (Increase) / Decrease in fixed Assets	-2,03,576	-49,36,54
व्यापार से सम्बन्धित निवेश में परिवर्तन / Changes in Trade related investments	-	-
अनुषंगियों / अन्य से प्राप्त लाभांश / Dividend received from subsidiaries/others	-	-
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (बी) / Net Cash from investing activities (B)	-2,03,576	-49,36,54
ग)/C) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह / Cash flow from financing activities		
शेयर पूंजी / शेयर प्रीमियम / Share Capital / Share Premium	99,86,56	-
लाभांश / Dividend	-46,697	-3,87,50
असुरक्षित प्रतिदेय बांडों पर भुगतान / देय ब्याज / Interest paid/payable on unsecured redeemable bonds	-	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद (सी) / Net Cash from financing activities (C)	95,19,59	-3,87,50
नकदी और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (ए)+(बी)+(सी) / Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	78,24,44	-257,45,81
नकद और नकद समकक्ष का प्रारंभिक शेष / Opening Cash & cash equivalents	1663,26,43	1920,72,24
नकद और नकद समकक्ष का अंतिम शेष / Closing Cash & cash equivalents	1741,50,87	1663,26,43

एन.के. चारी

N.K.Chari

गैर कार्यकारी अध्यक्ष

Non Executive Chairman

डीआईएन / DIN - 07409731

नीलम दामोदरन

Neelam Damodharan

स्वतंत्र निदेशक

Independent Director

डीआईएन / DIN - 07759291

राकेश नेमा

Rakesh Nema

गैर-स्वतंत्र निदेशक

Non-Independent Director

डीआईएन / DIN - 07207816

संजीव डोभाल

Sanjeev Dobhal

गैर-स्वतंत्र निदेशक

Non-Independent Director

डीआईएन / DIN - 10055078

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital

दिनांक / Date : 28.04.2023

निखिल मोहन

Nikhil Mohan

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Managing Director & CEO

डीआईएन / DIN - 09655509

मनोज शर्मा

Manoj Sharma

स्वतंत्र निदेशक

Independent Director

डीआईएन / DIN - 09085665

एम.के. गोयल

M.K. Goyal

मुख्य वित्तीय अधिकारी

Chief Financial Officer

बिनीता शाह

Binita Shah

स्वतंत्र निदेशक

Independent Director

डीआईएन / DIN - 01538965

उत्तम चंद नाहटा

Uttam Chand Nahta

स्वतंत्र निदेशक

Independent Director

डीआईएन / DIN - 08533075

विवेक शाह

Vivek Sah

कंपनी सचिव

Company Secretary

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
as per our report of even date

कृते धरम राज एंड कंपनी

For Dharam Raj & Co.

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

एफआरएन 014461एन

FRN- 014461N

(सी.ए. धरम राज) / (CA Dharam Raj)

साझेदार / Partner

एम.एन. नं. / M.N. No. 094108



तुलन-पत्र की अनुसूचियां / Schedules to Balance Sheet

अनुसूची 1-पूंजी / SCHEDULE 1- CAPITAL

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
प्राधिकृत पूंजी (15,00,00,000 इक्विटी शेयर)। 10/- रुपये प्रत्येक Authorised Capital (15,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)	150,00,00	150,00,00
जारी की गई पूंजी 11,74,46,250 इक्विटी शेयर रु. 10/- प्रत्येक Issued Capital 11,74,46,250 Equity Shares of ₹ 10/- each	117,44,63	77,50,00
अभिदत्त पूंजी 11,74,46,250 इक्विटी शेयर रु. 10/- प्रत्येक Subscribed Capital 11,74,46,250 Equity Shares of ₹ 10/- each	117,44,63	77,50,00
मांगी गई पूंजी 11,74,46,250 इक्विटी शेयर रु. 10/- प्रत्येक Called Up Capital 11,74,46,250 Equity Shares of ₹ 10/- each (बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 98.57 प्रतिशत हिस्सेदारी है) (Bank of Baroda holds 98.57%)	117,44,63	77,50,00
अदत्त मांग Calls Unpaid	NIL	NIL
कुल / Total	117,44,63	77,50,00

नोट - वर्ष के दौरान बैंक ने 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 3,99,46,250 राइट शेयर 25 रुपये प्रति शेयर की दर से जारी किए हैं, तदनुसार 39,94,62,500 रुपये अंकित मूल्य के शेयर पूंजी के लिए आवंटित किए गए हैं और 59,91,93,750 शेयर प्रीमियम के रूप में शेयर प्रीमियम खाते के लिए आवंटित किए गए हैं।

Note - During the Year The Bank has issued right shares 3,99,46,250 no's having face value of ₹ 10 each at ₹ 25 each, accordingly ₹ 39,94,62,500 being face value has been allocated to share capital and 59,91,93,750 being share premium has been allocated to share premium account

अनुसूची 2 - आरक्षितियाँ और अधिशेष / SCHEDULE 2- RESERVES & SURPLUS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
I सांविधिक रिजर्व / Statutory Reserve :		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	174,42,16	167,18,85
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	11,57,72	7,23,32
अंतिम शेष / Closing Balance	185,99,88	174,42,17
II कैपिटल रिजर्व / Capital Reserve :	16,08,67	16,24,13
क) / a) पुनर्मूल्यांकन रिजर्व / Revaluation Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	16,24,14	16,44,18
वर्ष के दौरान जोड़ना / हटाना / addition/deletion during the year		
लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास / Depreciation on account of revaluation of premises transferred to Profit & Loss Account	-1547	-20,04
अंतिम शेष / Closing Balance	16,08,67	16,24,14
ख) / b) अन्य / Others		
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition/deletion during the year	-	-
अंतिम शेष / Closing Balance	-	-
III शेयर प्रीमियम / Share Premium :		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	77,50,00	77,50,00
वर्ष के दौरान राशि में वृद्धि / Addition During the Year	59,91,94	-
वर्ष के दौरान कटौतियाँ* / Deduction During the Year*	-	-
अंतिम शेष / Closing Balance	137,41,94	77,50,00



		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
IV	राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ / Revenue & Other Reserves	-	-
(i)	निवेश विचलन आरक्षितियाँ / Investment Fluctuation Reserve :		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	21,24,74	12,07,17
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition During the Year	-	9,17,57
	घटाएँ : सामान्य प्रावधान को अंतरण / Less: Transferred To General Provision	-	-
	अन्तिम शेष / Closing Balance	21,24,74	21,24,74
(ii)	निवेश आरक्षित खाता / Investment Reserve A/C		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1,04,78	4,03,81
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition During the Year	3,38,06	-
	वर्ष के दौरान कटौती / Deduction During the year	-	2,99,03
	अन्तिम शेष / Closing Balance	4,42,84	1,04,78
(iv)	विशेष रिजर्व खंड 36 (I) (VIII) के अन्तर्गत / Special Reserve u/s 36(1) (VIII)	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition During the Year	-	-
	अन्तिम शेष / Closing Balance	25,53,58	25,53,58
	जोड़ / Total (IV)	51,21,16	47,83,10
(V)	लाभ और हानि खाते का शेष / Balance in Profit & Loss Account	-	-
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	229,78,84	208,77,31
	लाभ-हानि खाते में वृद्धि Addition : Surplus in profit & Loss Account	26.68.13	21,01,52
	जोड़े : / Addition : Depreciation pertaining to revalued Assets	15,47	-
	अन्तिम शेष / Closing Balance	256,62,44	229,78,83
	कुल (I,II,III, IV और V) / Total (I,II,III, IV & V)	647,34,09	545,78,24

अनुसूची 3 – जमाएँ / SCHEDULE 3 -DEPOSITS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
क / A	I) माँग निक्षेप / Demand Deposits		
	i) बैंकों से / From Banks	1,25,45	99,11
	ii) अन्य से / From Others	439,34,87	462,78,20
	कुल / Total	440,60,32	463,77,31
	II) बचत बैंक जमाएँ / Savings Bank Deposits	2685,64,43	2577,34,41
	III) सावधि जमाएँ / Term Deposits		
	i) बैंकों से / From Banks	370,09,74	372,39,25
	ii) अन्य से / From Others	4185,48,24	4072,36,88
	कुल / Total	4555,57,98	4444,76,13
	कुल (I, II और III) / Total (I, II & III)	7681,82,73	7485,87,85
ख / B	I) भारत में शाखाओं के जमाएँ / Deposits of Branches in India	7681,82,73	7485,87,85
	II) भारत के बाहर शाखाओं के जमाएँ / Deposits of Branches outside India	-	-
	कुल (I और II) / Total (I & II)	7681,82,73	7485,87,85



अनुसूची 4— उधार / SCHEDULE 4 -BORROWINGS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
I	भारत में उधार / Borrowings in India		
	i) भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	-	-
	ii) अन्य बैंक / Other Banks	-	-
	iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां / Other Institutions and Agencies	-	-
II	भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	-	-
	कुल (I और II) / Total (I & II)	-	-
III	जमानती उधार राशियां जो उपरोक्त I में शामिल हैं Secured Borrowings Included in I above	-	-

अनुसूची 5 — अन्य दायित्व और प्रावधान / SCHEDULE 5 -OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
I	संदेय बिल / Bills Payable	22,76,53	29,49,96
II	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustments (Net)	-	-
III	उपार्जित ब्याज / Interest Accrued	8,81,73	11,80,58
IV	अन्य (प्रावधानों सहित) / Others (Including Provisions)	178,47,70	187,39,25
	कुल (I, II, III और IV) / Total (I, II, III & IV)	210,05,96	228,69,79
	नोट : टियर II कैपिटल में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण NOTE: Subordinated Debts raised in Tier II Capital	शून्य / NIL	शून्य / NIL

अनुसूची 6 — नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष

SCHEDULE 6 -CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
I	नकदी (विदेशी मुद्रा नोटो सहित) Cash in hand (Including foreign currency notes)	25,07,12	29,22,66
II	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अतिशेष Balances with Reserve Bank of India	387,45,50	291,74,84
	i) चालू खातों में / In Current Accounts	-	-
	ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	-	-
	कुल (I और II) / Total (I & II)	412,52,62	320,97,50



अनुसूची 7 – बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन

SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
I	भारत में / In India		
	i) बैंकों में बैलेंस / Balances with Banks		
	चालू खातों में / In Current Accounts	16,52,25	14,72,93
	अन्य जमा खातों में / In Other Deposit Accounts	1262,46,00	1142,56,00
	कुल / Total	1278,98,25	1157,28,93
	ii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्त धन Money at call and short notice		
	बैंकों में / With banks	-	60,00,00
	अन्य संस्थाओं में / With other institutions	50,00,00	125,00,00
	कुल / Total	50,00,00	185,00,00
	कुल (I और II) / Total (I & II)	1328,98,25	1342,28,93
II	भारत के बाहर / Outside India	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	कुल (I और II) / Total (I & II)	1328,98,25	1342,28,93

अनुसूची – 8 निवेश / SCHEDULE 8- INVESTMENT

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
I	भारत में निवेश (सकल) / Investments in India (Gross)	2164,58,75	2305,76,33
	घटाएँ : मूल्यहास के लिए प्रावधान / Less : Provision for Depreciation	34,34,88	14,66,67
	भारत में शुद्ध निवेश / Net Investments in India	2130,23,87	2291,09,66
	अलग-अलग विवरण / Break up		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ / Government Securities	2001,27,01	2081,56,29
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities		
	iii) शेयर / Shares		
	iv) डिबेंचर और बांड्स / Debentures and Bonds	128,96,86	185,45,81
	v) सहायक और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures		
	vi) अन्य (यू.टी.आई. की यूनिट्स और अन्य म्यूचुअल फंड्स, वाणिज्यिक पत्र आदि) / Others (units of UTI and other mutual funds comm. papers)	-	24,07,56
	कुल / Total	2130,23,87	2291,09,66
II	भारत के बाहर निवेश / Investments outside India	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	कुल (I और II) / Total (I & II)	2130,23,87	2291,09,66



अनुसूची – 9 अग्रिम / SCHEDULE 9- ADVANCES

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
क) / A	i) खरीदे और भुनाए गए बिल Bills Purchased and Discounted	2,63,48	43,90
	ii) कैशक्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाने योग्य ऋण Cash Credit, Overdrafts and Loans repayable on demand	2522,31,77	2032,14,09
	iii) सावधि उधार / Term Loans	1792,08,57	1884,24,79
	कुल / Total	4317,03,82	3916,82,77
ख) / B	i) मूर्त सम्पत्तियों द्वारा सुरक्षित / Secured by Tangible Assets	4103,30,62	3627,19,37
	ii) बैंक / सरकार द्वारा कवर की गयी गारंटी Covered by Bank/Govt. Guarantees	-	8
	iii) अप्रतिभूत / Unsecured	213,73,20	289,63,32
	कुल / Total	4317,03,82	3916,82,77
ग) / C	I) भारत में ऋण / Advances in India		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector	1941,34,29	1863,58,47
	शुद्ध प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Net Priority Sector	1941,34,29	1863,58,47
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	-	19,85
	iii) बैंक / Banks	-	-
	iv) अन्य / Others	2375,69,53	2053,04,45
	शुद्ध अन्य / Net Others	4317,03,82	3916,82,77
	II) भारत के बाहर अग्रिम / Advances outside India		
	कुल / Total	4317,03,82	391,682,77

अनुसूची – 10 अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10- FIXED ASSETS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
I	परिसर / Premises		
	(पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को लागत पर / पुनर्मूल्यांकित राशि) / At cost/ revalued amount as on 31st March of the preceeding year	22,22,66	220799
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the Period	31,92	1468
	वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the Period	-	-
	अद्यतन मूल्यहास - (पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धिशील मूल्यहास सहित) Depreciation to date (including incremental depreciation due to revaluations)	3,08,71	29047
	ब्लॉक I का अंतिम शेष / Closing Block I	19,45,87	193220
II	अन्य अचल संपत्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत पर At cost as on 31 st March of the preceeding year	108,77,06	59,55,03
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition during the period*	20,10,11	49,24,25
	वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the period	2,20	2,22
	अद्यतन मूल्यहास / Depreciation to date	66,82,31	52,63,04
	ब्लॉक II का अंतिम शेष / Closing Block II	62,02,66	56,14,02
	कुल (I और II) / Total (I & II)	81,48,53	75,46,22



अनुसूची – 11– अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11- OTHER ASSETS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
I	अंतर कार्यालय समायोजन (नेट) / Inter Office Adjustment (Net)	27,31	9,72,93
II	अर्जित ब्याज / Interest Accrued	69,13,40	66,18,82
III	अग्रिम में भुगतान किया गया कर/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों को छोड़कर) Tax Paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	5,30,62	20,82,60
IV	स्टेशनरी और स्टाम्प / Stationery and Stamps	70	41
V	अन्य / Others	311,68,29	294,46,04
	कुल (I, II, III, IV और V) / Total (I, II, III, IV & V)	386,40,32	391,20,80

अनुसूची – 12 आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12- CONTINGENT LIABILITIES

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
I	बैंक के विरुद्ध दावों को जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया Claims against the Bank not acknowledged as Debts	49,78	47,54
II	धोखाधड़ी के विरुद्ध दायित्व / Liability against frauds	0	0
III	घटकों की ओर से दी गई गारंटी – भारत में Guarantees given on behalf of constituents - IN INDIA	63,04,45	67,66,25
IV	स्वीकृतियां, अनुमोदन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	19,81	1,18,08
V	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable	43,40,68	28,19,80
	कुल (I, II, III और IV) / Total (I, II, III & IV)	107,14,72	97,51,67

अनुसूची – 13– अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13- INTEREST EARNED

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
I	अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट Interest/Discount on Advances/Bills	354,97,56	330,81,86
II	निवेश पर आय (शुद्ध) / Income on Investments (NET) वर्ष के दौरान परिशोधित कम राशि Less: amount amortised during the year	154,82,57 -15,130	155,60,06 -20,19
III	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेषों और अन्य अन्तर-बैंक निवेशों पर ब्याज / Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Placements	72,72,19	70,64,77
IV	अन्य / Others	6,72,36	4,92,15
	कुल (I, II, III और IV) / Total (I, II, III & IV)	587,73,38	561,98,84



अनुसूची – 14– अन्य आय / SCHEDULE 14- OTHER INCOME

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
I	कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज Commission, Exchange & Brokerage	1,64,93	27620
II	निवेश की बिक्री पर लाभ / हानि Profit / Loss on sale of investments घटाएं: निवेश की बिक्री पर हानि Less: Loss on sale of investments	2,49,40	96659
III	निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ Profit on revaluation of investments घटाएं: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि Less: Loss on revaluation of investments	-2,09,463	-53282
IV	भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets घटाएं: भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	4,08	57
V	विविध आय / Miscellaneous Income	29,96,36	318604
VI	तृतीय पक्षकार कमीशन / Third party commission	1,62,31	16718
	कुल (I, II, III, IV, V और VI) / Total (I, II, III, IV, V & VI)	14,82,45	406377

अनुसूची-15– ब्याज व्यय / SCHEDULE 15-INTEREST EXPENDED

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
I	जमाओं पर ब्याज / Interest on Deposits	308,68,31	3121087
II	आरबीआई / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on RBI / Inter Bank Borrowings	3,64	13
III	अन्य / Others	-	-
	कुल (I, II और III) / Total (I, II &)	308,71,95	3121100

अनुसूची – 16– परिचालन व्यय / SCHEDULE 16- OPERATING EXPENSES

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2022
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and Provisions for Employees	120,53,29	113,26,60
II	किराया, कर और लाइटिंग / Rent, Taxes and Lighting	17,11,77	16,76,90
III	मुद्रण और स्टेशनरी / Printing and Stationery	80,94	1,14,92
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and Publicity	1,09,82	28,03
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on Bank's Property घटाएं: पूंजी से समायोजित मूल्यह्रास परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण आरक्षित / Less: Depreciation adjusted from Capital reserve on account of revaluation of premises	14,37,51	6,74,53
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Director's Fees Allowances and Expenses	22,88	21,10
VII	लेखापरीक्षक की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय सहित) / Auditor's Fees & Expenses (including Branch Auditor's fee & expenses)	77,00	60,24
VIII	विधि प्रभार / Law Charges	72,68	82,75
IX	डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones etc	97,06	1,17,36
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and Maintenance	93,99	1,33,15
XI	बीमा / Insurance	8,68,21	8,29,22
XII	अन्य व्यय / Other Expenditure	50,65,19	39,56,54
	कुल (I और XII) / Total (I & XII)	216,90,34	190,21,34



अनुसूची 17 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. पृष्ठभूमि

नैनीताल बैंक लिमिटेड, वर्ष 1922 में नैनीताल, उत्तराखंड में निगमित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित एक बैंकिंग कंपनी है और वाणिज्यिक बैंकिंग और ट्रेजरी संचालन सहित बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में लगी हुई है।

2. तैयारी का आधार:

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर गोइंग कंसर्न अवधारणा के बाद तैयार किए जाते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप होते हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर निर्धारित वैधानिक प्रावधान, नियामक मानदंड शामिल होते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत जारी अधिसूचित लेखा मानक (एएस), कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के पैराग्राफ 7 के साथ-साथ भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं की सीमा तक। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

3. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

4. निवेश:

4.1 निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है—

- (i) परिपक्वता तक धारित (HTM)
- (ii) ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) और
- (iii) बिक्री के लिए उपलब्ध (AFS)

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के तहत उप-वर्गीकरण के साथ, (i) सरकारी प्रतिभूतियां, (ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां,

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BACKGROUND

The Nainital Bank Limited, incorporated in Nainital, Uttarakhand in the year 1922, is a banking company governed by the Banking Regulation Act, 1949, The Companies act, 2013 and other applicable regulations/guidelines issued from time to time by regulator(RBI) and Govt. of India, the Bank is engaged in providing a wide range of banking and financial services including commercial banking and treasury operations.

2. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis and on the accrual/mercantile basis of Accounting, unless otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, notified Accounting Standards (AS) issued under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, to the extent applicable and current practices prevailing in the banking industry in India. The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent with those followed in the previous year.

3. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

4. INVESTMENTS:

4.1 Investments are categorized into three categories –

- (i) Held to Maturity (HTM),
- (ii) Held for Trading (HFT) and
- (iii) Available for Sale (AFS)

with sub-classification under each category viz., (i) Government Securities, (ii) Other Approved Securities, (iii) Shares, (iv) Debentures & Bonds, (v) Subsidiaries and



(iii) शेयर, (iv) डिबेंचर और बांड, (v) सहायक और संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य – की इकाइयाँ म्युचुअल फंड, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, सुरक्षा रसीदें और अन्य निवेश है।

जिस श्रेणी के तहत निवेश को वर्गीकृत किया जाएगा, उसका निर्धारण अधिग्रहण के समय किया जाएगा। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है, उन्हें “परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर बिक्री के लिए रखे जाते हैं, उन्हें “ट्रेडिंग के लिए धारित” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचएफटी सिक्योरिटीज जो 90 दिनों की अवधि के लिए बिना बिके रहती हैं, उस तारीख को एफएस सिक्योरिटीज के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। निवेश जो उपरोक्त दो श्रेणियों में से किसी में वर्गीकृत नहीं हैं, उन्हें “बिक्री के लिए उपलब्ध” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के स्थानांतरण की तारीख पर प्रचलित अधिग्रहण लागत / बुक वैल्यू / बाजार मूल्य में से कम से कम और ऐसी स्थानांतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी प्रीमियम को एक सीधी रेखा के आधार पर सुरक्षा की शेष परिपक्वता पर परिशोधित किया जाता है। एफएस और एचएफटी श्रेणियों के तहत वर्गीकृत निवेश मार्क-टू-मार्केट हैं। ‘एफएस’ और ‘एचएफटी’ श्रेणियों में शामिल उद्धृत निवेशों का बाजार/ उचित मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेडों/ उद्धरणों, एसजीएल खाता लेनदेन, भारतीय रिजर्व बैंक की मूल्य सूची से उपलब्ध स्क्रिप के बाजार मूल्य के संबंध में मापा जाता है या वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समय-समय पर घोषित मूल्य। निवेश वर्गीकरण की प्रत्येक श्रेणी के भीतर शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। निवेश की प्रत्येक श्रेणी के तहत शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां अस्थायी के अलावा अन्य कमी का प्रावधान किया गया है, निवेश के आवधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत प्रतिभूतियों का बुक वैल्यू नहीं बदला जाता है।

बैंक निवेश की खरीद/ बिक्री के लिए लेखांकन की निपटान तिथि पद्धति और निवेश की बिक्री पर लागत और लाभ के लेखांकन के निर्धारण के लिए भारित औसत लागत पद्धति का अनुसरण करता है। अधिग्रहण के समय भुगतान किए गए निवेश से संबंधित ब्रोकरेज, कमीशन और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि लाभ और हानि खाते में लगाए जाते हैं। ऋण लिखतों और सरकारी प्रतिभूतियों पर खंडित अवधि के ब्याज को राजस्व मद के रूप में माना जाता है। ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, रियायती लिखत होने के कारण, मूल्य वहन लागत पर किया जाता है। म्युचुअल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद

Joint Ventures and (vi) Others – Units of Mutual Funds, Certificate of Deposits, Commercial Paper, Security Receipts and other investments, in accordance with RBI guidelines.

The category under which the investments would be classified is decided at the time of acquisition. Investments which the bank intends to hold till maturity are classified as “Held to Maturity”. Investments which are primarily held for sale within 90 days from the date of purchase are classified as “Held for Trading”.

As per RBI guidelines, HFT Securities which remain unsold for a period of 90 days are classified as AFS Securities on that date. Investments which are not classified in either of the above two categories are classified as “Available for Sale”.

Shifting of securities among the categories is accounted at the least of the acquisition cost / book value / market price prevailing on the date of shifting and depreciation, if any, on such shifting is fully provided for. Investments classified under HTM category are carried at acquisition cost. Any premium on acquisition of government securities are amortized over the remaining maturity of the security on a straight line basis. Investments classified under the AFS and HFT categories are marked-to-market. The market / fair value of quoted investments included in the ‘AFS’ and ‘HFT’ categories is measured with respect to the Market Price of the Scrip as available from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI or prices declared by Financial Benchmark India Private Limited, periodically. Net depreciation, if any, within each category of investment classification is recognised in Profit and Loss Account. The net appreciation, if any, under each category of Investment is ignored, Except in cases where provision for diminution other than temporary is created, the book value of individual securities is not changed consequent to the periodic valuation of Investments.

The Bank follows settlement date method of accounting for purchase / sale of investments, and weighted average cost method for determining cost and accounting of profit on sale of investments. Brokerage, commission and securities transaction tax (STT) etc., pertaining to investment, paid at the time of acquisition are charged to the profit and loss account. Broken period interest on debt instruments and government securities is treated as a revenue item. Treasury Bills, Commercial Paper and Certificate of Deposits, being discounted instruments, are valued at carrying cost. Units of Mutual Funds are valued at



मूल्य / एनएवी पर किया जाता है। गैर-उद्धृत बांड, डिबेंचर और वरीयता शेयरों के मामले में जहां ब्याज / लाभांश नियमित रूप से प्राप्त होता है (अर्थात् 90 दिनों से अधिक अतिदेय नहीं), बाजार मूल्य सरकारी प्रतिभूतियों के लिए यील्ड टू मैच्योरिटी (YTM) के आधार पर निकाला जाता है जैसा कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इंस्ट्रुमेंट की क्रेडिट रेटिंग पर लागू क्रेडिट जोखिम के लिए उपयुक्त रूप से चिह्नित किया जाता है। गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान की जाती है और उनका मूल्यांकन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है। एचएफटी और एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों के संबंध में बिक्री/निवेश की बिक्री / मोचन लाभ और हानि खाते में शामिल हैं। एचटीएम श्रेणी में निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ को लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार कर और सांविधिक रिजर्व में स्थानांतरण के समायोजन के बाद पूंजी रिजर्व में विनियोजित किया जाता है।

30 अगस्त, 2021 को जारी वित्तीय विवरणों पर आरबीआई मास्टर निर्देश – प्रस्तुति और प्रकटीकरण के आधार पर: प्रावधानों और आकस्मिकताओं के हिस्से के रूप में वर्गीकृत मानक निवेश करने पर मूल्यह्रास के प्रावधान को अन्य आय के हिस्से के रूप में फिर से वर्गीकृत किया गया है।

4.2 निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित

आय में वृद्धि के सापेक्ष संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रेषित निधि तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर.सं.बीपी के माध्यम से। बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 से आईएफआर बनाने की सलाह दी।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित (i) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ या (ii) वर्ष के शुद्ध लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, का न्यून होगा, जब तक कि आईएफआर की राशि सतत आधार पर एच एफ टी और ए एफ एस पोर्टफोलियो का कम से कम 2% नहीं होती है।

5. अग्रिमों और उस पर प्रावधानः

अग्रिमों को मानक और गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए जाते हैं। तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिमों के, प्रावधानों, ब्याज उचंत्, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावों और विनियोग के लंबित और विविध खाते में रखे गए वसूलियों को घटाकर दिखाया गया है। गैर-निष्पादित अग्रिमों पर ब्याज एक अप्राप्त ब्याज खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है और प्राप्त होने तक लाभ और हानि खाते में मान्यता नहीं दी जाती है। बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के विरुद्ध वसूल की गई राशि को आय के रूप में मान्यता दी जाती है और उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के आधार पर अब आवश्यक नहीं समझे जाने वाले प्रावधानों को लाभ और हानि खाते में वापस कर दिया जाता है। पुनर्गठन/पुनर्निर्धारित आस्तियों के संबंध में, प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है,

the latest repurchase price / NAV declared by the Mutual Fund. In case of unquoted bonds, debentures and preference shares where interest / dividend is received regularly (i.e. not overdue beyond 90 days), the market price is derived based on the Yield to Maturity (YTM) for Government Securities as published by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FBIL)/Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) and suitably marked up for credit risk applicable to the credit rating of the instrument. Non Performing Investments are identified and valued based on RBI guidelines. Sale / Redemption of Investments Profit or loss on sale / redemption in respect of securities in HFT and AFS category is included in the Profit and Loss account. Profit on sale / redemption of investments in HTM category is included in the Profit and Loss Account and is appropriated to Capital Reserve after adjustments for tax and transfer to Statutory Reserve, as per RBI guidelines.

Based on RBI Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures issued on August 30, 2021: Provision for depreciation on performing standard investments earlier classified as part of provisions and contingencies has been reclassified as part of other income.

4.2 Investment fluctuation reserve

To ensure building up of adequate reserves and protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transfer to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2% of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

5. ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

Advances are classified as standard and non-performing assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by RBI. Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions, interest suspense, claims received from credit guarantee institutions and recoveries pending appropriation and held in sundry account. Interest on non-performing advances is transferred to an unrealized interest account and not recognized in profit and loss account until received. Amounts recovered against debts written off is recognised as income and provisions no longer considered necessary based on the current status of the borrower, is reversed to the profit and loss account. In respect of restructured / rescheduled assets, provision is made in accordance with RBI guidelines,



जिसमें पुनर्गठन पर प्रदान की जाने वाली आस्तियों के उचित मूल्य में कमी, जैसा भी लागू हो, शामिल है।

आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया जाता है। अंतर-बैंक भागीदारी के माध्यम से अग्रिमों का हस्तांतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम के साथ और बिना जोखिम के किया जाता है। जोखिम के साथ भागीदारी के मामले में, बैंक द्वारा बेची/खरीदी गई भागीदारी की कुल राशि को अग्रिम में से घटाया/शामिल किया जाता है। जोखिम रहित भागीदारी के मामले में, बैंक द्वारा बेची/खरीदी गई भागीदारी की कुल राशि को उधार/निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

6. अचल संपत्ति:

परिसर और अन्य अचल संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर लिखा जाता है क्योंकि मूल्यहास को बढ़ते खाते में डाल दिया जाता है। लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, स्थापना लागत, सॉफ्टवेयर के विकास के लिए किए गए व्यय, और जीएसटी (आईटीसी का शुद्ध) जैसे सभी व्यय शामिल हैं। पहले से उपयोग में आने वाली परिसंपत्तियों पर होने वाले बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभों में वृद्धि होती है।

अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाने के लिए दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा समय-समय पर (हर तीसरे वर्ष) परिसर का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यांकन, यदि कोई हो, पूंजी भंडार के तहत पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन संपत्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अन्य राजस्व रिजर्व में विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाली संपत्ति की वहन राशि में कमी को लाभ और हानि के विवरण पर आरोपित किया जाना चाहिए। हालांकि, कमी को उस परिसंपत्ति के संबंध में पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में मौजूद किसी भी क्रेडिट शेष की सीमा तक सीधे पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को डेबिट किया जाना चाहिए।

अमूर्त संपत्ति

यह भौतिक पदार्थ के बिना एक पहचान योग्य संपत्ति है जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की उम्मीद है और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 26 और नियामक जैसे आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों में निर्धारित मान्यता मानदंडों को पूरा करती है। उदाहरण – सॉफ्टवेयर लाइसेंस शुल्क (सीबीएस, ट्रेजरी / थर्ड पार्टी एप्लिकेशन)। कार्यान्वयन लागत।

7. मूल्यहास:

7.1 अचल संपत्तियों पर मूल्यहास खैराग्राफ 7.2 में संदर्भित के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति के अनुसार, निम्नलिखित तालिका के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन

including diminution in the fair value of the assets to be provided on restructuring, as applicable.

Provision for standard assets, is made in accordance with the guidelines and at levels stipulated by RBI from time to time. Transfer of advances through inter-bank participation is undertaken with and without risk in accordance with RBI guidelines. In case of participation with risk, the aggregate amount of participation sold / purchased by the Bank is reduced from / included in advances. In case of participation without risk, the aggregate amount of participation sold / purchased by the Bank is classified under borrowings / investments.

6. FIXED ASSETS:

Premises and other fixed assets are accounted for at historical cost as reduced by depreciation written off. The cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation cost, expenditure incurred for development of software, and GST (net of ITC). Subsequent expenditure incurred on the assets already in use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capacity.

Revaluation of Fixed Assets

Premises are revalued periodically (every 3rd year) by two independent valuers, to reflect current market valuation. Appreciation, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve. A decrease in the carrying amount of an asset arising on revaluation should be charged to the statement of profit and loss. However, the decrease should be debited directly revaluation surplus to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset.

Intangible Assets

- It is an identifiable asset without physical substance form which future economic benefits are expected to generate and meets recognition criteria as prescribed in Accounting Standard 26 issued by ICAI and applicable guidelines of Regulator viz RBI.
Example – Software License fees (CBS, Treasury/Third party applications). Implementation cost.

7. DEPRECIATION:

7.1 Depreciation on Fixed Assets [other than those referred in Paragraph 7.2] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013 as per written down value method, as per following table, except in case of revalued



के मामले में, जिसके संबंध में मूल्यह्रास इन पुनर्मूल्यांकित संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

क्र. सं.	अचल संपत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास/परिशोधन चार्ज करने की विधि	उपयोगी जीवन (वर्ष)	मूल्यह्रास/परिशोधन दर/
1.	कंप्यूटर (अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण जैसे लैपटॉप/डेस्कटॉप)	सीधी रेखा विधि	3	33.33% हर साल
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग बना रहा है।	सीधी रेखा विधि	3	33.33% हर साल
3.	सर्वर और नेटवर्क/नेटवर्क डिवाइस (डेटा सेंटर आदि)	सीधी रेखा विधि	6	16.67% हर साल
4.	अमूर्त सम्पत्तियाँ	सीधी रेखा विधि	6	16.67% हर साल
5.	सामान्य फर्नीचर और फिटिंग	अवशिष्ट मूल्य विधि	10	25.89% हर साल
6.	कार्यालय उपकरण	अवशिष्ट मूल्य विधि	5	45.07% हर साल
7.	संयंत्र और मशीनरी	अवशिष्ट मूल्य विधि	15	18.10% हर साल
8.	वाहन – मोटर साइकिल, स्कूटर और अन्य 2 पहिया वाहन	अवशिष्ट मूल्य विधि	10	25.89% हर साल
9.	वाहन – मोटर कार और अन्य चार पहिया वाहन	अवशिष्ट मूल्य विधि	8	31.23% हर साल

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation/Amortization	Useful Life (Years)	Depreciation/amortization rate
1.	Computers (End user device such as laptop, desktop)	Straight Line Method	3	33.33% Per annum
2.	Computer software's, forming an integral part of hardware	Straight Line Method	3	33.33% Per annum
3.	Servers and networks/ Network devices (Data Centers/Data Recovery Centre etc)	Straight Line Method	6	16.67 % Per annum
4.	Intangible Assets	Straight Line Method	6	16.67 % Per annum
5.	General furniture and fittings	Written Down Value method	10	25.89 % Per annum
6.	Office Equipment's	Written Down Value method	5	45.07 % Per annum
7.	Plant and Machinery	Written Down Value method	15	18.10 % Per annum
8.	Vehicles - Motor cycles, Scooters and other 2 wheelers	Written Down Value method	10	25.89 % Per annum
9.	Vehicles – Motor Cars and other four wheelers	Written Down Value method	8	31.23 % Per annum

7.2 कंप्यूटर (लैपटॉप / डेस्कटॉप/प्रिंटर) और कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग बनने वाले सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 33.33% प्रति वर्ष की दर से सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।
परिवर्धन पर मूल्यह्रास आनुपातिक रूप से खरीद/उपयोग में लाने की तिथि से प्रदान किया जाता है।

7.2 Depreciation on Computers (Laptops/Desktop/Printer) and Software forming an integral part of Computer Hardware, is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI.

Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

8. कर्मचारी लाभ

8. EMPLOYEE BENEFITS

8.1 भविष्य निधि

8.1 PROVIDENT FUND

नैनीताल बैंक लिमिटेड पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है, बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। योगदान लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है। फंड का प्रबंधन द नैनीताल बैंक लिमिटेड प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

Provident fund is a statutory obligation as per The Nainital Bank Limited PF Rules, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by The Nainital Bank Limited Provident Fund Trust.

8.2 ग्रेच्युटी

8.2 GRATUITY

नैनीताल बैंक लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड नियम और विनियम और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान एक वैधानिक दायित्व है। यह एक बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per The Nainital Bank Limited Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation.



8.3 पेंशन

नैनीताल बैंक लिमिटेड (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभ दायित्व है, और यह उन कर्मचारियों के लिए बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो 31.03.2010 तक बैंक में शामिल हुए हैं और पेंशन का विकल्प चुना है। पेंशन देयता नैनीताल बैंक लिमिटेड (कर्मचारी) पेंशन फंड ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित है।

नई पेंशन योजना जिन कर्मचारियों में से योजना के तहत बैंक में सेवा ग्रहण की है, उनके लिए नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदान आधार पर लागू है, बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान देता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान लाभ और हानि खाते से लिया जाता है।

8.4 वेतन संशोधन— बैंक कर्मचारियों का वेतन संशोधन हर पांच साल के बाद इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए), (बैंकों के प्रबंधन का एक प्रतिनिधि निकाय) और कर्मचारी संघों और अधिकारी संघों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से होता है।

9. आय अभिज्ञान

मौजूदा एनपीए के संबंध में, जहां मुकदमा दायर नहीं किया गया है, समय-समय पर खाते में की गई वसूली (सार्वजनिक धनवसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) को निम्नलिखित तरीके से विनियोजित किया जाता है:

- जीएल ब्याज सस्पेंस खाते में शेष राशि
- मूलधन (किश्त)
- अनुप्रयुक्त ब्याज

दायर किए गए/डिक्री किए गए खातों में वसूली को पहले न्यायालय द्वारा दिए गए कानूनी खर्चों, देय ब्याज और फिर मूल राशि के लिए विनियोजित किया जाता है।

बैंक गारंटी/साख पत्र, लॉकर किराया, बैंक आश्वासन और तृतीय पक्ष उत्पादों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र ट्रेडिंग, कार्डों पर वार्षिक शुल्क पर कमीशन रसीद के आधार पर लिया जाता है। अनुमोदित/संवितरित ऋणों पर एकत्र किए गए प्रसंस्करण/अन्य शुल्कों के साथ-साथ संबंधित ऋण अधिग्रहण लागत की स्थापना/नवीकरण पर मान्यता प्राप्त है। लाभांश आय और आयकर वापसी पर ब्याज को मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर इनपुट क्रेडिट को सीजीएसटी नियम, 2017 के तहत यथासंशोधित समय सीमा के भीतर बही-खातों में दर्ज किया जाता है।

10. आय पर कर:

आयकर व्यय में न्यायिक घोषणाओं और कानूनी राय (यानी आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए

8.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under The Nainital Bank Ltd (Employees) Pension Regulations 1995, and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by The Nainital Bank Limited (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme the Bank contributes 10% of the total basic salary + DA of certain employees enrolled under National Pension Scheme (NPS), a defined contribution plan, which is managed and administered by pension fund management companies. The amounts so contributed/paid by the Bank to the NPS during the year are recognized in the profit and loss account.

8.4 Wage revision- The wage revision of Bank employees takes place after every five years through bilateral talks between Indian Bank Association (IBA), (a representative body of management of Banks) and Employees Unions & Officers' Associations.

9. REVENUE RECOGNITION

In respect of existing NPAs, where suit is not filed, recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act.) from time to time shall be appropriated in the following manner:

- Towards Balances O/s in GL Interest Suspense Account.
- Towards Principal (Instalment).
- Towards unapplied Interest.

Recovery in suit filed/decreed accounts shall be appropriated first towards legal charges awarded by the Court, interest due and then principal amount.

Commission on bank guarantees / letters of credit, locker rent, banc assurance and third party products, Priority Sector Lending Certificate trading, annual fee on cards are accounted on receipt basis. Processing / other fees collected on loans approved / disbursed, along with related loan acquisition costs are recognised at inception / renewal of the facility. Dividend income and interest on Income Tax refund is recognised when the right to receive payment is established. Goods & Service Tax input credit is accounted for in the books within the time limit prescribed under CGST Rules, 2017, as amended.

10. TAXES ON INCOME:

Income Tax expense comprises of current tax provision made after due consideration of the judicial pronounce-



कर की राशि, उसके तहत बनाए गए नियमों और निर्धारित महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार करने के बाद किए गए वर्तमान कर प्रावधान शामिल हैं। आय गणना और प्रकटीकरण मानकों में) और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में शुद्ध परिवर्तन।

आस्थगित आय कर कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर को पहचानते हैं जो एक अवधि में उत्पन्न होते हैं और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होते हैं। आस्थगित कर आस्तियों को उनकी भविष्य की प्रतिवर्तिता की सीमा तक खाते की पुस्तकों में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर देनदारियों को प्रोद्घवन के वर्ष में पूरी तरह से मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर को कर दरों और तुलन पत्र की तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर मापा जाता है।

11. प्रति शेयर आय

बैंक आईसीएआई द्वारा जारी किए गए एस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय की रिपोर्ट करता है। प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से शुद्ध आय को विभाजित करके की गई है। प्रति इक्विटी शेयर पतला आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और अवधि के दौरान बकाया कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की गई है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी एस 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति) के अनुसार, बैंक केवल प्रावधानों को मान्यता देता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह होगा दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक है और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक दायित्व का खुलासा तब तक किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर-दूर तक न हो। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आय की पहचान हो सकती है जिसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

13. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

ments and legal opinion (i.e. the amount of tax for the period determined in accordance with the Income Tax Act, 1961, the rules framed there under and considering the material principles set out in Income Computation and Disclosure Standards) and the net change in the deferred tax asset or liability during the year.

Deferred income taxes recognize timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred Tax Assets are recognized in the books of account to the extent of their future reversibility. Deferred Tax Liabilities are recognized fully in the year of accrual. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date.

11. EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share have been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

13. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.



14. नकदी और नकद समकक्ष

नकदी और समकक्ष नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के साथ शेष और कॉल और शॉर्ट नोटिस पर धन शामिल है।

15. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी गई है।

14. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice.

15. Corporate Social Responsibility

Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013 is recognised in the Profit and Loss Account.

Nainital Bank
amalgam vishva ka atet bandhan

बचत करें और खुशियों को बढ़ाएं,
आज ही नैनीताल बैंक के साथ जुड़े

Saving Account

Follow Us ▶ Facebook Nainital Bank Ltd, Instagram nainital_bank, Twitter @LtdNainital, LinkedIn Nainital Bank Ltd

www.nainitalbank.co.in | marketing@nainitalbank.co.in

Nainital Bank
amalgam vishva ka atet bandhan

We don't want capital to be barrier in expanding
We empower enterprises and inspire growth.
Naini Udhyog Prasar Scheme.

Follow Us ▶ Facebook Nainital Bank Ltd, Instagram nainital_bank, Twitter @LtdNainital, LinkedIn Nainital Bank Ltd

www.nainitalbank.co.in | marketing@nainitalbank.co.in

Nainital Bank
amalgam vishva ka atet bandhan

Need financial support
in difficult times?
Naini Sahyog Personal Loan
The friend you can count on!

Follow Us ▶ Facebook Nainital Bank Ltd, Instagram nainital_bank, Twitter @LtdNainital, LinkedIn Nainital Bank Ltd

www.nainitalbank.co.in | marketing@nainitalbank.co.in

Nainital Bank
amalgam vishva ka atet bandhan

Imagine sitting in the
driver's seat of your **Dream Car.**
Yes it's possible with
Suhana Safar
(Vehicle loan)

Apply Now

Follow Us ▶ Facebook Nainital Bank Ltd, Instagram nainital_bank, Twitter @LtdNainital, LinkedIn Nainital Bank Ltd

www.nainitalbank.co.in | marketing@nainitalbank.co.in



अनुसूची 18: 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खातों में टिप्पणियां
SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

1. नियामक पूंजी / Regulatory Capital

क) नियामक पूंजी की संरचना / a) Composition of Regulatory Capital

क्र.सं./ Sr No.	विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	पिछले वर्ष* (विचलन के बाद) Previous Year* (after divergence)
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	728.36	592.06	573.04
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / Additional Tier 1 capital	NIL	NIL	NIL
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii) / (i + ii) / Tier 1 capital (i + ii)	728.36	592.06	573.04
iv)	टियर 2 पूंजी / Tier 2 capital	47.26	41.33	41.33
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2) / Total capital (Tier 1+Tier 2)	775.62	633.39	614.37
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) / Total Risk Weighted Assets (RWAs)	4658.89	4508.86	4508.86
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में) / CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	15.63%	13.13%	12.71%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	15.63%	13.13%	12.71%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	1.01%	0.92%	0.92%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीएसआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) / Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.64%	14.05%	13.63%
xi)	लिवरेज अनुपात / Leverage Ratio	8.11%	6.86%	6.64%
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत / Percentage of the shareholding of भारत सरकार / Government of India राज्य सरकार / State Government प्रायोजक बैंक / Sponsor Bank	NIL	NIL	NIL
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि / Amount of paid-up equity capital raised during the year	39.95**	NIL	NIL
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	NIL	NIL	NIL
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि Amount of Tier 2 capital raised during the year	NIL	NIL	NIL

*RBI द्वारा अपनी ISE 2022 रिपोर्ट में निकाले गए विचलन को शामिल करने और बोर्ड द्वारा दिनांक 30.03.2023 की बैठक में अनुमोदित किए जाने के बाद पिछले वर्ष के अनुपातों की पुनर्गणना की गई है।

****नोट** – वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 और अन्य लागू प्रावधानों/विनियमों के अनुपालन में बैंक ने रु. 99,86,56,250/- (प्रत्येक 15 रुपये के प्रीमियम पर 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 3,99,46,250 नंबर) के इक्विटी शेयर एवं रुपये 15 प्रीमियम प्रति शेयर पर जारी किए हैं।

*Previous year Ratios have been recalculated after incorporating the divergence observed by RBI in its ISE 2022 report and approved by Board in its meeting dated 30.03.2023.

****Note** – During the year the Bank has issued equity shares amounting ₹ 99,86,56,250/- (3,99,46,250 no's having face value of ₹ 10 each at a premium of ₹ 15 each) in compliance of section 62 of Companies Act, 2013 and other applicable provisions/regulations.



रिजर्व से निकासी

लेखांकन मानक -10 (स्थिर संपत्तियों के लिए लेखांकन) के अनुपालन में पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से रिजर्व में 15.47 लाख रुपये का विनियोजन किया गया है, यह अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यहास को दर्शाता है।

संपत्ति देयता प्रबंधन

ए) 31-03-2023 को संपत्ति और देनदारियों की कुछ वस्तुओं की परिपक्वता पैटन

(राशि रु. करोड़ में)

Draw down from Reserves

An amount of ₹ 15.47 lacs have been appropriated from Revaluation reserve to Revenue reserve in compliance of Accounting Standard -10 (accounting for Fixed Assets) the same reflects the depreciation on revalued portion of fixed assets.

Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31-03-2023

(Amount in ₹ Cr)

देयताएं/ Liabilities	1 दिन/ 1 day	2 से 7 दिन/ 2 to 7 days	8 से 14 दिन/ 8 to 14 days	15 से 30 दिन/ 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह/ 31 days to 2 months	2 माह से अधिक — और 3 माह तक/ Over 2 months & up to 3 months	3 माह से अधिक — और 6 माह तक/ Over 3 months & up to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक/ Over 6 months & up to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक/ Over 1 year & up to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक/ Over 3 years & up to 5 years	5 वर्ष से अधिक/ Over 5 years	कुल/ Total
जमा/ Deposits	75.46 (122.66)	215.57 (216.17)	262.24 (241.50)	192.96 (205.12)	342.41 (307.23)	343.04 (388.07)	870.48 (927.32)	1691.67 (1514.15)	3609.32 (3456.02)	64.90 (88.12)	13.77 (19.52)	7681.82 (7485.88)
अग्रिम/ Advances	13.98 (18.10)	82.26 (89.18)	96.54 (104.16)	193.61 (207.95)	111.86 (105.48)	558.68 (104.29)	416.58 (1.90)	144.83 (6.48)	1617.05 (1569.41)	267.64 (342.01)	672.82 (1367.87)	4175.85 (3916.83)
निवेश/ Investments	700.87 (6.26)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (49.88)	0.00 (84.73)	0.00 (0.00)	0.00 (135.04)	29.99 (40.24)	45.04 (270.95)	428.27 (694.37)	925.53 (1009.63)	2129.70 (2291.10)
उधारियां/ Borrowings	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
विदेशी मुद्रा आस्तियां/ Foreign Currency assets	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
विदेशी मुद्रा देयताएं/ Foreign Currency liabilities	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की इसी अवधि (31 मार्च 2022) के आंकड़े दर्शाते हैं।

Note: Figures in bracket indicates previous year figures for corresponding period (i.e 31st March 2022)



तरलता कवरेज अनुपात (LCR)

a) Liquidity coverage ratio (LCR)

(राशि करोड़ रु. में)

(Amount in ₹ Cr)

		पहली तिमाही 2022-2023 / Q1 2022-2023		दूसरी तिमाही 2022-2023 / Q2 2022-2023		तीसरी तिमाही 2022-2023 / Q3 2022-2023		चौथी तिमाही 2022-2023 / Q4 2022-2023	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां / High Quality Liquid Assets									
1.	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) / Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	2101.77	2101.77	2137.46	2137.46	2072.11	2072.11	2072.73	2072.73
नकदी प्रवाह / Cash Outflows									
2.	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा, जिनमें से / Retail deposits and deposits from small business customers	5525.70	354.17	5530.74	364.94	5545.53	406.06	5607.84	411.68
(i)	स्थिर जमा / Stable deposits	3967.93	198.40	3762.74	188.14	2969.77	148.49	2982.17	149.11
(ii)	कम स्थिर जमा / Less stable deposits	1557.77	155.78	1768.01	176.80	2575.76	257.58	2625.67	262.57
3.	असुरक्षित थोक वित्त पोषण, जिनमें से / Unsecured wholesale funding of which	1523.75	815.07	1526.97	814.15	1415.44	684.23	1490.44	747.23
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्ष) / Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार) / Non-operational deposits (all counterparties)	1523.75	815.07	1526.97	814.15	1415.44	684.23	1490.44	747.23
(iii)	असुरक्षित ऋण / Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	सुरक्षित थोक वित्त पोषण / Secured wholesale funding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		पहली तिमाही 2022-2023 / Q1 2022-2023		दूसरी तिमाही 2022-2023 / Q2 2022-2023		तीसरी तिमाही 2022-2023 / Q3 2022-2023		चौथी तिमाही 2022-2023 / Q4 2022-2023	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)
5.	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से/ Additional requirements, of which	578.42	31.57	649.14	35.90	890.93	51.61	886.08	50.80
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह / Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह / Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और तरलता सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	578.42	31.57	649.14	35.90	890.93	51.61	886.08	50.80
6.	अन्य संविदात्मक वित्त पोषण दायित्व / Other contractual funding obligations	208.78	208.78	180.11	180.11	149.58	149.58	185.08	185.08
7.	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व / Other contingent funding obligations	126.30	3.79	128.76	3.86	121.72	3.65	107.55	3.23
8.	कुल नकद बहिर्वाह / Total Cash Outflows	7962.95	1413.38	8015.72	1398.96	8123.21	1295.14	8276.98	1398.01
नकदी इनफ्लो / Cash Inflows									
9.	सुरक्षित उधार (जैसे रिवर्स रेपो) / Secured lending (e.g. reverse repos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000



		पहली तिमाही 2022-2023 / Q1 2022-2023		दूसरी तिमाही 2022-2023 / Q2 2022-2023		तीसरी तिमाही 2022-2023 / Q3 2022-2023		चौथी तिमाही 2022-2023 / Q4 2022-2023	
		कुल अभांरित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भांरित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भांरित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भांरित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भांरित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भांरित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भांरित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)
10.	पूरी तरह से प्रदर्शन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह / Inflows from fully performing exposures	176.64	172.99	276.37	260.23	377.45	275.59	405.87	283.24
11.	अन्य नकदी अंतर्वाह / Other cash inflows	175.70	87.85	151.06	75.53	128.54	64.27	111.91	55.96
12.	कुल नकद अंतर्वाह / Total Cash Inflows	352.34	260.84	427.43	335.76	505.99	339.86	517.78	339.19
			कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value
13.	कुल एचक्यूएलए / Total HQLA	2101.77	2101.77	2137.46	2137.46	2072.11	2072.11	2072.73	2072.73
14.	कुल नकद बहिर्वाह घटा कुल नकद अंतर्वाह / Total Cash Outflows less Total Cash Inflows	7610.61	1152.54	7588.29	1063.20	7617.23	955.28	7759.20	1058.82
15.	कुल नकदी बहिर्गमन का 25% / 25% of Total Cash outflows	1990.74	353.35	2003.93	349.74	2030.80	323.78	2069.25	349.50
16.	कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह (14 या 15 से अधिक) / Total Net Cash Outflows [Higher of 14 or 15]	7610.61	1152.54	7588.29	1063.20	7617.23	955.28	7759.20	1058.82
17.	तरलता कवरेज अनुपात(%) (एचक्यूएलए / कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह / Liquidity Coverage Ratio (%) (HQLA*100/ Total Net Cash Outflows)		182.36%		201.04%		216.91%		195.76%



गुणात्मक

बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बेसल समिति (बीसीबीएस) ने तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का प्रस्ताव दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास 30 दिनों की अवधि तक चलने वाले एक महत्वपूर्ण तरलता तनाव से बचने के लिए बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है। LCR को अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए अनुमानित कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह के लिए स्फुर। के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम एलसीआर 1 जनवरी 2015 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा जैसा कि नीचे दिया गया है।

1 जनवरी से शुरू	2015	2016	2017	2018	2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

इसके अलावा कोविड 19 महामारी के कारण आरबीआई ने 17.04.2020 से एलसीआर दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। विवरण नीचे दिया गया है:

सर्कुलर की तिथि से 30 सितंबर, 2020 तक	80%
1 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021	90%
1 अप्रैल, 2021 से आगे	100%

LCR में दो घटक होते हैं:

- स्ट्रेस्ड परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य।
- कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह: शब्द "कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह" को बाद के 30 कैलेंडर दिनों (स्ट्रेस्ड अवधि) के लिए निर्दिष्ट तनाव परिदृश्य में "कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह" घटा "कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह" के रूप में परिभाषित किया गया है।

एलसीआर = अगले 30 कैलेंडर दिनों में उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति / कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह का स्टॉक $\geq 100\%$

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए):

तरल संपत्ति में उच्च गुणवत्ता वाली संपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें आसानी से बेचा या उपयोग किया जा सकता है ताकि विभिन्न प्रकार के तनाव परिदृश्यों में धन प्राप्त किया जा सके। उन्हें बिना किसी कानूनी, नियामक या परिचालन बाधाओं के भारमुक्त होना चाहिए। संपत्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति माना जाता है यदि उन्हें आसानी से और तुरंत नकद में परिवर्तित किया जा सकता है या मूल्य का कोई नुकसान नहीं होता है।

एचक्यूएलए की बैंक की संरचना में मुख्य रूप से न्यूनतम वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत अनुमत सीमा और एलसीआर (एफएएलएलसीआर) के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां, इसके अतिरिक्त, नकद, आरबीआई के पास नकदी आरक्षित आवश्यकता से अधिक शेष, शामिल हैं। लेवल 2 एचक्यूएलए में मुख्य रूप से एए- और उससे ऊपर के कॉर्पोरेट बॉन्ड और कर्माश्रित पेपर शामिल थे।

Qualitative

The Basel Committee for Banking Supervision (BCBS) had proposed the liquidity coverage ratio (LCR) in order to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high quality liquid assets (HQLA) to survive a significant liquidity stress lasting for a period of 30 days. LCR is defined as a ratio of HQLA to the total net cash outflows estimated for the next 30 calendar days. As per the RBI guidelines the minimum LCR required to be maintained by banks shall be implemented in the phased manner from January 1, 2015 as given below.

Starting from January 1	2015	2016	2017	2018	2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

Further due to Covid 19 pandemic RBI has revised the LCR guidelines w.e.f. 17.04.2020, details as given below:

From date of circular to September 30, 2020	80%
Oct 1, 2020 to March 31, 2021	90%
April 1, 2021 onwards	100%

The LCR has two components:

- The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions.
- Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets / Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days $\geq 100\%$

High Quality Liquid Assets (HQLA):

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

Bank's composition of HQLA mainly consists of government securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR), the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally, cash, balances in excess of cash reserve requirement with RBI. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.



बैंक के नकद बहिर्वाह में मुख्य रूप से खुदरा जमा, असुरक्षित थोक निधिकरण, और अन्य कानूनी इकाई ग्राहकों से धन, आहरित कमिटेड क्रेडिट शामिल हैं।

कैश इनप्लो में मुख्य रूप से रिटेल और लघु व्यवसाय प्रतिपक्ष से, गैर-वित्तीय थोक प्रतिपक्षों, वित्तीय संस्थाओं से और आर बी आई और अन्य संविदात्मक से प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

शुद्ध नकदी बहिर्वाह की गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित बहिर्वाह कारकों को देनदारियों की विभिन्न श्रेणियों के साथ-साथ गैर-आहरण प्रतिबद्धताओं को, आंशिक रूप से 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से अंतर्वाह द्वारा ऑफसेट लागू करके की जाती है।

मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एलसीआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता अर्थात् 100% से अधिक, आसानी से 195.76% था। औसत नकद बहिर्वाह रु. 1398.01 करोड़ था, औसत नकदी अंतर्वाह रु. 339.19 करोड़ था। मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में औसत उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति 2072.73 करोड़ रुपये थी।

ग) एनएसएफआर प्रकटीकरण मानक

एनएसएफआर गुणात्मक प्रकटीकरण

आरबीआई के दिशानिर्देशों ने दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही से प्रकटीकरण के साथ समेकित स्तर पर 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी एनएसएफआर के कार्यान्वयन को निर्धारित किया। तदनुसार, बैंक समेकित एनएसएफआर की गणना कर रहा है। NSFR को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है;

$$NSFR = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर फंडिंग (ASF)}}{\text{(आवश्यक स्थिर फंडिंग (RSF))}}$$

उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ) को फंडिंग स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के फंडिंग प्रदाताओं की अपनी फंडिंग वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है। आवश्यक स्थिर निधिकरण (आरएसएफ) तुलन-पत्र से बाहर एक्सपोजर सहित बैंक द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की तरलता विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं का एक कार्य है।

इसके साथ संलग्न तालिका में लेखापरीक्षित वित्तीय के आधार पर 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार एनएसएफआर घटकों का भारित और भारित मूल्य निर्धारित किया गया है।

समेकित स्तर पर, बैंक का एनएसएफआर 31 मार्च 2022 को 216.17: और 31 मार्च 2023 को 185.73: था, जबकि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार

Bank's Cash Outflow mainly consists of Retail Deposit, Unsecured Wholesale Funding, and Funding from other legal entity customers, Undrawn Committed Credit & Liquidity Facilities, Guarantees Letter Of Credit & Trade Finance, and Other Contractual Outflows.

The cash Inflow mainly consists of amount received from Retail & Small Business Counterparties, amount to be received from Non-Financial Wholesale Counterparties, amount to be received from Financial Institutions & RBI, and from Other Contractual Cash Inflows.

The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities as well as to undrawn commitments, partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The average LCR for the quarter ended March 2023 was 195.76% comfortably above RBI prescribed minimum requirement i.e. 100%. Average cash outflows were ₹ 1398.01 Crore, Average cash inflows were ₹ 339.19 Crores. Average High Quality Liquid Assets were ₹ 2072.73 Crores of the quarter ended March 2023.

c) NSFR Disclosure Standards

NSFR Qualitative Disclosure

The RBI guidelines stipulated the implementation of NSFR effective from 1st October 2021 at a consolidated level with disclosure from quarter ended December 2021. Accordingly, the bank is computing the Consolidated NSFR. The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding;

$$NSFR = \frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{(Required Stable Funding (RSF))}}$$

Available stable funding (ASF) is measured based on the broad characteristics of relative stability of funding sources, including contractual maturity of its liabilities and the differences in the tendency of different types of funding providers to withdraw their funding. Required Stable Funding (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by the bank including Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

The table attached herewith sets out the un-weighted and weighted value of the NSFR components as on 31st March 2022 and 31st March 2023 based on audited financials.

At a consolidated level, the NSFR of the bank comes out to 216.17% as on 31st March 2022 and 185.73 % as on 31st March



100% की आवश्यकता थी।

एनएसएफआर से संबंधित प्रकटीकरण की निरंतरता और उपयोगिता को बढ़ावा देने और बाजार अनुशासन को बढ़ाने के लिए, बैंक को आरबीआई द्वारा दिए गए एक सामान्य टेम्पलेट के अनुसार अपना एनएसएफआर प्रकाशित करना आवश्यक है। इसलिए बैंक को वित्तीय विवरणों के प्रकाशन के साथ इस प्रकटीकरण को प्रकाशित करना आवश्यक है (अर्थात् आमतौर पर त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक), बिना आक्षेप के ही वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की गई हो। NSFR जानकारी की गणना समेकित आधार पर की जाती है और भारतीय रुपये में प्रस्तुत की जाती है।

आंकड़ों को तिमाही-अंत टिप्पणियों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एनएसएफआर घटकों के भारित और भारित दोनों मूल्यों का घोषित तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो। भारित मूल्यों की गणना एएसएफ (उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण) या आरएसएफ (आवश्यक स्थिर वित्त पोषण) कारकों को लागू करने के बाद मूल्यों के रूप में की जाती है।

आरबीआई ने अपने परिपत्र दिनांक 05.02.2021 में निर्णय लिया कि एनएसएफआर दिशानिर्देश 1,2021 अक्टूबर से प्रभावी होंगे।

2023 against the requirement of 100% as per RBI guidelines.

To promote the consistency and usability of disclosures related to the NSFR and to enhance market discipline, bank is required to publish its NSFR according to a common template given by RBI. Bank is therefore required to publish this disclosure along with the publication of financial statements (i.e. typically quarterly or semi-annually), irrespective of whether the financial statements are audited. The NSFR information is calculated on a consolidated basis and presented in Indian Rupee.

Data must be presented as quarter-end observations. Both un-weighted and weighted values of the NSFR components are to be disclosed unless otherwise indicated. Weighted values are calculated as the values after applying ASF (Available stable funding) or RSF (Required stable funding) factors.

RBI in its circular dated 05.02.2021 decided that NSFR guidelines will come into effect from October 1,2021.

रुपये करोड़ में / (₹ in Crore)						
परिशिष्ट II / Appendix II						
एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट-31.03.2022/ NSFR Disclosure Template-31.03.2022						
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभाषित मूल्य / Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य / Weighted value परिपक्वता नहीं / No maturity
		परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से / < 6 months	परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से / < 6 months	
एएसएफ आइटम / ASF Item						
1	पूंजी / Capital: (2+3)	0.00	0.00	0.00	633.39	633.39
2	विनियामक पूंजी / Regulatory capital	0.00	0.00	0.00	633.39	633.39
3	अन्य पूंजीगत साधन / Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	खुदरा जमा और छोटे व्यापार ग्राहक से जमा / Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	0.00	0.00	5796.65	0.00	5387.82
5	स्थिर जमा / Stable deposits	0.00	0.00	3416.66	0.00	3245.83
6	कम स्थिर जमा / Less stable deposits	0.00	0.00	2379.99	0.00	2141.99
7	थोक निधि / Wholesale funding: (8+9)	0.00	0.00	1366.07	0.00	683.04
8	परिचालन जमा / Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक वित्त पोषण / Other wholesale funding	0.00	0.00	1366.07	0.00	683.04
10	अन्य देयता / Other liabilities: (11+12)	0.00	0.00	11.81	119.50	119.50



		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभाजित मूल्य / Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य / Weighted value परिपक्वता नहीं / No maturity
		परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से / < 6 months	परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से / < 6 months	
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयता / NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देयता और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं / All other liabilities and equity not included in the above categories	0.00	0.00	11.81	119.50	119.50
13	कुल एसएफ / Total ASF (1+4+7+10)					6823.74
आरएसएफ आइटम / RSF Item						
14	कुल NSFR उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA) / Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					0.00
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा राशियाँ / Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: / Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	0.00	637.53	3052.84	2303.12
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना / Performing loans to Financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	वित्तीय संस्थानों को गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए सुरक्षित ऋण देना और असुरक्षित प्रदर्शन द्वारा वित्तीय संस्थानों को ऋण / Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना ग्राहकों, खुदरा छोटे व्यवसाय ग्राहकों को ऋण और संप्रभुओं को ऋण, केंद्रीय बैंक और सार्वजनिक उपक्रम, जिनमें से: / Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0.00	0.00	637.53	0.00	318.77
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ / With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभांरित मूल्य / Unweighted value by residual maturity				भांरित मूल्य / Weighted value परिपक्वता नहीं / No maturity
		परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से / < 6 months	परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से / < 6 months	
21	परफार्मिंग आवासीय मॉर्टगेज Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	0.00	3052.84	1984.35
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ / With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	3052.84	1984.35
23	प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटीज सहित एचक्यूएलए के रूप में अर्हता प्राप्त हैं / Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग) / Other assets: (sum of rows 25 to 29)	0.00	1791.15	737.77	364.70	847.04
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं / Physical traded commodities, including gold		0.00	0.00	0.00	0.00
26	डेरिवेटिव के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां डिफॉल्ट निधियों में अनुबंध और योगदान / CCPs /Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव सम्पत्तियाँ / NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं / NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	अन्य सभी संपत्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं / All other assets not included in the above categories		1791.15	737.77	364.70	847.04
30	ऑफ-बैलेंस शीट आइटम / Off-balance sheet items		130.57	0.00	0.00	6.53
31	कुल आरएसएफ / Total RSF (14+15+16+24+30)		3156.69			
32	शुद्ध स्थिर निधि अनुपात / Net Stable Funding Ratio (%)		216.17%			



रुपये करोड़ में / (₹ in Crore)						
एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट-31.03.2022*/ NSFR Disclosure Template-31.03.2022*						
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभांरित मूल्य / Unweighted value by residual maturity				भांरित मूल्य / Weighted value
		परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से / < 6 months	≥6 महीने से ≥1 वर्ष / < 6 months to 1 Yr	≥1 वर्ष < 1 Year	
एसएसएफ आइटम / ASF Item						
1	पूंजी / Capital: (2+3)	0.00	0.00	0.00	614.37	614.37
2	विनियामक पूंजी / Regulatory capital	0.00	0.00	0.00	614.37	614.37
3	अन्य पूंजीगत साधन / Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	खुदरा जमा और छोटे व्यापार ग्राहक से जमा / Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	0.00	0.00	5,796.65	0.00	5,387.82
5	स्थिर जमा / Stable deposits	0.00	0.00	3,416.66	0.00	3,245.83
6	कम स्थिर जमा / Less stable deposits	0.00	0.00	2,379.99	0.00	2,141.99
7	थोक निधि / Wholesale funding: (8+9)	0.00	0.00	1,366.07	0.00	683.04
8	परिचालन जमा / Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक वित्त पोषण / Other wholesale funding	0.00	0.00	1,366.07	0.00	683.04
10	अन्य देयता / Other liabilities: (11+12)		0.00	11.81	119.50	119.50
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयता / NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देयता और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं / All other liabilities and equity not included in the above categories		0.00	11.81	119.50	119.50
13	कुल एसएसएफ / Total ASF (1+4+7+10)					6,804.72
आरएसएफ आइटम / RSF Item						
14	कुल NSFR उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA) / Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					0.00
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा राशियां / Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: / Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	0.00	637.53	3,052.84	2,303.12



		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभाजित मूल्य / Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य / Weighted value
		परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से / < 6 months	≥6 महीने से ≥1 वर्ष / < 6 months to 1 Yr	≥1 वर्ष < 1 Year	
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना / Performing loans to Financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	वित्तीय संस्थानों को गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए सुरक्षित ऋण देना और असुरक्षित प्रदर्शन द्वारा वित्तीय संस्थानों को ऋण / Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना ग्राहकों, खुदरा छोटे व्यवसाय ग्राहकों को ऋण और संप्रभुओं को ऋण, केंद्रीय बैंक और सार्वजनिक उपक्रम, जिनमें से: / Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0.00	0.00	637.53	0.00	318.77
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ / With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	परफार्मिंग आवासीय मॉर्टगेज Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	0.00	3,052.84	1,984.35
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ / With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	3,052.84	1,984.35



		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभासित मूल्य / Unweighted value by residual maturity				भासित मूल्य / Weighted value
		परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से / < 6 months	≥6 महीने से ≥1 वर्ष / < 6 months to 1 Yr	≥1 वर्ष < 1 Year	
23	प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटीज सहित एचक्यूएलए के रूप में अर्हता प्राप्त हैं / Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग) / Other assets: (sum of rows 25 to 29)		1791.15	737.77	364.70	847.04
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं / Physical traded commodities, including gold		0.00	0.00	0.00	0.00
26	डेरिवेटिव के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां डिफॉल्ट निधियों में अनुबंध और योगदान / CCPs /Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव सम्पत्तियाँ / NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं / NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	अन्य सभी संपत्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं / All other assets not included in the above categories		1,791.15	737.77	364.70	847.04
30	ऑफ-बैलेंस शीट आइटम / Off-balance sheet items		130.57			6.53
31	कुल आरएसएफ / Total RSF (14+15+16+24+30)		3,156.69			
32	शुद्ध स्थिर निधि अनुपात / Net Stable Funding Ratio (%)		215.57%			

*Previous year NSFR have been recalculated after incorporating the divergence observed by RBI in its ISE 2022 report and approved by Board in its meeting dated 30.03.2023



रुपये करोड़ में / (₹ in Crore)						
एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट-31.03.2023*/ NSFR Disclosure Template-31.03.2023*						
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभाजित मूल्य / Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य / Weighted value
		परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से/ < 6 months	≥6 महीने से ≥1 वर्ष / < 6 months to 1 Yr	≥1 वर्ष < 1 Year	
एसएसएफ आइटम / ASF Item						
1	पूंजी / Capital: (2+3)	0.00	0.00	0.00	775.62	775.62
2	विनियामक पूंजी / Regulatory capital	0.00	0.00	0.00	775.62	775.62
3	अन्य पूंजीगत साधन / Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	खुदरा जमा और छोटे व्यापार ग्राहक से जमा / Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	2814.04	1624.95	1260.68	0.00	5,275.85
5	स्थिर जमा / Stable deposits	1,740.75	654.81	527.26	0.00	2,776.68
6	कम स्थिर जमा / Less stable deposits	1073.29	970.14	733.42	0.00	2,499.17
7	थोक वित्त पोषण / Wholesale funding: (8+9)	68.25	92.37	346.06	0.00	253.34
8	ऑपरेशनल जमा / Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक वित्त पोषण / Other wholesale funding	68.25	92.37	346.06	0.00	253.34
10	अन्य देयता / Other liabilities: (11+12)	0.00	748.43	0.00	1,000.14	1,013.27
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयता / NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देयता और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं / All other liabilities and equity not included in the above categories	0.00	748.43	0.00	1,000.14	1,013.27
13	कुल एसएसएफ / Total ASF (1+4+7+10)					7,318.08
आरएसएफ आइटम / RSF Item						
14	कुल NSFR उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA) / Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					0.00
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा राशियां / Deposits held at other financial institutions for operational purposes	16.52	0.00	0.00	0.00	8.26
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: / Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	4988.11	724.97	1224.89	2717.81
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना / Performing loans to Financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभाजित मूल्य / Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य / Weighted value
		परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से / < 6 months	≥6 महीने से ≥1 वर्ष / < 6 months to 1 Yr	≥1 वर्ष < 1 Year	
18	वित्तीय संस्थानों को गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए सुरक्षित ऋण देना और असुरक्षित प्रदर्शन द्वारा वित्तीय संस्थानों को ऋण / Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना ग्राहकों, खुदरा छोटे व्यवसाय ग्राहकों को ऋण और संप्रभुओं को ऋण, केंद्रीय बैंक और सार्वजनिक उपक्रम, जिनमें से: / Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0.00	2425.21	100.65	463.02	1504.24
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ / With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	परफार्मिंग आवासीय मॉर्टगेज Performing residential mortgages, of which:	0.00	110.47	18.46	602.01	459.52
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ / With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	110.47	18.46	602.01	459.52
23	प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटीज सहित एचक्यूएलए के रूप में अर्हता प्राप्त हैं / Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	2452.43	605.86	159.86	754.05
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग) / Other assets: (sum of rows 25 to 29)	0.00	1629.36	0.00	0.00	1210.98
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं / Physical traded commodities, including gold		0.00	0.00	0.00	0.00



		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभाजित मूल्य / Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य / Weighted value
		परिपक्वता नहीं / No maturity	≥6 महीने से / < 6 months	≥6 महीने से ≥1 वर्ष / < 6 months to 1 Yr	≥1 वर्ष < 1 Year	
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियाँ और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में योगदान / CCPs /Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव सम्पत्तियाँ / NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं / NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	अन्य सभी संपत्तियाँ जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं / All other assets not included in the above categories	0.00	1629.36	0.00	0.00	1210.98
30	ऑफ-बैलेंस शीट आइटम / Off-balance sheet items		103.78	0.00	0.00	3.11
31	कुल आरएसएफ / Total RSF (14+15+16+24+30)		3,940.16			
32	शुद्ध स्थिर निधि अनुपात / Net Stable Funding Ratio (%)		185.73			

Nainital Bank
समृद्धि संचालित है और हमारे साथ

अपने सपनों के घर का द्वार खोलें,
Apna Ashiyana
Scheme के साथ!

Follow Us ▶ f Nainital Bank Ltd @ nainital_bank @LtdNainital Nainital Bank Ltd
www.nainitalbank.co.in marketing@nainitalbank.co.in

Nainital Bank
समृद्धि संचालित है और हमारे साथ

आपके उद्योग को नई ऊंचाइयों तक
पहुँचाने का सुनहरा मौका
Naini Udhog Prasar Scheme

Follow Us ▶ f Nainital Bank Ltd @ nainital_bank @LtdNainital Nainital Bank Ltd
www.nainitalbank.co.in marketing@nainitalbank.co.in



3. निवेश / Investment

क) 31 मार्च 2023 तक निवेश पोर्टफोलियो की संरचना: / a) Composition of Investment Portfolio as on 31st March 2023

(राशि रु. करोड़ में) / Amount in (crore)

	भारत में निवेश / Investments in India						भारत के बाहर निवेश / Investments outside India			
	सरकारी प्रतिभूतियाँ / Govt. Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूति / Other approved Securities	शेयर / Shares	शेयर डिबेंचर बांड / Deben- tures/ Bonds	अन्य / Others	भारत में कुल निवेश / Total Invest- ment in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ / Govt. Securities	अन्य / Others	भारत के बाहर निवेश / Total Invest- ments out- side India	कुल निवेश / Total Invest- ments
परिपक्वता के लिए आयोजित / Held to Maturity										
कुल / Gross	1218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1218.37	0.00	0.00	0.00	1218.37
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) / Less: Provision for non- performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध / Net	1218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1218.37	0.00	0.00	0.00	1218.37
विक्री के लिए उपलब्ध / Available for Sale										
कुल / Gross	806.37	0.00	0.00	135.39	4.46	946.22	0.00	0.00	0.00	946.22
घटा: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provision for depreciation and NPI	23.47	0.00	0.00	6.42	4.46	34.35	0.00	0.00	0.00	34.35
शुद्ध / Net	782.90	0.00	0.00	128.97	0.00	911.87	0.00	0.00	0.00	911.87
ट्रेडिंग के लिए धारित / Held for Trading										
कुल / Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटा: मूल्यहास के लिए प्रावधान और एनपीआई / Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध / Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश / Total Investments	2024.74	0.00	0.00	135.39	4.46	2164.59	0.00	0.00	0.00	2164.59
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान / Less: Provision for non- performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटा: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provision for depreciation and NPI	23.47	0.00	0.00	6.42	4.46	34.35	0.00	0.00	0.00	34.35
शुद्ध / Net	2001.27	0.00	0.00	128.97	0.00	2130.24	0.00	0.00	0.00	2130.24

बी) 31 मार्च 2022 तक निवेश पोर्टफोलियो की संरचना: a) Composition of Investment Portfolio as on 31st March 2022

(राशि रु. करोड़ में) / Amount in (crore)

	भारत में निवेश / Investments in India						भारत के बाहर निवेश / Investments outside India			
	सरकारी प्रतिभूतियाँ / Govt. Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूति / Other approved Securities	शेयर / Shares	शेयर डिबेंचर बांड / Debentures/ Bonds	अन्य / Others	भारत में कुल निवेश / Total Invest- ment in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ / Govt. Securities	अन्य / Others	भारत के बाहर निवेश / Total Invest- ments out- side India	कुल निवेश / Total Invest- ments
परिपक्वता के लिए आयोजित / Held to Maturity										
कुल / Gross	1243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1243.39	0.00	0.00	0.00	1243.39
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) / Less: Provision for non- performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध / Net	1243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1243.39	0.00	0.00	0.00	1243.39
बिक्री के लिए उपलब्ध / Available for Sale										
कुल / Gross	846.38	0.00	0.00	186.19	29.80	1062.37	0.00	0.00	0.00	1062.37
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provision for depreciation and NPI	8.21	0.00	0.00	0.74	5.72	14.67	0.00	0.00	0.00	14.67
शुद्ध / Net	838.17	0.00	0.00	185.45	24.08	1047.70	0.00	0.00	0.00	1047.70
ट्रेडिंग के लिए धारित / Held for Trading										
कुल / Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटा: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान और एनपीआई / Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध / Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश / Total Investments	2089.77	0.00	0.00	186.19	29.80	2305.76	0.00	0.00	0.00	2305.76
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान / Less: Provision for non- performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provision for depreciation and NPI	8.21	0.00	0.00	0.74	5.72	14.67	0.00	0.00	0.00	14.67
शुद्ध / Net	2081.56	0.00	0.00	185.45	24.08	2291.09	0.00	0.00	0.00	2291.09



बी) मूल्यह्रास और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि रु. करोड़) / (Amount in ₹ Cr)

	मर्दे / Movement of provisions held towards depreciation on investments	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन / Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(a)	प्रारंभिक जमा / Opening Balance	8.41	3.08
(b)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	20.94	5.33
(c)	घटा: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को राइट-ऑफ खाते Less: Write off / write back of excess provisions during the year	0.00	0.00
(d)	अंतिम शेष / Closing Balance	29.35	8.41
(ii)	सुरक्षा प्राप्तियों के प्रावधान / Provisions for Security Receipts		
(a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	5.72	0.00
(b)	कम: वापस अतिरिक्त प्रावधान / Less: Write back of excess provision	0.00	5.72
(c)	जोड़ें: तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions made during the quarter	0.00	0.00
(d)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को राइट-ऑफ खाते में डालना / वापस / Less: Write off / Write back of excess provisions during the year	1.26	0.00
(e)	अंतिम शेष / Closing Balance	4.46	5.72
(iii)	एनपीआई के प्रावधानों का संचलन / Movement of provisions for NPI		
(a)	प्रारंभिक जमा / Opening Balance	0.54	0.00
(b)	कम: वापस अतिरिक्त प्रावधान / Less: Write back of excess provision	0.00	0.00
(c)	जोड़ें: तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions made during the quarter	0.00	0.54
(d)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को राइट-ऑफ खाते में डालना / वापस / Less: Write off / Write back of excess provisions during the year	0.00	0.00
(d)	अंतिम शेष / Closing Balance	0.54	0.54
(iv)	निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व में संचलन Movement in Investment Fluctuation Reserve		
(1)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	21.25	12.07
(2)	वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि / Amount transferred during the year	0.00	9.18
(3)	कम: ड्राडाउन / Less: Drawdown	0.00	0.00
(4)	अंतिम शेषराशि / Closing balance	21.25	21.25
(5)	AFS और HFT/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में IFR में अंतिम शेष राशि / Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS* and HFT@Current category	2.25%	2.00%
(6)	ट्रेडिंग पोर्टफोलियो / Trading Portfolio	946.22	1062.37



ग) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री और स्थानान्तरण

एचटीएम पोर्टफोलियो में/से एएफएस में 5% से अधिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का विवरण: शून्य।

डी) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

c) Sale and transfers to/from HTM category

Details of Transfer of Securities to/from HTM portfolio to AFS in excess of 5% : NIL.

d) Non-SLR investment portfolio

i) Non & performing non & SLR investments

	विवरण / Particulars	(राशि रु. करोड़ में) / (Amount in ₹ Cr)	(राशि रु. करोड़ में) / (Amount in ₹ Cr)
ए/ a	प्रारंभिक जमा / Opening balance	0.54	0.00
बी/ b	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year since 1 st April	0.00	0.54
सी/ c	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती / Reductions during the above period	0.00	0.00
डी/ d	अंतिम शेष / Closing balance	0.54	0.54
ई/ e	कुल प्रावधान / Total provisions held	0.54	0.54

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

ii) Issuer composition of non & SLR investments

(राशि रु. करोड़ में)

(₹ in crores)

क्र. सं./ S. No.	जारीकर्ता / Issuer	राशि / Amount		निजी प्लेसमेंट / Extent of Private Placement		सार्वजनिक निगम / Extent of 'Below Investment Grade' Securities		'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियां / Public Issue		कुल निवेश में अनरेटेड / Extent of 'Unrated' Securities		कुल निवेश में असूचीबद्ध / Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year
(i)	पीएसयू / PSU	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	एफआई / FIs	24.99	30.90	24.99	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	बैंक / Banks	34.82	29.82	34.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	निजी कॉर्पोरेट / Private Corporate	0.54	34.93	0.54	34.93	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54	0.54
(v)	सहायक / संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य / Others	39.49	80.34	39.49	70.37	0.00	0.00	0.00	9.97	0.00	0.00	4.46	5.72
(vii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान / Provisions held for depreciation	10.88	6.46	10.88	6.46	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54	0.54	5.00	6.26
	कुल / Total	128.96	209.53	128.96	199.56	0.00	0.00	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00

ई) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में) - बैंक ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान कोई रेपो या रिवर्स रेपो लेनदेन नहीं किया था।

e) Repo transactions (in face value terms) - The Bank had not entered into any Repo or reverse repo transactions during the current year and last year.



4. संपत्ति की गुणवत्ता / 4. Asset quality

(i) 31 मार्च 2023 तक धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण:

(i) Classification of advances and provisions held as on March 31st 2023:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

	मानक / Standard	गैर-निष्पादित / Non-Performing				योग / Total
	कुल मानक अग्रिम / Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर-परफार्मिंग अग्रिम / Total Non- Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए / Gross Standard Advances and NPAs						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	3690.37	126.62	356.99	24.34	507.95 @	4198.32
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Additions during the year					122.34	
कम: वर्ष के दौरान कटौती* / Less: Reductions during the year*					187.03	
अंतिम शेष / Closing balance	4175.86	59.21	361.45	22.59	443.26#	4619.12
*सकल एनपीए में कटौती के कारण: / *Reductions in Gross NPAs due to:						
i) अपग्रेडेशन / i) Upgradation					106.06	106.06
ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों से वसूली को छोड़कर) / ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					72.87	72.87
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट-ऑफ़ खाते / iii) Technical/ Prudential Write-offs					-	-
iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा अन्य राइट-ऑफ़ खाते / iv) Write-offs other than those under (iii) above					3.2	3.2
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर) / Provisions (excluding Floating Provisions)					4.9	4.9
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा / Opening balance of provisions held	25.94	20.72	236.10	24.34	281.16	307.10
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान / Add: Fresh provisions made during the year					80.85	80.85
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान रिवर्सड / राइट-ऑफ़ खाते में डाले गए ऋण / Less: Excess provision reversed / Write-off loans					61.05	61.05
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष / Closing balance of provisions held	24.87	8.93	269.44	22.59	300.96	325.83
शुद्ध एनपीए / Net NPAs						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance					163.61	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए जोड़ / Add: Fresh additions during the year						
कम: वर्ष के दौरान कटौती / Less: Reductions during the year					85.28	
अंतिम शेष / Closing Balance					78.33	78.33

Excluding interest suspense of ₹ 4.47 crore. # रुपये 4.47 करोड़ के ब्याज सस्पेंस को छोड़कर

@Excluding interest suspense of ₹. 13.46 crore @रुपये 13.46 करोड़ के ब्याज सस्पेंस को छोड़कर



	मानक / Standard	गैर-निष्पादित / Non-Performing				योग / Total
	कुल मानक अग्रिम / Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर-परफार्मिंग अग्रिम / Total Non-Performing Advances	
फ्लोटिंग प्रावधान / Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance						62.85
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान / Add: Additional provisions made during the year						NIL
घटा: वर्ष के दौरान आहरित राशि / Less: Amount drawn down during the year						NIL
फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष / Closing balance of floating provisions						62.85
तकनीकी राइट-ऑफ खाते और उस पर की गई वसूली / Technical write-offs and the recoveries made thereon						
तकनीकी / प्रूडेंशियल राइट-ऑफ खातों का प्रारंभिक शेष / Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						137.68
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट-ऑफ खाते / Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						3.20
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट-ऑफ खाते में की गई वसूली / Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						0.33
अंतिम शेष Closing balance						140.55

ii) 31 मार्च 2022 तक अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण:

(ii) Classification of advances and provisions held as on March 31st 2022:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

	मानक / Standard	गैर-निष्पादित / Non-Performing				योग / Total
	कुल मानक अग्रिम / Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर-परफार्मिंग अग्रिम / Total Non-Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए / Gross Standard Advances and NPAs						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	3377.93	166.09	385.86	98.72	650.67@	4028.60
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Additions during the year					129.97	
कम: वर्ष के दौरान कटौती* / Less: Reductions during the year*					272.69	
अंतिम शेष / Closing balance	3377.93	166.09	385.86	98.72	507.95#	
*सकल एनपीए में कटौती के कारण: / *Reductions in Gross NPAs due to:						



	मानक / Standard	गैर-निष्पादित / Non-Performing				योग / Total
	कुल मानक अग्रिम/ Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर-परफार्मिंग अग्रिम / Total Non- Performing Advances	
i) अपग्रेडेशन / i) Upgradation					74.09	74.09
ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों से वसूली को छोड़कर) / ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					78.73	78.73
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट-ऑफ खाते / iii) Technical/ Prudential Write-offs					119.09	119.09
iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा अन्य राइट-ऑफ खाते / iv) Write-offs other than those under (iii) above					0.78	0.78
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर) / Provisions (excluding Floating Provisions)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष / Opening balance of provisions held	18.32	25.08	237.68	95.84	358.60	376.92
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान / Add: Fresh provisions made during the year					91.45	91.45
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान रिवर्सड / राइट-ऑफ खाते में डाले गए ऋण / Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					168.89	168.89
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष / Closing balance of provisions held	25.94	20.72	236.10	24.34	281.16	307.10
शुद्ध एनपीए / Net NPAs #						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance					206.93	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए जोड़ / Add: Fresh additions during the year					22.79	
कम: वर्ष के दौरान कटौती / Less: Reductions during the year					-	
अंतिम शेष / Closing Balance					163.61	163.61

Excluding interest suspense of ₹ 13.46 crore. # ब्याज सस्पेंस रुपये 13.46 करोड़ की राशि शामिल नहीं है।

@Excluding interest suspense of ₹. 21.73 crore @रुपये के ब्याज सस्पेंस को छोड़कर. 21.73 करोड़

	मानक / Standard	गैर-निष्पादित / Non-Performing				योग / Total
	कुल मानक अग्रिम / Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर-परफार्मिंग अग्रिम / Total Non- Performing Advances	
फ्लोटिंग प्रावधान / Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance						62.85
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान / Add: Additional provisions made during the year						शून्य / NIL
घटा: वर्ष के दौरान आहरित राशि / Less: Amount drawn down during the year						शून्य / NIL



	मानक / Standard	गैर-निष्पादित / Non-Performing				योग / Total
	कुल मानक अग्रिम / Total Standard Advances	अवमानक / Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर-परफार्मिंग अग्रिम / Total Non-Performing Advances	
फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष / Closing balance of floating provisions						62.85
तकनीकी राइट-ऑफ खाते और उस पर की गई वसूली / Technical write-offs and the recoveries made thereon						
तकनीकी / प्रूडेंशियल राइट-ऑफ खातों का प्रारंभिक शेष / Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						18.60
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट-ऑफ खाते / Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						119.09
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट-ऑफ खाते में की गई वसूली / Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						0.01
अंतिम शेष Closing balance						137.68

अनुपात (प्रतिशत में)	Ratios (in per cent)	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
सकल एनपीए से सकल अग्रिम /	Gross NPA to Gross Advances	9.60%	12.10 %
शुद्ध एनपीए से शुद्ध अग्रिम /	Net NPA to Net Advances	1.84%	4.25%
प्रावधान कवरेज अनुपात /	Provision coverage ratio	82.08%	67.72%

(ii) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(ii) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

क्र. सं. Sr. No.	सेक्टर / Sector	चालू वर्ष / Current Year			पिछला वर्ष / Previous Year		
		बकाया कुल अग्रिम / Outstanding Total Advances#	सकल एनपीए / Gross NPAs#	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत / Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम@ / Outstanding Total Advances@	सकल एनपीए@ / Gross NPAs@	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत / Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector						
a)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ / Agriculture and allied activities	817.35	149.27	18.26	858.06	172.30	20.08%
b)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम / Advances to industries sector eligible as priority sector lending	365.30	135.09	36.98	412.63	141.78	34.36%
c)	(i) सेवाएं / Services	615.46	60.78	9.87	666.02	78.55	11.79%
d)	व्यक्तिगत ऋण / Personal Loan	395.05	16.74	4.23	352.86	18.12	5.14%
	उप-योग / Subtotal (i)	2193.16	361.88	16.50	2289.57	410.75	17.94



क्र. सं. Sr. No.	सेक्टर / Sector	चालू वर्ष / Current Year			पिछला वर्ष / Previous Year		
		बकाया कुल अग्रिम / Outstanding Total Advances#	सकल एनपीए / Gross NPAs#	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत / Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम@ / Outstanding Total Advances@	सकल एनपीए@ / Gross NPAs@	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत / Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
ii)	गैर-प्राथमिकता वाला क्षेत्र / Non-priority Sector						
a)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ / Agriculture and allied activities	2.55	1.19	46.67	4.23	1.18	27.90%
b)	उद्योग / Industry	74.74	18.19	24.34	73.38	15.74	21.45%
c)	सेवाएं / Services	406.00	19.37	4.77	274.11	29.65	10.82%
d)	व्यक्तिगत ऋण / Personal Loan	1942.67	42.63	2.19	1557.03	50.63	3.25%
	उप-कुल (ii) / Sub-total (ii)	2425.96	81.38	3.35	1908.75	97.20	
	कुल (I + ii) Total (I + ii)	4619.12	443.26	9.60	4198.32	507.95	12.10

#रुपये 4.47 करोड़ का ब्याज सस्पेंस शामिल नहीं है। #Excludes Interest suspense of ₹ 4.47 Crore

@रुपये 13.46 करोड़ का ब्याज सस्पेंस शामिल नहीं है। #Excludes Interest suspense of ₹ 13.46 Crore

ख) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

b) Particulars of resolution plan and restructuring

i) 7 जून 2019 के परिपत्र बैंकिंग वि.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण – शून्य

i) Particulars of resolution plan implemented vide circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 - NIL

ii) पुनर्चना के अधीन खातों का विवरण

ii) Details of accounts subjected to restructuring

		कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ / Agriculture and allied activities		कॉर्पोरेट (एमएसएमई को छोड़कर) / Corporates (excluding MSME)		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) / Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)		खुदरा (कृषि और एमएसएमई को छोड़कर) / Retail (excluding agriculture and MSME)		कुल / Total	
		चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year
मानक Standard	उधारकर्ताओं की संख्या / Number of borrowers	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	सकल राशि (₹ करोड़) / Gross Amount (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	प्रावधान (₹ करोड़) / Provision held (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
अवमानक / Sub-standard	उधारकर्ताओं की संख्या / Number of borrowers	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	सकल राशि (₹ करोड़) / Gross Amount (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	प्रावधान (₹ करोड़) / Provision held (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
संदिग्ध Doubtful	उधारकर्ताओं की संख्या / Number of borrowers	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	सकल राशि (₹ करोड़) / Gross Amount (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	प्रावधान (₹ करोड़) / Provision held (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL



		कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ / Agriculture and allied activities		कॉर्पोरेट (एमएसएमई को छोड़कर) / Corporates (excluding MSME)		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) / Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)		खुदरा (कृषि और एमएसएमई को छोड़कर) / Retail (excluding agriculture and MSME)		कुल / Total	
		चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year
कुल / Total	उधारकर्ताओं की संख्या / Number of borrowers	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	सकल राशि (₹ करोड़) / Gross Amount (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	प्रावधान (₹ करोड़) / Provision held (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

(iii) आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, आरबी. आई परिपत्र संख्या डीओआर न. बीपी. बीसी. 34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 और आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर न. बीपी बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार 'अग्रिमों का पुनर्गठन - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' (एकमुश्त पुनर्गठन) पर, एमएसएमई पुनर्गठित उधारकर्ताओं का 31.03.2022 तक विवरण नीचे है : (₹ लाख में)

खातों की संख्या	31.03.2023 को राशि
1	8.56

(iv) आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 12/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 और दिनांक 04.06.2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर. आरईसी.21/21.04.048/2021-22 रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 पर - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड -19 संबंधित स्ट्रेस का समाधान, पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है।

(₹ लाख में)

खातों की संख्या	फंडेड आउट स्टैंडिंग 31.03.2023	प्रावधान धारित
109	17.91	2.02

(v) आरबीआई सर्कुलर के अनुसार सं. DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 पर "समाधान फ्रेमवर्क - 2.0% COVID-19 का समाधान व्यक्तियों 'और लघु व्यवसाय'" से संबंधित स्ट्रेस, उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधन स्वीकृत और कार्यान्वित किए गए थे और ऐसे उधारकर्ताओं के लिए कुल एक्सपोजर निम्नानुसार है: -

(iii) In accordance with RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, RBI circular No DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 & RBI circular No DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on 'Restructuring of Advances - Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), the details of MSME restructured borrowers as on 31.03.2023 is as under:

No of Accounts	Amount as on 31.03.2023
1	8.56

(iv) In accordance with RBI circular No DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 & RBI circular No DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated 04.06.2021 on Resolution Framework 2.0 - Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under.

(In ₹ Lakhs)

No of Accounts	Funded O/s as on 31.03.2023	Provision Held
109	17.91	2.02

(v) In accordance with the RBI Cir. No. DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework - 2.0: Resolution of COVID - 19 related stress of Individuals* and Small Business*", the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:-



(₹ लाख में)

(In ₹ Lakhs)

खातों की संख्या	कुल एक्सपोजर 31.03.2023	प्रावधान धारित
120	11.85	1.31

*भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर के अनुसार व्यक्ति केवल व्यक्तिगत ऋण खंड को कवर करता है। सं. बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 और अब आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांकित 5 मई 2021 पैरा 5(ए) में शामिल है।

**लघु व्यवसाय (खुदरा व्यापार और थोक व्यापार सहित) उन व्यक्तियों के लिए विस्तारित है जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर के अनुसार एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। सं. बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 और अब आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांकित 5 मई, 2021 पैरा 5(बी) में शामिल है।

(vi) 30 सितंबर, 2021 और 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में किए जाने वाले प्रकटीकरण के लिए प्रारूप - X प्रारूप, आरबीआई/2021-22/31 DOR.STR.REC-11/21.04.048/2021-22

No of Accounts	Aggregate exposure as on 31.03.2023	Provision Held
120	11.85	1.31

* Individual covers only Personal Loan segment as per RBI circular No DOR. No. BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in to para 5(a) of RBI circular No DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021.

** Small Business (including retail trade and wholesale trade) extended to individual which were covered under MSME as per RBI circular No DOR. No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in to para 5(b) of RBI circular No DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021.)

(vi) Format – X Format for disclosures to be made in the quarters ending September 30, 2021 and December 31, 2021, RBI/2021-22/31 DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22

क्र. सं. S. No	विवरण / Description	व्यक्तिगत उधारकर्ता Individual Borrowers		छोटे व्यवसाय Small businesses	कुल Total
		व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	व्यवसायिक ऋण Business Loans		
(ए) (A)	भाग ए के तहत समाधान प्रक्रिया को लागू करने के लिए प्राप्त अनुरोधों की संख्या Number of requests received for invoking resolution process under Part A	108	6	6	120
(बी) (B)	इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां समाधान योजना लागू की गई है Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window	108	6	6	120
(सी) (C)	योजना के कार्यान्वयन से पहले (बी) में उल्लिखित खातों का एक्सपोजर Exposure to accounts mentioned at (B) before implementation of the plan	1148.80	12.73	23.68	1185.21
(डी) (D)	(सी), ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था Of (C), aggregate amount of debt that was converted into other securities	--	--	--	
(ई) (E)	अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत, यदि कोई हो, जिसमें योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के बीच शामिल है Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation	--	--	--	
(एफ) (F)	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan	126.39	1.91	2.93	131.23



(vii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्गठन के अधीन ऋण आस्तियों का विवरण, 31 मार्च 2023 की स्थिति:

रु. लाख में

		31.03.2023 को राशि	पुनर्गठन की तिथि	प्रावधान
3	एल पी ग्रीन्स	8.56	30.03.2021	0.86

सी) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

RBI परिपत्र संख्या DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार, यदि RBI द्वारा मूल्यांकन किए गए NPA के लिए अतिरिक्त प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक है और/या आरबीआई द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक हैं, तो बैंकों को आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन का खुलासा करना आवश्यक है चूंकि पिछले ऑडिट के दौरान आरबीआई द्वारा अतिरिक्त एनपीए की पहचान निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है इसलिए कुछ भी प्रकट नहीं किया गया है।

डी) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण – बैंक ने चालू और पिछले वित्तीय वर्ष में किसी भी ऋण एक्सपोजर को स्थानांतरित नहीं किया है।

ई) धोखाधड़ी खाते

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	2/-No's	13/-No's
धोखाधड़ी में शामिल राशि (रु. करोड़ में)	0.19	73.45
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधानों की राशि (रु. करोड़ में)	0.15	5.65
वर्ष के अंत में धारित प्रावधान (रु. करोड़ में)	11.93	13.03
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट किए गए बिना परिशोधित प्रावधान की राशि (रु. करोड़ में)	शून्य	शून्य

एफ) COVID-19 से संबंधित स्ट्रेस के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020-21/16 डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 06. अगस्त 2020 के अनुसार 31 मार्च 2023 तक COVID 19 संबंधित स्ट्रेस के लिए समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण

(vii) Details of Loan Assets subjected to restructuring during financial year 2020-21, status as on 31st March 2023:

₹ In Lacs

		Amount as on 31.03.2023	Date of restructure	Provision
3	L P Greens	8.56	30.03.2021	0.86

c) Divergence in asset classification and provisioning

As per RBI circular No. DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period then banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning Since the additional NPA identified by RBI during the last audit does not exceed the threshold limit hence nothing to be disclosed.

d) Disclosure of transfer of loan exposures – The Bank have not transferred any loan exposure in current and previous financial year.

e) Fraud accounts

Particulars	As on March 31, 2023	As on March 31, 2022
Number of frauds reported during the year	2/-No's	13/-No's
Amounts Involved in Fraud (in ₹ Cr)	0.19	73.45
Amount of Provisions made for such frauds (in ₹ Cr)	0.15	5.65
Provisions held at the end of the year (in ₹ Cr)	11.93	13.03
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (in ₹ Cr)	NIL	NIL

f) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06.August 2020 as of March 31, 2023.



(राशि रु. करोड़ में) / (Amt in ₹Cr)

उधारकर्ता का प्रकार / Type of borrower	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर—पिछले छमाही के अंत में स्थिति यानी 31.03.2022 (ए) / Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of the Previous half-year i.e 31.03.2022 (A)	(ए) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में बदल गया / Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) का, अर्ध-वर्ष के दौरान राइट ऑफ खाते में डाली गई राशि / Of (A), amount written off during the half-year	(ए) का, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि / Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर—इस छमाही के अंत में स्थिति (ए) / Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of this half-year (A)
व्यक्तिगत ऋण / Personal Loans					
कॉर्पोरेट व्यक्ति* / Corporate persons*					
जिनमें से, एमएसएमई / Of which, MSMEs			शून्य / NIL		
अन्य / Others					
कुल Total					

5. एक्सपोजर / Exposures

क) अचल संपत्ति क्षेत्र के लिए एक्सपोजर

a) Exposure to real estate sector

(राशि रु. करोड़ में) / (₹ In Crore)

श्रेणी / Category	31.03.2023	31.03.2022
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / a) Direct exposure		
(i) आवासीय मोर्टगेज / (i) Residential Mortgages		
आवासीय संपत्ति पर मोर्टगेज द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किराए पर लिया गया है; (*आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत व्यक्तिगत आवास ऋण अलग से दिखाए जा सकते हैं) / Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (*Individual housing loans classified as Priority Sector as per RBI guidelines may be shown separately)	1003.93	838.77
	(339.27)	(307.02)
(ii) वाणिज्यिक अचल संपत्ति – / (ii) Commercial Real Estate –		



श्रेणी / Category	31.03.2023	31.03.2022
**वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर मोर्टगेज द्वारा सुरक्षित ऋण।) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी)/ **Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	65.50	82.00
(iii) मोर्टगेज समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश – / (iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –	0.00	0.00
ए. आवासीय / a. Residential,		
बी. व्यावसायिक अचल संपत्ति / b. Commercial Real Estate.		
बी) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर b) Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	1069.43	920.77
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Real Estate Sector		
**वाणिज्यिक रियल एस्टेट में एक्सपोजर जिसमें शामिल हैं / **Exposure to Commercial Real Estate includes		
फंडेड एक्सपोजर / Funded Exposure	60.06	76.56
गैर-वित्तपोषित एक्सपोजर / Non Funded Exposure	5.44	5.44
*कर्मचारी आवास ऋण शामिल / *include staff housing loans.		



बी) पूंजी बाजार में एक्सपोजर – शून्य/ b) Exposure to capital market - NIL

सी) जोखिम श्रेणी-वार देशीय एक्सपोजर – लागू नहीं/ Risk category-wise country exposure – Not Applicable

डी) गैर जमानती अग्रिम/ d) Unsecured advances

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous Year
बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम / Total unsecured advances of the bank	213.73	289.63
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है। / Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	शून्य / NIL	शून्य / NIL
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य / Estimated value of such intangible securities	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
(नोट: उपरोक्त में से IBPC में एक्सपोजर है) / Note: Out of above exposure towards IBPC is	124.97	200.00

ई) फैक्टरिंग एक्सपोजर – शून्य/ e) Factoring exposures – NIL

एफ) इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर: / f) Intra Group Exposures:

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2023 तक/As on March 31, 2023			31 मार्च 2022 तक/As on March 31, 2022		
	फंड आधारित / Fund Based	निवेश आधारित / Investment Based	कुल / Total	फंड आधारित / Fund Based	निवेश आधारित / Investment Based	कुल / Total
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि / Total Amount of Intra Group Exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
शीर्ष 20 इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि / Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर का इंद्रा-ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत / Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
इंद्रा-ग्रुप एक्सपोजर और उस पर नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो, पर सीमा के उल्लंघन का विवरण / Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL



संबंधित पार्टी प्रकटीकरण – (लेखा मानक – 18):
Related party Disclosure – (Accounting Standard - 18):

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

लेन-देन की प्रकृति / Nature of Transaction	पेरेंट (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) / Parent (as per ownership or control)	पेरेंट सहायक कंपनियों / Parent's Subsidiaries	सहयोगी / संयुक्त उपक्रम / Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक / Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार / Relatives of Key Management Personnel	कुल / Total
अर्जित ब्याज / Interest Earned	0.48	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.48
अन्य आय / Other Income	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
कमीशन आय / Commission Income	शून्य / NIL	0.17	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.17
लामांश दिया / Dividend Paid	3.82*	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	3.82*
कमीशन का भुगतान / Commission Paid	0.003	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.003
पारिश्रमिक / Remuneration	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.26	शून्य / NIL	0.26
सेवाओं का प्रतिपादन / Rendering of services	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
जमा (कासा) / Deposits (CASA)	8.47	0.35	210.70	शून्य / NIL		8.47
— प्लेसमेंट / Placements						
— प्राप्त हुआ / Received						
— जमा (अवधि) / Deposit (Term)						210.7
निवेश / Investments:- कॉल मनी / Call Money	60.00	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	60.00
अग्रिमों / Advances	0.00 (0.00)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.00 (0.00)
जारी आईबीपीसी / IBPC Issued						
आईबीपीसी में भाग लिया / IBPC Participated						
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं वर्ष के अंत में / Non-funded commitments at the year end	0.95	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.95



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के संबंधित पक्षों को देय/प्राप्त करने योग्य अधिकतम शेष राशि नीचे दी गई है:

The maximum balances payable to/receivable from the related parties of the Bank during the year ended 31 March, 2023 are given below:

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

आइटम / संबंधित पार्टी / Items/ Related Party	पेरेंट (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) / Parent (as per Ownership or control)	सहायक कंपनियों / Subsidiaries	सहयोगी / संयुक्त उद्यम / Associates/ Joint ventures #	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक / Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार / Relatives of Key Management Personnel	कुल / Total
प्राप्त जमा / Deposit Received		0.35	210.70			211.05
जमा का प्लेसमेंट / Placement of deposits	8.47					8.47
अग्रिम * / Advances *						
निवेश / Investments						
गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं / Non-funded commitments						
कॉल लेंडिंग / Call Lending						
स्वैप / फॉरवर्ड अनुबंध / Swap/ Forwards Contract						
हाइब्रिड कैपिटल में संबंधित पार्टी का निवेश / बैंक के बांड / Investment of related party in Hybrid Capital/ Bonds of the Bank						
प्रबंधन अनुबंधों के तहत देय / Payable under management contracts						
अन्य प्राप्त (शुद्ध) / Other receivables (net)		0.04				0.04
अन्य देय (शुद्ध) / Other payables (net)						
नॉन फंडिंग (बीजी) / Non Funded (BG)	0.95					0.95

संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनके संबंध :

Names of the related parties and their relationship with the Bank

i)	मूल संस्था / Parent	बैंक ऑफ बड़ौदा (98.57 प्रतिशत इक्विटी के साथ प्रमुख शेयरधारक) / Bank of Baroda (Major Shareholder with 98.57% equity)
ii)	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक / Key Management Personnel	(I) श्री दिनेश पंत (प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ) / 30-06-2022 को बैंक ऑफ बड़ौदा में वापिस बुलाये गए। / Shri Dinesh Pant (Managing Director & CEO) Repatriated to Bank of Baroda on 30-06-2022 श्री निखिल मोहन (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ) (01-07-2022 को नियुक्त) / Shri Nikhil Mohan (Managing Director & CEO) (Appointed on 01-07-2022)
ii)	मूल सहायक कंपनियों Parent's Subsidiary	घरेलू सहायक कंपनियां / Domestic Subsidiaries
		(I) बड़ौदा ग्लोबल शेयर सर्विसेज लिमिटेड / Baroda Global Shared Services Limited
		(II) बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (जिसे पहले बॉब कार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) / BOB Financial Solutions Limited (formerly known as BOB cards Limited)
		(III) बॉब कैपिटल मार्केट्स लि. / BOB Capital Markets Ltd.
		(IV) बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड / Baroda Sun Technologies Ltd.



		(V)	बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पहले बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।) / Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (formerly known as BNP Paribas Asset Management India Private Limited)
		(VI)	इंडिया फर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड India First Life Insurance Company Limited
		(VII)	बड़ौदा बीएनपी परिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) / Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited (Formerly Baroda Trustee India Private Ltd)
		विदेशी सहायक / Overseas Subsidiaries	
		(I)	बैंक ऑफ बड़ौदा (बोतसवाना) लिमिटेड / Bank of Baroda (Botswana) Ltd.
		(II)	बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या लिमिटेड / Bank of Baroda (Kenya) Ltd.
		(III)	बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड / बड़ौदा कैपिटल मार्केट (युगांडा) लिमिटेड / Bank of Baroda (Uganda) Ltd., / Baroda Capital Market (Uganda) Limited
		(IV)	बैंक ऑफ बड़ौदा (गुवाना) लिमिटेड / Bank of Baroda (Guyana) Ltd.
		(V)	बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड / Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
		(VI)	बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड / Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.
		(VII)	बैंक ऑफ बड़ौदा (यू.के.) लिमिटेड / Bank of Baroda (UK) Ltd.
iv)	मूल सहयोगी / Parents' Associates	(I)	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक / Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
		(II)	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
		(III)	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक / Baroda Gujrat Gramin Bank
		(IV)	इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड / Indo Zambia Bank Limited
v)	मूल संयुक्त उद्यम / Parents' Joint Ventures	(I)	इंडिया इन्फ्राडेट लिमिटेड / India Infradebt Limited
		(II)	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद / India International Bank (Malaysia) Berhad

ई) अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर – शून्य /

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण

ए) जमा की संकेंद्रण

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	707.68	771.57
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	9.21	10.31

बी) अग्रिमों की संकेंद्रण

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	420.56	397.63
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	9.10	9.16

e) Unhedged foreign currency exposure – NIL

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of deposits

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total deposits of the twenty largest depositors	707.68	771.57
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	9.21	10.31

b) Concentration of advances

Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total advances to the twenty largest borrowers	420.56	397.63
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	9.10	9.16



सी) एक्सपोजर की संकेंद्रण

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	473.43	606.21
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	6.48	11.85

सी) एनपीए की एकाग्रता

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	211.56	220.46
बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर में एक्सपोजर का प्रतिशत कुल सकल एनपीए के लिए	47.73	43.40

7. **डेरिवेटिव्स** – बैंक ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान डेरिवेटिव लेनदेन नहीं किया है।

8. **प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण** – बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को कोई वित्तीय संपत्ति नहीं बेची थी।

बैंक मेसर्स बेनलोन इंडिया लिमिटेड (एनपीए) को दिए गए कंसोर्टियम फाइनेंस में लेनदारों की समिति का सदस्य है (अन्य सदस्य – भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, नैनीताल बैंक लिमिटेड और हीरो) फिनकोर्प लिमिटेड), उक्त एनपीए खाते के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया सीआईआरपी के मद्देनजर बैंक को रुपये की “सुरक्षा रसीदें” (एसआर) प्राप्त हुई थीं। “प्रूडेंट एआरसी लिमिटेड” से 5.72 करोड़ इसकी निवेश पुस्तकों में जो पूरी तरह से प्रदान की गई हैं। मूल राशि में से बैंक को वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक रु 1.26 करोड़ की वसूली हुई।

इसके अलावा बैंक को मेसर्स बेनलोन इंडिया लिमिटेड (एनपीए खाता) के वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) भी प्राप्त हुए। इसकी निवेश पुस्तकों में मूल्य रुपये 54.10 लाख हैं। चूंकि 28-02-2019 को बैंक द्वारा मेसर्स बेनलॉन इंडिया लिमिटेड को पहले से ही एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इसलिए मेसर्स बेनलॉन इंडिया लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर ओसीडी में निवेश गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) में बदल गया। तदनुसार, बैंक ने 31-03-2023 तक मेसर्स बेनलॉन इंडिया लिमिटेड के ऐसे वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में 100: यानी 54.10 लाख रुपये का प्रावधान प्रदान किया है।

C) Concentration of exposures

Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	473.43	606.21
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the bank on borrowers/Customers	6.48	11.85

C) Concentration of NPAs

Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	211.56	220.46
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	47.73	43.40

7. **Derivatives** – The Bank did not enter into the derivative transactions during the current year and previous year.

8. **Disclosures relating to securitization** – The bank had not sold any financial assets to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

The Bank being a member of Committee of Creditors in a consortium finance lent to M/s Benlon India Limited (NPA) (other members - State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Indian Bank, Nainital Bank Ltd. and Hero Fincorp Ltd.), In view of the Corporate Insolvency Resolution Process CIRP initiated by National Company Law Tribunal (NCLT) against the said NPA account the Bank had received “Security receipts” (SR's) of ₹ 5.72 Crore from “Prudent ARC Ltd.” in its Investment books which are fully provided. Out of the principal amount the Bank had received ₹ 1.26 Crores till the end of F.Y 2022-23.

Further the Bank also received Optionally Convertible Debentures (OCD) of M/s Benlon India Limited (NPA account) for ₹ 54.10 lacs in its Investment Books. Since M/s Benlon India Limited was already classified as NPA by the bank as on 28-02-2019, the investment in Optionally Convertible Debentures OCD of M/s Benlon India Limited percolated to Non performing Investments (NPI). Accordingly, the Bank has provided provision of 100% i.e ₹ 54.10 lacs against such Optionally Convertible Debentures (OCD) of M/s Benlon India Limited as on 31-03-2023.

**एसआर में निवेश (सुरक्षा रसीदें):**

अभिः रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में रखे गये एस आर, जो क्रेडिट रेटिंग क द्वारा एस आर को अभि हस्तांतरित है।

(राशि रु. करोड़ में)

रिकवरी रेटिंग बैंड /	बुक वैल्यू 31 मार्च, 2023
बीबीडब्ल्यूआरआर1(75 से 100 प्रतिशत के बीच रिकवरी)	4.46
जोड़े वर्ष के दौरान डीईए फंड में अंतरित राशि	4.46

9. ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित –शून्य**10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईए फंड) में स्थानांतरण**

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	डीईए फंड में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	25.36	22.52
ii)	जोड़े वर्ष के दौरान डीईए फंड में अंतरित राशि	5.97	3.19
iii)	घटाएं: दावों के लिए डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	0.56	0.35
iv)	डीईए फंड में अंतरित राशि का अंतिम शेष	30.77	25.36

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	12	17
जोड़े वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	5287	1943
कम: वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	5259	1948
जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	6	0
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	40	12

Investment in SRs (Security Receipts):

SRs held across various categories of Recovery ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies are.

(Amounts in ₹ crore)

Recovery Rating Band	Book Value as at March 31, 2023
BBWRR1 (Recovery between 75% to 100%)	4.46
कुल / Total (i) + (ii)	4.46

9. Off Balance Sheet SPV sponsored -NIL**10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)**

(Amounts in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	25.36	22.52
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	5.97	3.19
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	0.56	0.35
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	30.77	25.36

11. Disclosure of complaints

Particulars	As on 31 st March, 2023	As on 31 st March, 2022
Complaints received by the Bank from its customers		
No. of complaints pending at the beginning of the year	12	17
Add: No. of complaints received during the year	5287	1943
Less: No. of complaints disposed during the year	5259	1948
Of which, number of complaints rejected by the bank	6	0
No. of complaints pending at the end of the year	40	12



कुल ग्राहक शिकायतें और एटीएम लेनदेन विवाद:

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	12	14
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	4712	1641
कम: वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	4707	1643
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	17	12

बैंक को ग्राहकों से और ओबीओ शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
लोकपाल के कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें		
ओबीओ से बैंक को प्राप्त शिकायतों की संख्या	48	37*
बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	18	17
बीओ द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	30	20
बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा अवार्ड पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	0	0
निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए अवार्ड की संख्या (अपील किए गए के अलावा) /	0	0
नोट: रखरखाव योग्य शिकायतें विशेष रूप से बीओ योजना 2006 में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।		

* वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 51 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें 37 बैंकिंग लोकपाल शिकायतें और 14 पीजी पोर्टल और सीपीजीआर एएम से संबंधित शिकायतें शामिल थीं।

Total customer complaints and ATM transaction disputes:

Particulars	As on 31 st March, 2023	As on 31 st March, 2022
No. of complaints pending at the beginning of the year	12	14
Add: No. of complaints received during the year	4712	1641
Less: No. of complaints redressed during the year	4707	1643
No. of complaints pending at the end of the year	17	12

Summary information on complaints received by the bank from customers and from the OBOs

Particulars	As on 31 st March, 2023	As on 31 st March, 2022
Maintainable complaints received by the Bank from Office of ombudsman		
No. of complaints received by the bank from OBOs	48	37*
No. of complaints resolved in favour of the bank by BOs	18	17
No. of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by BOs	30	20
No. of complaints resolved after passing of Awards By BOs against the Bank.	0	0
Number of awards unimplem ented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0
Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006 and covered within the ambit of the Scheme.		

*During the FY 2021-22, 51 Complaints were reported which comprised of 37 Banking Ombudsman Complaints and 14 complaints pertaining to PG Portal and CPGRAM.



ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

Top five grounds of complaints received by the bank from customers

क्र. सं./ S.No	शिकायतों के आधार, (अर्थात संबंधित शिकायतें) / Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	शिकायतों की संख्या वर्ष के शुरुआत में लंबित/ Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दा. रैन प्राप्त शिकायतों की संख्या/ Number of complaints received during the year	पिछले की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी साल/ increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/ Number of complaints pending at the end of the year	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या / Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6	7
2022-23						
ग्राउंड-1 / Ground - 1	एटीएम/डेबिट कार्ड / ATM/Debit Cards	12	4712	187.14%	17	0
ग्राउंड-2 / Ground - 2	ऋण और अग्रिम / Loans and advances	0	85	165.63%	1	1
ग्राउंड-3 / Ground - 3	इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग / Internet/Mobile/Electronic Banking	0	171	108.54%	8	1
ग्राउंड-4 / Ground - 4	खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई / Account opening/difficulty in operation of accounts	0	63	800.00%	3	0
ग्राउंड-5 / Ground - 5	शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन आदि। / Facilities for customers visiting the branch/adherence to prescribed working hours by the branch, etc.	0	24	-56.36%	0	0
	अन्य / Others	0	232	84.13%	11	3
	कुल / Total	12	5287	172.10%	40	5
2021-22						
ग्राउंड-1 / Ground - 1	एटीएम/डेबिट कार्ड / ATM/Debit Cards	14	1641	(-9.4)%	12	0
ग्राउंड-2 / Ground - 2	ऋण और अग्रिम / Loans and advances	0	32	18.755%	0	0
ग्राउंड-3 / Ground - 3	इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग / Internet/Mobile/Electronic Banking	0	82	241.66%	0	0
ग्राउंड-4 / Ground - 4	खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई / Account opening/difficulty in operation of accounts	0	7	(-66.66%)	0	0
ग्राउंड-5 / Ground - 5	शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन आदि। / Facilities for customers visiting the branch/adherence to prescribed working hours by the branch, etc.	0	55	76.36%	0	0
	अन्य / Others	3	126	57.50%	0	1
	कुल / Total	17	1943		12	1



12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

ए) आरबीआई/विदेशी नियामकों द्वारा लगाए गए दंड का खुलासा

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

a) Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

विवरण / Particulars	उल्लंघन की प्रकृति / Nature of Breach	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2022		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2021	
		मामलों की संख्या / No of Cases	राशि / Amount	मामलों की संख्या / No of Cases	राशि / Amount
आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना / Penalties Imposed by RBI	नियामक और परिचालन / Regulatory & Operational	01	0.006	04	0.59
अपने संबंधित नियामकों द्वारा विदेशी क्षेत्रों पर लगाए गए जुर्माना / Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable

वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए अन्य दंड/शुल्क / Other penalties@Fees levied by statutory authorities

क्रम संख्या S. N.	प्राधिकारी Authority	जुर्माने का विवरण Details of Penalty	राशि (रुपए में) Amount (in ₹)
1.	एफआईयू-आईएनडी / FIU-IND	एसटीआर के रूप में रिपोर्ट करने योग्य संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए एक प्रभावी आंतरिक तंत्र स्थापित करने में विफलता / Failure to put in place an effective internal mechanism to detect and report suspicious transactions reportable as STRs	25000
2.	बैंकिंग लोकपाल / Banking Ombudsman	ग्राहक का सिबिल अपडेट नहीं करने पर मुआवजा दिया गया / Compensation paid for not updating CIBIL of customer	10000

बी) एसजीएल फॉर्म के बाउंस होने पर जुर्माना लगाने पर प्रकटीकरण

b) Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

वर्ष समाप्त	एसजीएल फॉर्म के बाउंस होने की तिथि	राशि	टिप्पणियां
2022-23	शून्य	शून्य	शून्य
2021-22	शून्य	शून्य	शून्य

Year ended	Date of bouncing SGL form	Amount	Remarks
2022-23	NIL	NIL	NIL
2021-22	NIL	NIL	NIL

सी) रिवर्स रेपो लेनदेन में आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण (डिफॉल्ट करने वाले प्रतिभागी के लिए लागू)। शून्य

c) Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant). Nil

घ) विभिन्न प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य जुर्माने का विवरण:

d) Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions of :

1) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, - शून्य

1) Banking Regulation Act, 1949, - NIL



- 2) भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007,— शून्य
3) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006। — शून्य

- 2) Payment and Settlement Act, 2007,- NIL
3) Government Securities Act, 2006. – NIL

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

बैंकों को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/सामग्री जोखिम लेने वालों के पारिश्रमिक पर न्यूनतम वार्षिक आधार पर प्रकटीकरण करना आवश्यक है। बैंक तालिका या चार्ट प्रारूप में प्रकटीकरण करेंगे और पिछले और वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के लिए प्रकटीकरण करेंगे। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक (लागू सीमा तक), निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण करेंगे:

13. Disclosures on remuneration

Banks are required to make disclosure on remuneration of Whole Time Directors/Chief Executive Officers/Material Risk Takers on an annual basis at the minimum, in their Annual Financial Statements. Banks shall make the disclosures in table or chart format and make disclosures for previous as well as the current reporting year. Further, private sector banks and foreign banks (to the extent applicable), shall disclose the following information:

प्रकटीकरण के प्रकार / Type of disclosure		जानकारी / Information	
गुणात्मक / Qualitative	(अ) / (a)	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन एवं अधिदेश से संबंधित सूचना / Information relating to the composition and mandate of the Nomination and Remuneration Committee.	एनआरसी समिति के सदस्यों की वर्तमान संरचना – 1. बिनीता शाह – अध्यक्ष 2. एन.के. चारी – सदस्य 3. मनोज शर्मा – सदस्य Present composition of NRC Committee Members - 1. Binita Shah - Chairperson 2. N.K. Chari - Member 3. Manoj Sharma - Member
	(ब) / (b)	डिजाइन और संरचना से संबंधित जानकारी पारिश्रमिक प्रक्रियाएं और पारिश्रमिक नीति की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य / Information relating to the design and structure of remuneration processes and the key features and objectives of remuneration policy.	बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रासंगिक प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों, कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित नियमों और बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार की है और उसे अपनाया है। इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देश / The Bank has formulated and adopted the Remuneration Policy for Non-Executive Chairperson and Non-Executive Directors of the Bank in terms of the relevant provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, rules relating to Corporate Governance and the Guidelines issued by the RBI, in this regard.
	(स) / (c)	पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को ध्यान में रखने के तरीकों का विवरण। इसमें इन जोखिमों को ध्यान में रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों की प्रकृति और प्रकार शामिल होना चाहिए / Description of the ways in which current and future risks are taken into account in the remuneration processes. It should include the nature and type of the key measures used to take account of these risks.	नामांकन और पारिश्रमिक समिति बैंक के उद्योग मानकों और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर जोखिम मूल्यांकन करती है / Nomination and remuneration committee undertakes risk evaluation based on industry standards and risk profile of the Bank.



प्रकटीकरण के प्रकार / Type of disclosure		जानकारी / Information	
	डी / (d)	उन तरीकों का विवरण जिनसे बैंक लिंक करना चाहता है पारिश्रमिक के स्तर के साथ प्रदर्शन मापन अवधि के दौरान प्रदर्शन / Description of the ways in which the bank seeks to link performance during a performance measurement period with levels of remuneration.	नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) प्रत्येक निदेशक को उपयुक्त सिफारिशें करने से पहले, कौशल सेट, ज्ञान, क्षेत्रीय और उद्योग अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड, विशेषज्ञता और अन्य प्रासंगिक जानकारी और प्रत्येक निदेशक द्वारा उपयुक्त और उचित मानदंडों के पालन पर विचार करती है। बोर्ड को उनकी नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के संबंध में, जो बोर्ड को ऐसे सदस्य प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास बैंक के व्यावसायिक हितों की सेवा करने और बोर्ड की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विविध ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और आवश्यक कौशल है। निदेशक मंडल के लिए नीति के संदर्भ में, एनआरएचआर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने से पहले और सालाना यानी हर साल 31 मार्च को निदेशक की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का आकलन करता है। / The Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) considers, the skill set, knowledge, regional and industry experience, track record, expertise and other relevant information and adherence to the fit and proper norms by each Director, before making appropriate recommendations to the Board with regard to their appointment / re-appointment, which is designed to provide the Board with Members who have diverse knowledge, practical experience and requisite set of skills to serve the business interests of the Bank and enhance the overall effectiveness of the Board. In terms of the Policy for Board of Directors, the NRHR assesses the 'Fit and Proper' status of the Director, before considering his candidature for appointment / re-appointment as a Director of the Bank and annually i.e. as at 31st March every year
	ई / (e)	आस्थगित पारिश्रमिक के आस्थगन और निहित करने पर बैंक की नीति की चर्चा और पहले आस्थगित पारिश्रमिक को समायोजित करने के लिए बैंक की नीति और मानदंड की चर्चा निहित और निहित होने के बाद / A discussion of the bank's policy on deferral and vesting of variable remuneration and a discussion of the bank's policy and criteria for adjusting deferred remuneration before vesting and after vesting.	ऐसी सभी वाचाओं के उचित समावेश के साथ बैंक की क्षतिपूर्ति नीति है Bank has a compensation policy with due incorporation of all such covenants
	एफ / (f)	बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवर्तनीय पारिश्रमिक के विभिन्न रूपों (यानी, नकद और शेयर-लिंकड इंस्ट्रुमेंट्स के प्रकार) का विवरण और इन विभिन्न रूपों का उपयोग करने का औचित्य। Description of the different forms of variable remuneration (i.e., cash and types of share-linked instruments) that the bank utilizes and the rationale for using these different forms.	ऐसी सभी वाचाओं के उचित समावेश के साथ बैंक की क्षतिपूर्ति नीति है Bank has a compensation policy with due incorporation of all such covenants



प्रकटीकरण के प्रकार / Type of disclosure		जानकारी / Information	चालू वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
मात्रात्मक खुलासे / Quantitative disclosures (मात्रात्मक प्रकटीकरण में केवल पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सामग्री जोखिम लेने वाले शामिल होने चाहिए) / (The quantitative disclosures should only cover Whole Time Directors/ Chief Executive Officer/ Material Risk Takers)	(जी) / (G)	वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या और इसके लिए भुगतान किया गया पारिश्रमिक सदस्य। / Number of meetings held by the Nomination and Remuneration Committee during the financial year and remuneration paid to its members.	4	10
	(एच) / (h)	(i) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तनीय पारिश्रमिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या (i) Number of employees having received a variable remuneration award during the financial year. (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए साइन ऑन/जॉइनिंग बोनस की संख्या और कुल राशि। (ii) Number and total amount of sign-on/joining bonus made during the financial year. (iii) विच्छेद वेतन का विवरण, में उपार्जित लाभों के अतिरिक्त, यदि कोई हो। (iii) Details of severance pay, in addition to accrued benefits, if any.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	(आई) / (i)	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि, नकद, शेयरों और शेयर लिंक्ड लिखतों और अन्य रूपों में विभाजित। (i) Total amount of outstanding deferred remuneration, split into cash, shares and share linked instruments and other forms. (ii) आस्थगित की कुल राशि वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया मानदेय। (ii) Total amount of deferred remuneration paid out in the financial year.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	जे / (j)	वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कारों की राशि का व्यवधान निश्चित और परिवर्तनशील, आस्थगित और गैर-स्थगित Breakdown of amount of remuneration awards for the financial year to show fixed and variable, deferred and non-deferred.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	के / (k)	(i) पूर्व पोस्ट स्पष्ट और/या. के संपर्क में आने वाले बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और प्रतिधारित पारिश्रमिक की कुल राशि निहित समायोजन। (i) Total amount of outstanding deferred remuneration and retained remuneration exposed to ex post explicit and / or implicit adjustments.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA



प्रकटीकरण के प्रकार / Type of disclosure		जानकारी / Information	चालू वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
		(ii) स्पष्ट समायोजन के बाद वित्तीय वर्ष के दौरान कटौती की कुल राशि। (ii) Total amount of reductions during the financial year due to ex post explicit adjustments- (iii) कटौती की कुल राशि वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व पोस्ट निहित समायोजन के कारण। / (iii) Total amount of reductions during the financial year due to ex post implicit adjustments	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	एल / (l)	पहचान किए गए एमआरटी की संख्या। Number of MRTs identified-	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	एम / (m)	(i) उन मामलों की संख्या जहां मालस का प्रयोग किया गया है। (i) Number of cases where malus has been exercised (ii) मामलों की संख्या जहां क्लॉबैक का प्रयोग किया गया है। (ii) Number of cases where clawback has been exercised (iii) मामलों की संख्या जहां मालस और क्लॉबैक दोनों का प्रयोग किया गया है। / (iii) Number of cases where both malus and clawback have been exercised	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	एन / (n)	समग्र रूप से बैंक के लिए औसत वेतन (अधीनस्थ स्टाफ को छोड़कर) और इसके प्रत्येक डब्ल्यूटीडी के वेतन का औसत वेतन से विचलन। The mean pay for the bank as a whole (excluding sub-staff) and the deviation of the pay of each of its WTDs from the mean pay-	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशक / अध्यक्ष को भुगतान किया गया पारिश्रमिक रु. 8,40,000 /- (पिछले वर्ष रु. 5,11,000 /-), और एमडी एवं सीईओ को रु. 25,87,488 /- (पिछले वर्ष रु. 25,60,000)

The remuneration paid to non-executive director/chairman during current financial year is ₹ 8,40,000 /-(Previous year ₹ 5,11,000 /-), and to the MD & CEO is ₹ 25,87,488 /- (Previous year ₹ 25,60,000)



14. अन्य खुलासे

ए) व्यापार अनुपात

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
i. कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	6.89%	6.70
ii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय(%)	0.42%	0.48
iii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ(%)	0.90%	1.20
iv. संपत्ति पर वापसी(%)	0.54%	0.34
v. व्यापार (जमा और अग्रिम बैंक जमा को छोड़कर) प्रति कर्मचारी (करोड़ रुपये में)	10.99	13.58
vi. प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में)	0.0426	0.03469
VII. शुद्ध ब्याज मार्जिन	3.27%	2.98%
VIII. जमाओं की लागत	4.24%	4.34%
IX. अग्रिमों पर आय	8.39%	8.24%

बी) बैंक एश्योरेंस बिजनेस

31.03.2023 को समाप्त अवधि के दौरान बैंक की बीमा व्यवसाय के संबंध में कुल आय रु. 1.67 करोड़ जिसका विवरण निम्नानुसार है

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	बीमा कंपनी	राशि	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
1.	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.116	1.079
2.	राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड	0.061	0.103
3.	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.174	0.071
4.	फ्यूचर जेनराली इंश्योरेंस लिमिटेड	0.247	0.218
5.	केयर स्वास्थ्य बीमा	0.066	0
6.	रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस	0.004	0
	कुल	1.669	1.471

31.03.2023 को समाप्त अवधि के दौरान अन्य उत्पादों के संबंध में बैंक की कुल आय 0.03 करोड़ थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

14. Other Disclosures

a) Business ratios

Item	As on 31 st March, 2023	As on 31 st March, 2022
i. Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	6.89%	6.70
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds(%)	0.42%	0.48
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds(%)	0.90%	1.20
iv. Return on Assets(%)	0.54%	0.34
v. Business (Deposits plus Advances excluding Bank deposits) per employee (₹ in crore)	10.99	13.58
vi. Net Profit per employee (₹ in crore)	0.0426	0.03469
vii. Net Interest Margin	3.27%	2.98%
viii. Cost of Deposits	4.24%	4.34%
ix. Yield on Advances	8.39%	8.24%

b) Banc assurance business

The total income of the bank in respect of bank assurance business was ₹ 1.67 Crores during the period ended 31.03.2023 with details as under:

(₹ in lakh)

Sr. No.	Insurance Company	Amount	
		As on 31 st March, 2023	As on 31 st March, 2022
1.	Exide Life Insurance Company Ltd.	1.116	1.079
2.	National Insurance Company Ltd	0.061	0.103
3.	India First Life Insurance Co. Ltd	0.174	0.071
4.	Future Generali Insurance Ltd.	0.247	0.218
5.	Care Health Insurance	0.066	0
6.	Reliance Nippon Life Insurance	0.004	0
	Total	1.669	1.471

The total income of the bank in respect of other products was 0.03 Crores during the period ended 31.03.2023, with details as under.



(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कंपनी	राशि	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
1.	वीज़मैन फॉरेक्स लिमिटेड	0.003	0.000
2.	अटल पेंशन योजना	0.014	0.000
3.	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.000	0.000
4.	भारतीय जीवन बीमा निगम	0.007	0.027
5.	बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड	0.008	0.000
	कुल	0.032	0.027

• वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वीज़मैन फॉरेक्स लिमिटेड से रु. 5000/- कमीशन प्राप्त हुआ, अटल पेंशन योजना से रु. 3000/- कमीशन प्राप्त हुआ और एसएचसीआईएल से रु. 2000/- कमीशन प्राप्त हुआ।

• वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एसएचसीआईएल से रु. 2000/- कमीशन प्राप्त हुआ।

ख) विपणन और वितरण

शून्य

ग) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण – शून्य

घ) भंडार और अधिशेष

सांविधिक रिजर्व बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 और आरबीआई दिशानिर्देशों दिनांक 23 सितंबर 2000 की आवश्यकताओं के अनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में से 11.58 करोड़ (पिछले वर्ष: 7.23 करोड़) का विनियोजन सांविधिक रिजर्व के लिए किया है।

कैपिटल रिजर्व – कैपिटल रिजर्व में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाली वृद्धि है, निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व – आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को वित्तीय वर्ष 2019 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के भीतर, वैधानिक विनियोग के बाद लाभ की उपलब्धता के अधीन, अपने एचएफटी और एएफएस निवेश पोर्टफोलियो के 2% के बराबर एक निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) बनाने की आवश्यकता है। बैंक में रु. 31 मार्च 2023 तक उक्त रिजर्व में 21.25 करोड़ रुपये थे, जो बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का 2.25% दर्शाता है।

ई) लेखा मानक -19 - "पट्टा" परिसर जो परिचालन पट्टे पर लिए गए, का विवरण निम्नलिखित हैं:

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल हैं, जो बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय हैं।

(& in lakh)

Sr. No.	Company	Amount	
		As on 31 st March, 2023	As on 31 st March, 2022
1.	Weizmann Forex Ltd.	0.003	0.000
2.	Atal Pension Yojna	0.014	0.000
3.	Stock Holding Corporation of India Ltd.	0.000	0.000
4.	Life Insurance Corp. of India	0.007	0.027
5.	Bob Financial Solution Ltd.	0.008	0.000
	Total	0.032	0.027

• ₹ 5000/- Commission Received from Weizmann Forex Ltd., ₹ 3000/- Commission Received From Atal Pension Yojna and ₹ 2000/- Commission Received From SHCIL during the FY 2021-22.

• ₹ 2000/- Commission Received From SHCIL during the FY 2022-23.

b) Marketing and distribution

NIL

c) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) – NIL

d) Reserves and Surplus

Statutory Reserve the Bank has made an appropriation of 11.58 Crores (Previous Year: 7.23 Crores) out of profits for the year ended March 31, 2023 to the Statutory Reserve pursuant to the requirements of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI guidelines dated September 23, 2000.

Capital Reserve - Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, Investment Fluctuation Reserve - In accordance with RBI guidelines, banks are required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) equivalent to 2% of their HFT and AFS investment portfolios, within a period of three years starting fiscal 2019, subject to profit availability after statutory appropriation. The Bank has maintained ₹ 21.25 Crore in the said reserve as at 31st March 2023 the same represents 2.25% of trading portfolio of the Bank

e) Accounting Standard -19 - "Lease" Premises taken on operating lease are given below

The operating leases primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the Bank.



- i) निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अवधि के लिए, गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों पर लिए गए परिसरों पर भविष्य के किराये के भुगतान का विवरण दिया गया है:

(राशि करोड़ में)

विवरण-पट्टा किराया दायित्व	31 मार्च 2023
एक साल तक	11.21
एक साल बाद और पांच साल तक	26.37
पांच साल बाद	2.40
कुल	39.98

च) अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन (लेखा मानक -5)

- (i) **पूर्व अवधि की मदें:** वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे।
- (ii) **लेखा नीति:** वर्ष के दौरान बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 6 वर्ष के अनुमानित जीवन वाले उच्च अंत सर्वर/नेटवर्क (अर्थात डेटा केंद्र) और सीबीएस एप्लिकेशन (फिनैकल 10) पर मूल्यह्रास से संबंधित लेखा नीति को परिष्कृत किया है और 6 साल की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास किया जाएगा।
- परिवर्तन से पहले बैंक मूर्त और अमूर्त को एक समान मान रहा था और 6 वर्षों से मूल्यह्रास/परिशोधन कर रहा था। उपरोक्त परिशोधन का वर्ष के लाभ पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

छ) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि रु. करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया प्रावधान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) एनपीआई के लिए प्रावधान	शून्य	0.54
ii) एनपीए के लिए प्रावधान	20.08	42.53
iii) आयकर के लिए किया गया प्रावधान	4.46	0.1
iv) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं		
—मानक अग्रिम	-1.06	7.62
— सुरक्षा रसीद के लिए प्रावधान	-1.26	5.72
— विविध प्रावधान	5.96	1.49
— बैंक के खिलाफ दावों के लिए प्रावधान जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	0.41	0.95
— निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व	शून्य	9.18
— अतिदेय टीडीआर खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	-1.99	2.53
—आस्थगित कर	4.03	0.71

- i) The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(Amount in Crores)

Particulars -Lease Rent Obligations	31 st March 2023
Not later than one year	11.21
Later than one year and not later than five years	26.37
Later than five years	2.40
Total	39.98

f) Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5)

- (i) **Prior Period Items:** During the year, there were no material prior period income / expenditure items.
- (ii) **Accounting policy:** During the year the Bank has refined the accounting policy relating to accounting and depreciation of Intangible Assets such as license fees/ implementation charges of CBS application (FINACLE 10) and related third party modules, the estimated life of such assets shall be 6 years.

Prior to change the Bank was treating the tangible and intangible alike and depreciating/amortizing over 6 years. There is no material impact of above refinement in the profit of the year.

g) Provisions and contingencies

(Amount in Crores)

Provision debited to Profit and Loss Account	Current Year	Previous Year
i) Provisions for NPI	NIL	0.54
ii) Provision towards NPA	20.08	42.53
iii) Provision made towards Income tax	4.46	0.1
iv) Other Provisions and Contingencies		
- Standard Advance	-1.06	7.62
- Provision for Security Receipt	-1.26	5.72
- Miscellaneous Provisions	5.96	1.49
- Provision for claims against the bank not acknowledged as debt	0.41	0.95
- Investment Fluctuation Reserve	NIL	9.18
-Provision for Interest Payable on Overdue TDR accounts	-1.99	2.53
Deferred Tax	4.03	0.71



ए) बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते में अन्य का विवरण

a) Breakup of others in the Balance Sheet and Profit and Loss Account;

अनुसूची 5 के तहत 'अन्य' का विवरण – अन्य देयताएं और प्रावधान
Breakup of 'Others' under SCHEDULE 5 & OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

खाता / Account Head	(राशि रुपये हजार) / (Amount in ₹ '000)
एनपीए के लिए फ्लोटिंग प्रावधान / Floating Provision for NPA	6,28,480
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	2,48,739
स्रोत पर कर कटौती / Tax Deducted at source	38,197
कर्मचारी से संबंधित प्रावधान (वेतन संशोधन, एलएफसी, अर्जित अवकाश, अनुग्रह राशि आदि सहित) Employee related Provisions (including Wage revision) LFC, Earned Leave, Ex-gratia etc.)	82,000
भुगतान योग्य राशि (मुकद्दमे में दायर खातों में प्राप्त राशि सहित) Sundry Payables (including amount received in suit filed accounts)	52,380
ऋण मार्जिन खाता / Loan Margin Account	11,791
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान / Provisions for Frauds	3,648
बैंक के खिलाफ दावों के लिए प्रावधान जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गए Provision For Claims Against the Bank not acknowledged as debt	13,393
समाशोधन समायोजन (शाखाएं) / Clearing Adjustment (Branches)	1,188
खाता समायोजित करना (शाखाएं) / Adjusting Account (Branches)	6,349
खाता समायोजित करना (एच ओ) (क्रेडिट) Adjusting Account (H O)(Cr)	7,233
अन्य देयताएँ – शाखाएं / Other Liabilities branches	11,969
अन्य विविध प्रावधान / Others misc provisions	42,842
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण में ऑटोमेशन के लिए प्रावधान Provision for Automation in Asset Classification as directed by RBI	30,000
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend	46,697
पात्र उधारकर्ताओं की ओर से प्राप्त सब्सिडी / Subsidy received on behalf of eligible borrowers	2,71,739
पुनर्स्थापित अग्रिम के लिए प्रावधान / Provision for Restored Advance	397
अन्य देनदारियां – एच ओ / Other Liabilities H O	1,23,063
ट्रांजिट में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (पीओएस / एनईएफटी / आरटीजीएस / ई-कॉम आदि सहित) Electronic transactions in transit (Including POS/NEFT/RTGS/E-Com etc.)	31,169
एटीएम के माध्यम से नकद लेनदेन / Cash Transactions through ATM	12,747
एनटीबी कर्मचारियों का नई पेंशन योजना में योगदान / NTB Employees Contribution to New Pension Scheme	21,191
जीएसटी देयता / GST Liability	18,293
स्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability	81,264
योग / Grand Total	17,84,770



अनुसूची 11 के तहत "अन्य" का विभाजन- अन्य संपत्तियां

Breakup of "Others" under SCHEDULE 11- OTHER ASSETS

खाता / Account Head	(राशि रुपये हजार) / (Amount in ₹ '000)
फेस्टिवल एडवांस (शाखाएं) / Festival Advances (Branches)	17,676
फेस्टिवल एडवांस (एच ओ) / Festival Advances (H. O.)	1,118
सिक्योरिटी डिपोजिट - शाखाएँ / Security Deposit -Branches	10,061
सिक्योरिटी डिपोजिट (एच.ओ.) / Security Deposit (H. O.)	11,577
संझी देनदार (एच.ओ.) / Sundry Debtor (H. O.)	2,457
संझी देनदार शाखाएँ / Sundry Debtor Branches	1,467
एडजस्टिंग खाता (एच.ओ.) / Adjusting Account (HO)	4,253
समाशोधन समायोजन (शाखाएं) / Clearing Adjustment (Branches)	400
अन्य विविध- शाखाएँ / Other Misc.- Branches	2,969
कुल अन्य संपत्तियां / Total other assets	2
नाबार्ड (आरआईडीएफ) / NABARD (RIDF)	27,93,487
आई एम पी एस / IMPS TXN	52,267
एनईएफटी रिटर्न / NEFT Return	3,978
सीजीएसटी / एसजीएसटी / CGST/SGST	41,946
डब्लू एल ए टी एम / WLATM	5,186
पार्किंग खाता - टीडीआर पर टीडीएस / Parking account -TDS on TDR	257
रेमिटेंस अन्य / Remittance Others	12,073
एडमिन ऑफिस रेवेन्यू / Admin office revenue	618
इनवर्ड चेक रिटर्न / INWARD CHEQUES RETURNED	400
नाच सेटलमेंट का सस्पेंस अकाउंट / SUSPENSE ACCOUNT OF NACH SETTLEMENT	2
इंटररेस्ट पार्किंग खाता प्रायर टीडीएस / INT. PARKING A/C PRIOR TO TDS	360
लिमिटिंग लायबिलिटी बैंकिंग ट्रांसक्शन्स (एटीएम फ्रॉड) / LIMITING LIABILITY BANKING TXN (ATM FRAUD)	336
एक्स ग्रेसिआ रिफंड सी सी ओ डी / Ex Gratia Refund CC OD	6,890
एक्स ग्रेसिआ रिफंड टीएलएन / Ex Gratia Refund TLN	8,044
इंटेरेस्ट प्राप्त शार्ट टर्म क्रॉप लोन / Intt Relief Rcv on Short Ter	8,862
3 प्रतिशत अल्पकालिक ऋण पर राहत जोड़ें / 3 Per Add Relief on Short Term Loan	6,241
आय के लिए प्राप्य / Receivable for Income	1,600
एनईएफटी निपटान समझौता / NEFT Settlement Account	3,518
आरटीजीएस निपटान खाता / RTGS Settlement Account	4,154
अनक्लेम भुगतान / Unclaimed Payment	784
प्राप्य ब्याज / Interest Receivable	1,13,844
महायोग / Grand Total	31,16,829


अनुसूची 14 के तहत "अन्य" का विभाजन— अन्य आय / Breakup of "Others" under SCHEDULE 14- OTHER INCOME

खाता / Account Head	(राशि रुपये हजार) / (Amount in ₹ '000)
आकस्मिक प्रभार/सेवा प्रभार तथा अन्य गैर-ब्याज आय Incidental charges/service charges and other non-interest income	2,74,309
प्रधान कार्यालय की प्राप्तियां (भर्ती/त्यागपत्र देने वालों से वसूली सहित) Misc./Head Office Receipts (Including recruitment/Recovery from resignees etc.)	11,089
बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली / Recovery in Write Off Accounts	3,520
इनकम टैक्स रिफंड पर ब्याज / Interest on Income Tax refund	10,718
महायोग / Grand Total	2,99,636

अनुसूची 13 के तहत "अन्य" का विभाजन— अर्जित ब्याज / Breakup of "Others" under SCHEDULE 13- INTEREST EARNED

खाता / Account Head	(राशि रुपये हजार) / (Amount in ₹ '000)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (आरआईडीएफ जमा) में कमी के बदले में की गई जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits made in lieu of shortfall in Priority Sector lending (RIDF Deposits)	67,236

अनुसूची 16 के तहत "अन्य" का विभाजन— परिचालन व्यय / Breakup of "Others" under SCHEDULE 16- OPERATING EXPENSES

खाता / Account Head	(राशि रुपये हजार) / (Amount in ₹ '000)
खाता / Account Head	49,605
कर्मचारी प्रतिपूर्ति (पुस्तकें और पत्रिकाएं, वाहन, कैंटीन सब्सिडी, टीए डीए आदि) Employee reimbursements (Books & Periodicals, conveyance, Canteen subsidy, TA DA etc)	3,657
स्टाफ प्रशिक्षण / Staff Training	46,919
समवर्ती लेखा परीक्षा शुल्क / Concurrent Audit Fee	1,621
सुरक्षा वाच एंड वार्ड सहित / Security including Watch - Ward	63
हाउस मेंटेनेंस / House Maintenance	2,235
संस्थानों के लिए सदस्यता / Subscription to institutions	26,474
कर्मचारी कल्याण निधि / Staff Welfare Fund	82
वार्षिक आम बैठक व्यय / Annual General Meeting Expenses	1,592
भर्ती खर्च / Recruitment	2,061
फोटोस्टेट / Photostat	1,53,072
सीबीएस/आईटी शुल्क / CBS/IT charges	9,265
पेशेवर शुल्क / Professional fee	40
सीएस जी एल शुल्क का उपयोग / Assest servicing CSGL charges	400
सरसाई के लिए शुल्क / Fee to CERSAI	81,080
डूबत ऋण अपलेखन / Bad Debts written off	237
डीएसए कमीशन / DSA Commission	34,965
वसूली व्यय / Recovery Expenses	12,602
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों/चैनलों (एनएचसीएस/पीपीओएस/आईएमपीएस/यूपीआई/ईकॉम/एटीएम/ आरटीजीएस/एनईएफटी आदि) के लिए व्यय / Expenses towards Electronic Products/Channels (NACH/POS/IMPS/UPI/ECOM/ATM/RTGS/NEFT etc)	31,823
अन्य (विविध) / Other (Misc.)	48,727
योग / Grand Total	5,06,519



ज) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एसएस)

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 2015 में कंपनियों (भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एसएस) नियम 2015 को अधिसूचित किया था, जिसने लेखा अवधि 2016-17 से शुरू होने वाले चरणबद्ध तरीके से आईएनडीएसएस को अपनाने और प्रयोज्यता को निर्धारित किया था, जैसा कि उक्त अधिसूचना के अनुसार बैंकों को इन मानकों का पालन 01 अप्रैल 2018 से यानि आईएनडी-एसएस कार्यान्वयन के तीसरे चरण के दौरान करना था, हालांकि, आरबीआई ने अधिसूचना संख्या "डीबीआर.बीपी.बीसी. सं.29/21.07.001/2018 -19" दिनांक 22 मार्च, 2019 ने इन मानकों की प्रयोज्यता को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया है।

इसके अलावा, आरबीआई समय-समय पर बैंकों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एसएस) के कार्यान्वयन के लिए तैयार रहने और 30 सितंबर, 2016 को समाप्त छमाही से प्रोफार्मा इंड-एसएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देता रहा है। ये प्रोफार्मा स्टेटमेंट नियामक विश्लेषण उद्देश्य के लिए हैं और जरूरी नहीं कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए जाने वाले परीक्षण प्रारूप का पूरी तरह से IND AS अनुपालन या संकेत हो।

हमारा बैंक नियमित रूप से निर्धारित समय के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को अर्धवार्षिक प्रोफार्मा IND AS प्रस्तुत कर रहा है।

i) निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दी गई सुविधाओं का प्रकटीकरण

बैंक ने निदेशकों, उनके रिश्तेदारों, कंपनियों या फर्मों, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को फंड आधारित या गैर-निधि आधारित (गारंटी, साख पत्र, आदि) कोई सुविधा नहीं दी है।

जे) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	10.01	9.71
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

के) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

बैंक ने आईबीए संयुक्त नोट/द्विपक्षीय निपटान दिनांक 11 नवंबर, 2020 के अनुसार कवर किए गए कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया था, जो कि रु 28.45 लाख था। आरबीआई ने अपने सर्कुलर नं. "RBI/2021-22/105 DOR.ACC. REC.57/21.04.018/2021-22" दिनांक 4 अक्टूबर 2021, ने बैंकों को 5

h) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

The Ministry of Corporate Affairs (MCA), in 2015, had notified the Companies (Indian Accounting Standards (IND AS) Rules 2015, which stipulated the adoption and applicability of IND AS in a phased manner beginning from the Accounting period 2016-17, as per said notification banks were required to comply with these standards from 01st April 2018 onwards i.e. during Phase-III of IND-AS implementation, however, RBI vide notification no. "DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19" dated March 22nd, 2019, has deferred the applicability of these standards till further notice.

Further RBI from time to time have been instructing Banks to be in preparedness for implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS), and submit Proforma Ind AS Financial Statements from the half year ended September 30th, 2016 onwards. These Proforma Statements are for the regulatory analysis purpose and may not be necessarily be completely IND AS compliant or indicative of the trial format to be specified in the third schedule to the Banking Regulation Act 1949.

Our Bank is regularly submitting half yearly proforma IND AS to RBI within stipulated time.

i) Disclosure of facilities granted to directors and their relatives

The Bank has not granted any facility whether fund based or non-fund based (guarantees, letters of credit, etc.) to the directors, their relatives, companies or firms in which they are interested.

j) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	10.01	9.71
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	NIL	NIL

k) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

The Bank had estimated the additional liability on account of revision in family pension for employees covered as per IBA Joint Note/Bipartite settlement dated November 11, 2020, amounting to ₹ 28.45 lakhs. RBI vide their Circular no. "RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22" dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the



(पांच) वर्षों से अधिक नहीं की अवधि में उक्त अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के साथ शुरू, हर साल खर्च की जाने वाली कुल राशि का न्यूनतम 1/5 भाग बैंक ने उक्त विकल्प को नहीं चुना और 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में पूरी राशि का प्रभारित किया।

बैंक ने उक्त विकल्प को नहीं चुना और 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में पूरी राशि का प्रभारित किया।

said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ending 31st March 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year.

Bank did not opt the said option and charged the entire amount to the Profit & Loss account for the FY ended 31st March 2022.

एल) परिभाषित लाभ योजनाएं (वित्त पोषित दायित्व – पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और उपदान)

I) Defined Benefit Plans (Funded Obligation - Pension, Leave Encashment and Gratuity)

ए) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

विवरण /Particulars	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022
उद्घाटन परिभाषित लाभ दायित्व / Opening Defined Benefit Obligation	367.64	349.90	17.19	18.67	31.91	33.62
उद्घाटन समायोजित / Opening Adjusted						
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन / Add- Acquisition Adjustment						
जोड़ें: ब्याज लागत / Add: Interest Cost	26.51	24.39	1.24	1.30	2.30	2.34
जोड़ें : पिछली सेवा लागत / Add : Past Service Cost						
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत / Add: Current Service Cost	4.22	4.60	1.66	1.23	2.00	1.85
कम: भुगतान किए गए लाभ / Less: Benefits Paid	(3.91)	(11.43)	(2.45)	(4.71)	(5.50)	(7.40)
जोड़ें: बीमांकिक (लाभ) / दायित्व पर हानि / Add: Actuarial (Gain)/ loss on obligation	(11.45)	0.19	3.25	0.69	(1.34)	1.50
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व / Closing Defined Benefit Obligation	383.01	367.65	20.89	17.18	29.37	31.91



ख) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

विवरण / Particulars	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण/ Leave Encashment		ग्रेच्युटी/ Gratuity	
	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022
योजना संपत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य / Opening Fair Value of plan assets	122.37	142.02	17.74	17.19	31.32	34.46
प्रारंभिक समायोजन / Opening Adjusted						
ऐड- प्लान एसेट्स पर अपेक्षित रिटर्न / Add- Expected Return on Plan Assets	12.27	10.04	1.15	1.04	3.68	1.81
ऐड- प्लान एसेट्स पर अपेक्षित रिटर्न / Add- Expected Return on Plan Assets						
जोड़ें-अंशदान / Add- Contributions	13.50	13.35	0.00	4.22	0.00	2.45
कम- भुगतान किए गए लाभ / Less- Benefits Paid	(34.42)	(43.04)	(2.45)	(4.71)	(5.50)	(7.40)
जोड़ें- बीमाकिक लाभ / (-) हानि / Add- Actuarial gain / (-) loss						
योजनागत आस्तियों का समापन उचित मूल्य / Closing Fair Value of Plan Assets	113.72	122.37	16.44	17.74	29.50	31.32



सी) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

विवरण /Particulars	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण/ Leave Encashment		ग्रेच्युटी/ Gratuity	
	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022
ए) परिभाषित लाभ दायित्व को समापन मूल्य / a) Closing Defined Benefit Obligation	383.01	367.64	20.89	17.19	29.36	31.91
ख) योजनागत आस्तियों का समापन उचित मूल्य / b) Closing Fair Value of Plan Assets	113.72	122.37	16.44	17.74	29.49	31.32
ग) अंतर / c) Difference	269.29	245.28	4.45	0.55	(0.13)	(0.59)
डी) अपरिचित संक्रमणकालीन दायित्व / d) Unrecognized transitional liability						
ई) बीएस में मान्यता प्राप्त देयता / e) Liability Recognized in the BS	269.29	245.28	4.45	-0.55	(0.13)	(0.59)

घ) लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

विवरण /Particulars	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण/ Leave Encashment		ग्रेच्युटी/ Gratuity	
	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022
ए) वर्तमान सेवा लागत / a) Current Service Cost	4.21	4.60	1.66	1.23	2.00	1.85
बी) पिछली सेवा लागत / b) Past Service Cost						
ग) ब्याज लागत / c) Interest Cost	26.51	24.39	1.24	1.30	2.30	2.34
घ) योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ / d) Expected Return on Plan Assets	(8.82)	(9.90)	(1.28)	(1.20)	(2.26)	(2.40)



विवरण /Particulars	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022
ई) शुद्ध बीमांकिक हानि / लाभ (-)/ e) Net Actuarial Loss/gain(-)	(14.89)	0.05	3.38	0.85	(2.76)	2.09
च) पी एंड एल में मान्यता प्राप्त व्यय / f) Expenses Recognized in P&L	7.01	19.14	5.00	2.18	(0.72)	3.88

ई) प्रमुख बीमांकिक धारणाएं

e) Principal Actuarial Assumptions

विवरण / Particulars	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक / As on 31 st March, 2022
छूट की दर / Discount rate	7.42%	7.21 %	7.42%	7.21 %	7.42%	7.21 %
वेतन वृद्धि दर / Salary Escalation Rate	5%	5%	5%	5%	5%	5%
योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर / Expected Rate of Return on plan Assets	6.50%	7%	6.50%	7.21 %	6.50%	7.21 %

22 आय पर कर के लिए लेखांकन (लेखा मानक 22)

22. Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard 22)

एम) वर्तमान कर

m) Current Tax

20 सितंबर, 2019 के कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 के तहत आयकर अधिनियम 1961 ("अधिनियम") में नई शुरु की गई धारा 115BAA के मद्देनजर, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 निर्धारण वर्ष 2020-21 से नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना था और इसे चालू वित्त वर्ष में भी जारी रखने का निर्णय लिया, तदनुसार प्रभावी कर दर 25.168% है।

In view of the newly introduced section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019, the bank had opted for new tax regime from Financial year 2019-20 i.e. Assessment year 2020-21, and decided to continue with the same in current financial year, accordingly effective tax rate is 25.168%.

बैंक ने नीचे सारणी के अनुसार आयकर का प्रावधान किया है:

The bank has made a provision for income tax as tabulated below:



(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

वस्तु	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
आयकर के लिए प्रावधान	4.46	0.10

बी) आस्थगित कर

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते को डेबिट करके 8.12 करोड़ रुपये की आस्थगित कर देनदारी बनाई है, (पिछले वर्ष आस्थगित कर देनदारी 4.10 करोड़ रुपये थी)। आस्थगित कर देनदारियों के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

अवयव	अंतिम शेष	डीटीए / 25.168%	डीटीएल / 25.168%
कर्मचारी लाभ से संबंधित प्रावधान (वेतन पुनरीक्षण)	4.00	1.01	
अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान	2.35	0.59	
एलएफसी के लिए प्रावधान	1.74	0.44	
सामान के लिए प्रावधान	0.11	0.03	
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार सृजित आरक्षित निधियां	25.54		6.43
आयकर अधिनियम और पुस्तकों के अनुसार डब्ल्यूडीवी में अंतर	(14.95)		3.76
कुल डीटीए/डीटीएल (वर्तमान वर्ष)		2.07	10.19
31 मार्च 2023 तक नेट डीटीएल			8.12
31 मार्च 2022 को डीटीएल की प्रारंभिक शेष राशि			4.10
वर्ष के दौरान पीएल खाते से प्रभारित राशि			4.02

एन) तकनीकी प्रगति

बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) FINCRAFT को उद्योग विशिष्ट और अधिक मजबूत CBS एप्लिकेशन "FINACLE10.X" के साथ अपग्रेड किया है और 11 फरवरी 2022 से नए CBS में माइग्रेट किया है। परियोजना पर दावा की गई लागत और मूल्यहास का विस्तृत विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

Item	As on 31 st March, 2023	As on 31 st March, 2022
Provision for Income Tax	4.46	0.10

B) Deferred Tax

During the period ended March 31st 2023, the bank has created deferred tax Liability to the tune of ₹ 8.12 Crore by Debiting the profit and loss account, (previous year deferred tax liability was ₹ 4.10 Crore). Major components of Deferred Tax Liabilities are as under:

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

Components	Closing balance	DTA @ 25.168%	DTL @ 25.168%
Provision Related to employee benefits (Wage revision)	4.00	1.01	
Provision For Ex-Gratia	2.35	0.59	
Provision For LFC	1.74	0.44	
Provision For baggage	0.11	0.03	
Reserves created as per section 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	25.54		6.43
Difference in WDV's as per Income Tax Act & Books	(14.95)		3.76
Total DTA/ DTL (CURRENT YEAR)		2.07	10.19
Net DTL as on 31 st March 2023			8.12
Opening Balance of DTL as on 31 st March 2022			4.10
Amount charged to PL a/c during the year			4.02

n) Technological advancements

The Bank has upgraded its Core Banking System (CBS) FINCRAFT with industry specific and more robust CBS application "FINACLE10.X" and has migrated to new CBS with effect from 11th February 2022. The detailed breakup of cost incurred and depreciation claimed on the project is tabulated below:



(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

क्र. सं.	विवरण	AS-10 और अन्य लागू नियमों के अनुसार पूंजीकृत राशि /	मार्च 2023 तक मूल्यह्रास
1	मूर्त आइटम जैसे उच्च अंत सर्वर और नेटवर्क	33.18	6.94
2.	लाइसेंस, कार्यान्वयन, नए सीबीएस/ट्रेजरी और अन्य सहायक मॉड्यूल का अनुकूलन	24.65	3.75

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Amount capitalised as per AS-10 and other applicable regulations	Depreciation till March 2023
1	Tangible items viz high end servers & networks	33.18	6.94
2.	Licences, implementation, customisation of new CBS/treasury and other ancillary modules	24.65	3.75

ओ) खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17)

o) Segment Reporting (Accounting Standard 17)

भाग ए: व्यापार खंड

Part A: Business segments

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

व्यावसायिक क्षेत्रों / Business Segments	खज़ाना / Treasury	कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	अन्य बैंकिंग संचालन / Other Banking Operation	कुल / Total
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023
आय / Revenue	228.53 (235.91)	37.65 (36.11)	333.69 (328.56)	2.69 (2.05)	602.56 (602.63)
परिणाम / Result	66.99 (69.39)	3.97 (-4.55)	73.49 (39.10)	2.69 (2.04)	147.14 (105.98)
असंबद्ध व्यय / Unallocated expenses					96.37 (76.95)
कर पूर्व कुल लाभ / Total profit before tax					50.77 (29.03)
आय कर / Income taxes					4.46 (0.10)
असाधारण लाभ / हानि / Extraordinary profit/ loss					0.00 (0.00)
शुद्ध लाभ / Net profit					46.31 (28.93)
खंड संपत्ति / Segment assets	3632.16 (3812.08)	1173.54 (916.46)	3769.48 (3533.86)	0.00 (0.00)	8575.19 (8262.40)
असंबद्ध संपत्ति / Unallocated assets					81.49 (75.46)



व्यावसायिक क्षेत्रों / Business Segments	खज़ाना / Treasury	कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	अन्य बैंकिंग संचालन / Other Banking Operation	कुल / Total
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023	31 मार्च, 2023 तक / As on 31 st March, 2023
कुल संपत्ति / Total assets					8656.67 (8337.86)
खंड देयताएं /Segment liabilities	3332.15 (3539.02)	1089.13 (864.93)	3496.29 (3332.92)	0.00 (0.00)	7917.56 (7736.87)
आवंटित देयताएं / Unallocated liabilities					739.11 (600.99)
कुल देयताएं / Total liabilities					8656.67 (8337.86)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े (अर्थात् मार्च 2022 के आंकड़े) दर्शाते हैं।

Note: Figures in bracket indicates previous year figures (i.e March 2022 figures)

पी) कोविड -19 नियामक प्रभाव:

COVID-19 महामारी के बाद में, अर्थव्यवस्था अभी भी पुनरुद्धार के चरण में है। COVID-19 के प्रभाव, जिसमें ग्राहक व्यवहार और महामारी की आशंकाओं में बदलाव, साथ ही व्यापार और व्यक्तिगत गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल हैं, ने वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण अस्थिरता और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। बैंक के परिणाम चल रहे विकास और साथ ही भविष्य के विकास पर निर्भर करेंगे, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा, COVID-19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई भी नई जानकारी और इसके प्रसार को रोकने या इसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई कार्रवाई शामिल है, चाहे सरकार- हमारे द्वारा अधिदेशित या निर्वाचित।

वित्तीय बाजार में निरंतर अस्थिरता के कारण, बैंक ने अग्रिमों की वसूली सहित अपने वित्तीय विवरणों के विभिन्न तत्वों पर प्रभाव का निर्धारण करने में वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तारीख तक आर्थिक पूर्वानुमान और उद्योग रिपोर्ट सहित सूचना के आंत. रिक और बाहरी स्रोतों पर विचार किया है। उस पर प्रावधान, निवेश मूल्यांकन, बैंक की अन्य संपत्ति और देयताएं। COVID-19 महामारी के कारण अनिश्चितता को देखते हुए, बैंक भविष्य की आर्थिक स्थिति में किसी भी भौतिक परिवर्तन की लगातार निगरानी कर रहा है, जो बैंक के संचालन और उसके वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकता है, जो विकास के आधार पर वित्तीय परिणाम के अनुमोदन की तारीख के अनुमान से भिन्न हो सकता है।

प) Covid -19 Regulatory Impact:

In the aftermath of COVID-19 pandemic, the economy is still in the stage of revival. The impact of COVID-19, including changes in customer behavior and pandemic fears, as well as restrictions on business and individual activities, has led to significant volatility in global and Indian financial markets and a significant decrease in global and local economic activities. The Bank's results will depend on ongoing as well as future developments, which are highly uncertain, including, among other things, any new information concerning the severity of the COVID-19 pandemic and any action to contain its spread or mitigate its impact whether government-mandated or elected by us.

On account of continuous volatility in financial market, the Bank has considered internal and external sources of information including economic forecasts and industry reports up to the date of approval of financial results in determining the impact on various elements of its financial statements including recoverability of advances & provision thereon, investment valuation, other assets and liabilities of the Bank. Given the uncertainty because of COVID-19 pandemic, the Bank is continuously monitoring any material change in future economic condition which may impact the Bank's operations and its financial results depending on the developments which may differ from that estimated as at the date of approval of these financial results.



क्यू) आकस्मिक देयता और प्रावधानों का विवरण (लेखा मानक 29)

q) Statement of contingent Liability & Provisions (Accounting Standard 29)

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

वस्तु / Item	एस - 29 के अनुसार प्रावधान / Provision As per AS - 29							
	राशि जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है / Amt. for which the Bank is contingently Liable	वर्ष की शुरुआत में प्रावधान / Provision as at the beginning of the Year	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition during the year	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि / Amount used during the year	अप्रयुक्त राशि वर्ष के दौरान वापस करना /Unused amount reversed during the year	वर्ष के अंत में प्रावधान / Provision as at the close of the year	भविष्य की घटनाओं के संबंध में प्रमुख धारणा / Major assumption regarding future events	टिप्पणियां / Remarks
बैंक के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया* / Claims against the Bank not acknowledged as debt*	1.84 (1.57)	1.09 (0.06)	0.25 (1.03)	NIL NIL	NIL NIL	1.34 (1.09)	NIL NIL	NIL NIL
घटकों की ओर से जारी गारंटियां / Guarantees issued on behalf of constituents	63.04 (67.66)	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA
स्वीकृति अनुमोदन और अन्य दायित्व / Acceptance Endorsements and other obligations	0.20 (1.18)	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA
अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है / Other items, for which the Bank is contingently liable	43.41 (28.20)	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2022 को बकाया राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं

Figures in bracket represents the amount outstanding as at 31st March 2022

*ऐसी देयतायां क्रमशः अदालत / मध्यस्थता / अदालत के बाहर निपटान, अपीलों के निपटान, मांग की जा रही राशि, संविदात्मक दायित्वों की शर्तों, विकास और संबंधित पक्षों द्वारा मांग बढ़ाने पर निर्भर हैं।

*Such liabilities are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively.

आर) प्रति शेयर आय—

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ए) प्रति शेयर आय	3.94	3.73
बुनियादी (वार्षिक)	3.94	3.73
डाइल्यूटेड** (वार्षिक)	3.94	3.73
बी) अंश के रूप में प्रयुक्त राशि (कर पश्चात लाभ) /	46,30,87,494	28,93,26,086
सी) शेयरों का नाममात्र मूल्य /	₹ 10.00/-per share	₹ 10.00/-per share

r) Earnings per share-

Particulars	As on 31 st March, 2023	As on 31 st March, 2022
a) Earnings per share	3.94	3.73
Basic (annualized)	3.94	3.73
Diluted** (annualized)	3.94	3.73
b) Amount used as numerator (Profit after tax)	46,30,87,494	28,93,26,086
c) Nominal value of shares	₹ 10.00/-per share	₹ 10.00/-per share



विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
डी) हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या /	77500000	77500000

एस) अतिरिक्त प्रकटीकरण:

- पुनः समूहीकरण और पुनः वर्गीकरण: पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक होने पर पुनः समूहित किया गया है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान: सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और इसलिए भुगतान के लिए प्रकटीकरण एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज लागू नहीं है।
- डिजिटल बैंकिंग यूनिट से संबंधित खुलासा – वर्तमान में बैंक के पास कोई डिजिटल बैंकिंग यूनिट नहीं है।

Particulars	As on 31 st March, 2023	As on 31 st March, 2022
d) Weighted average number of equity shares used as the denominator	11,74,46,250	7,75,00,000

s) Additional Disclosures:

- Re-grouping & Re-classification: Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.
- Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006: There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro & Small Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable.
- Disclosure relating to Digital Banking Unit – Presently Bank has no Digital Banking Unit.

Nainital Bank
amalgam visito ha atest fundam

Get the capital you need to take your business to the next level

Vyapar Suvidha loan

Your Trusted Partner for Business

Follow Us ▶

f Nainital Bank Ltd @ nainital_bank @LtdNainital in Nainital Bank Ltd

www.nainitalbank.co.in marketing@nainitalbank.co.in

Nainital Bank
amalgam visito ha atest fundam

अपने सोने का सही समय पर उपयोग करे, नैनीताल बैंक का

(NAINI GOLD LOAN)

कम ब्याज

जल्दी स्वीकृति

सुविधाजनक किरतें

Follow Us ▶

f Nainital Bank Ltd @ nainital_bank @LtdNainital in Nainital Bank Ltd

www.nainitalbank.co.in marketing@nainitalbank.co.in


NAINITAL BANK
 THE NAINITAL BANK LTD.

दिल्ली / DELHI (16)		8. पप्पनकला / Pappankala (M)
1. पंचकुइया रोड / Panchkuian Road (M)		9. विकास मार्ग / Vikas Marg (M)
2. लाजपत नगर / Lajpat Nagar (M)		10. न्यू कोंडली / New Kondli (M)
3. शालीमार बाग / Shalimar Bagh (M)		11. रोहिणी सेक्टर 16 / Rohini Sector 16 (M)
4. तिलक नगर / Tilak Nagar (M)		12. रोहतक रोड / Rohtak Road (M)
5. पटपड़गंज / Patparganj (M)		13. सर्विस ब्रान्च, पंचकुइया रोड / Serv. Br. Panchkuian Road (M)
6. पीतमपुरा / Pitampura (M)		14. सुरहेड़ा (नजफगढ़) / Surhera (Najafgarh) (R)
7. आई.पी. एक्सटेंशन / I.P.Extension (M)		15. द्वारका / Dwarka (M)
		16. दिलशाद गार्डन / Dilshad Garden (M)
उत्तराखंड / Uttarakhand (75)		
जिला - अल्मोड़ा / DISTT.-ALMORA (4)		63. रुद्रपुर / Rudrapur (U)
17. अल्मोड़ा (मुख्य) / Almora (Main) (SU)		64. जसपुर / Jaspur (SU)
18. रानीखेत / Ranikhet (SU)		65. गदरपुर / Gadarpur (R)
19. लोअर माल रोड, अल्मोड़ा / Lower Mall Road, Almora (SU)		66. भूड महोलिया (खटीमा) / Bhoor Mohalia (Khatima) (SU)
20. द्वाराहाट / Dwarahat (R)		67. सिडकुल, पंतनगर / SIDCUL, Pantnagar (U)
जिला - बागेश्वर / DISTT.-BAGESHWAR (3)		68. सितारगंज / Sitargang (SU)
21. बागेश्वर / Bageshwar (R)		69. महेशपुरा (दोराहा), बाजपुर / Maheshpura (Doraha), Bazpur (R)
22. बनलेख / Banlekh (R)		70. बरहेनी, बाजपुर / Barhani, Bazpur (R)
23. कपकोट / Kapkot (R)		71. मुरादाबाद रोड, काशीपुर / Moradabad Road, Kashipur (U)
जिला - चम्पावत / DISTT.-CHAMPAWAT (7)		72. भूरानी, रुद्रपुर / Bhurani, Rudrapur (R)
24. लोहाघाट / Lohaghat (R)		73. विक्रमपुर, बाजपुर / Vikrampur, Bazpur (R)
25. चम्पावत / Champawat (R)		74. शिमलापिस्तौर, रुद्रपुर / Shimla Pistore, Rudrapur (R)
26. देवीधुरा / Devidhura (R)		75. दिनेशपुर, रुद्रपुर / Dineshpur Rudrapur (SU)
27. चौमेल / Chaumel (R)		76. नानकमत्ता / Nanakmatta (R)
28. भिंगराड़ा / Bhingrara (R)		77. दानपुर, रुद्रपुर / Danpur, Rudrapur (R)
29. टनकपुर / Tanakpur (SU)		78. भरतपुर, कुंडा / Bharatpur, Kunda (R)
30. बनबसा-चम्पावत / Banbasa-Champawat (R)		79. प्रतापपुर, काशीपुर / Pratappur, Kashipur (R)
जिला - नैनीताल / DISTT.-NAINITAL (23)		80. बेरिया दौलत / Beria Daulat (R)
31. नैनीताल (मुख्य) / Nainital (Main) (SU)		81. राजपुर, जयपुर / Rajpur, Jaspur (R)
32. रेलवे बाजार, हल्द्वानी / Railway Bazar, Haldwani (U)		82. सकानिया, गदरपुर / Sakeniya, Gadarpur (R)
33. रामनगर / Ramnagar (SU)		83. गंगपुर रोड, रुद्रपुर / Gangapur Road, Rudrapur (R)
34. भीमताल / Bhimtal (R)		जिला - चमोली / Distt. - Chamoli (2)
35. रामगढ़ / Ramgarh (R)		84. जोशीमठ / Joshimath (SU)
36. लाल कुंआ / Lalkuan (R)		85. कर्णप्रयाग / Karn Prayag (R)
37. बैल पड़ाव / Bailparao (R)		जिला - देहरादून / DISTT. - DEHRADUN (17)
38. पहाड़पानी / Paharpani (R)		86. देहरादून / Dehradun (U)
39. रानीबाग / Ranibagh (R)		87. विकास नगर / Vikas Nagar (SU)
40. तल्लीताल, नैनीताल / Tallital, Nainital (SU)		88. डोईवाला / Doiwala (R)
41. कालादुंगी रोड, हल्द्वानी / Kaladhungi Road, Haldwani (U)		89. ऋषिकेश / Rishikesh (SU)
42. एमबीपीजी कालेज, हल्द्वानी / MBPGP College, Haldwani (U)		90. हरिद्वार रोड, देहरादून / Haridwar Road, Dehradun (U)
43. रामपुर रोड, हल्द्वानी / Rampur Road, Haldwani (U)		91. सहारनपुर रोड, देहरादून / Saharanpur Road, Dehradun (U)
44. भवाली / Bhowali (R)		92. मंसूरी / Mussoorie (SU)
45. अर्जुनपुर (गोरापड़ाव), हल्द्वानी / Arjunpur (Gorapara), Haldwani (R)		93. वसन्त विहार, देहरादून / Vasant Vihar, Dehradun (U)
46. लोहारियासाल मल्ला (कठघरिया), हल्द्वानी (R)		94. चक्राता रोड, देहरादून / Chakrata Road, Dehradun (U)
47. कमलुवागांजा हल्द्वानी / Kamaluaganja, Haldwani (R)		95. कैनाल रोड, देहरादून / Canal Road, Dehradun (U)
48. जगतपुर (गौलापार) / Jagatpur (Gaulapar) (R)		96. सहस्त्रधारा रोड, देहरादून / Sahasradhara Road, Dehradun (U)
49. दमुवा ढूंगा (बन्दोबस्ती) / Damua Dhunga (Bandobasti) (R)		97. भनियावाला, देहरादून / Bhaniyawaala, Dehradun (R)
50. पीरुमादारा (रामनगर) / Peerumadara (Ramnagar) (R)		98. भाऊवाला, देहरादून / Bhauwala, Dehradun (R)
51. उदयलालपुर (हल्द्वानी) / Udaylalpur (Haldwani) (R)		99. चिहरवाला, देहरादून / Chidderwala, Dehradun (R)
52. जेल राड (हल्द्वानी) / Jail Road (Haldwani) (U)		100. नाथुआवाला, देहरादून / Nathuawala, Dehradun (R)
53. तल्ली बमोरी (हल्द्वानी) / Talli Bamori (Haldwani) (R)		101. झजरा, सुधोवाला, देहरादून / Jhajra, Sudhowala Dehradun (U)
जिला - पिथौरागढ़ / DISTT.-PITHORAGARH (2)		102. राजेश्वरीवाला जोगीवाला, देहरादून / Rajeshwaripuram, Jogiwal Dehradun (U)
54. पिथौरागढ़ / Pithoragarh (SU)		जिला - हरिद्वार / DISTT. - HARIDWAR (4)
55. धारचूला / Dharchula (R)		103. हरिद्वार / Haridwar (U)
जिला - ऊधम सिंह नगर / DISTT.- U.S. NAGAR (28)		104. रूडकी / Roorkee (U)
56. काशीपुर / Kashipur (U)		105. ज्वालापुर, हरिद्वार / Jawalpur, Haridwar (U)
57. किच्छा / Kichha (SU)		106. श्यामपुर कांगड़ी, हरिद्वार / Shyampur Kangri, Haridwar (R)
58. बाजपुर / Bazpur (SU)		जिला-पौड़ी (गढ़वाल) / DISTT.- PAURI (GARHWAL) (3)
59. किलाखेड़ा / Kilakhera (SU)		107. कोटद्वार / Kotdwar (SU)
60. नगला / Nagla (SU)		108. श्रीनगर / Srinagar (SU)
61. बरा / Bara (R)		109. पौड़ी / Pauri (SU)
62. श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichwa (R)		जिला - रुद्रप्रयाग / DISTT. - RUDRAPRAYAG (1)
		110. रुद्रप्रयाग / Rudra Prayag (R)
		जिला - देहरी / DISTT. - TEHARI (2)
		111. नई देहरी / New Tehari (SU)
		112. तपोवन (ऋषिकेश) / Tapovan-Rishikesh (R)
		जिला - उत्तरकाशी / DISTT. - UTTARKASHI (1)
		113. पुरोला, उत्तरकाशी / Purola, Uttarkashi (R)


NAINITAL BANK
 THE NAINITAL BANK LTD.

उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh (36)		जिला — लखनऊ / DISTT.- LUCKNOW (8)	
जिला आगरा / DISTT. AGRA (1)		137. टी.एन. रोड, लखनऊ / T. N. Road, Lucknow	(M)
114. आगरा / Agra	(M)	138. महानगर, लखनऊ / Mahangar, Lucknow	(M)
जिला — बरेली / DISTT.-BAREILLY (4)		139. आशियाना, लखनऊ / Ashiana, Lucknow	(M)
115. बहेड़ी / Baheri	(SU)	140. नादान महल मार्ग, लखनऊ / Nadan Mahal Road, Lucknow	(M)
116. सिविल लाईन्स, बरेली / Civil Lines, Bareilly	(U)	141. गोमती नगर, लखनऊ / Gomti Nagar, Lucknow	(M)
117. प्रभात नगर, बरेली / Prabhat Nagar, Bareilly	(U)	142. आईआईएम रोड, लखनऊ / IIM Road, Lucknow	(M)
118. फरीदपुर, बरेली / Faridpur, Bareilly	(SU)	143. डालीगंज, लखनऊ / Daligunj, Lucknow	(M)
119. पवन विहार, बरेली / Pawan Vihar, Bareilly	(SU)	144. विकास नगर, लखनऊ / Vikas Nagar, Lucknow	(M)
जिला — बिजनौर / DISTT.- BIJNOR (6)		जिला — मेरठ / DISTT.- MEERUT (2)	
120. नजीबाबाद / Najibabad	(SU)	145. मेरठ / Meerut	(M)
121. बिजनौर / Bijnor	(SU)	146. कंकर खेड़ा-मेरठ / Kankar-Khera-Meerut	(M)
122. धामपुर / Dhampur	(SU)	जिला — मुरादाबाद / DISTT.- MORADABAD (2)	
123. नगीना / Nagina	(SU)	147. मुरादाबाद / Moradabad	(U)
124. अफजलगढ़ / Afzalgarh	(SU)	148. कांठ रोड-मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad	(U)
125. रानीपुर, नजीबाबाद / Ranipur, Najibabad		149. ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद / Thakurdwara, Moradabad	(SU)
जिला — बुलन्दशहर / DISTT.-BULANDSHAHR (1)		जिला — मुजफ्फरनगर / DISTT.- MUZAFFARNAGAR (1)	
126. बुलन्दशहर / Bulandshahr	(U)	150. मुजफ्फरनगर / Muzaffarnagar	(U)
जिला—गाजियाबाद / DISTT.- GHAZIABAD (4)		जिला — पीलीभीत / DISTT.- PILIBHIT (1)	
127. गाजियाबाद / Ghaziabad	(M)	151. पीलीभीत / Pilibhit	(U)
128. वैशाली, गाजियाबाद / Vaishali, Ghaziabad	(M)	जिला — रामपुर / DISTT.- RAMPUR (2)	
128. संजयनगर, गाजियाबाद / Sanjay Nagar, Ghaziabad	(M)	152. रामपुर / Rampur	(U)
130. गोविंदपुरम, गाजियाबाद / Govindpuram, Ghaziabad	(U)	153. बिलासपुर / Bilaspur	(SU)
131. लोनी, गाजियाबाद / Loni, Ghaziabad	(U)	जिला—सहारनपुर / DISTT.- SAHARANPUR (1)	
जिला गौ. बु. नगर / DISTT.-G.B. NAGAR (3)		154. सहारनपुर / Saharanpur	(U)
132. नोएडा सैक्टर -50 / NOIDA Sect. - 50	(U)	जिला—शाहजहाँपुर / DISTT.- SHAHJAHANPUR (2)	
133. नोएडा सैक्टर - 18 / NOIDA Sect. -18	(U)	155. शाहजहाँपुर / Shahjahanpur	(U)
134. ग्रेटर नोएडा / Greater NOIDA	(U)	156. सतवानबुजुर्ग शाहजहाँपुर / Satwan Bujurg, Shahjahanpur	(R)
जिला — कानपुर / DISTT. - KANPUR (2)		जिला — सीतापुर / DISTT.- SITAPUR (1)	
135. कानपुर / Kanpur	(M)	157. सीतापुर / Sitapur	(U)
136. बर्रा-कानपुर / Barra-Kanpur	(M)		
हरियाणा / Haryana (7)		जिला—करनाल / DISTT.-KARNAL (1)	
जिला—अम्बाला / DISTT.-AMBALA (1)		163. करनाल / Karnal	(U)
158. अम्बाला / Ambala	(U)	जिला—पानीपत / DISTT.-PANIPAT (1)	
जिला—फरीदाबाद / DISTT.-FARIDABAD (2)		164. पानीपत / Panipat	(U)
159. फरीदाबाद / Faridabad	(M)	जिला—पानीपत / DISTT.-ROHTAK (1)	
160. बल्लभगढ़-फरीदाबाद / Ballabgarh-Faridabad	(M)	165. सेक्टर 14, रोहतक / Sector 14, Rohtak	(U)
जिला—गुरुग्राम / DISTT.-GURUGRAM (2)		राजस्थान / Rajasthan (3)	
161. गुरुग्राम / Gurugram	(U)	जिला—जयपुर / DISTT.-JAIPUR (3)	
162. सोहना रोड-गुरुग्राम / Sohna Road-Gurugram	(U)	166. जयपुर / Jaipur	(M)
		167. कोटपुतली, जयपुर / Kotputli, Jaipur	(SU)
		168. राजा पार्क, जयपुर / Raja Park, Jaipur	(M)

Key : M = Metropolitan Centre महानगरीय केन्द्र, U = Urban Centre शहरी केन्द्र, SU = Semi Urban Centre अर्द्धशहरी केन्द्र, R = Rural Centre ग्रामीण केन्द्र

शाखाओं की संख्या विभिन्न केन्द्रों पर / No.of Branches at various Centers :

1. महानगरीय / Metro 35	2. शहरी / Urban 44	3. अर्द्धशहरी / Semi Urban 34	4. ग्रामीण / Rural 55
क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Offices			
1. दिल्ली / Delhi	2. हल्द्वानी / Haldwani	3. देहरादून / Dehradun	
विभिन्न नैनीलोन प्वाइंट			
1. दिल्ली / Delhi	2. हल्द्वानी / Haldwani	3. देहरादून / Dehradun	4. लखनऊ / Lucknow
STATUTORY AUDITORS :	M/S Dharam Raj & Co., Chartered Accountants		
COMPANY SECRETARY :	Mr. Vivek Sah		

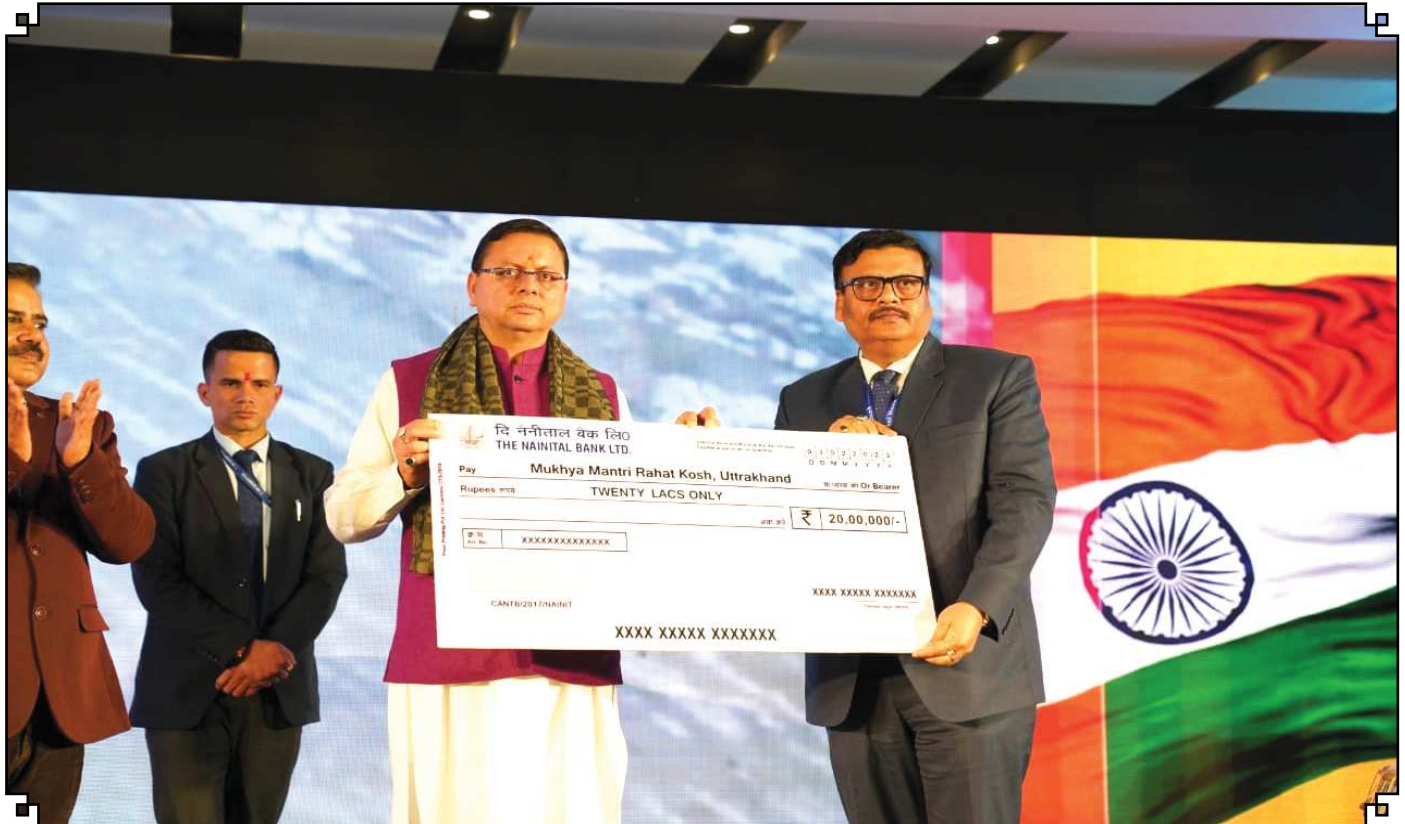
In case of dispute, english version of this Annual Report shall be treated as final.



Team Naini-Head Office- On the Occasion of 102nd Foundation Day of the Bank



Ministry of Electronics & Information Technology has felicitated ' Nainital Bank with 1st highest percentage of digital payment transactions award (DigiDhan Award 2021-22)



Bank has contributed to CM Relief Fund for Joshimath crisis to Mr Pushkar Singh Dhami, Chief Minister of Uttarakhand



Bank's contribution under Corporate Social Responsibility



Bank's contribution under Corporate Social Responsibility



Opening of Bank's 167th branch at Vikas Nagar, Lucknow



नैनीताल बैंक NAINITAL BANK

Regd Off. : G.B. Pant Road,
Nainital - 263001 (Uttarakhand)

H.O. : Naini Bank House, 7 Oaks, Mallital,
Nainital-263001 (Uttarakhand)

Phone : 05942 - 236 138/195, Fax : 05942 - 236 120

email: accounts@nainitalbank.co.in

Website : www.nainitalbank.co.in

CIN NO.:U 65923UR 1922 PLC 000234

www.nainitalbank.co.in